जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका

(जयपुर महानगर के विशेष सन्दर्भ में विगत दो सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन)

The Role Of Government In The Development And Expansion Of Public Welfare

(A Comparative Study Of Last Two Governments With Special Reference To Jaipur City)

कोटा विश्वविद्यालय कोटा

सामाजिक विज्ञान संकाय में

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

वर्ष –2016

शोध निदेशक

डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी

एसोसिएट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सवाई माधोपुर (राजस्थान)

शोधार्थी

मुकेश पाराशर

APPENDIX-IX

CERTIFICATE BY THE SUPERVISOR

It is certified that the

1. Thesis entitled ''**जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका (जयपुर महानगर के विशेष सन्दर्भ में विगत दो सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन)**'' **"The Role Of Government In The Development And Expansion Of Public Welfare(A Comparative Study Of Last Two Government With Special Reference To Jaipur City)" Submitted By Shri MUKESH PARASHAR** is an original piece of Research Work Carried out by the Candidate under my Supervision.
2. Literary Presentation is Satisfactory and The thesis is in a form of Suitable for Publication Work.
3. Work evinces The Capacity of The Candidate For Critical Examination and Independent Judgment.
4. Candidate has but in at least 200 days of attendance every year.

(Dr. Madhumukul Chaturvedi)
Associate Professor
Signature of the Supervisor
with date

प्राक्कथन

जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाऐं मुहैया करवाए।

प्रारम्भिक काल तथा सभ्यताओं के विकास से पूर्व सीमित जनंसख्या, तथा लोगों का बुद्धि एवं विवेक में न्यून होने के कारण लोगों की बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा, तथा मकान तक सीमित थी। लोग इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति जंगली जानवरों की तरह ही करते थे। लोग भोजन की प्राप्ति कंदमूल, फल, शिकार तथा मरे हुए प्राणियों से तो कपड़े की पूर्ति पेड़ पौधों की पत्तियों तथा छालों से इसी तरह मकान (घर) की पूर्ति प्राकृतिक आवासों से करते थे।

कालान्तर में जनसंख्या, लोगों की बुद्धि तथा विवेक में वृद्धि एवं विभिन्न आविष्कारों के साथ ही निजी सम्पत्ति के प्रादुर्भाव एवं तेरे मेरे की भावना ने लोगों के मन में असुरक्षा का भाव प्रकट किया। लोगों को जंगली जीवन से निकालने एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सभ्यताओं एवं राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ।

जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य के मूल तत्व जनसंख्या, भूखण्ड, सम्प्रभुता और सरकार होते हैं। राज्य एक अमूर्त संस्था होती है राज्य की इच्छाओं की परिणति एक मूर्त संस्था सरकार द्वारा ही होती है।

जहाँ प्रारम्भिक काल में बुनियादी जरूरतें सीमित भी वहाँ जनसंख्या में वृद्धि तथा लोगों की बुद्धि एवं विवेक में परिवर्तन के फलस्वरूप बुनियादी

जरूरतें जिन्हें जन सुविधाऐं कहा जाता है उनका क्षेत्र बढ़ना स्वाभाविक था। इन समस्त जन सुविधाओं को लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयास द्वारा प्राप्त करना असम्भव था। अतः इन सुविधाओं को समता परख ढंग से प्राप्त करने हेतु राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। चूँकि सरकार राज्य का अंग होने के कारण इन सुविधाओं को मुहैया कराने में सरकार की भूमिका बढ़ना स्वाभाविक है।

नगरीकरण की प्रक्रिया में जहाँ गाँव कस्बों में कस्बे नगरों में तथा नगर महानगरों में परिवर्तित हो गये हैं अतः इन कस्बों नगरों एवं महानगरों में जनसंख्या का एक वृहद रूप देखने को मिलता है। जनसंख्या के इस वृहद रूप को विभिन्न प्रकार की जन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। नगरों में इन सुविधाओं को मुख्यतया औषत तथा औषत से कम आय वर्ग वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करना असम्भव है। इन सुविधाओं के अभाव में लोग अपना जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सारतः नगरों महानगरों के लोगों के जीवन को सुलभ एवं सरल बनाने हेतु इन सुविधाओं को मुहैया कराने में सरकार की अहम भूमिका होती है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ''जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका (जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में विगत दो सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन)'' में राज्य के प्रादुर्भाव तथा सरकारों के गठन के साथ सरकार की जन सुविधाओं को मुहैया कराने में उसकी क्या भूमिका रही है? तथा नगरों महानगरों मे लोगों (मुख्यतः जयपुर महानगर) के जीवन को किस प्रकार परिवर्तित किया है इसका विश्लेषण करना है। अध्ययन व सुविधा की दृष्टि से शोध प्रबन्ध को आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय परिचयात्मक है जिसमें जन सुविधाओं का अर्थ प्रकार, अध्ययन का उद्देश्य, प्रकृति उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, तथा शोध पद्धति का विश्लेषण किया गया है। द्वितीय अध्याय में भारत में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय अध्याय में जयपुर

महानगर की आकारिकी, योजना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विश्लेषण किया गया है। चतुर्थ अध्याय में जयपुर (महानगर के विशेष संदर्भ में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका के बारे में व्याख्या की गई है। पंचम अध्याय में जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत शहरी स्थानीय सरकार (2004–09) की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ पर प्रकाश डाला गया है इसी तरह षष्ठम् अध्याय में भी जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत शहरी स्थानीय सरकार (2009–14) की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। सप्तम् अध्याय में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत दोनों शहरी स्थानीय सरकारों की भूमिका की तुलना का आंकलन किया गया है इसमें विगत दोनों शहरी स्थानीय सरकारों (नगर निगमों) के वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2008–09 तथा 2010 –11 से 2013–14 तक जयपुर महानगर में जनसुविधाओं के लिए किए गए प्रयास का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अष्ठम् अध्याय में निष्कर्ष एवं आत्मकथन हैं।

सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य आध्यात्मिक गुरूदेव श्री–श्री 1008 श्री सत्गुरू बाबा उमेश दास जी साहिब सतनामी गुरूद्वारा सादपुरा (टोड़ाभीम) करौली के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। जिन्होंने शोध कार्य के दौरान आयी चुनौतियों के निराकरण में पग–पग पर अपने स्नेहिल आशीर्वाद से मेरा मार्गदर्शन किया। शोध कार्य के दौरान मेरे विचलित मन को एकाग्रता प्रदान करने में इनके आशीर्वाद ने अहम भूमिका अदा की है। इनके द्वारा दिये गये आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा ह्रदय से अनुगृहीत रहूँगा।

मेरे गुरूदेव व मार्गदर्शक डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी जी का आशीर्वाद व विद्धतापूर्ण मार्गदर्शन इस शोध कार्य के लेखन में हमेशा मेरे साथ–साथ रहा । इन्होंने मेरे उत्साह को गतिशील बनाये रखा तथा समय–समय पर अपने विद्वतापूर्ण सुझाव देकर नवीन उद्भावनाओं को उद्घाटित कर शोध कार्य को

परिष्कृत करने के लिए प्रेरित किया। अतः इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा प्रथम व पुनीत कर्तव्य है।

राजनीति विज्ञान के सुविख्यात परम् पूज्य गुरूदेव स्वर्गीय प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे पी.पी. टी. के माध्यम से पीएच.डी करने हेतु प्रेरित किया।

मेरे पूजनीय पिताजी श्री ओम प्रकाश पाराशर माताजी श्रीमती रामदुलारी पाराशर, के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद की छांव में ही मैं अपने शोध कार्य को पूर्ण करने में सफल हो पाया हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा मिश्रा पाराशर, पुत्र शाश्वत पाराशर (गुनी) का भी मैं आभारी हूँ जिनका सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा है।

रा.उ.मा.विद्यालय हिण्डौन सिटी में व्याख्याता (रसायन विज्ञान) के पद पर कार्यरत मेरे पूजनीय बड़े भ्राता श्री सतीश प्रकाश शर्मा के प्रति सहृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। इन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आधार प्रदान किया। इनके विद्वतापूर्ण मार्ग दर्शन ने मुझे गतिशील बनाये रखा। इनके सहयोग के बिना यह असम्भव था।

मेरे पूजनीय ससुर साहब श्री रविशंकर जी मिश्रा (सहायक लेखाधिकारी), साले साहब डॉ. प्रो. उपेन्द्र मिश्रा (अमेटी विश्वविद्यालय जयपुर) तथा कृष्ण कुमार मिश्रा (एडवोकेट) के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूँ।

इसी दिशा में मेरे चचेरे अनुज भूगोल व्याख्याता, डॉ. चन्दन मल शर्मा (राजकीय महाविद्यालय महवा), चन्द्रकान्त पाराशर (औषधि गुणवत्ता अधिकारी), भतीजी अक्षिति पाराशर (अभियान्त्रिकी विद्यार्थी जे.ई.सी.आर.सी. जयपुर) तथा भतीजा अन्तरिक्ष पाराशर (अभियान्त्रिकी विद्यार्थी बिट्स पिलानी हैदराबाद) ने एक प्ररेक की भूमिका अदा कर शोध कार्य करने को प्रेरित किया इनका मैं तहे

दिल से शुक्र गुजार हूँ। परिवार की एक नन्ही एवं कोमल कड़ी तमन्ना, तुषार गर्भिता, अक्षांश, ख्वाहिश एवं शाश्वत (गुनी) की बचपनी अदायें एवं मुस्कानों ने मेरे नीरस मन में नवीन ऊर्जा का संचार कर इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया मैं इनके लिए धन्यवाद प्रदान करता हूँ।

इसी श्रृंखला में लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रो. डॉ. विक्रान्त शर्मा (कोटा विश्वविद्यालय कोटा), भारती विद्यापीठ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्र जी शैदावत, व्याख्याता मनरूप सिंह, शिवचन्द्र भूषण, आत्मा राम सांवरिया, कमल सिंह, जयवीर, परिष्कार महाविद्यालय में व्याख्याता प्रमोद कुमार शर्मा, मोहन लाल दायमा (व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय बूंदी) जेठाराम (शिक्षक), जीतेन्द्र शर्मा, ऋतु (शिक्षिका), डॉ. संगीता जैन तथा अन्य सभी मित्र जनों का जिन्होंने मेरा इस शोध कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग किया इसके लिए मैं इनका आभारी रहूँगा।

सरकार के सभी विभाग संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारीगणों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य से सम्बन्धित जानकारियाँ उपलब्ध करायी।

अन्त में मैं मेरे सभी परिवारजनों एवं रिश्तेदारों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे वृहद न सही आंशिक रूप में इस शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरा सहयोग प्रदान किया।

दिनांक :

(मुकेश पाराशर)

विषय – सूची

अध्याय	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
अध्याय प्रथम	**परिचयात्मक** जन सुविधाओं का परिचय, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन का उद्देश्य, उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, शोध पद्धति	**1–21**
अध्याय द्वितीय	भारत में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका	**22–47**
अध्याय तृतीय	जयपुर महानगर की आकारिकी, योजना एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	**48–71**
अध्याय चतुर्थ	जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका	**72–146**
अध्याय पंचम	जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत शहरी स्थानीय सरकार (2004–2009) की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	**147–188**
अध्याय षष्ठम्	जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत शहरी स्थानीय सरकार (2009–2014) की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	**189–217**
अध्याय सप्तम्	जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत दोनों शहरी स्थानीय सरकारों की भूमिका की तुलना	**218–229**
अध्याय अष्ठम्	निष्कर्ष एवं आत्मकथन	**230–246**
	सन्दर्भ ग्रंथ सूची	**247–261**
	साक्षात्कार अनुसूची	**262–265**

अध्याय - प्रथम
परिचयात्मक

मानव के उदय के साथ मानव को जीवित रहने तथा मानव जीवन को आसान बनाने एवं गति प्रदान करने हेतु कुछ जीवन मूलक वस्तुओं (रोटी, कपड़ा, मकान) की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। आरम्भिक मानव से आधुनिक मानव तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग, दूसरों द्वारा मारे गये या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़–पौधों से कंदमूल, फल, बीज आदि बटोरकर अपना पेट पालन करते थे। धीरे–धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना, आग का अविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक का आविष्कार किया। इसी प्रक्रिया में एक मानव से अनेक मानवों का जन्म हुआ तथा जनसंख्या वृद्धि हाने लगी। इस जनसंख्या की वृद्धि के साथ–साथ परिवार, कुल, समाज तथा राज्य का विकास हुआ। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एवं राज्य के प्रादुर्भाव के साथ ही राज्य की जनता को कुछ मूलभूत आवश्यकताओं/सहूँलियतों की आवश्यकता महसूस हुई उन मूलभूत आवश्यकताओं को कालान्तर में चलकर जन सुविधाऐं नाम दिया गया। कहते हैं कि ''**आवश्यकता आविष्कार की जननी**'' होती है। जैसे–जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उसी गति से जनता को और अधिक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होने लगी। जो कि विभिन्न राज्यों (सरकारों) के समक्ष चुनौती के रूप में उभरती रही हैं। इन चुनौतियों अर्थात् इन बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों का आविष्कार भी होता रहा है।

1. **जन सुविधाओं का अर्थ** – जन सुविधा एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों जन और सुविधा से मिलकर बना है। संयुक्त शब्द में सुविधा भी दो शब्दों सु और विधा जिनका समानार्थी अर्थ क्रमशः भलाई का घोतक होना (Denoting goodness) तथा कार्य करने का तरीका (Mode) से मिलकर बना है। इस स्थिति में सुविधा का शाब्दिक अर्थ ''**भलाई का कार्य करने का तरीका (कल्याणकारी कार्य)**'' है। सुविधा की तरह ही जन का समानार्थी अर्थ लोग/प्रजा/सामान्य जनता/सार्वजनिक/जनसाधारण है। इस प्रकार जन सुविधा का शाब्दिक अर्थ जनता की भलाई का कार्य करना है अर्थात् जनता के कल्याण हेतु सुविधाएं (सहूलियतें) उपलब्ध करना है या जनता के कल्याण हेतु कल्याणकारी कार्य करना है। भिन्न–भिन्न काल क्रमों में जन सुविधा एवं सरकार के अनेक समानार्थी नाम प्रचलित होते आ रहे है। अतः जन सुविधओं के अर्थ और सरकार की भूमिका को सुस्पष्ट तरीके से समझने के लिए निम्न दो बिन्दुओं पर चर्चा करना अनिवार्य है।
   1. राज्य और सरकार में सम्बन्ध
   2. जन सुविधा और जन कल्याणकारी कार्य में सम्बन्ध

1. **राज्य और सरकार में सम्बन्ध :** राज्य वह जन समूह है जिसका एक निश्चित भू–भाग पर स्थायी अधिकार हो जो सामान्य कानूनों आदतों और रीति रिवाजों द्वारा एक राजनीतिक सूत्र में बँधा हो, जो एक संगठित सरकार के द्वारा स्वतंत्र संम्प्रभुता का उपयोग कर रहा हो, जिसका नियंत्रण अपनी सीमा के भीतर के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर हो, और जो युद्ध छेड़ने व शान्ति स्थापित करने तथा संसार के सभी समुदायों से सब प्रकार के अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध कायम करने में समर्थ हो।[1] **गार्नर कहते है** – ''राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक कानून के विचार से राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतया बड़ी संख्या में हो जिसका एक निश्चित भू–प्रदेश पर स्थायी अधिकार हो, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो, तथा जिसकी आज्ञाओं का

पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो।[2] इस प्रकार राज्य के मूल तत्व है – जनसंख्या, भूखण्ड, सम्प्रभुता और सरकार।[3]

सरकार राज्य की राजनीतिक संस्था है। यह राज्य की सम्प्रभु इच्छा को पूरी करने का साधन है। यदि जनतन्त्रीय राज्य में अन्तिम सम्प्रभुता जनता के हाथों में रहती है तो वैधानिक सम्प्रभु सरकार है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार के द्वारा ही राज्य अपनी इच्छा प्रकट करता है और उसे पूरी करता है। यह जरूरी नहीं कि सरकार किसी खास किस्म की ही हो। सरकार का स्वरूप राज्य के स्वरूप पर निर्भर करता है और राज्य का स्वरूप राज्य निवासियों के चरित्र और उनकी राजनीतिक विचारधारा से बहुत कुछ निश्चित होता है।[4]

प्रोफेसर लास्की (Laski) सरकार को राज्य का प्रतिनिधि या एजेन्ट कहते है। उसका अस्तित्व राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। सरकार स्वतः दबाव डालने वाली सर्वोपरि सत्ता नहीं है, वह तो केवल शासन यंत्र है जो उस सत्ता के उद्देश्यों को कार्यरूप देता है।[5]

राज्य एक अमूर्त संस्था होती है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में इस संस्था का मूर्तरूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्यरूप में परिणत होती है।[6]

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य एवं सरकार अन्तर्सम्बन्धित है। अर्थात् राज्य एवं सरकार आपस में पूरक संस्था है। परिणामतः सरकार द्वारा किया गया कार्य राज्य द्वारा एवं राज्य द्वारा किया गया सरकार द्वारा माना जाता है।

2. **जन सुविधा और जन कल्याणकारी कार्य में सम्बन्ध :** लास्की राज्य को एक ऐसा संगठन बतलाते है जो सामाजिक कल्याण के लिए शक्ति का उपयोग करता है।[7] अरस्तू का कहना है कि राज्य की स्थापना हमें जिन्दा रखने के

लिए होती है और जीवन को सुखी बनाने के लिए यह कायम रखा जाता है।[8]

कौटिल्य ने राजा (राज्य) को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सौंपे है। इसके अन्तर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का भरण पोषण करेगा। जो किसान खेती न करके जमीन परती छोड़ देते हों, उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसान को देगा। उसके अन्य कर्तव्य कृषि के लिए बांध बनाना, जल मार्ग बाजार आदि जलाशय बनाना दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना है। आवश्यक होने पर उसे बलवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बाँट देना चाहिए।[9]

इस प्रकार लास्की व कौटिल्य के सामाजिक कल्याण व लोकहित में राज्य (राजा) के कर्तव्य के विचारों से स्पष्ट होता है कि अनाथ वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था और बांध बनाना, जल मार्ग बाजार और जलाशय बनाना दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना जैसे कल्याणकारी कार्य के द्वारा ही राज्य जनता के जीवन को आत्म निर्भर एवं गरिमामय बनाता है। साथ ही साथ लोकहित व सामाजिक कल्याण में सहायक सिद्ध होता है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि ''जन कल्याण/लोक कल्याण साध्य है जबकि जन कल्याणकारी कार्य एक साधन'' है। चूँकि जन सुविधाओं के द्वारा भी जीवन को गतिशील, आत्मनिर्भर, गरिमामय एवं आनन्दमय अर्थात् कल्यामय बनाया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि जन सुविधाएं एवं जनकल्याणकारी कार्य शब्द आपस में समानार्थी है।

निष्कर्षतः ''जनकल्याणकारी कार्यों को ही जन सुविधाऐं'' कहा जाता है। जन सुविधाओं के शाब्दिक अर्थ, राज्य और सरकार में सम्बन्ध एवं जन सुविधाऐं व जन कल्याणकारी कार्य में अन्तर्सम्बन्ध से जन सुविधाओं को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते है।

''जनता के जीवन को आत्मनिर्भर, गरिमामय, सुलभ एवं सुखमय तथा लोगों को जिंदा रखने में सहायक अर्थात् जनता के सम्पूर्ण कल्याण हेतु जिन मूलभूत आवश्यकताओं या बुनियादी जरूरतों (पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) को ही जन सुविधाऐं'' कहा जाता है।

जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। ये वे बुनियादी जरूरतें हैं जो जिन्दा रहने के लिए जरूरी है।'' भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जरूरतों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाऐं मुहैया करवाऐं।[10]

जन सुविधाओं को उन आधार भूत सेवाओं के रूप में परिभाषित किया है। जिसकी आपूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्तिगत निवास स्थान इकाई को नहीं दी जा सकती है। फलस्वरूप ये एक व्यक्तिगत रिहायशी निवास स्थान इकाई से परे एक सार्वजनिक माहौल में उपयोग में लायी गयी है। जन सुविधाऐं जिसमें सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक उपाय, संचार, मनोरंजन, स्पॉर्टस (खेल–कूद), शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन धार्मिक सेवायें, सांस्कृति एवं सामाजिक सेवाऐं सम्मिलित है की आवश्यकताओं की पूर्ति विशेषतः व्यक्तिगत या सामुदायिक जरूरत है।[11]

जन सुविधाऐं जो केन्द्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय और वे भी जिनको सरकारी संस्थाऐं उपलब्ध नहीं कराती है। सामान्य तौर पर सरकार के उत्तरदायित्व के रूप में व्यक्त करने में समझा जाता है। फिर भी जन सुविधाऐं

गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी उपलब्ध करायी जाती है जब सरकार इस सेवाओं को मुहैया कराने में असमर्थ (अपर्याप्त) प्रतीत होती है।[12]

जन सुविधाओं के प्रकार/वर्गीकरण– आवश्यकताओं की पूर्ति के क्षेत्रों के आधार की निर्भरता के अनुसार जन सुविधाओं को उच्च क्रम (Higher order) मध्य क्रम (Middle order), तथा निम्न क्रम (Lower order) तथा चलती फिरती सेवा (Mobile) के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

1. **उच्च क्रम जन सुविधाएं** – ये सुविधाऐं सामान्यतः सम्पूर्ण क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र अथवा शहर में मुहैया करायी जाती है। (यथा चिकित्सालय, विश्वविद्यालय) और एकल रिहायशी बस्तीयों में इन सुविधाओं के सामान्य प्रबन्ध की योजना प्रक्रिया को मुहैया नहीं करायी जाती है ये सुविधाऐं उन क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जाती है। जहाँ अधिक से अधिक लोगों तक ये सुविधाऐं सरल व सुगम रूप से पहुँच सके। इन योजनाओं की योजना इस तरह बनायी जाती है कि सम्पूर्ण सामाजिक ढ़ाँचे का विकास हो सके।
2. **मध्य क्रम जन सुविधाएं** – ये सुविधाऐं वे होती है जिनको विविध एवं भिन्न–भिन्न समुदायों को मुहैया करायी जाती है यथा–हाई स्कूलें, क्लिनकें। ये सुविधाऐं व्यक्तिगत रिहायशी बस्ती में आवश्यक है परन्तु ये सुविधाऐं एक व्यक्तिगत रिहायशी बस्ती से बढ़कर एक बड़ी जनसंख्या की दहलीज पर उपलब्ध करायी जाती है।
3. **निम्न क्रम जन सुविधाएं** – ये वे सुविधाऐं है जिनको एक एकल अथवा रिहायशी समुदायों की एक निश्चित संख्या उपयोग में लेती है (यथा–क्रेश अथवा पूर्व प्राथमिक विद्यालय) और सामान्यतः आवासीय बस्तीयों की रूपरेखा और प्रबन्ध के लिए ये मुहैया करायी जाती है।
4. **चलती–फिरती जन सुविधाएं** – ये वे सुविधाऐं होती है जो कि समुदायों की एक बड़ी संख्या को सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक स्थान से

दूसरे स्थान तक गति करती है। स्थानिक स्थितियों की वजह से उत्पन्न समस्याओं को हल करने में चलती–फिरती जन सुविधाओं का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे क्लिनकें, डॉक घर, और पब्लिक टेलीफोन्स। ये एक ही समय पर अधिक से अधिक लोगों को सुविधाऐं उपलब्ध कराती है।[13]

जन सुविधाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास (मनु स्मृति से अब तक) में है। किसी भी लोककल्याणकारी राज्य के लिए उस राज्य की जनता के लिए जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार होना उस राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। अतः एक ''**श्रेष्ठ मानवीय विकास के लिए एक गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाओं**'' का विकास होना अति आवश्यक है।

चूँकि महानगरों के विस्तार व बढ़ते जनसंख्या घनत्व के फलस्वरूप वहाँ मूलभूत सुविधाओं की अति आवश्यकता होती है। पेयजल व्यवस्था, आवास, लोक स्वास्थ्य, संचार के साधन, शिक्षा, बिजलीआपूर्ति, सड़क एवं नालियों का निर्माण, महामारियों की रोकथाम, सुलभ शौचालयों आदि का रखरखाव, मृतक क्रिया स्थलों का समुचित प्रबन्ध, कचरा निस्तारण आदि सभी मूलभूत सुविधाओं को जन सुविधाऐं कहा जाता है। इन सबको उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के बारे में प्रस्तुत शोध के माध्यम से विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

प्रस्तुत शोध में जन सुविधाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए लोकतान्त्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है। जिसमें स्थानीय स्वायत्ता के महत्व को दृष्टिगोचर किया गया है। चूँकि भारत में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व स्थानीय स्तर पर क्रमशः संघीय सरकार, राज्य सरकार व सरकार का तीसरा स्तर जिसे हम स्थानीय शासन कहते है, कार्यरत है।

लोगों के संगठित समूह जब एक स्थान पर एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने लगते हैं तो उनमें एक सामुदायिकता और एकता की भावना

उत्पन्न हो जाती है। इन लोगों के इस सामूहिक आवास के फलस्वरूप कुछ समस्याऐं भी उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं का संबंध नागरिक जीवन की सुविधाओं से होता है जैसे जल प्रबन्ध, सफाई प्रबन्ध, सड़कों नालियों का रखरखाव, स्वास्थ्य, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था करना आदि जन सुविधाओं के अन्तर्गत आता है।

चूँकि केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार का कार्यक्षेत्र विशाल होने के कारण सभी प्रकार की सुविधाएँ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना संभव नहीं है अतः स्थानीय स्तर की मूलभूत सुविधाएँ स्थानीय सरकार व गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी उपलब्ध करायी जाती है। लेकिन गैर सरकारी संगठन अपने लाभ के लिए कार्यरत है।

सरकार द्वारा इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी दयनीय है। सम्पन्न बस्तियों की तुलना में गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित कर देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। अतः अध्ययन के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि किसी भी दृष्टि से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और इन्हें ये सुविधाएं समतापरख ढंग से मिलनी चाहिए।

जन सुविधाओं का निजीकरण कर दिया जाये तो इन सुविधाओं से एक वर्ग बिल्कुल अछूता रह जाएगा और उनका विकास अवरूद्ध हो जाएगा। अतः इन सुविधाओं को आमजन तक पहुँचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही निजीकरण से परहेज करना चाहिए और अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए। यदि निजीकरण कर भी दिया जाए तो सरकार को उसका सघन पर्यवेक्षण करने की जरूरत होती है सरकार को उचित नियम बनाने चाहिए ताकि आपस में समन्वय स्थापित हो सकें।

प्रस्तुत शोध में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका के बारे में विस्तार से सूत्रबद्ध किया गया है। कालक्रम के अनुसार इन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार को समझाने का प्रयत्न किया गया है जो कि भविष्य में इन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। शोध के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि जनता इन सुविधाओं से कैसे लाभान्वित हुई? कैसे हो रही है? एवं कैसे होंगी?

प्रस्तुत शोध चूँकि जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में विगत दो सरकारों (शहरी स्थानीय सरकारों) द्वारा मुहैया करायी गयी जन सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन है, जो जयपुर महानगर के विस्तार व बढ़ते जनसंख्या ग्राफ के कारण उत्पन्न होने वाली मूलभूत समस्याओं का निराकरण अलग–अलग सरकारों ने अपने–अपने तरीके से कैसे किया? के बारे में भलीभांति समझाया गया है।

अतः प्रस्तुत शोध में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका तथा जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में विगत दो सरकारों (शहरी स्थानी सरकारों का) तुलनात्मक अध्ययन का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है जोकि जयपुर महानगर की जनता के सुख सुविधा से युक्त उत्तम जीवन एवं सम्पूर्ण विकास का मार्ग प्रस्तुत करता है।

अध्ययन की प्रकृत्ति

जन सुविधाओं का संबधं हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम् जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए अतः जन सुविधा की प्रकृति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है।

जन सुविधाओं को मुहैया कराने में सरकार की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के संदर्भ में फ्रांस के संविधान में एक कथन Womb to Tome है जिसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात् तक राज्य प्रशासन अपने दायित्व का कदम–कदम पर निर्वहन करने के अपने सकारात्मक पक्ष को उजागर करता है।

जन सुविधाओं द्वारा मानव जीवन तथा उसके विकास की उत्तम व्यवस्था की जाती है। इसकी प्रकृति अत्यन्त गत्यात्मक होती है। जो कि मानव के जीवन स्तर को शीर्ष पर पहुँचाने में सदैव सहायक होती है। जन सुविधा एक सामाजिक सेवा होती है। इसमें जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जन सुविधा द्वारा सहयोग की भावना का विकास होता है।

जन सुविधाओं की सकारात्मक प्रकृति का उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास (मनु स्मृति, सिन्धुघाटी सभ्यता, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, मुगलकाल व ब्रिटिशकाल से लेकर अब तक) में है। किसी भी लोककल्याणकारी राज्य के लिए उस राज्य की जनता के लिए जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार होना उस राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। अतः एक ''**श्रेष्ठ मानवीय विकास के लिए एक गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाओं**'' का विकास होना अति आवश्यक है। अतः महानगरों के विस्तार व बढ़ते जनसंख्या घनत्व के फलस्वरूप वहाँ मूलभूत सुविधाओं की अति आवश्यकता होती है। पेयजल व्यवस्था, आवास, लोक स्वास्थ्य, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली आपूर्ति, सड़क एवं नालियों का निर्माण, महामारियों की रोकथाम, सुलभ शौचालयों आदि का रखरखाव, मृतक क्रिया स्थलों का समुचित प्रबन्धन, कचरा निस्तारण आदि सभी मूलभूत सुविधाओं को जन सुविधा की श्रेणी में रखा गया है। अतः इन सब को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के विकासात्मक एवं विस्तारात्मक प्रकृति के पक्ष का प्रस्तुतीकरण है।

जयपुर महानगर का विस्तार एवं जनसंख्या, काल क्रम के साथ निरन्तर गतिमान है। अतः इस विस्तार एवं बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को पूर्व में ही कदम उठाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु जयपुर महानगर में विकास के लिए वहाँ पर अनेक प्रमुख विभाग, प्रशासनिक संस्थाएं यथा नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल, जयपुर मेट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर नगरीय आवागमन सेवा आदि तथा राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजनाऐं संचालित है जो कि जयपुर महानगर की जनता के लिए एक निरंतर सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रही है।

चूँकि अध्ययन का मुख्य बिन्दु दो विगत सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है अतः शोध की प्रकृति तुलनात्मक भी है।

निष्कर्षतः शोध की प्रकृति सकारात्मक, विकासात्मक, विस्तारात्मक, गयात्मक एवं तुलनात्मक का समिश्रण है।

अध्ययन का उद्देश्य

जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, वास्तविक रूप में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक सरकार की औचित्यपूर्ण भूमिका का प्रामाणिक आधार है। इस अध्ययन का उद्देश्य जनता को जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने में सरकार के योगदान से अवगत कराकर, उन्हें अपने अधिकारों का सदुपयोग कर, अपने जीवन को आत्मनिर्भर एवं गरिमामय बनाने हेतु प्रेरित एवं अग्रसर करना है।

जन सुविधाऐं उपलब्ध कराने में लोककल्याणकारी राज्य की अहम् भूमिका होती है। अतः अध्ययन का उद्देश्य जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ताकि सरकार पर उचित नियन्त्रण स्थापित करके इन जन सुविधाओं को प्राप्त कर सके।

चूँकि प्रस्तुत शोध जयपुर महानगर से संबंधित है। महानगरों के विस्तार के साथ ही समस्याओं का भी विस्तार हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा जनता के समक्ष महानगरों के विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के निराकरण में सरकार द्वारा दिये गये प्रयास का ब्यौरा प्रस्तुत करना है।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य बिन्दु जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में विगत दो सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। यहाँ पर सरकार से आशय शहरी स्थानीय सरकार (नगर निगम) है। इसमें दो भिन्न–भिन्न सरकारों द्वारा मुहैया करायी गई जन सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन सरकारों की जनता के प्रति संवदेनशीलता का आंकलन करना है ताकि जनता में सरकार के प्रति जागरूकता एवं सम्मान बढ़ सके। इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने में भी मदद मिलेगी कि कौनसी सरकार का कार्य संतोषप्रद व कौनसी सरकार का असंतोषप्रद रहा है? यह भी जानने का अवसर मिलेगा कि कौनसी सरकार ने अपने चुनावी वायदे को पूरा किया है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने मत का सदुपयोग करके जनता के प्रति संवदेनशील सरकार का चयन कर सकेगी।

तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य सरकार की निंरकुशता, लालफीताशाही, भाई–भतीजेवाद, भष्ट्राचार तथा क्षेत्रवाद पर नियंत्रण स्थापित करना है।

जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार, वास्तविक रूप में प्राचीन काल से वर्तमान काल में सरकार की औचित्यपूर्ण भूमिका का प्रामाणिक आधार है। अतः जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के संदर्भ में सरकार की भूमिका का जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में विगत दो सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करना प्रस्तावित शोध का मुख्य उद्देश्य है।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

ए.डी. आशीर्वादम् तथा कृष्णकान्त मिश्र द्वारा रचित ''**राजनैतिक विज्ञान**'' में लोककल्याणकारी राज्य के महत्व का उल्लेख किया गया है। भारत में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में किया है। इसके माध्यम से राज्य को लोक कल्याण के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लोक कल्याणकारी राज्य जनता को आवश्यक जन सुविधाएं जैसे शिक्षा, रोजगार, बीमारी की रोकथाम, सफाई व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण एवं शोषण से रक्षा आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन है।

प्रो. अशोक शर्मा द्वारा रचित पुस्तक :– ''**भारत में स्थानीय प्रशासन**'' में शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों का विधिक वर्णन है। नगरीय संस्थाओं का कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है। नगरीय संस्थाओं के राज्य के नियंत्रण के सम्बन्ध में सारगर्भित सुझाव दिये गए हैं ताकि ये संस्थाऐं स्वतन्त्रतापूर्वक आम जन की सेवा कर सकें। नगरीय स्थानीय संस्थाओं का निदेशालय एवं उनका सचिवालय से सम्बन्ध का वर्णन महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस पुस्तक में शहरी स्थानीय सरकार (नगर निगम) द्वारा मुहैया करायी गयी जन सुविधाओं का उल्लेख है।

डॉ. बी.एल. फड़िया द्वारा रचित पुस्तक ''**भारत में लोक प्रशासन**'' में भारतीय प्रशासनिक तंत्र का प्राचीनकाल से आधुनिककाल तक कैसे विकास हुआ तथा जनता को इस तंत्र ने कैसे लाभान्वित किया? इन सब का उल्लेख है। इसके अलावा विभिन्न शासन कालों द्वारा जन सुविधाओं के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख है।

डॉ. आचार्य दुर्गा दास बसु द्वारा रचित पुस्तक ''**भारत का संविधान**'' में नीति निदेशक तत्व, तथा मौलिक अधिकार के साथ–साथ केन्द्र तथा राज्य के शासन तंत्र का उल्लेख है जिसमें सभी सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी

बताया है साथ ही साथ मौलिक अधिकरों के माध्यम से सरकार द्वारा जनता को आवश्यक सहूँलियतें प्रदान करने हेतु सचेत किया गया है।

गाइड लाइन फॉर ह्यूमन सेटलमेन्ट एण्ड डिजाइन द्वारा प्रकाशित पत्रिका **''पब्लिक फेसेलिटीज''** में जन सुविधाओं के अर्थ तथा विभिन्न प्रकारों तथा सरकार की भूमिका के बारे में वर्णन किया गया है।

डॉ. हरिमोहन सक्सेना द्वारा रचित पुस्तक ''**राजस्थान का भूगोल**'' में राजस्थान के एकीकरण तथा जयपुर को राजधानी बनाने के बारे में वर्णित किया गया है। राज्य की राजधानी क्षेत्र जन सुविधाओं के लिहाज से अति महत्त्वपूर्ण होता है।

डॉ. कालूराम शर्मा, डॉ. प्रकाश द्वारा रचित पुस्तक ''**मध्यकालीन भारत का इतिहास (1206–1740)**'' में अनेक साम्राज्यों (तुर्की, सल्तनत, खलजी एवं मुगल) के शासकों द्वारा जनहित के लिए किए गये कार्यों का विवरण है। प्रजा इन जनहित के कार्यों का उपयोग कर अपने जीवन को आनन्दमय एवं गरिमामय बनाने में कर सकती थी।

डॉ. कृष्ण गोपाल शर्मा, डॉ. हुकम चन्द जैन, डॉ. मुरारी लाल शर्मा द्वारा रचित पुस्तक ''**भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 1200 ईसवी पूर्व)**'' में अनेक साम्राज्यों (सिन्धु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य एवं दक्षिण भारत के साम्राज्यों) का उल्लेख है। इन विभिन्न साम्राज्यों के शासकों द्वारा समय–समय पर अपने–अपने तरीके से किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है। शासकों ने अपने–अपने काल के अनुरूप जन कल्याण कारी कार्य किए ताकि जनता उनसे लाभान्वित हो सकें और जनता के विद्रोह से बचा जा सके।

डॉ. मोहन लाल गुप्ता द्वारा रचित पुस्तक **''जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन''** में जयपुर महानगर की स्थापना तथा

स्थापना से अब तक विभिन्न शासनों के अन्तर्गत कराये गये जनहित के कार्यों का उल्लेख है ये जनहित के कार्य जयपुर की जनता को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, चिकित्सकीय, शैक्षणिक तथा मनोरंजनीय रूप में लाभान्वित कर रहे हैं। इन जनहित के कार्यों से जयपुर महानगर की जनता के अलावा जयपुर से बाहर की जनता भी लाभान्वित हो रही है।

रोहित कुमार सिंह द्वारा रचित पुस्तक ''**राजस्थान सुजस (राजस्थान जन सूचना विभाग)**'' में जयपुर जिले, जयपुर शहर के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जयपुर महानगर में स्वतन्त्रता के पूर्व तथा पश्चात की कुछ महत्वपूर्ण जन सुविधाओं यथा पेयजल के बारे में उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम तथा राज्य सरकार द्वारा जयपुर महानगर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में 2008 तक हुए विकास कार्य (जनहित के कार्यों) तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख है।

डॉ. सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा रचित पुस्तक ''**नगरीय भूगोल**'' में जयपुर महानगर की आकारिकी एवं योजना जिसमें जयपुर का बसाव–स्थान, जयपुर की बसाव की स्थिति, एतिहासिक एवं नियोजन, जयपुर नगर का विन्यास, जयपुर का विकास एवं विस्तार, जयपुर शहर की जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग एवं आकारिकी के बारे में उल्लेख है जो कि जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।

डॉ. एस.एल. वर्मा द्वारा रचित पुस्तक **''राजनीति विज्ञान में अनुसंधान''** में राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य से सम्बन्धित शोध पद्धतियाँ, प्रविधियाँ, उपकरण के बारे में वर्णित है जिनका अध्ययन कर शोध कार्य को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में सहायता प्राप्त होती है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''**नगरीय भूगोल**'' में जयपुर शहर के मास्टर प्लान 2025 में जयपुर रीजन की स्थिति एवं भविष्य के सम्भावित नया जयपुर के बारे में वर्णन किया गया है।

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, चिकित्सा, शहरी एवं आवासन, परिवहन, श्रम, ऊर्जा, रोजगार, गृह... आदि एवं इनके अधीन संस्थाओं निदेशालयों, मेट्रों रेल कारपोरेशन, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर आवासन मण्डल नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाएँ में विभाग तथा संस्थाओं का परिचय एवं इन विभाग एवं संस्थाओं से सम्बन्धित किये गये जनहित के कार्यों का उल्लेख है जोकि शोध की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित द्विमासिक पत्रिका ''**सुजस**'' में जयपुर महानगर सहित सम्पूर्ण राज्य में हुए विकास कार्यों तथा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है जो कि सरकार की भूमिका तथा तुलनात्मक अध्ययन में मील का पत्थर साबित होता है।

जयपुर नगर निगम द्वारा प्रकाशित पत्रिका ''**चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की एक झलक**'' में महापौर अशोक परनामी तथा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन है। ये उपलब्धियाँ जयपुर महानगर की जनता को आवश्यक सहूलियतें प्रदान कर रही है। यह पत्रिका शोध कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से प्रकाशित (मार्च 2008) पत्रिका ''**सफलता की कहानियाँ**'' में गरीब वर्ग के उत्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यावहारिक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण है

यह पत्रिका तत्कालीन सरकार की जन संवदेनाओं के प्रति जागृति का प्रतीक है।

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित द्विमासिक पत्रिका **''सुजस''** जुलाई 2005 के अंक में वित्तीय वर्ष 2005–2006 में राजधानी क्षेत्र जयपुर के लिए भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का विवरण है। तथा मार्च अप्रैल 2010 के अंक में सरकार द्वारा जयपुर का सौन्दर्यीकरण करने व जयपुर की जनता का मनोरंजन प्रदान करने के लिए जे.एल.एन. मार्ग पर जलधारा का निर्माण करवाकर जन सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया है।

अशोक पाण्ड्या अध्यक्ष, वित समिति नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत **''वर्ष 2009–10 का बजट अभिभाषण एवं आय–व्यय अनुमान''** में सरकार द्वारा जयपुर शहर में जन सुविधाओं के विकास के लिए व अन्य सुविधाओं के लिए बजट प्रस्तुत किया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित **''3 वर्ष ंपरिवर्तन अनेक परिणाम (जयपुर हैरिटेज सिटी के साथ–साथ अब हाइटेकसिटी भी)''** में वास्तुशिल्प एवं नगर नियोजन के विकास आयाम में भाजपा सरकार द्वारा जे. डी.ए. के माध्यम से जयपुर महानगर में अर्जित 3 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा है। यथा ओवर ब्रिज निर्माण, साफ–सफाई, रोशनी, पार्कों एवं आवासीय योजनाओं का विकास।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत पत्रिका **''संकल्प से सृजन तक एक विकास यात्रा''** में जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार, नगर नियोजन, आवासीय वाणिज्यिक योजनाएं, शैक्षाणिक गतिविधियाँ, नागरिक सुविधाओं, नगर सौन्दर्यकरण, अन्य जन सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये प्रयास का विवरण है।

नगर निगम जयपुर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रदान सूचना में नगर निगम के सन् 2000–01 से 2013–14 तक के बजट का उल्लेख है। जिसमें विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों पर स्वीकृत एवं व्यय राशि का उल्लेख है इसी प्रकार नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई अन्य सूचना में 2012–13 से 2014 – 15 तक के बजट प्रतिरूप (विभिन्न कार्यों पर स्वीकृत एवं व्यय राशि) का उल्लेख है। यह सूचना विगत दो सरकारों (2004–09 तथा 2009–14) द्वारा विकसित एवं विस्तृत जन सुविधाओं के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है।

प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था, आधुनिक राज व्यवस्था, महाभारत, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, सिन्धु घाटी सभ्यता मुगलकाल ब्रिटिश काल व लोकप्रशासन की प्रमुख रचनाओं में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका के बारे में उल्लेख मिलता है। किन्तु जयपुर महानगर के संदर्भ में जन सुविधाओं के विकास एवं एवं विस्तार में विगत दो सरकारों की भूमिका के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रस्तावित शोध कार्य को सम्पन्न करने का निश्चय किया गया है। आशा है कि शोध कार्य उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायक सिद्ध होगा।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन के लिए शोधार्थी प्राथमिक एवं द्वितीय सामग्री स्त्रोतों का प्रयोग करेगा। अध्ययन उपलब्ध विचारों के तुलनात्मक विश्लेषण एवं निष्कर्ष पर आधारित होगा। इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन, एवं साक्षात्कार विधि प्रयोग में ली जायेगी। साक्षात्कार निश्चित प्रश्नावलियों के द्वारा लिया जायेगा। क्योंकि जयपुर महानगर की जनता जिसमें सभी छोटे बड़े राजनीतिक पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा जयपुर महानगर की आम जनता सम्मिलित है से

साक्षात्कार सम्भव नहीं था। इसलिए निदर्शन (Sampling) प्रयोग कर साक्षात्कार हेतु चुनाव किया गया है।

निदर्शन पद्धति में संपूर्ण जनसंख्या या समस्त इकाईयों का अध्ययन न किया जाकर उनमें से 'कुछ' ऐसी इकाईयों का अध्ययन किया जाता है जिनमें उन समस्त जनसंख्या या समग्र की विशेषताएँ आ जायें। निदर्शन के समग्र का प्रतिनिधित्व मानने के लिए उसकी इकाईयों या घटकों की दो विशेषताएँ होनी चाहिए। प्रथम वे सब एकरूप या समरस हों तथा द्वितीय उनमें सबको चयन किये जा सकने का समान अवसर हो। जनसंख्या या समग्र की समरसता का अर्थ यह है कि उनकी इकाईयों की प्रकृति लगभग समान होनी चाहिए। भिन्नताएँ होने पर निदर्शन समग्र का प्रनिधित्व नहीं कर सकेगा।

चूँकि जयपुर महानगर में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, विचारधारा महत्वकांक्षा, रूचि आदि के लोग रहते है। उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ होती है ऐसी विविधता वाले समग्र का निदर्शन प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है। इसके लिए अनेक युक्तियाँ एवं प्रविधियाँ अपनाई जाती है। अतः इस स्थिति में संपूर्ण जयपुर शहर को छह क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा। प्रथम चार दीवारी के अन्दर का क्षेत्र, द्वितीय आगरा और दिल्ली रोड़ के मध्य का क्षेत्र, तृतीय दिल्ली और सीकर रोड के मध्य का क्षेत्र, चतुर्थ सीकर और अजमेर रोड़ के मध्य का क्षेत्र, पंचम अजमेर और टोंक रोड़ के मध्य का क्षेत्र तथा षष्ठम टोंक और आगरा रोड़ के मध्य का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में आनेवाली संस्थाऐं तथा पदाधिकारी एवं निवासित जन समूह में से समान, असमान विचारधारा, भिन्न जाति, धर्म एवं वर्ग में से अलग–अलग समूहों का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है।

विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत व्यापक चिन्तन, विचार एवं गहन अध्ययन इस शोध में सम्मिलित किये गये है। इसमें पुस्तकालयी विधि के अध्ययन का भी उपयोग किया गया है। जिसका अभिप्राय पुस्तकालयों में

विद्यमान पुस्तकों, संदर्भ ग्रन्थों, पत्र पत्रिकाओं विविध प्रकार के आलेखों जो कि प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों प्रकार के हैं, दैनिक समाचार पत्रों, जन सुविधाओं से सम्बन्धित राजकीय विभागों से जारी पत्र–पत्रिकाओं के आधार पर अध्ययन किया गया है। सांख्यिकी आयोग तथा इंटरनेट आदि का भी प्रयोग किया गया है।

संदर्भ सूची

1. आशीर्वाद्म ए.डी. .तथा मिश्र कृष्णकान्त, राजनीति विज्ञान, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. 7361 राम नगर, नई दिल्ली–2007, पृष्ठ सं. 81–82
2. वही पृष्ठ सं. 8
3. वही पृष्ठ सं. 95
4. वही पृष्ठ सं. 97
5. वही पृष्ठ सं. 86
6. जैन डॉ. पुखराज, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, साहित्य भवन पब्लिकेशन हॉस्पीटल रोड़ आगरा, पृष्ठ सं. 2
7. आशीर्वाद्म ए.डी. .तथा मिश्र कृष्णकान्त, राजनीति विज्ञान, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. 7361 राम नगर, नई दिल्ली–2007 पृष्ठ सं. 82–83
8. वहीं पृष्ठ सं. 81
9. जैन डॉ. पुखराज, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स भवन, हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2009, पृष्ठ सं. 53
10. सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पृष्ठ सं. 117
11. पब्लिकफेसिलिटीज, गाइडलाइन्स फॉर ह्यूमन सेटलमेन्ट प्लानिंग एण्ड डिजाइन, पृष्ठ .सं.–1
12. वही पृष्ठ सं. –1
13. वही पृष्ठ सं. –1

अध्याय – द्वितीय
भारत में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका

भारत में जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य प्राचीन काल से आज तक राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। हालांकि निजी संगठन भी जन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। लेकिन उनमें से अधिकतर निजी संगठन जन सेवा की अपेक्षा अपने मुनाफे को ध्यान में रखकर कार्य करते है अर्थात् उनका मूल उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। जिससे एक वर्ग इनके द्वारा मुहैया कराई गयी सुविधा से वंचित रह जाता है। अतः इसमें सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि इन सुविधाओं का लाभ जनता समता परख ढंग से उठा सके। इस हेतु सरकारें प्राचीन काल से ही निरन्तर प्रयत्नशील रही है। जिनको निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर किया गया है–

सिन्धु –सरस्वती सभ्यता (हड़प्पा सभ्यता)

हीलर तथा फिगट का अभिमत है कि मोहन जोदडो और हड़प्पा साम्राज्य अच्छे ढंग से शासित साम्राज्य थे।[1] सिन्धु सभ्यता के नगरों के सुव्यवस्थित एवं संगठित नागरिक जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि विभिन्न नगरों में नगरपालिकाओं की भी व्यवस्था रही होगी। प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों में सम्भवतः पुलिस या रक्षकों की भी व्यवस्था थी।[2]

वैदिक कालीन साम्राज्य – ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखतया राजतन्त्रात्मक थी जिसका अध्यक्ष 'राजा' होता था। ऋग्वेद में गणों (Republics) का भी उल्लेख है किन्तु राजतन्त्रों की ही संख्या अधिक थी राजा निरंकुश न थे तथा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की उसे शपथ लेनी पड़ती थी। राजा का पद वंशानुगत था। राजा का सबसे पवित्र एवं सम्मानीय कार्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना था।[3]

महाकाव्य कालीन साम्राज्य – महाकाव्य काल में वैदिक युगीन छोटे–छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, जिनके शासकों को 'सम्राट' कहा जाता था। महाकाव्य काल में कुछ गणतन्त्रों का अस्तित्व भी था, परन्तु प्रमुखतया राजतन्त्र ही विद्यमान थे। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी **'राजा'** होता था। राजा प्रायः निरंकुश होने का प्रयास नहीं करते थे। तथा लोक–कल्याण के कार्य व प्रजा की रक्षा करना उनके प्रमुख कर्त्तव्य थे।[4]

मौर्य कालीन साम्राज्य– मौर्यकालीन नगर प्रशासन अत्यन्त सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि का था। नगर का प्रधान अधिकारी 'नागरिक' होता था। जिसके अधीन स्थानिक व गोप आदि अधिकारी होते थे कौटिल्य व मैगस्थनीज ने नगर–प्रशासन का विस्तृत विवरण किया है। जिससे पता चलता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम बने हुए थे जिनका पालन करना जनता के लिए अनिवार्य था। गृह निर्माण, सफाई व्यवस्था अग्नि को फैलने से रोकने, मदिरालयों आदि सभी के लिए नियम थे। नगरों में जल व्यवस्था सड़कों की स्थिति भूमिगत मार्गों की सही स्थिति आदि का नागरिक पूरा ध्यान रखता था।[5] लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन तथा विपुल जनकल्याणकारी कार्य मौर्य प्रशासक की मुख्य विशेषताऐं थी।[6]

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि राजा का आदर्श एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा में उसी प्रकार का भाव रखना चाहिए जैसा कि एक पिता का अपने पुत्र में होता है। अशोक भी अपने अभिलेखों में कहता है कि ''सारी प्रजा मेरी संतान की तरह है'' और सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं है।[7]

'यह सच है कि चन्द्रगुप्त एवं अशोक का शासन निरंकुश था दण्ड व्यवस्था कठोर थी और व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सर्वथा अभाव था। किन्तु यह सब साम्राज्य तथा प्रजा के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किया गया। मौर्य प्रशासन एक प्रजाहितैषी राज्य के आदर्श को सदैव मूल में रखता है जहाँ एक ओर आर्थिक विकास एवं राज्य की समृद्धि के अनेक ठोस कदम उठाये गये और शिल्पियों एवं व्यापारियों के जान–माल की सुरक्षा की गई वहाँ दूसरी ओर जनता को उनकी अनुचित और शोषनात्मक गतिविधियों से बचाने के लिए कठोर नियम भी बनाये गये। दासों और कर्मचारियों को मालिकों के अत्याचार से बचाने के लिए विस्तृत नियम मिलते है। अनाथ, दरिद्र, मृत सैनिकों तथा राजकर्मचारियों के परिवारों के भरण पोषण का भार राज्य के ऊपर था। मौर्य की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है–

प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां हिते हितम्।

नात्मप्रिये हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है वरन् हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे।[8]

'चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों ने ही जन कल्याणकारी कार्यों में अत्यधिक रूचि ली और एक प्रजाहितैषी राज्य के आदर्श को चरितार्थ करने का प्रयास किया। विभिन्न सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की हमें जानकारी मिलती है। सड़को, अस्पतालों, विश्राम गृहों, मन्दिरों, शैक्षिक संस्थानों, नहरों, कूपों आदि का निर्माण राजकीय प्रयासों से किया जाता था। प्रशासन का एक विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य सड़कों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव करता था। भिन्न–भिन्न प्रकार की सड़को की चौड़ाई के नियम निर्धारित थे।

उपमार्गो, मोड़–स्थलों और दूरियों को निर्दिष्ट करने के लिए निश्चित दूरियों पर मील के पत्थर तथा पट्ट लगाये जाते थे। सड़क के किनारों पर छायादार वृक्ष लगाये जाते थे, तथा कुएँ खोदे जाते थे। महत्वपूर्ण स्थानों पर धर्मशालाएँ तथा विश्राम स्थल बनाए गये थे, जहाँ मनुष्यों और पशुओं के लिए पेयजल सुविधाऐं (कूप,नहर,झील,जलाशय आदि) तथा चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई थी। कृषि एवं कृषि के लिए सिंचाई हेतु व्यापक प्रबन्ध किये गये थे, कुओं, नहरों, जलाशयों, झीलों तथा अन्य जल–स्त्रोतों के निर्माण और रखरखाव का कार्य राज्य करता था। गुजरात में गिरनार के पास चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने 'सुदर्शन झील' का निर्माण कराया था। अशोक के समय यहाँ के प्रांतीय शासक तुषास्फ द्वारा इस झील से एक नहर निकलवाई गयी थी।[9]

मैगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से जानकारी मिलती है कि उस समय जनगणना का एक स्थायी विभाग था और जन्म–मृत्यु पंजिका में पंजीकरण किया जाता था। सम्भवतया जन्म–मृत्यु पंजीकरण का विश्व में यह पहला दृष्टान्त है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यक्तियों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले गये थे। ऐसे अस्पतालों में कई रोगों के विशेषज्ञ वैध और चिकित्सक नियुक्त थे। चिकित्सकों के तीन मुख्य विभाग थे (i) भिषक (सामान्य/चिकित्सक) (ii) विष चिकित्सक और (iii) प्रसूति चिकित्सक/औषधियों के उत्पादन और निर्माण। इनके लिए सरकार प्रबन्ध करती थी। नगरों की स्वच्छता और भोजन शुद्धि के लिए निरीक्षक रखे गये थे। आकस्मिक संकटो–रोग, महामारी, अग्नि अकाल, बाढ़ आदि से रक्षा के लिए भी सरकार की ओर से प्रबन्ध था। अग्नि काण्ड रोकने के लिए नगरों में शासन की ओर से यंत्र, उपकरण आदि की व्यवस्था थी।[10]

उपरोक्त दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि मौर्यकाल में गाँव एवं नगर में जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार काफी उच्च कोटि का हुआ था साथ ही साथ इसमें राज्य (सरकार) की एक सकारात्मक भूमिका थी।

गुप्त कालीन साम्राज्य : गुप्तकालीन शासक आदर्श शासक थे और लोककल्याण उनका मूल ध्येय था। फाहियान ने लिखा है – ''सारे उत्तर भारत में स्थान–स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुये थे जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और औषध–पथ्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे। धर्मशालाएँ और पाठशालाएँ बनी हुई थी और सार्वजनिक दान की व्यवस्था थी। ''गुप्तकालीन राजाओं ने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवायी तथा कृषकों के लिए सिंचाई का यथोचित प्रबन्ध किया। स्कन्दगुप्त के राज्यकाल में सुराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरूद्वार कराया था।[11]

वर्धन कालीन साम्राज्य : वर्धन साम्राज्य में हर्षवर्धन उच्च कोटि का आदर्शवादी सम्राट था। वह अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए सतत् प्रत्यत्नशील रहता था। उसने राज्य में सड़के बनवायी तथा सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उसने मन्दिर चैत्य, विहार और स्तूप बनवाये। शिक्षा को उसने विशेष प्रोत्साहन दिया। नालन्दा विश्वविद्यालय एवं विहारों में वह नियमित आर्थिक अनुदान देता था। हर्ष दान–पुण्य में और धार्मिक कृत्यों में बड़ी धनराशि खर्च करता था।[12]

राजपूत कालीन साम्राज्यः राजपूत काल में राजा शासन का सर्वेसर्वा होता था। राजा का पद वंश परम्परागत होता था। कानून न्याय और शासन तीनों ही दृष्टि से राजा श्रेष्ठ होता था राजा को परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होता था। मंत्री अपने–अपने विभागों का प्रबन्ध करते थे। प्रत्येक राज्य में एक पुरोहित भी होता था, जिसका पद मंत्री के समान होता था। अनेक उच्च श्रेणी के अधिकारी भी होते थे। यथा प्रतिहार, सेनाधिपति, आक्षपाठलिक, भिषक, मैमित्तिक और कृत। ये सब अधिकारी राजधानी में रहते थे और राजा के साथ

इनका सीधा सम्बन्ध था। राज्य प्रान्तों में विभक्त होता था। प्रायः युवराज या राजघराने के व्यक्तियों को ही प्रान्त में शासक बनाया जाता था। प्रान्त विभागों में विभक्त होता था। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था तथा उसके अधीन बहुत से कर्मचारी होते थे। विभाग का अधिकारी मालगुजारी एकत्र करने, न्याय करने और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। कोतवाल जैसा एक पुलिस अधिकारी प्रत्येक विभाग या जिले में रहता था।[13]

ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रबन्ध ग्राम सभाओं के हाथ में था। प्रत्येक ग्राम की एक सभा होती थी जो अपने क्षेत्र में शासन का सब कार्य संभालती थी। स्थान और काल–भेद से ग्राम सभाओं के संगठन भिन्न–भिन्न थे। ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रामणी नामक कर्मचारी करता था। शासन की सुविधा हेतु अनेक समितियों का निर्माण किया जाता था तथा उन्हें विविध प्रकार के कार्य सौंपे जाते थे। ग्राम के क्षेत्र के झगड़े निपटाना, बाजार का प्रबन्ध करना, कर वसूल करना, जलाशयों, खेतों, चरागाहों आदि की देखभाल करना, मार्गों को ठीक हालत में रखना आदि कार्य ग्राम सभाओं के कार्यक्षेत्र में दिए हुए थे। शत्रुओं और डाकुओं से गाँव की रक्षा करना ग्राम संस्थाओं का कार्य था। ग्राम संस्था ग्राम क्षेत्र से राज्य के लिए वसूल किये जाने वाले करों को एकत्र करने के लिए भी उत्तरदायी थी। नगर का प्रबन्ध करने के लिए पट्टनाधिकारी नामक अधिकारी होता था। वह अधिकारी वे सभी कार्य करता था जो आज कल नगरपालिका के कार्यपालिका अधिकारी करते है।[14]

पल्लव वंशीय साम्राज्य : कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्मावलम्बी थे। इसलिए इस वंश के शासकों ने ''धर्ममहाराजाधिराज'' एवं ''धर्ममहाराज'' जैसी उपाधियाँ धारण की। इनकी शासक प्रणाली में मौर्यों एवं गुप्तों की शासन प्रणाली की अनेक विशेषताएँ विद्यमान थी। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा ही मंत्रियों एवं अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता था। युद्धों के

समय वह स्वयं युद्ध की सेना का संचालन करता था। शांति के समय जन कल्याण–कार्य जैसे मन्दिर एवं तालाब बनवाता था एवं दान–दक्षिणा वितरित करता था। राजा अपने योग्यतम् पुत्र को 'युवराज' नियुक्त करता था जो उसे शासन के संचालन में सहयोग देता था। राजा को प्रमुख विषयों पर कुछ विशेष मंत्रियों का एक दल सलाह देता था। इस दल को ''रहस्यादिकद'' कहा जाता थ।[15]

पल्लवों का सम्पूर्ण साम्राज्य कई ''राष्ट्रों (प्रान्तों) में विभक्त था और राष्ट्र कई 'विषयों' (जिलों) में। विषयों में कई 'कोट्टम' एवं ग्राम होते थे। इस प्रकार पल्लव शासन व्यवस्था में ग्राम सबसे छोटी इकाई थे। 'कोट्टम्' सम्भवतः नगरों, कस्बों के लिए प्रयोग में लिया गया शब्द है, इसके ''मण्डयी'' नामक अधिकारी राज्य का कर संग्रह करता था तथा वन विभाग के अध्यक्ष को ''गुमिक'' कहा जाता था। ''तीर्थक'' नामक पदाधिकारी तीर्थों तड़ागों जलाशयों आदि की देखरेख एवं उचित व्यवस्था करता था।[16]

ग्रामों में पूर्णतया स्वायत्त शासन प्रणाली प्रचलित थी। प्रत्येक ग्राम में ''ग्राम सभा'' ग्रामीण विषयों जैसे मंदिरों, तड़ागों, उद्यानों की व्यवस्था एवं देखरेख करती थी। सार्वजनिक कार्यों का सम्पादन करना ग्राम सभा का प्रमुख कार्य था। यह ग्राम सभा न्यायालय के रूप में भी कार्य करती थी। ग्रामीण विषयों से सम्बन्धित विवादों पर निर्णय देने का अधिकार ग्राम सभा को था।[17]

चोल वंशीय साम्राज्य : चोलों ने कतिपय जन कल्याणकारी कार्यो में भी अपनी रूचि दिखाई। चोलों ने विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने कुछ विशाल तड़ागों का निर्माण कराने के साथ–साथ कावेरी तथा अन्य नदियों पर प्रस्तरों के द्वारा विशाल बांध निर्मित कराये तथा विस्तृत भू–क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। राजेन्द्र चोल प्रथम ने अपनी नवीन राजधानी गंगैकोण्डचोलपुरम् में एक विशाल तड़ाग खुदवाया, जिसे कोलेरून तथा वेल्लार नदियों के जल से आपूरित किया

गया। इस विशाल तालाब के तटबन्ध सोलर मील तक फैले हुए थे और इसमें प्रस्तर की नालियों एवं नगरों की व्यवस्था की गई थी। चोलों ने वाणिज्य एवं संचार के साधनों का विकास करने के लिए विशाल राजमार्गों का निर्माण कराया। राजमार्गों पर निश्चित दूरी पर सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक टुकडियों को नियुक्त किया गया और नदी जलमार्गों पर सार्वजनिक नौकाओं की व्यवस्था की गई।[18]

तुर्की साम्राज्य : भारतीय इतिहास में मुहम्मद गोरी का नाम मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। फरिश्ता के अनुसार मुहम्मद गोरी की प्रवृत्ति न्याय परायण शासकों की सी थी और वह ईश्वर से डरने वाला तथा हृदय से सदा प्रजा की भलाई का ध्यान रखने वाला था।[19]

दिल्ली सल्तनत साम्राज्य : दास वंश के विख्यात सुल्तान गयासुद्दीन बलवन के राजत्व सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर उच्चवंशीय लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है। इसलिए उसने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित किया। अपने शासन काल में उसने केवल उच्चवंशीय लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और अपने आपको सामान्य लोगों से दूर रखने का प्रयास किया। उसने अपने चारों तरफ गम्भीरता और शिष्टता का वातावरण खड़ा किया। अपने पारिवारिक जीवन में भी उसने ऐसा ही किया। जब भरे दरबार में उसे उसके बड़े लड़के की मृत्यु की सूचना दी गई तो भी वह विचलित नहीं हुआ और राजकार्य को जारी रखा परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक कठोर क्रूर एवं निरंकुश शासक था और किसी भी सत्ता से नहीं डरता था। वह ईश्वर तथा पैगम्बर से भय खाता था। वह प्रजा के प्रति अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग था। उसने चार बातों पर जोर दिया–

1. सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और जन–कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।

2. सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी–डकैती, आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त सजा देनी चाहिए।
3. शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बुद्धिमान, ईमानदार, और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए।
4. सुल्तान को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना चाहिए।[20]

तुगलक साम्राज्य – 'इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार तो फीरोजशाह तुगलक को सार्वजनिक उपयोगिता के भवन बनवाने में गहरी रूचि थी और अपने शासन काल में उसने 40 मस्जिदों 30 विद्यालयों, 20 महलों, 100 सरायों, 300 नगरों, 100 अस्पतालों, 5 महकबरों, 100 सार्वजनिक स्नान–गृहों तथा 15 पुलों का निर्माण करवाया। फरिश्ता के आँकड़ें अतिशयोक्तिपूर्ण है। परन्तु इतना सही है कि उसने फीरोजाबाद, दिल्ली में कोटला फीरोजशाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और बदायूँ के निकट फीरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की थी। इसी प्रकार उसने कुछ अन्य सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण करवाया था। फीरोज ने अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा बनवाये गये भवनों की भी मरम्मत करवाई थी। उसे प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा में रूचि थी। वह अशोक के दो स्तम्भों को उठवाकर दिल्ली ले गया, एक खिज्राबाद गाँव से और दूसरा मेरठ के निकट से।[21]

फीरोज को परोपकारी कार्यों में भी रूचि थी। उसने बेकार मुसलमानों के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला और उसके संचालन के लिए अधिकारी नियुक्त किया। इस दफ्तर में बेकार लोगों का नाम लिखा जाता था और उन्हें उनकी योग्यतानुसार काम दिलवाने में मदद की जाती थी, फीरोज ने एक दानशाला (दीवान–ए–खैरात) खोली जिसके द्वारा निर्धन और असहाय मुसलमानों की व्यस्क पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्चें पर की जाती थी। इसके माध्यम से मुस्लिम विधवाओं एवं अन्य अनाथ बच्चों की परवरिश भी की जाती थी। फीरोज ने दिल्ली में एक विशाल चिकित्सालय

(दार–उल–शमा) कायम किया जिसमें रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा के साथ–साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जाता था। सुल्तान की तरफ से दूरस्थ स्थानों तथा विदेशों से आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों की आर्थिक सहायता का भी प्रबन्ध किया गया।[22]

मुगलकालीन साम्राज्य : भारतीय शासन के मुगलकालीन इतिहास में स्थानीय सरकार विद्यमान थी। मुगल काल के नगर का प्रशासन जिस अधिकारी द्वारा चलाया जाता था वह कोतवाल कहलाता था। यह पुलिस संबंधी मामलों, दण्ड व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का पता लगाना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना और इसी तरह के स्थानीय मामलों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी था। इस काल में स्थानीय मामलों के विषय में अबुल फजल कृत आईन–ए–अकबरी में विवरण मिलता है।[23]

नगर पुलिस का प्रधान अर्थात् कोतवाल नगर की रक्षा करना, बाजार पर नियंत्रण रखना, लावारिस सम्पत्ति की देखभाल व उसे वारिस तक पहुँचाना, जन अपराधों को रोकना, सामाजिक बुराईयों को दूर करना तथा श्मशान, कब्रिस्तान व बुचड़खानों की व्यवस्था करना आदि कार्य करता था।[24]

ब्रिटिश कालीन साम्राज्य : ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन के विषय में अच्छा विवरण उपलब्ध होता है। विद्वानों का मत है कि स्थानीय शासन भारत वर्ष में अति प्राचीन काल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है तथापि संगठन और कार्यप्रणाली की दृष्टि से उसका व्यवस्थित प्रादुर्भाव ब्रिटिश शासन काल के अन्तर्गत ही हुआ था। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की ईकाईयों की अपेक्षा इस काल में नगरीय स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया था। स्थानीय शासन का इस काल में आरम्भ सन् 1687 से माना जा सकता है जब मद्रास (चेन्नई) में नगर निगम की स्थापना की गई। इस तरह यह ब्रिटिश काल में विकसित हुआ।[25]

1882 में लार्ड रिपन ने स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। लार्ड रिपन के इस प्रस्ताव का उद्देश्य राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा की प्रगति और विस्तार करना बताया गया। यह भी घोषित किया गया कि इस प्रस्ताव के माध्यम से बुद्धिमान लोगों को स्थानीय शासन के कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। लार्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्नाकार्टा भी कहा गया।[26]

भारतीय लोक प्रशासन के ऐतिहासिक विकास में ब्रिटिश शासन काल का विशिष्ट महत्त्व है। इस काल में प्रशासनिक ढाँचे की रचना हुई। प्रशासन में प्रजातंत्रीकरण एवं विकेन्द्रीकरण का सूत्रीकरण हुआ, न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया, भूमि व्यवस्था की निश्चित योजना लागू की गई, दीवानी और फौजदारी कानूनों का निर्माण हुआ तथापि यह एक औपनिवेशिक शासन तंत्र था, जिसकी निम्न विशेषताऐं थी।

1. भारत में लोक प्रशासन की क्रियाऐं और गतिविधियाँ काफी सीमित थी। प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व कानून और व्यवस्था बनाये रखने तक ही सीमित था। औपनिवेशिक प्रशासन की सामाजिक कल्याण आर्थिक विकास, ग्रामीण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में कोई रूचि नहीं थी।
2. लोक प्रशासन जनहित की भावना से शून्य थे। ब्रिटिश नौकरशाही ने जनता के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उनकी प्रशासनिक क्रियाओं का उद्देश्य अंग्रेज स्वामियों का हित होता था तथा वे अपने को ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी मानते थे।
3. लोक प्रशासन भय और आतंक पर आधारित था। दमन और करों की वसूली नौकरशाही के मुख्य उद्देश्य थे। पुलिस, वन विभाग, माल गुजारी वसूल करने वाले कर्मचारी रिश्वत और आंतक को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे।[27]

अंग्रेजों द्वारा भारत में यातायात और संचार के साधन, प्रेस की स्वतंत्रता, सड़कों, रेल, शिक्षा जैसी अनेक सुविधाओं का विकास किया गया। लेकिन इनका विकास जन कल्याण न होकर साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति तथा भारत में अंग्रेजीकरण को बढ़ावा देना था।[28]

भारत में अनेक सवैधानिक विकासों मय रेग्यूलेटिंग एक्ट (1773), पिट्स इण्डिया एक्ट (1784), भारत शासन अधिनियम (1858) भारतीय परिषद अधिनियम (1861) भारतीय परिषद् अधिनियम (1892), मोरले–मिंटो सुधार और भारतीय परिषद् अधिनियम (1909), मौटेग्यू–चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन और भारतीय शासन अधिनियम (1919), भारत शासन अधिनियम (1935) के माध्यम से जनता के विद्रोहों के फलस्वरूप कुछ सुधारों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में जनकल्याण कार्य किये गये। लेकिन इसका उद्देश्य जन कल्याण न होकर तात्कालिक विद्रोहों को शान्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना था।[29]

वास्तव में भारत के स्वतन्त्र होने तक अंग्रेजी सरकार द्वारा मुहैया करवायी गई जन सुविधाओं का लाभ भारतीयों को कम व अंग्रेजों को अधिक होता था। हालांकि स्वतत्रता के बाद भारत के लिए ये बहुत बड़े जनकल्याणकारी सिद्ध हुए। इस प्रकार हम कह सकते है कि जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में अंग्रेजी सरकार की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में नकारात्मक भूमिका थी जो कालान्तर में सकारात्मक एवं वरदान साबित हुई।

स्वातन्त्रयोत्तर काल : आधुनिक भारतीय प्रशासन के विकास में ब्रिटिश शासन काल का बहुत महत्व है। 1947 में सत्ता हस्तान्तरण के साथ ही अंग्रेज भारत का शासन छोड़कर चले गये, लेकिन प्रशासन का जो विशाल शासन तन्त्र था वह बिल्कुल वैसा ही बना रहा। इसका गठन उसका आकार, उसके कार्य का ढंग, उसके अंगो के बीच पारस्परिक सम्बन्ध यह सब ज्यों–के–त्यों बने रहें।[30] लेकिन स्वतन्त्रता के बाद भारतीय प्रशासन के स्वरूप में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में लोकतंत्र,

विकास और समाजवाद के लिए लोक प्रशासन युग की शुरूआत हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासन को नये और विशिष्ट महत्त्व के कार्यों के सम्पादन की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। 26 नवम्बर 1949 को संविधान निमात्री सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। जो प्रशासन औपनिवेशिक शोषण और दमन का यंत्र था वह अब सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का सेवक बन गया। सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की मूर्तिमान संस्था का रूप संसद ने ग्रहण किया जो व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन से गठित की गई। लोक प्रशासन को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया।[31]

अब लोक प्रशासन का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्यों ''.....उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए.....'' हो गया। ब्रिटिश राज में जहाँ प्रशासन पुलिस राज्य का यंत्र था। वह अब जनकल्याणकारी राज्य का उपकरण हो गया। राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में कहा गया है कि ''राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोककल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।[32]

लोकहित स्वरूप के कारण राज्य का कार्यक्षेत्र दिन प्रति दिन व्यापक होता जा रहा है। इस तरह वर्तमान काल में लोक कल्याणकारी राज्य का बढ़ता स्वरूप सामने नजर आता है। राज्य आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास करता है। इसमें समाज के सभी कमजोर वर्गों को सहायता का आश्वासन रहता है। बूढ़े, बीमार, अनाथ साधन विहीन प्राकृतिक संकट से तृस्त दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता का आश्वासन रहता है। सभी नागरिकों के लिए निश्चित शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था राज्य द्वारा की

जाती है। समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास किया जाता है। राज्य की ओर से सार्वजनिक अस्पताल, औषधालय तथा चिकित्सालय का प्रबन्ध किया जाता है। इसमें बेरोजगारों को काम दिलाने की जिम्मेदारी राज्य पर है। भारतीय संविधान में ''राज्य के नीति निदेशक तत्व'' भारत में लोक हितकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य में समस्त लोककल्याणकारी कार्य अर्थात् जनसुविधाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है।[33]

हमारे संविधान के भाग 3 के उपबन्ध जिनमें मूल अधिकार लेखबद्ध किए गए है अन्य विद्यमान लिखित संविधानों की अपेक्षा अधिक विस्तापूर्वक अधिकथित है और उनके अन्तर्गत अनेक प्रकार के विषय है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में विभिन्न प्रकार की जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका को इंगित करने वाले 7 मूल अधिकार दिये गये थे। जो निम्न प्रकार है वर्गीकृत किये गये है–

1. समता का अधिकार
2. विशिष्ट स्वातंत्रय अधिकार
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
4. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
6. सम्पत्ति का अधिकार
7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार

इसमें से सम्पत्ति का अधिकार 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा मिटा दिया गया है। जिससे अनुच्छेद 19(1) में अब छह स्वतंत्रताऐं शेष है।[34]

अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के तहत राज्य भारत के कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान सरंक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) में राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 (2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान पर इनमें से किसी के आधार पर (क) दुकानों, सार्वजनिक, भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार है। अनुच्छेद 17 के अस्पृष्यता अर्थात् छुआछुत से मुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 (1) में दी गई स्वतन्त्रताओं में से (ड.) में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और (छ) में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार भारत की जनता को मुहैया कराये गये है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उदार निर्वचन अपनाते हुए उच्चतम् न्यायालय ने जीवन को अधिक सार्थक और रहने योग्य बनाने के लिए अनुच्छेद–21 में जीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन, पानी, शिक्षा (वृत्तिक या विशेष को छोड़कर), चिकित्सकीय देख–रेख, और आश्रय का अधिकार बंदी को जीवन की मूल आवश्यकताओं का अधिकार और सूचना का अधिकार सहित अनेक अधिकार दिए है। जिनका जनता भरपूर लाभ उठा रही है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम् न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पदमादेश, प्रतिषेध, अधिकार–पृच्छा और उत्प्रेषण रिटें है जो भी

समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी अर्थात् भारत के संविधान में जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 में दी गई रिटें जन कल्याण हेतु मार्ग प्रशस्त करती है।[35]

भारत जैसे संघात्मक देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था उसकी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का अविभाज्य अंग है। भारतवर्ष में संघीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन अथवा स्थानीय शासन नागरिकों की सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।[36]

स्थानीय प्रशासन (ग्रामीण व शहरी) को सुदृढ़ बनाने व संविधानिक आधार प्रदान करने हेतु 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुए। इनके द्वारा राज्य से नीचे की इकाईयों के गठन के लिए निर्वाचन प्रणाली का समावेश किया गया है। ये इकाईयाँ है– ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ।[37]

73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम क्रमशः पंचायतों के विषय में (भाग 9 जिसमें अनुच्छेद 243, 243क से 243 ण है और ग्यारवीं अनुसूची जोड़ी गई) और नगर पालिकाओं के विषय में (भाग 9 क जिसमें अनुच्छेद 243त. से 243य छ है और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है) है।[38]

ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ) में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के लिए कुल 29 विषयों का उल्लेख है यथा–कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध, लघु उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, सड़के पुलिया ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य.....आदि।[39]

बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 ब) में नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के लिए कुल 18 विषयों का उल्लेख है यथा नगरीय योजना, सड़के और पुल, लोक स्वास्थ्य, सफाई और कूड़ा करकट

प्रबन्ध अग्निशमन सेवायें, नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, मृतक क्रिया स्थल, सार्वजनिक सुख–सुविधाएं जिनके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किग स्थल बस स्टॉप और जन सुविधाऐं भी है.....आदि[40]

इस प्रकार स्थानीय स्वाशासन का भी जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में अतुलनीय योगदान है।

भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई, एक सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केन्द्रीय सरकार कहते है और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते है। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें है और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। यदि कभी यह विवाद हो जाए तो कौन–सी शक्तियाँ केन्द्र के पास है और कौन–सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी।[41]

भारत शासन अधिनियम, 1935 में एक अभिनव प्रयोग हुआ। उसमें विधान के जितने संभावित विषय हो सकते है उन्हें 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। भारत ने भी इसी रूप को अपनाया। इसका उल्लेख भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में है। अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहते है उसमें 99 प्रविष्टियां है। इन प्रविष्टियों में राष्ट्रीय महत्त्व के विषय सम्मलित है जैसे की रक्षा, संघ के सशस्त्र बल विदेश कार्य, युद्ध और शांति, रेल, वायु मार्ग डाक और तार, टेलीफोन, करेंसी और सिक्का, भारतीय रिजर्व बैंक आदि। अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते है। उसमें 61 प्रविष्टियाँ है। इस सूची में वे शीर्षक है जिन पर राज्य को विधान बनाने की अनन्य शक्ति है। अन्तर्गत है लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, कारागार, दांव और द्यूत, नाट्यशाला संपदा–शुल्क, एल्कोहाली लिकर पर उत्पाद शुल्क आदि। अनुसूची 7 की सूची

3 का नाम समवर्ती सूची है। इसमें 52 प्रविष्टियाँ है। संविधान का संशोधन करके 5 प्रविष्टियों को समवर्ती बनाया गया है। ये हैं न्याय, प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, बाट और माप, वन और शिक्षा संघ और राज्य दोनों ही इन प्रविष्टियों पर विधि बनाने में सक्षम है। किन्तु संघ को यह शक्ति है कि वह राज्य विधि को निरसित कर दें या इसके स्थान पर दूसरी विधि प्रतिस्थापित कर दें।[42]

इनके अलावा एक अन्य शक्ति है जिसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है तथा केन्द्रीय विधायिका ही कानुन बना सकती है अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती है यथा–साइबर कानून।[43] इस प्रकार केन्द्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन करके केन्द्र और राज्यों को आय के साधन उपलब्ध हुए है और इस प्रकार प्राप्त आय से केन्द्र व राज्य सरकार जनता के कल्याण हेतु निरन्तर कार्यशील है।

15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग एवं 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया। भारत में योजना बद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया की शुरूआत 1 अप्रैल 1951 से हुई। तब से अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है। दसवी पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को, तथा ग्यारवीं योजना 2012 को समाप्त हो गई है। इसके बाद 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। इस प्रकार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के पूर्ण रोजगार, अधिक उत्पादन, आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किये गये। तात्कालिक समस्याओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उद्देश्य निर्धारित किये व सरकार ने उन उद्देश्यों की पूर्ति भी की है।[44] ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख प्राथमिकताएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन व आधारिक संरचना का विकास है। जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित निवेश 3644718 है। इस प्रकार योजना का उद्देश्य व लक्ष्य (i) तीव्रतर विकास करना,

(ii) निर्धनता अनुपात में सन् 2012 तक 10 प्रतिशत की कमी लाना, (iii) साक्षरता दर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना, (iv) योजना अवधि में रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित करना, (v) चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना, (vi) प्रत्येक गाँव में टेलीफोन सुविधा तथा प्रत्येक गाँव को ब्राड–बैण्ड सुविधा से जोड़ना, (vii) सभी गाँवों में सड़क व स्वच्छ जल सुलभ करना।[45] इस प्रकार सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यों का संचालन सतत् रूप से करती आ रही थी। जो कि जनता के जीवन को आनन्दमय व आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हुए थे। हालांकि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार के प्रयास शत् प्रतिशत सफल नहीं हो पाये। फिर भी ये जनता के कल्याण में सहायक थे। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है।

देश की सामाजिक आधार भूत संरचना सुदृढ़ होने से सुस्थिर विकास को प्रेरणा मिलती है। आधारभूत सामाजिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पेयजल, कानून व्यवस्था, आवास तथा पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। इनके विकास हेतु सरकारें निरन्तर प्रयास कर रही हैं। मानवीय संसाधनों को गुणात्मक श्रेष्ठता प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में शिक्षा की प्रगति साक्षरता 1951 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.31 प्रतिशत, शिक्षण संस्थाओं का विकास, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रौढ़ शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान तथा दूरस्थ शिक्षा का अगस्त 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की संवेदनशीलता का परिचय है। फरवरी 1988 से देश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केन्द्र द्वारा राज्यों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा तकनीकी शिक्षा का भी तेजी से विकास हुआ है। देश के मानवीय संसाधनों की दक्षता तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आधार भूत ढाँचा उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डिस्पेंसरियां और अस्पताल तथा बिस्तर आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के प्रयास एकीकृत समेकित रोग निगरानी परियोजना तथा आयुष (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा) आदि कार्यक्रम चलाकर सरकार जनकल्याण को बढ़ावा दे रही है।[46]

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा श्रम कल्याण कार्यो के प्रति विशेष रूचि दर्शायी गयी है। केन्द्रीय सरकार ने खान, तेल क्षेत्र तथा केन्द्रीय कारखानों के श्रमिकों के लिए मकान, भोजन, मनोरंजन, शिक्षा, खेल कूद आदि कल्याणकारी कार्यों की विशेष व्यवस्था की है।[47]

निर्धनता को दूर करने के लिए भारत में सरकार द्वारा अनेक निर्धनता–निवारण कार्यक्रम चलाये जा रहें है। सरकार द्वारा IRDP (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम), NREP (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम), RLEGP (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम), JRY (जवाहर रोजगार योजना), TRYSEM (ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम), SGSY (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना), JGSY (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना), EAS (रोजगार आश्वासन योजना), PMGY (प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना) PMRY (प्रधानमंत्री रोजगार योजना) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आदि गरीबी उन्मूलन व रोजगार संवर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे है।[48]

जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाएं राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। केन्द्र सरकार वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को गति प्रदान करती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत

सरकार द्वारा दो मुख्य कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। (1) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, (2) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल हेतु।[49]

जन सहभागिता से अभिप्राय विकास कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। समस्त आर्थिक क्रियाओं के संचालन क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की नियंत्रण मुक्त भागीदारी को जनसहभागिता कहा जा सकता है। इससे आर्थिक विकास के लिए संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न हो, वह कार्यक्रमों को समझे तथा उनकी क्रियान्वित में सहायक बने। सरकार बाहर से उन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व अन्य सहयोग प्रदान करती है।[50]

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जन सहभागिता के विभिन्न कार्य हाथ में लिये गये हैं। विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता के लिए आवश्यक है कि इनकी आयोजना संचालन, प्रबन्ध तथा निर्णय में जनता की भागीदारी हो तथा ये कार्यक्रम समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप हो। देश में विभिन्न राज्यों, गैर सरकारी तथा स्वयं सेवी संगठनों की देखरेख में जन सहभागिता की दिशा में कुछ कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कृषि अकाल एवं सूखा पर्यटन ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में जनसहभागिता को, प्रोत्साहित किया जा रहा है। गरीब तथा पिछडे वर्ग के लोगों के लिए अनेक क्षेत्रीय एवं विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसमें जन सहभागिता की प्रभावी भूमिका होती है। इसके सार्थक एवं अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए है।[51]

दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से स्वतन्त्रता दिवस समारोह (15 अगस्त 2014) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ योजनाओं की घोषणा की। इन घोषणाओं में वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान तथा सांसद आदर्श गाँव योजना आदि शुरू करने की घोषणाऐं इसमें शामिल है। एक वर्ष के भीतर

सभी स्कूलों में शौचालयों की स्थापना की घोषणा की थी। सांसद आदर्श गांव योजना के तहत सभी सांसद 2016 तक अपने क्षेत्र में एक गाँव को आदर्श गाँव बनाएंगे तथा उसके पश्चात 2019 के अगले चुनावों तक दो और गाँवों तथा 2019 पश्चात् पाँच वर्षों में कम से कम पाँच और गाँवों को आदर्श गाँव सांसद बनाएंगे। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 से देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेश मिशन के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की है।

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के प्रमुख शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट बनायें जाना प्रस्तावित है जिसमें से कुछ प्रमुख शहरों का प्रथम चरण में चुनाव कर लिया गया है। प्रथम चरण में राजस्थान से जयपुर और उदयपुर शहर का चयन किया गया है। इसमें सभी प्रकार की त्वरित आधुनिक सुविधाऐं मुहैया करायी जाएंगी।

इस प्रकार कुछ मुस्लिम सम्राटों के शासन को नजरंदाज करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि इतिहास में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये कल्याणकारी कार्यों का उद्देश्य लोकहित न होकर साम्राज्यवादी था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत की जनता इन सुविधाओं से अच्छी तरह लाभान्वित हुई।

निष्कर्षतः सभ्यता के विकास एवं विभिन्न शासन कालों से लेकर अब के इतिहास काल में सरकारें आम जनता के जीवन को खुशहाल, आत्मनिर्भर, गरिमामय तथा जिंदा रखने के लिए किसी न किसी रूप में जन कल्याणकारी कार्य अर्थात् जन सुविधाऐं उपलब्ध कराती आ रही है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की अहम् भूमिका होती है।

संदर्भ सूची

1. फड़िया डॉ. बी.एल., भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2003, पृष्ठ सं. 2
2. शर्मा कृष्ण गोपाल, जैन डॉ. हुकम चन्द, शर्मा डॉ. मुरारी लाल, भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 1200 ई. तक) अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर–2009–10, पृष्ठ सं. 106
3. फड़िया डॉ. बी.एल., भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2003, पृष्ठ सं. 2
4. वही पृष्ठ सं. 3
5. वही पृष्ठ सं. 6–7
6. शर्मा कृष्ण गोपाल, जैन डॉ. हुकम चन्द, शर्मा डॉ. मुरारी लाल, भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 1200 ई. तक), अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर–2009–10, पृष्ठ सं. 265
7. वही पृष्ठ सं. 265
8. वही पृष्ठ सं. 265–266
9. वही पृष्ठ सं. 269–270
10. वही पृष्ठ सं. 270
11. वही पृष्ठ सं. 390
12. वही पृष्ठ सं. 432
13. फड़िया डॉ. बी.एल., भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2003, पृष्ठ सं. 10
14. वही पृष्ठ सं. 10–11
15. शर्मा कृष्ण गोपाल, जैन डॉ. हुकम चन्द, शर्मा डॉ. मुरारी लाल, भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 1200 ई. तक), अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर–2009–10, पृष्ठ सं. 560

16. वही पृष्ठ ष्ठ सं. 560–561

17.वही पृष्ठ सं. 561

18.वही पृष्ठ सं. 583

19.शर्मा डॉ. कालू राम, व्यास डॉ. प्रकाश, मध्यकालीन भारत का इतिहास (1206–1740), पंचशील प्रकाशन फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर–2009 पृष्ठ सं. 19

20.वहीं पृष्ठ सं. 55

21.वहीं पृष्ठ सं. 128

22.वहीं पृष्ठ सं. 128–129

23.शर्मा डॉ. अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, दीपक परनामी, आर बी एस ए पब्लिशर्स, एस.एम.एस. हाइवे, जयपुर–2002, पृष्ठ सं. 15–16

24.साहू डॉ. मोहन लाल, जैन डॉ. महावीर प्रसाद, शर्मा, भारत का इतिहास एवं संस्कृति (1526 से 1950), पृष्ठ सं. 50–51

25.शर्मा डॉ. अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, दीपक परनामी, आर बी एस ए पब्लिशर्स, एस.एम.एस. हाइवे, जयपुर–2002, पृष्ठ सं. 16

26. वही पृष्ठ सं. 18–19

27.फड़िया डॉ. बी.एल., भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2003, पृष्ठ सं. 26–27

28.साहू डॉ. मोहन लाल, जैन डॉ. महावीर प्रसाद, शर्मा भारत का इतिहास एवं संस्कृति (1526 से 1950)

29.बसु आचार्य डॉ. दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय, लेसिक्स नेसिक्स बटर वर्थ वाधवा नागपुर 14 फ्लोर, बिल्डिंग नं. 10, टावर–बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज द्वितीय गुडगांव–122002 हरियाणा, इण्डिया 2011

30.फड़िया डॉ. बी.एल., लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2003 पृष्ठ सं. 23–24

31.वही पृष्ठ सं. 27

32.वही पृष्ठ सं. 27–28

33.फड़िया डॉ. बी.एल., भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2003 पृष्ठ सं. 29–30

34.बसु आचार्य डॉ. दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय, लेसिक्स नेसिक्स बटर वर्थ वाधवा नागपुर 14 फ्लोर, बिल्डिंग नं. 10, टावर–बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज द्वितीय गुडगांव–122002 हरियाणा, इण्डिया 2011, पृष्ठ सं. 85

35.बसु आचार्य डॉ. दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय, लेसिक्स नेसिक्स बटर वर्थ वाधवा नागपुर 14 फ्लोर, बिल्डिंग नं. 10, टावर–बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज द्वितीय गुडगांव–122002 हरियाणा, इण्डिया 2011

36.शर्मा डॉ. अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, दीपक परनामी, आर बी एस ए पब्लिशर्स, एस.एम.एस. हाइवे, जयपुर–2002, पृष्ठ सं. 1

37.बसु आचार्य डॉ. दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय, लेसिक्स नेसिक्स बटर वर्थ वाधवा नागपुर 14 फ्लोर, बिल्डिंग नं. 10, टावर–बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज द्वितीय गुडगांव–122002 हरियाणा, इण्डिया 2011, पृष्ठ सं. 170

38.वही पृष्ठ सं. 467

39.भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107–दरबंगा केस्टल, इलाहाबाद–2012, पृष्ठ सं. 316–317

40.वही पृष्ठ सं. 317 से 318

41.भारत का संविधान सिद्धान्त व व्यवहार

42.शर्मा ब्रज किशोर, भारत का संविधान एक परिचय, प्रेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली –2007, पृष्ठ सं. 285

43.भारत का संविधान सिद्धान्त व व्यवहार, पृष्ठ सं. 159

44.दशोरा डॉ. वी.डी. अग्रवाल डॉ. आर.सी., भारतीय अर्थव्यवस्था–2010 पृष्ठ सं. 39

45.वही पृष्ठ सं. 45–46

46.वही पृष्ठ सं. 24–28

47.वही पृष्ठ सं. 110

48.वही पृष्ठ सं. 137

49.वही पृष्ठ सं. 145

50.वही पृष्ठ सं. 148

51.वही पृष्ठ सं. 149

अध्याय तृतीय

जयपुर महानगर की आकारिकी, योजना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यह राजस्थान का राजधानी नगर है। यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का पर्यटन नगर (Tourist Centre) है। इसको गुलाबी नगर (Pink City) का नाम दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस महानगर की जनसंख्या 30.7 लाख तक पहुँच गई है। यह मध्यकाल का नियोजित नगर है। औद्योगिकीकरण, प्रशासकीय केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का भारी संख्या में आगमन ने जयपुर को राजस्थान का सबसे सघन महानगर बना दिया है। इन घटनाओं का यहाँ के भूमि उपयोग, नगरीय विस्तार व पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ा है। प्रारम्भ में यह नगर चहारदीवारी के भीतर 6 वर्ग किमी. पर विस्तृत था। समय के साथ नगर ने अपनी सीमाओं में तीव्र वृद्धि की है और इसका क्षेत्रफल बढ़कर 1941 में 7.79 वर्ग किमी. 1971 में 206.06 वर्ग किमी. 2001 में 476.7 वर्ग किमी. 2011 में लगभग 760 वर्ग किमी. तक पहुँच गया है। गत चार दशकों में इस नगर की जनसंख्या में पाँच गुनी वृद्धि हो गई है। सांगानेर, आमेर इसके उपनगर है। यह सड़क व रेल मार्गों का जंक्शन है। यहाँ से दिल्ली, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उदयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा आदि स्थानों को सड़क मार्ग जाते है। वर्तमान में यह बड़ी लाइन द्वारा आगरा, दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर बाड़मेर, उदयपुर, कोटा, मुम्बई अहमदाबाद, जामनगर, ओखा से सीधा जुड़ गया है। यहाँ राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा है।[1]

राजस्थान का मानचित्र

जयपुर जिले का मानचित्र

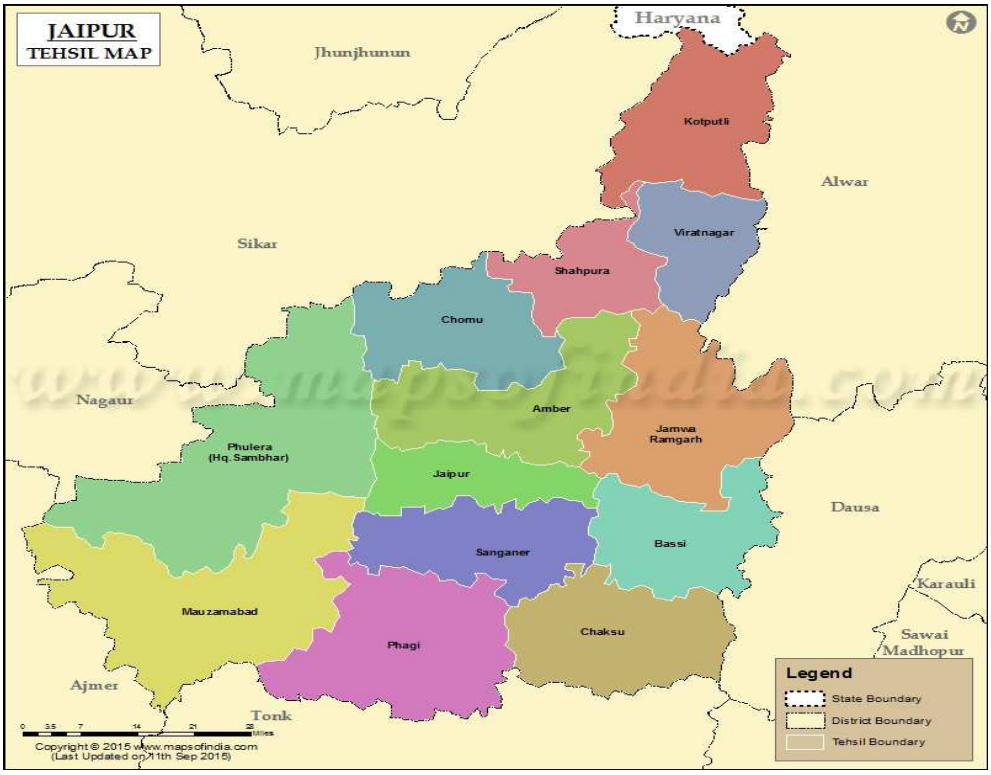

शोध अध्ययन क्षेत्र, जयपुर महानगर मानचित्र

बसाव-स्थान (Site) यह नगर अरावली पहाड़ियों के नीचे रेतीले समतल मैदान में स्थित है। ये पहाड़ियाँ इसके उत्तरी और पूर्वी भाग में फैली हुई है। जिस पर महाराजा ने सुदर्शनगढ़ नाम का एक सुन्दर किला बनवाया था। आजकल इस किले का नाम नाहरगढ़ किला है। वास्तव में इस नगर की स्थापना से पूर्व जयपुर राज्य की राजधानी आमेर इस पहाड़ी पर स्थित थी जो कि सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से समतल भूमि तक पहुँचने के लिए काफी दूर तक दुर्गम पहाड़ी स्थानों को पार करना पड़ता था। अतः यहाँ से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण–पश्चिम की तरफ ऐसा स्थान चुना गया जो सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। इस नगर के दक्षिण में विशाल समतल भूखण्ड फैला हुआ है जिसमें शहर के भावी विकास की काफी गुंजाइश है और परिवहन के साधनों को फैलाने की सुविधा है। वर्तमान नगर आमेर से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। जयपुर की जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक और शुष्क है। यहाँ पर न अधिक ठण्ड पड़ती है और न अधिक गर्मी रहती है।[2]

बसाव-स्थिति (Situation) यह समुद्रतल से 450 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ से दिल्ली 305 किमी. तथा मुम्बई 1125 किमी. की दूरी पर स्थित है। यह इन दोनों नगरों से सड़क, रेल तथा वायु मार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से चारों ओर को सड़क व रेल–मार्ग जाते हैं।[3]

ऐतिहासिक विकास एवं नियोजन (Historical Growth and Planning)

जयपुर राजस्थान के वैभव का प्रतीक है। यह वास्तुकला एवं सौन्दर्य का संगम है। यह भारतीय व आधुनिक संस्कृति के समन्वय की तस्वीर है।[4] जयपुर नगर की स्थापना 18 नवम्बर 1727 को आम्बेर नरेश सवाई जयसिंह (द्वितीय) ने की। जयसिंह आम्बेर नरेश बिशनसिंह का लड़का था। जयसिंह ई. 1699 में आम्बेर की गद्दी पर बैठा और 44 वर्ष तक राज्य भोग करके ई. 1743 में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसने औरंगजेब, बहादुर शाह (प्रथम), फर्रूखसीयर तथा मुहम्मद शाह नामक चार मुगल बादशाहों के काल में आम्बेर जैसी विशाल

रिसायत पर शासन किया। उसे मुहम्मद शाह ने 'राज–राजेश्वर श्री राजाधिराज, महाराज महाराजा सवाई जयसिंह' की उपाधि प्रदान की थी। तब से जयपुर नरेश अपने नाम के आगे 'सवाई' शब्द लिखने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जयसिंह ने मुगल बादशाहों से बराबरी के स्तर पर सम्बन्ध स्थापित किये। वह स्वतंत्र शासक की तरह ही व्यवहार करता था। बहादुर शाह प्रथम की धूर्तता के कारण मुगल सल्तनत से उसका मोह भंग हो गया था। उसने जोधपुर तथा मेवाड़ के राजाओं से भी एक सन्धि स्थापित की तथा मुगलों को जयपुर राज्य से राजकुमारियों का डोला न भेजने की भी शपथ ग्रहण की। वह स्वतंत्र विचारों एवं धर्मात्मा ह्रदय का स्वामी था। अपने पूर्वजों की भांति उसे युद्ध की विभीषिकाओं में धिरे रहना नहीं पड़ा अतः उसने अपने राज्य की समृद्धि के लिए बहुत काम किया तथा जयपुर जैसे नगर की स्थापना की जो विश्व में महान नगरों में से एक माना जाता है। जयपुर भारत का एक मात्र ऐसा शहर है जो पूर्णत भारतीय नगर निर्माण पद्धति पर आधारित होते हुए भी आधुनिकता में सबसे आगे है। जयसिंह स्वयं ज्योतिष, ज्यामिति, गणित तथा नक्षत्र विद्या का ज्ञाता था। अपने ज्ञान और अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए उसने जयपुर नगर की योजना बनाई और इस काम में बंगाल के विद्वान ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य की सेवायें प्राप्त की जो आधुनिक शिल्प शास्त्र का ज्ञाता था। इस नगर के मार्ग ज्यामितिय सूत्रों तथा गणित के आधार पर एक नाप, एक आकार तथा एक ही आकृति के बनाये गये। प्रत्येक मार्ग या तो एक दूसरे के ठीक समानान्तर है और या फिर एक दूसरे को पूरे समकोण पर काटता है। इन कटाव बिन्दुओं पर चौराहे बनाये गये हैं जो चौपड़ कहलाते हैं। इन चौराहों पर जल की फुहारें छोड़ने वाले फव्वारे लगाये गये। सड़कों के दोनो ओर तथा चौराहे के चारों ओर दुकानों की पंक्तियां बनाई गई।[5]

मध्यकाल के अन्तिम वर्षों में नियोजित इस नगर का नाम इसके संस्थापक नरेश जयसिंह के नाम पर ही रखा गया था। जयसिंह इस नगर के संस्थापक एवं वैज्ञानिक, गणित एवं ज्योतिष के ज्ञाता होने के साथ–साथ साहित्य,

इतिहास, कला के मर्मज्ञ तथा इन सब में रूचि रखने वाले थे। महाराजा जयसिंह को वैज्ञानिक कार्यों में सलाह बंगाली इंजीनियर अर्थात् शिल्प शास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य दिया करते थे। **जवाहरलाल नेहरू** ने लिखा है कि इस राजा को नगर नियोजन का बड़ा शौक था, इसलिए उसने यूरोप के बहुत से नगरों के नक्शें (**Plan**) मँगवाये और फिर अपने ढंग से प्लान बनवाया। सुप्रसिद्ध शिल्पशास्त्री **हावेल** ने जयपुर की सुनियोजित योजना की भूरि–भूरि प्रशंसा की और बताया है कि इस नगर की स्थापना एक ऐसी वैज्ञानिक योजना के आधार पर हुई थी जिसको नगर–निर्माण की हिन्दु परम्पराओं और नगर–नियोजन के प्राचीन ग्रन्थों के निर्देशन पर तैयार कराया गया था। यह नगर इतना सुन्दर है कि आज भी जब विज्ञान और शिल्पकला अपने उत्कर्ष पर पहुँच गये हैं, कला का ऐसा सुन्दर नमूना भारत भर में कहीं नहीं दिखाई देता। जयपुर नगर का गुलाबी स्थापत्य (**Pink Sculpture**) अपनी अलौकिक आभा से दर्शकों के मन को मुग्ध कर देता है। इसलिए इसको भारत का गुलाबी नगर अथवा भारत का पेरिस कहते हैं।[6]

जयपुर नरेश महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय (ई. 1835 से ई. 1880) ने जयपुर नगर की सारी इमारतों पर गुलाबी रंग पुतवा दिया। इससे शहर बहुत सुन्दर दिखाई देने लगा। इसी कारण यह नगर गुलाबी नगर **(Pink City)** के रूप में जाना जाने लगा। पर्यटन की दृष्टि से जयपुर राजस्थान का प्रमुख नगर है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। ई. 1734 में **पादरी जोस टाइफेन्थेलर** ने जयपुर को भारत का सबसे सुन्दर शहर बताया। ई. 1832 में फ्रेंच यात्री ने इसे दिल्ली से भी अच्छा शहर बताया। **बिशप हीबर** ने नगर के परकोटे की तुलना मास्को के क्रेमलिन की दीवारों से की।[7]

जयपुर नगर का विन्यास (Layout Plan)- यह नगर आयताकार विन्यास रखता है। इस आयत को पहाड़ियों के घेरे को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान पर बसाया गया है। यह पूरब–पश्चिम दिशा में लम्बा व उत्तर–दक्षिण दिशा में

चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है जिसको 6 मीटर ऊँची व 3 मीटर चौड़ी दीवार धेरे हुए है। पूरब–पश्चिम दिशा में जाने वाली 3.5 किमी. लम्बी सड़क 34 मीटर चौड़ी है। यह सड़क चार स्थानों पर समकोण बनाती हुई सड़कों से मिलती है। सड़कों के चौराहों पर चौकोर खुले स्थान मिलते हैं, जिन्हें चौपड़ कहते हैं। इस प्रकार नगर को आयताकार (**Rectangular**) खण्डों में बाँट दिया गया है। इस नगर की चहारदीवारी के पूर्वी गेट को सूरजपोल कहा जाता है। क्योंकि यह सूर्योदय के दर्शन कराता है। पश्चिम गेट चाँदपोल कहलाता है। उत्तरी गेट ध्रुवपोल कहलाता है तथा दक्षिण की ओर शिवपोल व कृष्णपोल नाम के दो गेट है। छठे गेट का नाम घाट गेट है जो नगर के दक्षिण–पूर्वी कोने पर स्थित है। जहाँ से पहाड़ियों में से होता हुआ मार्ग आगरा को जाता है। कृष्णपोल व शिवपोल के बीच में एक नया गेट बना हुआ है जहाँ से चन्द्रमहल, विधानसभा भवन और गोविन्दजी के मन्दिर को मार्ग जाता है। नगर के दक्षिण में रामनिवास बाग फैला हुआ है। यहीं पर एक संग्रहालय **(Museum)** है।[8]

नगर के उत्तरी भाग के मध्य में राजा का महल स्थित है। महल के चारों ओर परकोटा बना हुआ है जिसको सात दरवाजों से पार किया जा सकता है। इस महल का मुख्य गेट चौड़ा रास्ता पर खुलता है। यहाँ पर मुख्य सड़कों के दोनों ओर एक डिजाइन की दुकानें बनी हुई हैं। और दुकानों के ऊपर भव्य भवन व मन्दिर बने हुए है। ये सब गुलाबी रंग के पत्थर से बने है। यहाँ पर ज्योतिष वैद्यशाला भी बनी हुई है। हवामहल कला का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता है।[9]

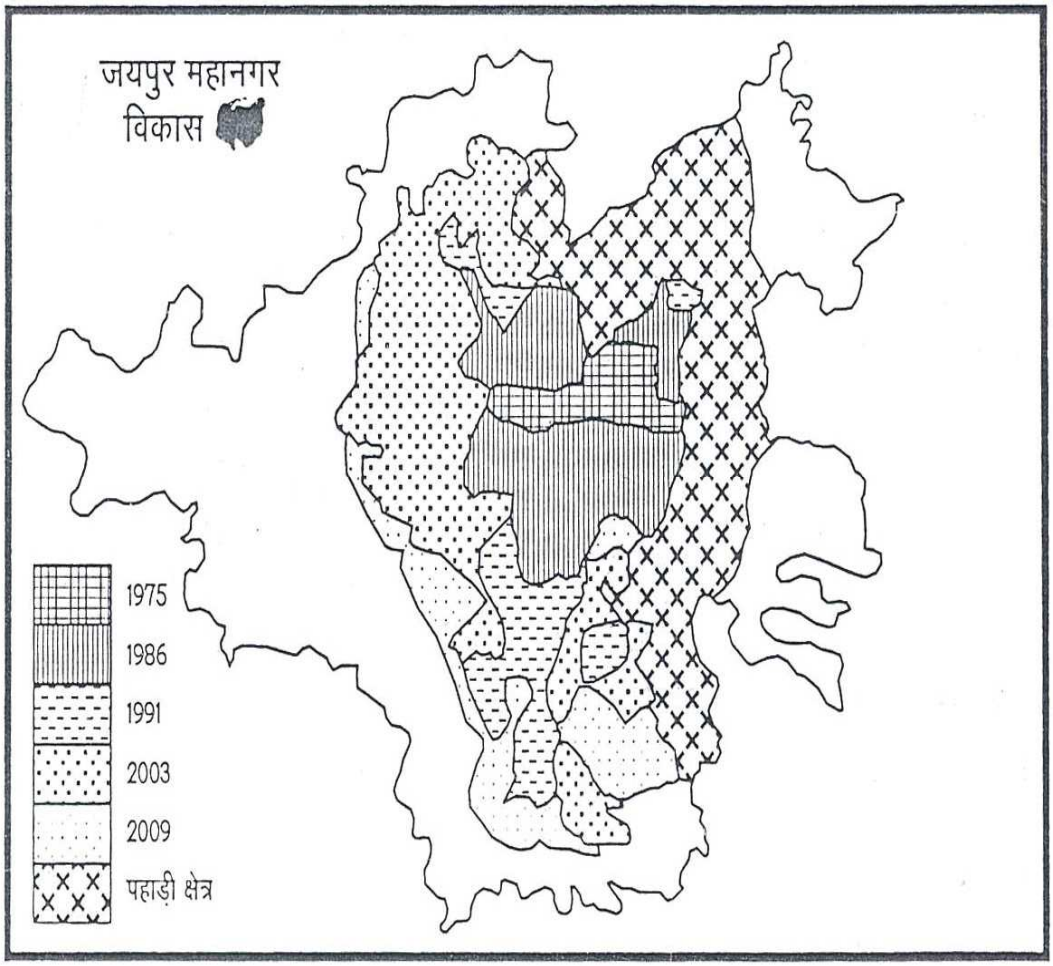

जयपुर महानगर का विकास प्रारूप

नगरीय विस्तार एवं विकास (Urban Sprawl and Development)

यह नगर उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी भाग होने के कारण दक्षिणी समतल क्षेत्र की ओर फैल सका या फिर पश्चिम की ओर अमानीशाह नाले के पास समतल स्थान पर फैलना शुरू हुआ। 1881 में नगर अपनी चहारदीवारी के बाहर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर फैलने लगा। अजमेरी गेट के बाहर एक अत्यन्त सुन्दर बस्ती बन गयी। सर मिर्जा के इस राज्य का प्रधानमंत्री बनने से इस नगर ने तीव्र गति से प्रगति की। 1952 में पाँच नगर नियोजन योजनाएँ रिहाइशी विकास के लिए शुरू की गयी थी। इन योजनाओं में ए–योजना

आदर्शनगर, बी–योजना मोतीडूँगरी और टोंक रोड़ के बीच, सी–योजना अशोक नगर, डी–योजना न्यू कॉलोनी बनीपार्क के रूप में थी। अशोक नगर जयपुर की सबसे अच्छी कॉलोनी है। आदर्श नगर का विकास विस्थापितों को बसाने के लिए किया गया। सिविल लाइन्स का विकास भी इसी काल में किया गया। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिस स्थान पर हुआ वहाँ पर बापूनगर तथा गाँधीनगर कॉलोनियाँ विकसित की गयी। राजस्थान राज्य के बनने पर जयपुर को उसकी राजधानी बनने का अवसर मिला। इससे नगर ने और तेजी से अपना विस्तार किया। 1970 में राज्य सरकार के हाउसिंग बोर्ड ने जवाहर, मालवीय नगर, मानसरोवर कालोनियां का विकास किया। सीकर, टोंक मार्गों के सहारे औद्योगिक इकाईयाँ का स्थापन किया गया जहाँ ग्रामीण अप्रवासियों ने अपने को बसाकर नगर को सघन बस्ती का रूप दिया। वर्तमान समय में यह हवाई अड्डे को जाने वाले 11 किमी. लम्बे मार्ग के दोनों और फैल गया है। वर्तमान नगर का कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग किमी. से भी अधिक है जो कि चहारदीवारी से धिरे पुराने जयपुर के क्षेत्रफल से दस गुना अधिक है।[10]

जनसंख्या वृद्धि घनत्व एवं अन्य विशेषताएँ

जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा व देश का दसवाँ नगर है। नगर के विस्तार के साथ–साथ यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है। यह वृद्धि नगर के आर्थिक विकास व नगरीकरण का प्रतीक है। निम्न सारिणी से महानगर की जनसंख्सा में होने वाले परिवर्तनों का पता लगता है–

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1881	1,42,578	–	–
1891	1,58,787	+16209	+11.36
1901	1,60,167	+1380	+0.86
1911	1,37,098	–23069	–14.40

1921	1,20,207	−16291	−12..32
1931	1,44,179	+23972	+19.94
1941	1,80,940	+36761	+25.50
1951	3,04,380	+123440	+68.22
1961	4,10,326	+105996	+34.82
1971	+6,36,768	+226392	+55.82
1981	10,15,160	+378392	+58.82
1991	+15,18,237	+503075	+49.56
2001	+23,24,319	+806084	+53.09
2011	+30,73,350	+749031	+32.23

1881 में नगर की जनसंख्या 1.42 लाख थी। जो 1901 तक धीमी गति से बढ़ती रही, लेकिन 1911 व 1921 के वर्षों में काफी घट गई। 1931 व 1941 में वृद्धि दर लगभग समान रही। 1951 में विस्थापितों के यहाँ आकर बसने से जनसंख्या वृद्धि की दर 68.22 हो गई जो अब तक के वर्षों में सबसे अधिक है। 1951 से नगर तेजी से अपना विस्तार कर रहा है तथा अपनी जनसंख्या में भारी वृद्धि कर रहा है। 1971–2011 के चार दशकों में नगर की जनसंख्या बढ़कर पाँच गुनी से भी अधिक हो गई है। 1981–91 के दशक में 1961 की कुल जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गई। 1991–2001 व 2001–2011 के दशकों में जनसंख्या में वृद्धि क्रमशः 8.1 व 7.5 लाख बढ़ी है। 2001–2011 में वृद्धि दर स्वतन्त्रता के बाद सबसे कम 32.33 प्रतिशत अंकित की गई है।

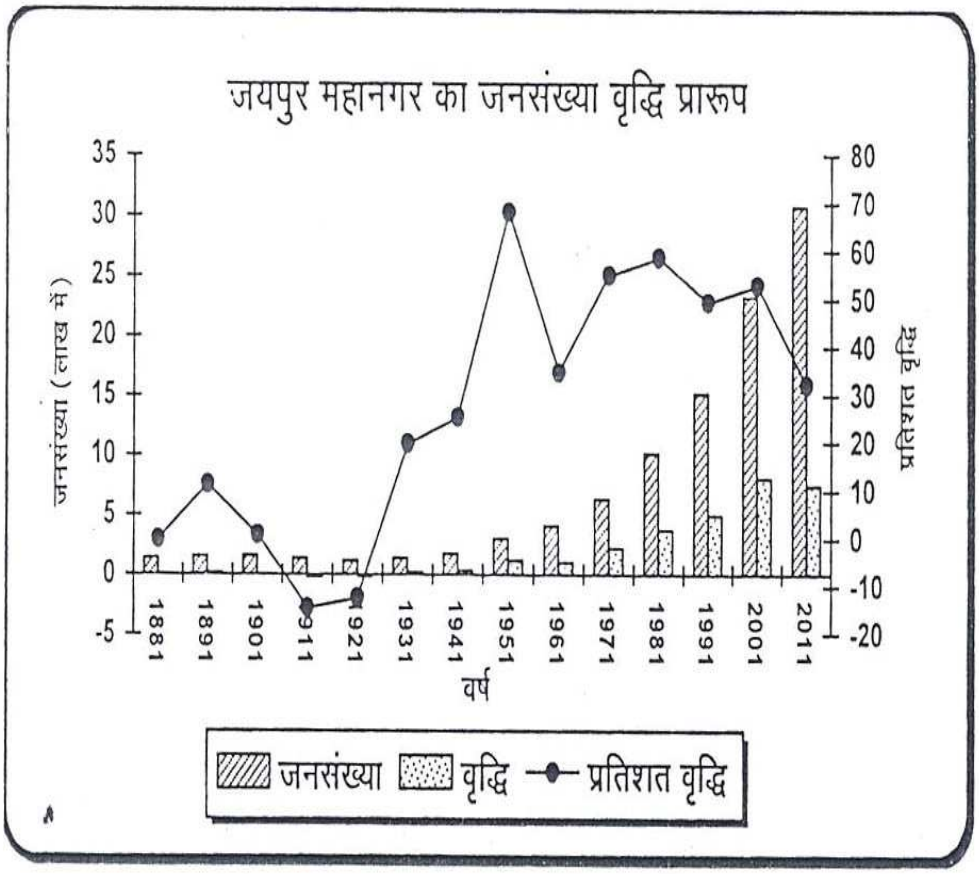

जयपुर महानगर : जनसंख्या वृद्धि 1881-2011

1981–91 के दशक में पुरूष–महिला अनुपात 1000 पुरूषों के पीछे 868 महिलाएँ थीं। 1991–2001 के दशक में 8.1 लाख व्यक्तियों की वृद्धि के साथ नगर ने 53.09 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि की दर से वृद्धि अंकित की है। इस दशक में पुरूष–महिला अनुपात 875 महिलाएं प्रति 1000 पुरूषों के बीच रहा। 2001–2011 के दशक में महानगर ने 7.5 लाख जनसंख्या वृद्धि अंकित की है, जो इस महानगर की 1971 की जनसंख्या से भी अधिक है। इस दशक में पुरूष महिला अनुपात 898 महिलाएँ प्रति एक हजार पुरूष रहा है। स्पष्ट है गत दो दशकों में यह अनुपात 30 महिलाएँ प्रति एक हजार पुरूष तक बढ़ गया है। 2011 में 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या 378,788 है, जो कुल जनसंख्या का 12.32 प्रतिशत है। इस जनसंख्या का बालक–बालिका अनुपात 854 बालिकाएँ प्रति एक हजार बालक है। प्रभावी साक्षरता दर (सात वर्ष से

ऊपर की जनसंख्या के आधार पर) 2011 में 84.34 प्रतिशत है। पुरूष एवं महिला जनसंख्या में साक्षरता दर क्रमशः 90.61 व 77.41 प्रतिशत अंकित की गई है। स्पष्ट है कि यह महानगर साक्षरता की दृष्टि से काफी प्रगति कर गया है।

इस महानगर का विस्तार क्षैतिजीय दृष्टि से अधिक हुआ है। 1961 में इसका विस्तार 6350 हैक्टेयर भूमि पर था, जो बढ़कर 1991 में 33500 तथा 2011 में 76150 हैक्टेयर भूमि तक पहुँच गया है। इस विस्तार का जन घनत्व पर सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1961 में यह घनत्व 64.62 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर था, जो क्रमशः 1991 व 2011 में 45.32 व 40.36 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर था। स्पष्ट है कि इस महानगर का क्षैतिजीय विस्तार जनघनत्व को कम करने में सहायक रहा है।[11]

जनसंख्या के साथ–साथ महानगर ने अपने भूमि विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है। समीपवर्ती क्षेत्रों का इसने बड़ी बेरहमी से अतिक्रमण किया है। दक्षिणी, दक्षिण–पूर्वी व पश्चिमी दिशा में इसका विस्तार तीव्रता से हुआ है। सरकारी व निजी संस्थाओं ने अनेक कई नई कॉलोनियों पश्चिम में वैशाली नगर, चित्रकूट नगर, दक्षिण में प्रताप नगर व सांगानेर का स्थापन किया है। नगर के क्षेत्रीय विस्तार के प्रादुर्भाव को निम्न तरह से समझा जा सकता है–

नगर विकास का प्रारूप (Urban Growth Pattern)

प्रथम अवस्था– 1727 से 1767 के बीच महाराज सवाई जयसिंह चहारदीवारी नगर की नींव रखी। इसके उत्तर व पूर्व में पहाड़िया थी। यह आयताकार विन्यास के रूप में था। सड़के सीधे व समकोण पर मिलती थी। चंद्रमहल केन्द्रीय भाग में था।

द्वितीय अवस्था – 1767 से 1850 की अवधि में चहारदीवारी के बाहर सटे हुए भूभागों में नगर ने फैलना शुरू कर दिया। जौहरी बाजार, सिरेह देवड़ी बाजार, किशनपोल बाजार एवं गणगौरी बाजार विकसित हो गए।

तृतीय अवस्था – 1850 से 1930 के वर्षों में नगर में चहारदीवारी के बाहर रिहाइशी क्षेत्रों का विस्तार होना प्रारम्भ हुआ। 1868 में रेलमार्ग के स्थापन ने नगर को प्रगति की ओर अग्रसर किया।

चतुर्थ अवस्था – 1930 से 1970 की अवधि में नगर ने जनसंख्या की भारी वृद्धि को अंकित किया। रामनिवास बाग के दक्षिण में फतेह टिबा, अशोक नगर, जालूपुरा, बनीपार्क में रिहाइशी कॉलोनियों, सार्वजनिक संस्थानों तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना ने नगर को दक्षिणी भाग में फैलाने के लिए प्रेरित किया।

पंचम व वर्तमान अवस्था –1970 के बाद से आज तक नगर ने यूँ तो सभी दिशाओं में विस्तार किया है, लेकिन दक्षिण–पश्चिम व उत्तर–पश्चिम में विस्तार अधिक हुआ है। उत्तरी व पूर्वी भाग में पहाड़ी भूभाग एक अवरोधक के रूप में रहा है।[12]

भूमि उपयोग एवं आकारिकी (Land Use and Morphology)

जयपुर महानगर की आकारिकी एवं भूमि उपयोग पर जिन विद्वानों के विचारों के आधार पर यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया है–उनमें इन्द्रपाल गुप्ता का लेख **'Jaipur : A Study in land use',** श्वेता खण्डेलवाल का लेख **'Urban Sprawl of Jaipur Metropolitan',** तथा रूपेश कुमार गुप्ता का लेख, जो **Institute of Town Planners, India** की पत्रिका में जुलाई–सितम्बर 2011 के अंक में **'Change Detection Techniques of Monitoring Spatial Urban Growth of Jaipur City'** नाम से प्रकाशित हुआ है, शामिल है।

1. **रिहाइशी क्षेत्र (Residential Zone)**– जयपुर अपने वास्तविक प्लान के अनुसार नौ वार्डों (चौकड़ी) में बँटा हुआ था। यह वार्ड भी ब्लॉक्स (मौहल्लों) में उपविभाजित हैं। भूमि के प्लाटों का वितरण जाति, उप–जाति या व्यवसाय के आधार पर किया गया था। उच्च जाति व धनी वर्ग को महाराजा के महल के निकट स्थान दिया गया था जबकि निम्न जाति व गरीब वर्ग को चहारदीवारी नगर के दूरवर्ती क्षेत्रों में बसाया गया था। वर्तमान समय में भी जयपुर में अनेक परिवर्तनों के बावजूद ये प्राचीन विशेषताएँ आज भी स्पष्ट दिखाई देती है।

पिछली शताब्दियों में जयपुर के रिहायशी क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए है। प्रारम्भ में रिहाइशी विकास पर केन्द्रोन्मुखी शक्ति का प्रभाव पड़ा। नगर चहारदीवारी के अन्दर ही फैलता व बढ़ता रहा। जनसंख्या की अतिशय वृद्धि व विस्थापितों के भारी संख्या में आकर बसने के कारण यहाँ अनेक क्षेत्र गन्दी बस्तियों में बदल गये। नगर में अस्वास्थ्यप्रद व भीड़भाड से युक्त वातावरण ने धनी व उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को नगर के बाहर रहने को प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप अनेक नयी नियोजित कॉलोनियाँ विकसित हो गयी। इनमें बनीपार्क, न्यू कॉलोनी, आदर्श नगर, तिलक नगर, बापू नगर, गाँधी नगर, बजाज नगर, राजा पार्क स्कीम, जालुपुरा, बस्सी, सीतारामपुरा, लेबर कॉलोनी उल्लेखनीय है। सिविल लाइन्स उच्च वर्ग की रिहाइशी बस्ती है। वर्तमान में नगर का अधिकांश रिहाइशी क्षेत्र पुरानी चहारदीवारी के बाहर फैल गया है।

रिहाइशी मकानों की भारी माँग ने नई–नई रिहाइशी कॉलोनियों को नगर के विभिन्न भागों में मुख्य मार्गों के सहारे विकसित करने में मदद की है। यह कालोनियाँ केन्द्राभिमुखी शक्तियों का परिणाम है। रोहिणी नगर, पीतमबाड़ा, मूर्तिकला नगर, आनन्द लोक, स्वप्न लोक, पर्थ नगर, अम्बेडकर नगर, आम्रपाली, सहारा, नारायण समूह, अंसल समूह, केड़िया समूह, मंगलम समूह इसी प्रकार की आवासीय योजनाएँ हैं। नगर का रिहाइशी क्षेत्र गत

पाँच दशकों में 2310 हैक्टेयर से बढ़कर 34150 हैक्टेयर तक पहुँच गया है।

2. **व्यापारिक क्षेत्र (Commercial Zone)** – जयपुर की कई सड़कों व कटरों पर व्यापारिक क्षेत्रों का जमाव मिलता है। इनकों पाँच उप–क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है।– (i) जौहरी बाजार (ii) बापू बाजार और नेहरू बाजार, (iii) चाँदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, रामगंज और चौड़ा रास्ता, (iv) किशनपोल से गणगौरी बाजार, और (v) घाटगेट से रामगंज। नगर की चहारदीवारी से बाहर प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र मिर्जा इस्माइल रोड़ पर फैल गया है, जो कि दक्षिण दीवार के समानान्तर पूर्व में घाट गेट से होती हुई पश्चिम में रेल्वे स्टेशन तक जाती है।

   मूल रूप में नगर का वर्गीकरण व विभिन्न रास्तों का नाम लोगों के व्यवसाय के अनुसार निर्धारित किया गया था। विभाजन के बाद जनसंख्या की अतिशय वृद्धि ने नगर के व्यापारिक स्वरूप व भूमि उपयोग को अत्यधिक प्रभावित किया। नगर के भीतरी चौड़ी सड़क पर खुदरा बिक्री की दुकानों का जमाव है। जौहरी बाजार में मसाले व साग–सब्जी की दुकानें हैं, चाँदपोल जो पहले अनाज का थोक बाजार था, अब खुदरा बाजार के रूप में है। अब अनाज का थोक बाजार नगर की दीवार के बाहर बनी गल्ला मण्डी में स्थानान्तरित हो गया है। अधिकांश वाणिज्य संस्थान व कार्यालय प्रथम मंजिल पर स्थापित हो गये हैं। दुकानों के सामने बने बरामदे भी अब ढककर दुकानों के अन्दर शामिल कर लिये गये हैं। नगर के विभिन्न भागों में 40–45 मॉल विकसित हो गए हैं।

3. **औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Zone)**– उद्योगों का जमाव प्रमुखतया नगर की सीमा पर प्रमुख सड़कों व रेलवे मार्ग के समीप मिलता है स्वतन्त्रता से पूर्व यहाँ पर उद्योगों का विकास लगभग न के बराबर था। स्वतन्त्रता के बाद यहाँ पर अनेक उद्योगों की स्थापना की गयी है और यह राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर बन गया है। प्रारम्भ में यहाँ पर केन्द्रीय रेलवे

स्टेशन के चारों ओर उद्योगों का फैलना शुरू हुआ। रेलवे मार्ग के सामीप्य ने उनको कच्चा माल व तैयार माल के क्षेत्रों से जोड़ने की सुविधा प्रदान की। यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्पिनिंग एवं वीविंग मिल, धातु व विद्युत जैसे बृहत् उद्योग स्थापित है।

1957 में दूसरा औद्योगिकी क्षेत्र जयपुर–सवाई माधोपुर मार्ग पर जयपुर के दक्षिण में रेलवे स्टेशन के निकट विकसित हुआ। यह क्षेत्र नगर का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर लघु उद्योगों की स्थापना की गई तथा उद्योगों के विस्तार की अभी और गुंजाइश है। तीसरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र के झोटवाडा स्थान में स्थापित किया गया है। यह एक त्रिभुजीय क्षेत्र है जो अजमेर व लोहारू रेल मार्गों द्वारा बनता है। यहाँ पर रसायन, सीमेंट, मोटर परिवहन के पुर्जे, इस्पात, फर्नीचर, जाली आदि उद्योग स्थापित है। जयपुर के ये सभी औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान नगर के पश्चिम में रेल मार्गों के सहारे–सहारे फैले हैं। गाँधी नगर रेलवे स्टेशन और टोंक मार्ग के बीच औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग, काँच व बर्तन उद्योग फैल गये हैं। यहाँ पर उद्योगों का विस्तार उसके पश्चिमी भाग में अधिक हुआ है।

वर्तमान में जयपुर में आठ बड़े–बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित मिलते हैं। यहाँ लगभग 1200 उद्योग इकाइयाँ स्थापित है। इनमें से लगभग एक तिहाई ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ हैं, जो वायु जल एवं भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। औद्योगिक भूभाग का विस्तार गत पाँच दशकों में दस गुना से अधिक बढ़ गया है।

4. **प्रशासकीय क्षेत्र (Administrative Zone)** – यह नगर न केवल राजाओं की राजधानी रहा, बल्कि आज भी वर्तमान राजस्थान राज्य का राजधानी नगर है। अतः इस नगर की भूमि का प्रयोग प्रशासकीय कार्यों के लिए बराबर होता रहा है। राजाओं के समय में किलों का प्रयोग राजाओं के महल के रूप में तथा राजा के प्रशासन–सम्बन्धी कार्यों के लिए होता था।

आज भी महाराजा के चन्द्रमहल में अनेक सरकारी कार्यालय काम कर रहे हैं। महाराजा के पुराने विधानसभा भवन का प्रयोग स्वतन्त्रता के बाद विधानसभा भवन के रूप में होता था। स्वतन्त्रता के बाद यहाँ पर सरकारी कार्यालयों की स्थापना नयी–नयी सुन्दर इमारतों में की गयी है। यह कार्यालय रामबाग पैलेस के निकटवर्ती सुन्दर व खुले स्थान में स्थापित किये गये हैं। इन सबके विकास के बावजूद नगर का प्रशासकीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से बनता नजर नहीं आता। अनेक कार्यालय बिखरे रूप में किराये की इमारतों में स्थापित मिलते हैं।

जयपुर महानगर का भूमि उपयोग 1961–2011

उपयोग के प्रकार	क्षेत्रफल हैक्टेयर में			कुल विकसित भूमि में प्रतिशत		
	1961	1991	2011	1961	1991	2011
रिहाइशी	2310	17200	34150	35.0	51.3	44.8
व्यापारिक	260	1600	5102	4.3	4.8	6.7
औद्योगिक	590	4460	4600	9.5	13.3	6.0
सार्वजनिक, अर्द्ध–सार्वजनिक / प्रशासकीय	2160	3020	9518	35.0	9.0	12.5
पार्क एवं खेल के मैदान	240	1000	8550	4.0	3.0	11.3
परिवहन एवं संचार	610	6020	11710	9.2	18.0	15.4
मिश्रित व अन्य	180	200	2520	3.0	0.6	3.3
योग	6350	33500	76150	100.00	100.00	100.00

5. **शिक्षा क्षेत्र (Educational Zone)** – इस नगर का क्षेत्र उसकी चहारदीवारी की पुरानी दक्षिणी सीमा से लेकर वर्तमान दक्षिणी सीमा के बीच फैले भूभाग पर लगभग सात किमी. की लम्बाई में फैला है। इस क्षेत्र में सवाई माधोसिंह मार्ग होकर जाता है। यहाँ पर प्रमुख हायर सैकण्डरी स्कूल, विश्वविद्यालय के अधीन काम करने वाले कई कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, ऑफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल, गूँगे व बहरों का स्कूल स्थित हैं। उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्रों में जगननाथ राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन शिक्षा संस्थानों के अलावा यहाँ पर संग्रहालय, रवीन्द्र मंच

थियेटर, जयपुर का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल भी स्थापित है। इस अस्पताल के सामने मेडिकल कॉलेज स्थित है। उपर्युक्त संस्थानों में से अधिकांश नये संस्थान है। पुराने नगर के भीतर स्थानाभाव होने से नये शिक्षा संस्थानों की स्थापना बाहर नये खुले क्षेत्रों में की गयी है। इनके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र रामनिवास बाग के निकट है जहाँ पर महाराजा कॉलेज व महारानी कॉलेज की स्थापना की गयी है। यहाँ का शिक्षा क्षेत्र नयी रिहाइशी कालोनियों से धिरा हुआ है।[13]

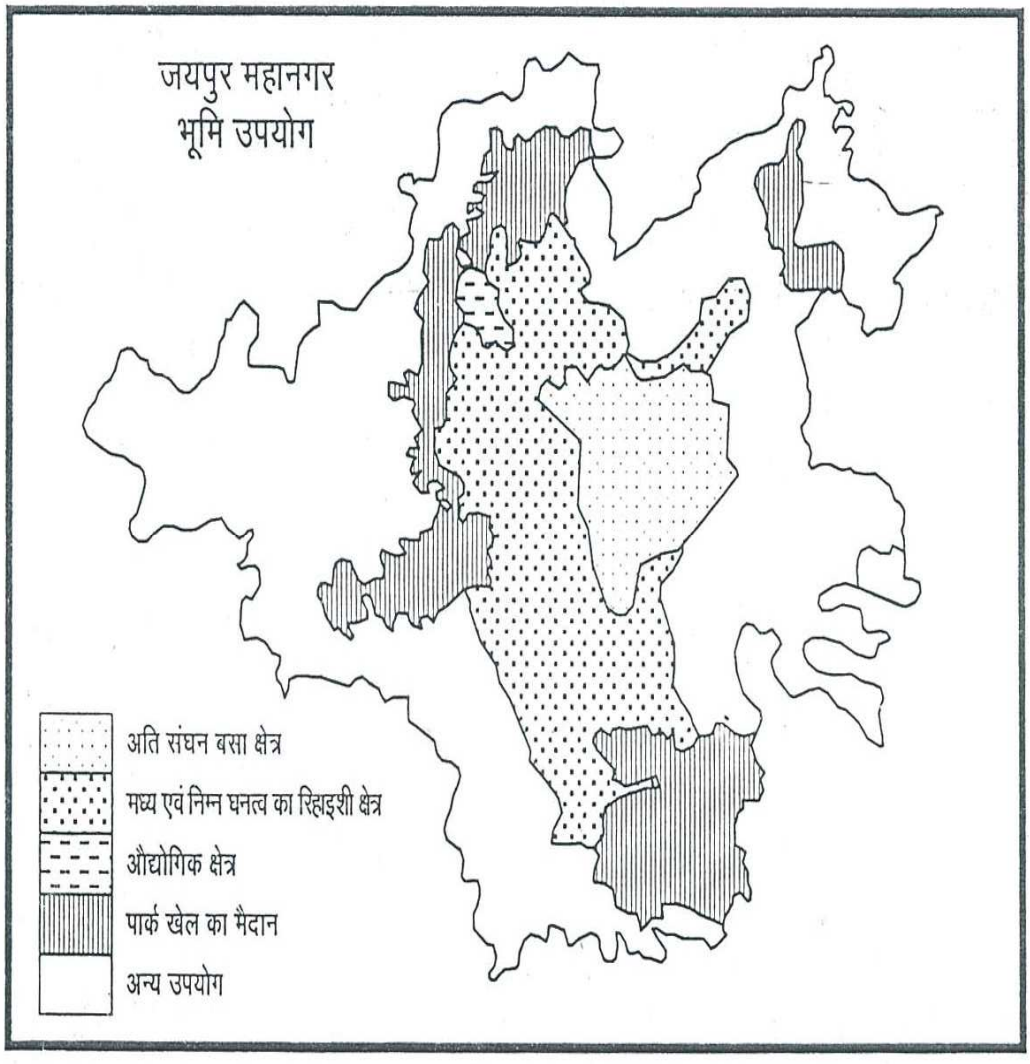

जयपुर महानगर का भूमि उपयोग

मास्टर प्लान 2025 में जयपुर रीजन की स्थिति

जयपुर विकास प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति ने 14.10.2009 को हुई बैठक में प्रस्तावित मास्टरप्लान–2025 का ड्राफ्ट मूंजर किया गया। मास्टरप्लान के प्रावधान के मुताबिक आवासीय उपयोग के लिए चिहिन्त इलाकों की भूमि का आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक व संस्थानिक उपयोग भी किया जा सकेगा। मास्टरप्लान के तहत डेवलपमेन्ट प्रमोशन एवं कंट्रोल रेगुलेशन बनाए गए हैं। इनके अनुसार आबादी के लिए आवश्यक गैर आवासीय उपयोग जैसे स्कूल, शॉपिंग सेन्टर, बैंक व सरकारी कार्यालय आदि आवासीय उपयोग के लिए चिह्नित भूमि पर बनाए जा सकेंगे। मास्टरप्लान के तहत निर्धारित नगरीय क्षेत्र (यू 1) को घनत्व के हिसाब से क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य आबादी के बढ़ते दबाव का नियोजित समायोजन हे। ये क्षेत्र उच्च घनत्व क्षेत्र (आर 1), मध्यम घनत्व क्षेत्र (आर 2) व न्यून घनत्व (आर 3) हैं।

उच्च घनत्व आर–1 : राजधानी में अस्सी फीट व इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर सबसे अधिक निर्माण की अनुमति मिलेगी। यहाँ एफएआर (निर्मित क्षेत्रफल) 1.8 होगा। यहाँ इमारत की सबसे अधिक ऊँचाई सड़क के डेढ़ गुना व फ्रण्ट सेटबैक के जोड़ के बराबर हो सकती है।

मध्यम घनत्व आर–2 : इस क्षेत्र में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र रोड़ नं0 14 एक्सप्रेस हाईवे होते हुए अजमेर रोड़, बदरवास तिराहा, न्यू सांगानेर रोड़, सांगानेर में अमानीशाह नाले के साथ–साथ प्रातप नगर, जगतपुरा होते हुए सी जोन बाइपास तक के घेरे में आने वाले इलाकों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसमें मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, झोटवाड़ा, खातीपुरा, वैशाली नगर, श्याम नगर, पदमावती कॉलोनी, मानसरोवर व मालवीय नगर आदि समेत कई अधिकतर शहरी इलाके आते हैं। इसके अलावा भवन विनिमय 2000 की अनुसूची 3 में शामिल इलाके भी मध्यम घनत्व क्षेत्र में रखे जाएँगे। इस क्षेत्र में एफएआर 1.2 होगा। यहाँ 15 मीटर ऊँचाई तक की इमारत बन सकेगी।

निम्न घनत्व आर-3 : इसमें रिंग रोड़ के मौजूदा रास्ते से लगते क्षेत्र व अन्य इलाकों को इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये इलाके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (जीएसआई) के मुताबिक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। यहाँ एफएआर 1 ही रखा गया है। इस क्षेत्र में 12 मीटर ऊँचाई की इमारतों की अनुमति दी जा सकेगी।

भविष्य के विकास की दृष्टि से मास्टरप्लान के कुल 2939 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पाँच क्षेत्रों में बांटा गया है। ये पाँच क्षेत्र यू–1, यू–2, यू–3, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र है। यू–1 में प्रस्तावित मास्टरप्लान का 800 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल होगा। इसमें निर्धारित भू उपयोग के हिसाब से विकास होगा। यू–2 में सेज जैसी बड़ी परियोजनाएँ आ सकेंगी। यू–3 में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ एक किलोमीटर तक और राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ आधा किलोमीटर तक के इलाके में औद्योगिक व अन्य महत्वपूर्ण कॉरिडोर विकसित किए जा सकेंगे। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में अधिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। नदी, नाले, वन व पुरा महत्त्व की इमारतों वाले इस इलाके में अधिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। यहाँ केवल रिक्रेशनल व विरासत संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ की जा सकेगी। इसी तरह बायोटेक पार्क, होटल व रिसोर्ट आदि गतिविधियाँ की जा सकेंगी।[14]

निम्न तालिका में उपयोग व क्षेत्र को वर्ग किमी. में दर्शाया गया है–

उपयोग	**क्षेत्र वर्ग किमी.**
यू–1	879 वर्ग किलोमीटर
यू–2	529 वर्ग किलोमीटर
यू–3	166 वर्ग किलोमीटर
पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र	642 वर्ग किलोमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	723 वर्ग किलोमीटर

नया जयपुर

राज्य सरकार द्वारा आगरा रोड़ से लगते 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नया जयपुर बनाने का ऐलान किया है। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो जयपुर को **वर्ल्ड क्लास सिटी** बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। नया जयपुर में बड़ी टाउनशिप, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस, होटल्स, स्टेडियम, चौड़ी सड़कें और सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त मेगा प्रोजेक्ट्स विकसित किए जायेंगे। इस इलाके को शहर से जोड़ने के लिए बिड़ला मन्दिर के पास से गुजर रहे शांतिपथ से झालाना पहाड़ियों में से 4 किलोमीटर सुरंग बनाकर खो–नागोरियान रोड़ पर निकाली जायेगी। जाना प्रस्तावित थी।[15] लेकिन इसे ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैण्ड (रोटरी सर्किल) से खानिया (आगरा रोड़) पर निकाली गई है। हालांकि नया जयपुर बसाने की योजना फिलहाल ठण्डे बस्ते में है।

जयपुर पर्यटन नगर है। इस कारण यहाँ पर अनेक स्थानों पर होटलों की स्थापना की गई है। रेडीसन, बोटिक, भारत होटल ग्रुप द्वारा यहाँ पर होटलों की स्थापना हुई है। इनके अलावा रामबाग पैलेस, क्लार्क अम्बर, मानसिंह, ट्रिनिटी, खासा कोठी, राजमहल, गोल्डन डेजर्ट प्रमुख होटल स्थापित है। महानगर की जनसंख्या में भारी वृद्धि ने ट्रेफिक घनत्व को बढ़ा दिया है। अनियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा मिल रहा है। वाहनों की बढ़ती संख्या पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। अतः जयपुर महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में इन सब बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक अनुमान के आधार पर जनगणना विभाग ने जयपुर महानगरीय प्रदेश (Jaipur Metropolitan Region) की जनसंख्या 2011 में 6,663,971 तक आँकी है। जयपुर महानगर में बढ़ते यातायात को कम करने के लिए एक जनवरी 2010 को जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। प्रारम्भ में 35 किमी. लम्बे दो मेट्रो रेल मार्ग का विकास किया

जाएगा। एक ग्रीन लाइन व दूसरी ओरेंज लाइन। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 9.25 किमी रेलमार्ग एक जनवरी 2013 तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है। एक रेलमार्ग दक्षिण में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को उत्तर में अम्बाडी को जायेगा।[16] वर्तमान में मानसरोवर से चांदपोल तक मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो चुका है।

राजनीतिक परिचय

जयपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख नगर होने के साथ ही राजधानी क्षेत्र भी है। वर्तमान में यह महानगर की श्रेणी में आता है। अतः यहाँ पर नगर निगम की स्थापना की गई है। इसके अलावा जयपुर महानगर को सुनियोजित ढंग से बसाने तथा इसकी स्थापत्य कला एवं अलौकिक आभा को बनाये रखने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। जयपुर महानगर की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार है–

1. नगर निगम में कुल जोन–8
2. नगर निगम में कुल वार्ड–91
3. नगर निगम में महापौर –1
4. नगर निगम में उप महापौर –1
5. विधायक–8
6. सांसद (जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र) –1

संदर्भ सूची

1. बंसल डॉ. सुरेश चन्द्र, नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन बेगम ब्रिज, मेरठ–2013–14 पृष्ठ सं. 331–332
2. वही पृष्ठ सं. 332
3. वही पृष्ठ सं. 332
4. वही पृष्ठ सं. 332
5. गुप्ता डॉ. मोहन लाल, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन एवं वितरक सोजती गेट, जोधपुर (राज.) 2010 पृष्ठ सं. 51–52
6. बंसल डॉ. सुरेश चन्द्र, नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन बेगम ब्रिज, मेरठ–2013–14 पृष्ठ सं. 332
7. गुप्ता डॉ. मोहन लाल, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन एवं वितरक सोजती गेट, जोधपुर (राज.)–2010 पृष्ठ सं. 53
8. बंसल डॉ. सुरेश चन्द्र, नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन बेगम ब्रिज, मेरठ–2013–14 पृष्ठ सं. 333
9. वही पृष्ठ सं. 333
10. वही पृष्ठ सं. 334
11. वही पृष्ठ सं. 334–335
12. वही पृष्ठ सं. 336
13. वही पृष्ठ सं. 336–339
14. नगरीय भूगोल, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, पृष्ठ सं. 394–396
15. वही पृष्ठ 396

16. बंसल डॉ. सुरेश चन्द्र, नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन बेगम ब्रिज, मेरठ–2013–14, पृष्ठ सं. 339

अध्याय –चतुर्थ

जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका

किसी भी राष्ट्र–राज्य में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की महती भूमिका होती है अर्थात् जन सुविधाऐं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अतः भारत जैसे विशाल राष्ट्र–राज्य में अधिकतर जन सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। अध्याय 2 में इस प्रयोजन का अध्ययन भारत के विभिन्न शासन कालों के माध्यम से कर चुके हैं। चूँकि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है जिसमें 29 राज्य तथा 7 क्रेन्द्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों में से एक राजस्थान राज्य है। राजस्थान में एक प्रख्यात शहर जयपुर है जोकि राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। जयपुर महानगर राजस्थान राज्य का ही नहीं अपितु भारत देश का भी अभिन्न अंग होने के कारण जयपुर महानगर में सरकार के तीन रूप केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय सरकार) कार्यरत हैं। सरकार के ये तीनों रूप जयपुर महानगर की जनता को आवश्यक सहूँलियतें प्रदान करने हेतु अपनी–अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ निजी संघटन भी आवश्यक सहूँलियतें प्रदान कर रहे हैं।

सन् 1727 में जयपुर महानगर की स्थापना के साथ इसका क्षेत्रीय विस्तार एवं जनसंख्या दोनों में ही व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। इस क्षेत्रीय विस्तार एवं जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जन सुविधाओं की मांग भी बढ़ती गई। इन सुविधाओं को सभी सरकारों ने समय–समय पर अपने–अपने नजरिये से मुहैया करवाया है।

जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में जनसुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका का अध्ययन निम्न दो कालों के आधार पर किया जा सकता है।

1. जयपुर नगर की स्थापना से स्वतन्त्रता तक
2. स्वतन्त्रता के पश्चात्

1. जयपुर नगर की स्थापना से स्वतन्त्रता तक

जयपुर महानगर भारत के स्वतन्त्रता से पूर्व राजस्थान की एक प्रमुख रियासत थी इस रियासत में राजा महाराजाओं का शासन स्थापित था। लेकिन राजा महाराजाओं की आपसी फूट, द्वेष भावना, कुप्रबंधन एवं विवेकहीनता के कारण समय का चक्र इस कदर धूमा कि इस रियासत पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में मुगलों, मराठों एवं अंग्रेजों का भी नियन्त्रण स्थापित हो गया। हालांकि अन्तिम नियन्त्रण अंग्रेजों का ही रहा। इस नियन्त्रण के फलस्वरूप इस रियासत में होने वाले समस्त प्रकार के कार्यों पर उक्त सभी का प्रभाव था। कहने का आशय जयपुर शहर की स्थापना से स्वतन्त्रता तक सभी प्रकार के विकास कार्य (जन सुविधाओं) रियासत के राजा महाराजाओं तथा अंग्रेजों ने मिलकर किये। इन विकास कार्यो में प्रमुख राजप्रासाद, उद्यान, शिक्षण संस्थाऐं, औषधालय, चिकित्सालय, पेयजल सुविधाऐं, मन्दिर आदि थे। कदाचित इनमें कुछ विकास कार्यों यथा राजप्रासाद, उद्यान आदि का निर्माण महाराजाओं एवं अंग्रेजों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु हो सकता है लेकिन स्वतन्त्रता के बाद जयपुर तथा जयपुर से बाहर की जनता इन विकास कार्यों से दर्शनीय, पर्यटनीय, मनोरंजनीय, शैक्षिक, चिकित्सकीय, आध्यात्मिक तथा पेयजल सुविधा आदि के रूपों में जन सुविधाऐं ग्रहण कर लाभान्वित हो रही हैं जो निम्न प्रकार से विकसित हुई।

1.1 पर्यटन एवं मनोरंजन जन सुविधा

स्वतन्त्रता से पूर्व जयपुर महानगर में तत्कालीन राजा महाराजाओं ने अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण किया है जो कि जयपुर महागनर की जनता को पर्यटन एवं मनोरंजनीय जन सुविधाऐं प्रदान कर रही हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्न प्रकार हैं।

सिटी पैलेस :-

सवाई जयसिंह ने शहर की स्थापना करते हुए चारदीवारी का लगभग सातवां हिस्सा अपने निजी निवास के लिए बनवाया। राजपूत और मुगल स्थापत्य में बना महाराजा का यह राजकीय आवास चन्द्रमहल के नाम से विख्यात हुआ। चन्द्रमहल में प्रदेश करते ही मुबारक महल के नाम से एक चतुष्कोणीय महल बना हुआ है। इस महल में स्थित पोथीखाने में बहुमूल्य दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों की पाण्डूलिपियां संरक्षित है। महल की ऊपरी मंजिल पर बने वस्त्रागार के म्यूजियम में राजकीय पोशाकें, अलंकरण, आभूषण आदि संग्रहित किये गये हैं। इसके पास ही म्यूजियम का शस्त्रागार है जिसमें महाराजाओं द्वारा काम में लिये गये हथियार और शस्त्र प्रदर्शित किये गये हैं। शस्त्रागार में जयपुर के महाराजाओं को विभिन्न अवसरों पर पुरस्कार स्वरूप मिले शस्त्र भी प्रदर्शित किये गये हैं।[1]

मुबारक महल से श्वेत संगमरमर से निर्मित राजेन्द्र पोल से दीवाने आम में प्रवेश किया जाता है। इस समय दीवाने आम में महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय द्वारा अपनी इग्लैण्ड मात्रा के दौरान गंगाजल ले जाने के लिये बनाये गये दो विशाल रजत कलश रखे हुए है। चन्द्रमहल के म्यूजियम को दिये गये हिस्से में महाराजाओं के आदमकद विशाल चित्र, मानचित्र गलीचे एवं बहूमूल्य राजकीय सामग्री के साथ अनेक दुर्लभ पाण्डुलिपियां भी प्रदर्शित की गई हैं।

परिसर में बने दीवाने खास में तत्कालीन नेरशों और उनके महत्वपूर्ण दरबारियों की विशेष बैठकें आयोजित की जाती थी।[2]

चन्द्रमहल महाराजाओं के सुख–सुविधा की दृष्टि से स्थापत्य और वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना है। मध्य युग में निर्मित यह भवन भूकम्प के झटकों से सुरक्षित रखने के लिए तड़ित चालक की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।[3]

जन्तर–मन्तर :–

महाराजा सवाई जयसिंह ने सन् 1718में इस वैद्यशाला की आधारशिला रखी। इस ज्योतिष मंत्रालय में समय की जानकारी, सूर्योदय, सूर्यास्त एवं नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के उपरकण अवस्थित है। वैद्यशाला में स्थापित यंत्रों में वृहत् सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, कपाली यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र, छोटा यंत्र आदि मुख्य है।[4] इस वैद्यशाला का निर्माण 1734 ई. में पूर्ण हुआ।[5]

हवामहल :–

गुलाबी नगर के प्रतीक के रूप में विख्यात हुए हवाहमल का निर्माण सन् 1799 में सवाई प्रतापसिंह ने करवाया था। वास्तुविद लालचन्द उसता ने केवल आठ इंच की दीवार के सहारे इस पंच मंजिले 152 खिड़कियों से युक्त भवन का निर्माण किया। देशी निर्माण पद्धति से निर्मित हवामहल में प्रकाश व वायु संचार भी अत्यन्त आकर्षक एवं समुचित व्यवस्था है। इस महल के पिछले हिस्से में राज्य सरकार द्वारा हवामहल म्यूजियम का संचालन किया जा रहा है। म्यूजियम में अनेक कलात्मक वस्तुयें प्रदर्शित की गयी हैं।[6]

अल्बर्ट हॉल :-

शहर के सर्वाधिक सुन्दर उद्यान रामनिवास बाग में यह भवन निर्मित किया गया है। रामनिवास बाग का निर्माण महाराजा सवाई रामसिंह ने अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 4 लाख रूपये की राशि व्यय कर करवाया था। महाराजा सवाई रामसिंह ने ही सन् 1876 में ब्रिटेन के महाराजा एडवर्ड सप्तम प्रिन्ट ऑफ वैल्स के रूप में भारत आने के समय यादगार के रूप में अल्बर्ट हॉल का निर्माण प्रारम्भ किया। भवन की डिजाइनिंग सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई। भारतीय व फारसी शैली में बनी इस भव्य इमारत में इस समय म्यूजियम संचालित किया जा रहा है। इस म्यूजियम को देखने के लिये लाखों देशी–विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष यहां आते हैं। म्यूजियम में प्रदर्शित वस्तुओं को देखकर पर्यटक प्रदेश की संस्कृति की एक झांकी पा सकते हैं।[7]

जलमहल:-

जयपुर–आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह में अश्षमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडितों के साथ अवभ्रतस्नान के लिये करवाया था। इससे पूर्व जयसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया।[8]

ईसरलाट :-

महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने इस सुन्दर और अद्भुत वास्तुकला के नमूने का निर्माण करवाया। सात खण्डों की यह मीनार सवाई ईश्वरी सिंह ने अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाई। यह विजय उन्होंने सात सम्मिलित सेनाओं को बगरू के युद्ध में परास्त कर अर्जित की थी। इसे सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है।[9]

नाहरगढ़ का किला:-

नाहरगढ़ किले का प्रारम्भ में 1734 में सवाई जयसिंह ने निर्माण कराया था परन्तु इसको वर्तमान स्वरूप 1868 में सवाई रामसिंह ने दिया। पहाड़ी पर बने इस किले से जयपुर शहर के चारों ओर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। आमेर से भी नाहरगढ़ की तरफ जाने का रास्ता है।[10]

जयपुर के उद्यान :-

ई. 1940 में प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जयपुर स्टेट में उस समय जयपुर नगर में रमणीय उद्यानों की संख्या 50 बताई गई है। इनमें से कुछ उद्यान राजप्रासादों के साथ बने हुए थे, कुछ स्वतन्त्र अस्तित्व रखते थे तथा कुछ नगर परकोटे के बाहर स्थित थे। ई. 1940 में 7 उद्यागों का रख–रखाव जयपुर रियासत का सार्वजनिक निर्माण विभाग करता था। उस समय के प्रमुख उद्यानों में जयनिवास उद्यान, मीरजी का बाग, राजा अटल का बाग, दिलाराम का बाग (आमेर), पारियों का बाग (आमेर), ढड्ढों का बाग, गुलाब बाग, बाईजी का बाग, नायला बाग काणोता बाग, गोलछा गार्डन, धूलेश्वर गार्डन, चंवरी बरदार का बाग, रावजी का बाग, डिग्गी बाग तथा उनियारा वालों का बाग की गिनती होती थी। परकोटे के बाहर स्थित उद्यानों में रामबाग, रामनिवास गार्डन, मांजी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, खासा कोठी बाग, नाटाणी का बाग, नारायण निवास बाग, विद्याधर गार्डन की गिनती होती थी। आमेर में केसर क्यारी तथा जयगढ़ दुर्ग में स्थित मुगल गार्डन भी प्रमुख उद्यानों में से थे।[11]

राम बाग:-

इसे केसर बड़ारण का बाग भी कहा जाता है जो ईस्वी 1836 में बनवाया गया। महाराजा रामसिंह द्वारा इसे शाही मेहमानों, अतिथि राजाओं के ठहराने तथा बाद में स्वयं निवास करने के कारण उनके नाम पर ही राम बाग

कहलाने लगा। भव्य राजमहलों, विशाल तरणताल, वृक्ष कुजों से युक्त यह स्थान वर्तमान में होटल में बदल गया है।[12]

मांजी का बाग :-

वर्तमान में राजमहल पैलेस होटल परिसर वस्तुतः महाराजा माधोसिंह की मां सिसोदिया रानी का आवास था। अपनी प्रिय रानी के लिए महाराजा जयसिंह ने ई. 1729 में सुरम्य उद्यान एवं निवास बनवाया था। फलदार वृक्षों में खिरणी, आम, अमरूद के पेड़ बहुतायत से लगाये गये थे। उस काल में यहां हिरण बहुत थे।[13]

नाटाणी का बाग:-

आमेर रोड़ पर जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हर गोविन्द नाटणी द्वारा यह बाग महाराज ईश्वरीसिंह के कार्यकाल में ईस्वी 1745 में बनवाया गया था। यूरोप और भारतीय शैली के भवन, सुन्दर कारीगरी, विशाल तरणताल, भांति–भांति के वृक्षकुंज इस उद्यान की विशेषता हैं। वर्तमान में यह उद्यान जय महल पैलेस होटल में परिवर्तित हो गया है।[14]

रामनिवास उद्यान :-

रामनिवास उद्यान पुराने जयपुर शहर के ठीक बाहर बना हुआ है। प्राचीन नगर और इस उद्यान के बीच में एक चौड़ी सड़क बनी हुई है। इस उद्यान का निर्माण ई. 1868 में महाराजा सवाई रामसिंह ने करवाया था। यह 33 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। उस समय इसके निर्माण पर 4 लाख रूपये से अधिक राशि व्यय हुई थी। इसकी योजना सर्जन मेजर डी–फैबैक ने तैयार की थी। जयपुर नरेश ने इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था। इस उद्यान में चिड़ियाघर, संग्रहालय, प्रदर्शनी स्थल, जिम्नेजियम, खेल के मैदान व रवीन्द्र रंगमंच स्थित है।[15]

विद्याधर उद्यान :-

विद्याधर उद्यान पुराने जयपुर शहर से 7 किलो मीटर पूर्व में स्थित हैं। यह उद्यान पहाड़ियों से निर्मित एक संकरी घाटी में लगाया गया है। विद्याधर राजा जयसिंह द्वितीय का प्रमुख टाऊन प्लानर तथा आर्चीटैक्ट था। यह उद्यान बहुत सुन्दर है। इसमें लगी हुई वनस्पति, फव्वारें तथा इसके भीतर निर्मित शाही भवन देखते ही बनते हैं।[16]

सिसोदिया रानी महल और उद्यानः-

पुराने जयपुर से लगभग 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस महल एवं उद्यान का निर्माण ई. 1730 में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय की रानी सीसोदनीजी ने करवाया था। इसी महल में जयपुर नरेश महाराज माधोसिंह प्रथम ने सीसोदनी रानी के गर्भ से जन्म लिया। महल तथा उद्यान दोनों ही बहुत सुन्दर हैं व दर्शनीय है। महल में भित्ति चित्रण का अच्छा काम किया गया है।[17]

1.2 शिक्षा सुविधा

स्वतन्त्रता से पूर्व जयपुर महानगर में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न शिक्षण संस्थान संचालित किये गये थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर :-

8 जनवरी, 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। यह राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। अजमेर–मेरवाडा के राजस्थान में विलय के बाद परिवर्तित नाम राजस्थान विश्वविद्यालय हो गया।

महाराजा कॉलेज :-

महाराजा कॉलेज की स्थापना ई. 1844 में तत्कालीन पॉलिटिकल एजेन्ट कैप्टन लडलू ने की थी। उस समय जयपुर नरेश रामसिंह (द्वितीय) 10 वर्ष का बालक था। कैप्टन लडलू 'लड्डुसाब' के नाम से विख्यात था।[18]

महारानी गायत्री देवी स्कूल :-

अंतिम जयपुर नरेश सवाई मानसिंह (द्वितीय) का विवाह ई. 1940 कूच बिहार रियासत की राजकुमारी आयशा से हुआ और वह महारानी गायत्री देवी के नाम से जयपुर राज परिवार में आ गई। उस समय महारानी की आयु 21 वर्ष थी। उन्होंने राजपूताने में पर्दाप्रथा और स्त्रियों की दुर्दशा से खिन्न होकर एक ऐसा विद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया जो राजपूत महिलाओं में संस्कार जागरण का कार्य कर सके। जयपुर नरेश मानसिंह ने भी महारानी के इस काम में रूचि ली। फलतः 12 अगस्त 1943 को महारानी गायत्री देवी स्कूल की स्थापना हुई। यह विद्यालय जोरावर सिंह गेट के बाहर एक छोटी सी इमारत माधो विलास में 40 छात्राओं एवं छः अध्यापिकाओं के साथ शुरू किया गया। 1945 से पहले तक केवल जागीरदारों की महिलाओं को इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था लेकिन 1945 के बाद विद्यालय के द्वार सभी के लिए खोल दिये गये। देश–विदेश की छात्राओं ने भी इस विद्यालय में प्रवेश लेना शुरू कर दिया। एक वर्ष बाद विद्यालय का नया भवन अजमेरी गेट के समीप बनकर तैयार हो गया।[19]

स्कूल ऑफ आर्ट्स :-

जयपुर नरेश रामसिंह के शासन में ई. 1857 में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई। इसे मदरसा–हुनरी भी कहते थे। इसमें एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया था जो ई. 1886 में जयपुर नरेश माधोसिंह (द्वितीय) के शासन काल में राम निवास बाग में स्थित भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस संस्था में

बीस कारखाने थे जिनमें छात्रों को तरह–तरह के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था।[20]

1.3 चिकित्सा सुविधा

स्वतन्त्रता से पूर्व जयपुर नगर की जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने हेतु निम्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान :–

ई. 1852 में जयपुर के महाराजा संस्कृत महाविद्यालय में आयुर्वेद विभाग की स्थापना हुई। अगस्त 1946 में इस महाविद्यालय से आयुर्वेद विभाग को अलग करके राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की गई।[21]

सवाई मानसिंह अस्पताल :–

ई. 1947 में सवाई मानसिंह अस्पताल खोला गया। इसकी स्थापना सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के साथ ही की गई थी। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास ईस्वी 1946 में लार्ड वावेल ने किया था। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व में आने से पहले ई. 1861 में जयपुर राज्य में मेडिकल एज्यूकेशन प्रारम्भ हो गई थी। महाराजा रामसिंह के शासन काल में ई. 1884 में जयपुर नगर में पहली डिस्पेंसरी खुली थी। ई. 1934 में लेडी विलिंगटन अस्पताल की आधार शिला रखी गई। ईस्वी 1936 में 300 शैय्याओं वाले इस अस्पताल का उद्घाटन लेडी विलिंगटन द्वारा ही किया गया था। ई 1947 में अस्तित्व में आये सवाई मानसिंह अस्पताल को लघुनाम एस.एम.एस. हॉस्पीटल के नाम से भी जाना जाता है।[22]

1.4 धार्मिक एवं आध्यात्मिक सुविधा

स्वतन्त्रता से पूर्व नगर की जनता को धार्मिक एवं आध्यात्मिक सुविधा को आसान बनाने हेतु तत्कालीन शासको ने नगर में विभिन्न स्थानों पर अनेक मन्दिरों की स्थापना की गयी थी।

जयपुर के मंदिर :-

बहुत से लोग जयपुर को ऐतिहासिक नगरी, रत्न नगरी, पर्यटन नगरी अथवा गुलाबी नगरी कहते हैं किन्तु वस्तुतः जयपुर धर्म नगरी है। यह मंदिरों की नगरी है। यहां का कोई मौहल्ला, कोई सड़क कोई चौराहा, कोई चौक अथवा कोई चौपड़ ऐसी नहीं है जहाँ एक–दो या कई मंदिर स्थापित न हों। जयपुर की स्थापना अश्वमेध यज्ञ के साथ हुई और भगवान वरदराज की मूर्ति के सान्निध्य में यज्ञ सम्पादित किया गया। वरदराज का मंदिर आज भी आमेर रोड़ पर बलदेवजी परसरामद्वारा के पीछे की टेकरी पर स्थित है। यहां यज्ञ की बावड़ियां भी हैं। गोड़िया सम्प्रदाय के मंदिर गोविन्ददेवजी, गोपीनाथजी और मदनमोहनजी की स्थापना भी जयपुर बनने के साथ–साथ ही हुई। मोतीडूंगरी के गणेशजी और गढ़गणेश के गणेशजी के मंदिर भी पुराने हैं। शिव मंदिरों में ताड़केश्वरजी का मंदिर और झारखण्ड महादेव का इतिहास भी जयपुर की स्थापना के साथ–साथ चलता है। चान्दनी चौक के चारों ओर चार बड़े मंदिर–श्री ब्रजनिधिजी, मंदिर श्री आनन्दकृष्ण बिहारी जी, मंदिर श्री प्रतापेश्वरजी हैं। ये चारों मंदिर आज भी राज्य के देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभाव के मंदिर है। इसी परिसर में जयपुर महाराजा का एक मंदिर राजेश्वरजी निजी मंदिर है जो आम जनता के लिए केवल शिवरात्रि को ही खुलता है। मंदिर श्री ब्रजनिधिजी की स्थापना जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह द्वारा की गई थी। प्रताप सिंह 'ब्रजनिधि' के नाम से काव्य रचना करते थे। कल्कि मंदिर, लक्ष्मी नारायण (बिड़ला मंदिर), कनक वृन्दावन, अनेक राम कृष्ण एवं शिव मंदिर, चूलगिरि जैन मंदिर तथा

हजारों छोटे–बड़े निजी एवं सार्वजनिक मंदिर जयपुर नगर की शोभा हैं जो इस नगर को धर्म नगरी अथवा मंदिरों की नगरी का स्वरूप प्रदान करते हैं।[23]

गणेश मंदिर –

जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मोतीडूंगरी की तलहटी में स्थित गणेश जी का मंदिर जयपुर वासियों की आस्था का मुख्य केन्द्र है। यहां स्थापित गणेश प्रतिमा जयपुर नरेश माधोसिंह प्रथम की पटरानी के पीहर (मावली) से लाई गई थी। मावली में यह प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी। ईस्वी 1761 में महारानी ने अपनी पीहर से यह प्रतिमा मंगवाई। उस समय प्रतिमा की आयु पांच सौ वर्ष थी। सेठ पल्लीवाल यह मूर्ति लेकर मावली से जयपुर आया और उसी की देखरेख में मोती डूंगरी की तलहटी में गणेशजी का मंदिर बनवाया गया। राजा माधोसिंह गणेशजी की पूजा करने इस मंदिर में आता था।[24]

श्री गोविन्द देव मंदिर –

जयपुर बसने के पश्चात् 1772 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अपने आराध्य 'श्री गोविन्द देव' को अपने निवास चन्द्रमहल के निकट जयनिवास उद्यान में बने 'सूर्य महल' में लाकर प्रतिष्ठित किया।[25]

गंगा गोपाल जी का मंदिर–युगल–

गोविन्द देवजी के मंदिर के पिछवाड़े गंगा–गोपाल जी के मंदिर आमने–सामने बने हुए है। ये दोनों मंदिर छोटे हैं। इन्हें राजा माधोसिंह ने बनवाया था।[26]

ब्रजनिधि मंदिर –

यह मंदिर अब ब्रजनन्दनजी के नाम से प्रसिद्ध है। राजा प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कवितायें लिखा करता था। उसके समय में कच्छवाहों का सांस्कृतिक वैभव अपने चरम पर पहुंचा। उसी ने ब्रजनिधि मंदिर बनवाया। इसमें ब्रजनिधि के नाम से भगवान श्री कृष्ण की काली मूर्ति स्थापित करवाई।[27]

आनन्द कृष्ण मंदिर –

ब्रजनिधि मंदिर के सामने ही आनन्द कृष्ण जी का विशाल मंदिर है। यह प्रतापसिंह के समय राजमाता भटियाणी ने बनवाया था।[28]

राजराजेश्वर शिवालय –

राजराजेश्वर शिवालय का निर्माण ई. 1864 में राजा रामसिंह ने करवाया था। यह मंदिर एक छोटे भवन में बना हुआ है।[29]

गुलाबी नगर को आधुनिक शहर बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री रहे सर मिर्जा इस्माइल को जाता है। मिर्जा ने दूर की सोच के साथ जयपुर विकास कराया। जयपुर में मिर्जा के विकास कार्य को देखने के बाद न्यूयार्क टाइम्स में संवाददाता हर्बट मैथ्यूज ने अक्टूबर 1942 में लिखा'.....द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीकी पर्यटक गुलाबीनगर जाएंगे तो उन्हें अहसास होगा कि जयपुर का विकास उनके न्यूयार्क शहर से भी कहीं ज्यादा हो चुका होगा।' मिर्जा ने बाजारों में बरामदें, चौड़ा रास्ता का न्यूगेट, एम आई रोड, एस एम एस हाइवे बनाने के साथ सी–स्कीम व बाजारों में अशोक आदि के पेड लगवाये विश्वविद्यालय, स्कूल, अस्पताल बनवाये। बिड़ला पौद्धार, कमानी जयपुरिया आदि सेठों से बातचीत करके कारखाने खुलवाए। उसी जमाने में जौहरी बाजार में वृक्षों को काटने के विरोध पर उन्होंने कहा.....एक काटूँगा तो सौ नए पेड लगवा दूंगा। चार दीवारी को संवारने के बाद बनीपार्क सी–स्कीम को बसाकर मिर्जा ने आधुनिक शहर की नींव रखी। मिर्जा ने अपनी जिंदगी को किताब 'माई पब्लिक लाइफ' में उकेरा है। उन्होंने लिखा कि विकास कार्यो से जयपुर की विश्व में पहचान हुई। नए ऑफिस बंगले और सड़कों आदि का विकास होने से जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनने का गौरव मिल सका।[30]

1.5 पेयजल सुविधा (जयपुर में जल वितरण व्यवस्था)

पूरे विश्व में अनूठी वास्तु एवं शिल्पकला के लिए विख्यात जयपुर देश के सर्वाधिक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित तरीके से बनाये गये शहरों में से एक है। किसी भी रियासत की स्थापना के साथ ही पेयजल का प्रबन्ध जुड़ा होता है। आरम्भिक तौर पर जयपुर शहर को नौ चौकड़ियों (परकोटों) में बांटकर प्रत्येक में झालरस (बड़े सार्वजनिक कुंए) बनाकर पेयजल सुलभ कराया गया। इन इलाकों की आबादी बढ़ने से जगह–जगह एक सौ कुएं बनाये गये।[31]

अठारहवीं शताब्दी में हरमाड़ा की पहाड़ियों को काटकर खुली नहर से बांडी नदी का पानी जयपुर शहर में लाने का प्रयास किया गया हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली।[32]

जयपुर शहर में पहली बार बालानन्दजी (गणगौरी बाजार) के मन्दिर के पास बने कुएं से बैलों द्वारा पानी खींचकर नहर से सिटी पैलेस तक पहुंचाया गया। शहर में पहली सार्वजनिक पेयजल वितरण व्यवस्था के रूप में अमानीशाह कुण्डों से छोटी चौपड़ एवं बड़ी चौपड़ तक खुली नहर से पानी पहुंचाया गया। पहले खुले कुओं से पानी हाथ से खींच कर बाहर निकाला जाता था। बाद में भाप के इंजनयुक्त जेनरेटिंग सेट्स से पम्पों को चलाया जाने लगा।[33]

द्रव्यवती नदी बनाम अमानीशाह का नाला:–

सन् 1844 में अमानीशाह नाले (शास्त्री नगर) पर एक बांध बनाया गया जो 1853 में कट गया। सन् 1868–70 के बीच सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली के प्रयास हुए। उससे पहले खुले कुओं से पेयजल लिया जाता रहा। सन् 1870 में नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाले अमानीशाह नाले के किनारे बने कुओं के पानी को शहर में बनी सुरंगों के माध्यम से वितरित किया जाता था। शहरवासी चौपड़ों (छोटी, बड़ी एवं रामगंज चौपड़) तक आकर अपने

साधनों से पानी ले जाते थे। इसके बाद 1867 में रियासती शासन में कर्नल जैकब ने अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार सम्भाला। कर्नल जैकब के निर्देशानुसार बारह इंच कास्ट आइरन पाइप के जरिये शहर की पेयजल व्यवस्था शुरू हुई। उस समय मुख्य सडकों पर वितरण शाखाएं डालकर हर गली के नुक्कड़ पर सार्वजनिक नल से गलियों में भी यह जल वितरण व्यवस्था की गई।[34]

वर्ष 1884–85 में अमानीशाह नाले पर 800 फीट लम्बा तथा इकसठ फीट गहरा बांध बनाया गया। यह नाला उस समय बारहमासी था परन्तु बाद में मांग अनुरूप बांध में कुएं बने जिससे पानी पम्प कर भेजा जाता था। वर्ष 1915 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 5.27 गैलन पानी दिया जाता था उस समय शहर में 1255 टूंटियां (नल) थीं। बीसवीं सदी के प्रथम दो दशकों में अकाल से बांध में रेत भर गई तथा उसकी क्षमता महज बीस फीसदी (पांचवां भाग) रह गई।[35]

सन् 1902 में सिंचाई के उद्देश्य से रामगढ़ बांध बना। इस बांध से सत्रह इंच व्यास की पाइप लाइन लक्ष्मण डूंगरी फिल्टर प्लाट तक डाली जाकर 22 लाख गैलन (सौ लाख लीटर) पानी प्रतिदिन जयपुर शहर को मिलने लगा। यहां फिल्टर का उद्घाटन भारत के वायसराय लार्ड इरविन द्वारा 13 मार्च, 1932 में किया गया। वर्ष 1933 में जयपुर शहर में 1246 निजी एवं 302 सार्वजनिक नल थे। यह 1932 से 1936 तक का समय ऐसा था जब पेयजल वितरण में नया अध्याय शुरू हुआ। वर्ष 1969 में रामगढ़ का पानी केवल पेयजल के उपयोग में आने लगा।[36]

स्वतन्त्रता से पूर्व निर्मित उक्त राजप्रासाद, मंदिर शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय एवं उधान आदि जयपुर नगर की स्थापना से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में जयपुर के नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाऐं यथा धार्मिक, पर्यटन, मनोरंजन, शैक्षिक चिकित्सकीय...आदि प्रदान करते आ रहें हैं।

2. स्वतंत्रता के पश्चात्

स्वतंत्रता से पूर्व 23 जून, 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत–स्वतंत्रता कानून पारित किया और इसी के अन्तर्गत देशी रियासतों को उनके महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहें अथवा किसी संघ (भारत या पाकिस्तान) में सम्मिलित हो जाएँ। इससे स्थिति विकट हो गई और जब 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तब इस क्षेत्र में 19 रजवाड़े तथा तीन रियासतें (लावा, कुशलगढ़ तथा नीमराना) थीं। इस विकट स्थिति से निपटने हेतु प्रयास प्रारम्भ हुए और तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी दूरदर्शिता एवं कुशलता से इस कार्य को क्रमिक रूप से पूर्ण किया।[37]

वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारम्भ 17 मार्च, 1948 को **मत्स्य संघ** की स्थापना से हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें थी। 25 मार्च, 1948 को बाँसवाड़ा, कुशलगढ़, बूँदी, डूँगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर अलग संघ बना, जिसे **पूर्व राजस्थान** कहा गया। इसकी राजधानी कोटा बनाई गई। इसमें उदयपुर रियासत 18 अप्रैल, 1948 को सम्मिलित हुई और इसे **संयुक्त राजस्थान** नाम दिया गया, जिसकी राजधानी उदयपुर थी। इसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर रियासतें 30 मार्च, 1949 को सम्मिलित हुई। तब इसे **वृहद् राजस्थान** नाम दिया गया और जयपुर को राजधानी बनाया गया। पुनर्गठन के अन्तिम चरण में 'मत्स्य संघ' भी 'वृहद् राजस्थान' में 15 मार्च, 1949 को सम्मिलित हो गया। 26 जनवरी, 1950 को सिरोही रियासत भी इसमें सम्मिलित हो गई और वृहद् राजस्थान के स्थान पर इसे राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान राज्य के निर्माणक्रम को तालिकाबद्ध रूप में निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है–

तालिका 4.1

राजस्थान राज्य का निर्माण क्रम

स्तर –क्रम	निर्मित संघ	बनाने की तिथि	सम्मिलित देशी राज्य/रियासतें
प्रथम	मत्स्य संघ	17.3.1948	अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
द्वितीय	पूर्व राजस्थान	25.3.1948	बाँसवाड़ा, बूँदी, डूँगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक
तृतीय	संयुक्त राजस्थान (I+II)	18.4.1948	उपर्युक्त + उदयपुर
चतुर्थ	संयुक्त राजस्थान (II+III+IV)	30.3.1948	उपर्युक्त +बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर
पंचम	वृहत संयुक्त राजस्थान (I+II+III+IV)	15.5.1949	उपर्युक्त + मत्स्य
षष्ठ	राजस्थान (I+II+III+IV+V)	26.1.1950	उपर्युक्त सभी (सिरोही, आबूरोड़ को छोड़कर)
सप्तम	पुनर्गठित राजस्थान	1.11.1956	उपर्युक्त सभी + अजमेर, आबूरोड़, सुनेल टप्पा (सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया) अर्थात् वर्तमान राजस्थान

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा एक नम्बर, 1956 को दिया गया अर्थात् 1948 से प्रारम्भ हुई राज्य–निर्माण प्रक्रिया 1956 में पूर्ण हुई और वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया। उस समय राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 26 जिलों और 5 संभागों में विभक्त किया गया। सन् 1963 में संभाग समाप्त कर दिए गए और 26 जिले रखे गए। 9 अप्रैल, 1991 को तीन नए जिले **बारां** (कोटा जिले से), **राजसंमद** (उदयपुर जिसे) तथा **दौसा** (जयपुर जिले से) बनाए गए। इसके पश्चात् **हनुमानगढ़** (गंगानगर जिले से) तथा **करौली** (सवाई माधोपुर जिले से) बनाए गए। सबसे नवीन जिला **प्रतापगढ़** 26 जनवरी, 2008 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। संभाग व्यवस्था जो पूर्व में समाप्त कर दी गई थी, पुनः 15 जनवरी, 1987 से प्रारम्भ की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत राज्य 7 संभागों में विभाजित हैं।[38]

राजस्थान के एककीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जयपुर नगर स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान राज्य की राजधानी बना तथा जयपुर सहित सम्पूर्ण राज्य में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। जनता के कल्याण हेतु राज्य में अनेक विभाग एवं संस्थाओं की स्थापना हुई।

प्रदेश की राजधानी होने से जयपुर में विधानसभा, सचिवालय एवं सभी विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालय विद्यमान है। प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट एवं विभिन्न विभागों के संभाग व जिला स्तरीय कार्यालय स्थित है।[39]

जिस प्रकार ह्रदय द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का संचार होता है और शरीर को सजीव बनाये रखता है। ठीक इसी तरह राजस्थान सरकार के सभी विभाग एवं कार्यालय जयपुर महानगर सहित सम्पूर्ण राजस्थान में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करके जनता को इन जन सुविधाओं से लाभान्वित कर रहे हैं।

चूँकि जयपुर महानगर राज्य की राजधानी होने के साथ राज्य का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण जयपुर में स्थित राजस्थान सरकार के सभी विभाग एवं कार्यालय जयपुर महानगर में जन सुविधाऐं मुहैया कराने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

देश के स्वतन्त्र होने तथा राजस्थान राज्य के एकीकरण के साथ ही राजस्थान सरकार के अधीन अनेक विभाग कार्यरत है इन विभागों के अन्तर्गत अनेक संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। ये संस्थाऐं अनके रूपों में कार्य करती है यथा–(i) विभाग के पूर्ण नियन्त्रण में (ii) स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करती है।

अतः जयपुर महानगर में स्वतन्त्रता के बाद जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका का अध्ययन सरकार के विभिन्न विभागों एवं

संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध जन सुविधाओं के आधार पर करना सार्थक एवं सुविधाजनक होगा।

हालाँकि सरकार के अधीन अनेक विभाग एवं संस्थाऐं है जो विभिन्न प्रकार की जन सुविधाऐं मुहैया करा रही है उनमें से प्रमुख विभाग इस प्रकार हैं–

2.1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग

स्वतन्त्रता के बाद गाँवों का द्रुत गति से शहरीकरण हुआ है। शहरों का व्यापक स्तर पर विकास के साथ–साथ विस्तार भी हो रहा है। शहरों के उपयुक्त विकास हेतु शहरों की रियाहशी समस्याओं के समय पर उचित ढंग से निराकरण हेतु ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। इस हेतु यह विभाग शहरी विकास एवं आवास से सम्बन्धित मामलों पर नीतियाँ बनाकर निर्णय लेता है। साथ ही साथ इन नीतियों एवं निर्णयों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों के मामलों को अमल में लाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान राज्य के जयपुर शहर सहित अन्य सभी शहरों की जनता को सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के नजरियें से विचार करना है। तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण में शहरों एवं इसकी बनावट को सुन्दर, साफ–सुथरा, विकसित एवं आकर्षक बनाये रखना एवं शहरों की सम्पूर्ण वृद्धि के अनुपात को बनाये रखना है।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस विभाग के अधीन अनेक संस्थाओं की स्थापना एवं परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थाओं में कुछ संस्थाऐं विभाग के पूर्ण नियन्त्रण में एवं कुछ स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। जयपुर महानगर में शहरी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न संस्थाऐं एवं परियोजनाऐं क्रियाशील हैं।

2.1.1 जयपुर विकास प्राधिकरण

राज्य सरकार द्वारा जयपुर नगर की बढ़ती आबादी और विकसित होते महानगरीय स्वरूप की शहरी आधारभूत सुविधाओं के व्यवस्थित और समन्वित विकास के उद्देश्य से वर्ष 1982 में ''जयपुर विकास प्राधिकरण'' का गठन किया गया।

प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य :-

- आजादी से पूर्व ही जयपुर का विस्तार चार दीवारी के बाहर तेजी से होने लगा था। तत्समय चार दीवारी क्षेत्र के लिए नगरपालिका तथा बाहरी क्षेत्र के विकास हेतु अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड कार्यरत था।
- वर्ष 1959 में राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम प्रभावी होने पर बाहरी क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु नगर विकास न्यास कार्यशील हुआ।
- बढ़ती जनसंख्या की आवासीय जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक भूमि नहीं जुटा सकने के परिणामस्वरूप विभागीय स्तर पर ज्यादा आवासीय योजनाऐं विकसित नहीं हो सकीं। वही बड़ी संख्या में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अवैध भूखण्डों के बैचान पर अंकुश लगाना भी सम्भव नहीं हुआ।
- नगरीय विकास के लिए उपयुक्त भूमि अवाप्त नहीं होने से विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावित हुआ।
- नगर के विकास से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी भी स्पष्ट परिलक्षित हुई।
- जहाँ सन् 1971–81 के दशक में जयपुर देश का तीव्रतम विकासशील शहर दर्ज किया गया। शहर की आबादी सन् 1981 तक 10 लाख हो गई थी।
- सन् 1981 में आई भीषण बाढ़ के कारण जयपुर शहर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में.....

- विकासशील शहर की सुनियोजित प्रबन्धन एवं योजनाओं की त्वरित क्रियान्वयन सम्भव नही हो रहा था। इसके लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें विकास से सम्बन्धित सभी विभागों के उच्च अधिकारी तथा तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हो जो नई विकास योजनाऐं बनाने एवं उनके क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो।
- जयपुर का सर्वांगीण विकास एक मास्टर प्लान के अनुसार करने का अधिकार भी इस संस्था के पास हो।
- इसी विचार के साथ राज्य सरकार द्वारा सन् 1982 में जयपुर शहर के सुनियोजित विकास, विकास योजनाओं के प्रभावित क्रियान्वयन, समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे से परिपूर्ण जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं शहर के यातायात को आधुनिक, सुगम, सुरक्षित और द्रुतगामी बनाने की दिशा में मैट्रो रेल परियोजना, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, अण्डरपास, एलीवेटेड रोड़, एस्केलेटर की परियोजनाएं तैयार कर कार्य शुरू करवाये गये हैं। शहरी क्षेत्र के साथ–साथ सैटे लाइट कस्बों तथा पास के गाँवों में विशेष परिवहन व्यवस्था की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

जेडीए का क्षेत्राधिकार –

जयपुर विकास प्राधिकरण में 247 अतिरिक्त गांवों के सम्मिलित हो जाने से अब इसके क्षेत्राधिकार में 725 गांवों सहित जयपुर रीजन लगभग 3 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल गया है। जनसंख्या की दृष्टि से 2001 की जनगणना के अनुसार जयपुर शहर की जनसंख्या 23.24 लाख थी वही 2025 तक जयपुर की जनसंख्या 65 लाख तक पहुँच जाने की संभावना है।

नगर आयोजना–

गुलाबी नगर का सर्वांगीण विकास मास्टर प्लान 2011 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

मास्टर प्लान 2025–

जेडीए के गठन के पश्चात जयपुर रीजन के सर्वांगीण विकास के लिए मास्टर विकास योजना 2011 तैयार की गई थी। जिसके अन्तर्गत 478 राजस्व ग्रामों का कुल 1959 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल शामिल था। महानगरीय स्वरूप लेते हुए जयपुर के विस्तार के मद्देनजर अब 247 अतिरिक्त गांव सम्मिलित किए गये हैं जिनका नामान्तरण शीघ्र ही जविप्रा में हो रहा है। इस प्रकार 725 ग्रामों सहित जयपुर रीजन का क्षेत्रफल लगभग 3 हजार वर्ग किलोमीटर मैं फैल जायेगा। राज्य सरकार की जयपुर को विश्वस्तरीय शहर बनाने की सोच को ध्यान में रखते हुए मास्टर विकास योजना –2025 तैयार की जा रही है। विश्वविख्यात शहर की ऐतिहासिक धरोहरों, समृद्ध वास्तुशिल्प व सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ते शहर के सर्वांगीण विकास एवं आधुनिक नियोजन के लिये प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर के विकास को नये आयाम देने तथा जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए जेडीए द्वारा अनेक योजनाऐं और परियोजनाऐं तैयार की है इनमें से अधिकतर योजनाऐं और परियाजाऐं जयपुर वासियों को लाभान्वित कर रही है। जो निम्न प्रकार है।[40]

सुगम यातायात –

निरन्तर बढ़ती आबादी और वाहनों के साथ विकसित होते शहर के यातायात की सुगम, सुरक्षित और निर्बाध व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में जेडीए द्वारा बहुआयामी और तकनीकी प्रयास किये जा रहे हैं। जोकि शहर के यातायात को निर्बाध और सुरक्षित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर

रहा है **यातायात को सुगम बनाने हेतु जेडीए द्वारा मुख्य सडकों एवं सेक्टर सडकों के निर्माण एवं चौडाई बढ़ाने तथा नवीनीकरण सुदृढीकरण कार्यों, पानी की भराव की समस्या हेतु सीमेन्ट कंकटीर की सड़के, सेक्टर रोड्स का निर्माण, बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस), अनेक फ्लाई ऑवर, रेल ओबर ब्रिज, अण्डर पास, सुरंग तथा एलिवेटेड रोड़ों का निर्माण करवाया जा रहा है** इनमें से ज्यादातर से जनता लाभान्वित हो रही है कुछ प्रमुख निर्माण कार्य निम्न प्रकार है।

बी–2 बाईपास (मानसरोवर को टोंक रोड़ से सीधा जोड़ना), खासा कोठी फ्लाई ओवर (रेलवे स्टेशन से चांदपोल), गुर्जर की थड़ी चौराहे पर अण्डरपास, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर मल्टीलेवल फ्लाई ओवर, दुर्गापुरा ऐलिवेटेड रोड़, जेपी फाटक पर अण्डरपास (सहकार मार्ग पर स्थित जयपुर–दिल्ली रेलवे लाइन पर), बाईस गोदाम सर्किल पर यातायात प्रबंधन, एस्केलेटर (नारायण सिंह सर्किल टोंक फाटक), मेट्रोरेल परियोजना, रिंग रोड़ (जयपुर के बाहर तीनों राष्ट्रीय राज मार्गों को जोड़ने हेतु), घाट की गुणी सुरंग परियोजना (जयपुर शहर को आगरा रोड़ से जोड़ने वाली टनल), मालवीय नगर अण्डर पास तथा पुलियाओं का विस्तार (सांगानेर स्थित अमानीशाह पुलिया, सहकार मार्ग गन्दा नाला, मालवीय नगर में गिरधर मार्ग के मध्य स्थित जवाहर पुलिया) सम्बन्धित कार्य है।[41]

मालवीय नगर अण्डरपास

दुर्गापुरा ऐलिवेटेड रोड़

घाट की गुणी सुरंग

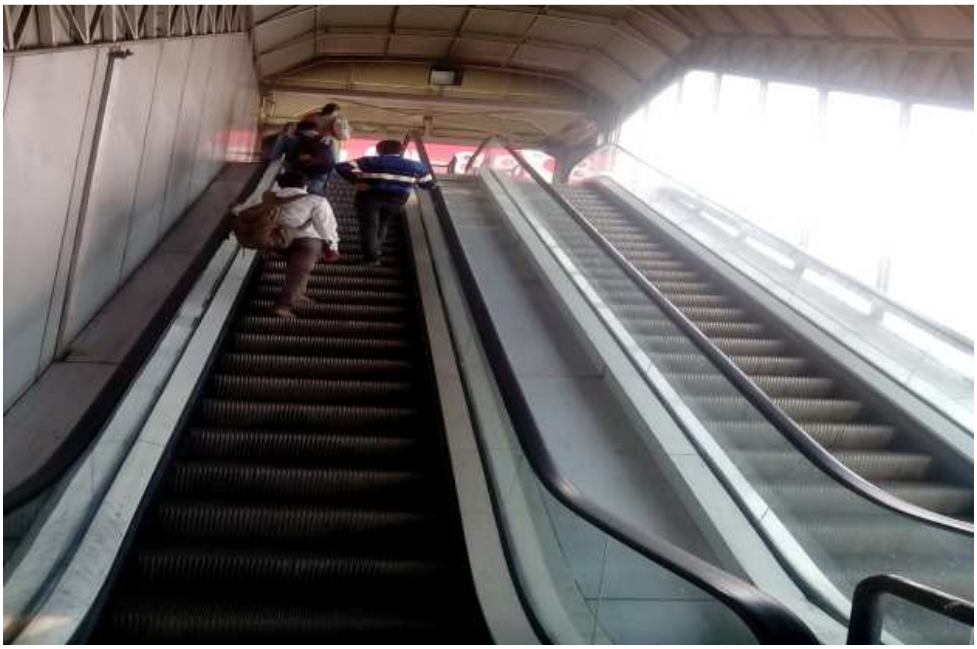

एस्केलेटर (नारायण सिंह सर्किल)

इसके अलावा **जगतपुरा रेल ओवर ब्रिज (जगतपुरा जयपुर–दिल्ली रेलवे लाइन पर), फुट ओवर ब्रिज (कलेक्ट्रेट सर्किल पर जिला न्यायालय से मिनी सचिवालय, सीतापुरा ओवर ब्रिज (टोंक रोड़ पर)** का निर्माण भी जेडीए द्वारा करवाया गया है।[42]

विद्युतीकरण –

यातायात सुगमता एवं सौन्दर्यकरण की दृष्टि से मुख्य सड़कों पर ओवर हेड विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य शुरू करवाया गया है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम के माध्यम से करवाये जा रहे इस कार्य के तहत सड़कों पर स्थित एच.टी./एल टी लाइनों को भूमिगत करवाया गया। इसके तहत महावीर मार्ग, नारायण सिंह सर्किल, धर्मसिंह सर्किल, गांधीपथ, गांधी सर्किल, जेएलएन रोड़, शांति पथ, उदय पथ, तिलक नगर, रीको सर्किल, जवाहर सर्किल, सिरसी रोड़ गोपालपुरा बाईपास कालवाड़ रोड़, न्यू सांगानेर रोड़, दिल्ली बाईपास आदि सड़कों पर करवाया गया।[43]

नगर सौन्दर्यीकरण –

जेडीए शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करवाने के साथ–साथ शहर के हैरिटेज स्वरूप को संरक्षित रखते हुए नगर सौन्दर्यीकरण के महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है इस हेतु सड़कों का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है सड़को के सौन्दर्यीकरण की प्रक्रिया के तहत शहर की सभी प्रमुख सड़कों को **जेएलएन मार्ग** की तर्ज पर विकसित करवाया गया। इसके तहत जरूरत के अनुसार सड़कों को चौड़ा करवाया गया। फुटपाथ और मीडियन विकसित करवाये गये। राहगीरों के बैठने के लिए जगह–जगह स्ट्रीट फर्निचर लगवाये गये। **बस शैल्टर**, सुलभ शौचालयों का निर्माण तथा कूडादान आदि रखवाये गये। **जवाहर नगर से ओटीएस तक ग्रीन वैली** निर्माण कार्य तथा ओटीएस के पास पुलिया के नीचे **ओपन एयर थिएटर** जिसमें स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा नेचर संबंधी डाक्यूमेट्री फिल्में दिखायी जाती है का निर्माण कार्य भी जेडीए द्वारा किया गया। इसके अलावा **वैष्णों देवी की तर्ज पर खोले के हनुमान जी मंदिर** परिसर का सौन्दर्यीकरण भी जेडीए द्वारा करवाया गया है।[44]

ओपन एयर थिएटर (जेएलएन मार्ग ओटीएस के पास)

बस शैल्टर

वृक्षारोपण, पर्यटन एवं मनोरंजन स्थलों का विकास –

हरित राजस्थान परियोजना के तहत शहर को हरा–भरा बनाने के लिए जेडीए ने पार्कों का विकास एवं संधारण, सडकों के किनारे वृक्षारोपण, सर्किलों ट्राइएंगलों, आइलैण्ड्स को हरियाली से आच्छादित करने की परियोजनाएं तैयार कर तत्परता से कार्य शुरू करवाये हैं। इन परियोजनाओं के तहत जयपुर शहर की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों, सेक्टर रोड एवं मिडियन में विभिन्न किस्म के वृक्ष एवं झाडियां लगवाई गई है इसके अलावा जयपुर के नागरिकों हेतु मनोरंजन एवं पर्यटन सम्बन्धी सुविधा मुहैया कराने के लिए **जेडीए द्वारा रामनिवास बाग का सौदर्यीकरण, केन्डल पार्क, जवाहर सर्किल, सैन्ट्रल पार्क, कैक्टस पार्क तथा स्मृति वन** आदि पार्कों को विकसित किया गया है। केन्डल पार्क कलेक्ट्रड सर्किल पर स्थित है इस पार्क में तीन सैट केन्डल फाउण्टने लगाये गये है। **जवाहर सर्किल पार्क जोकि जेएलएन मार्ग** पर स्थित है इसमें **म्यूजीकल फाण्टेन, बच्चों का खेल क्षेत्र, सैन्ट्रल प्लाजा, फुलवारी तथा जोगिंग ट्रेक** सहित अनेक प्रकार की सुविधाऐं है स्मृति वन जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर ओटीएस पुलिया के पास स्थित है सैन्ट्रल पार्क जयपुर के ह्रदय स्थल पर स्थित है इसमें भी जॉगिंग ट्रेक, वॉक–वे, हरियाली माउण्ट, फुलवारी जैसी सुविधाऐं मुहैया करायी गई है। कैक्टस पार्क विद्याधर नगर में विकसित किया गया है।[45] इस प्रकार जेडीए द्वारा विकसित उक्त स्थल जयपुर के लोगों को अनेक प्रकार की मनोरंजन एवं पर्यटन सेवायें मुहैया करा रहे हैं।

जवाहर सर्किल पार्क

सैन्ट्रल पार्क

2.1.2 जयपुर नगर निगम

सन् 1959 में राजस्थान सरकार ने नगर पालिकाओं के संबंध में एक नया अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार नाम जदगी की प्रणाली को लगभग समाप्त कर दिया गया। 10 नवम्बर 1961 को नगर परिषद के चुनाव कराये गये। इसके साथ ही यह निर्वाचन प्रणाली सुदृढ़ होती चली गई। परन्तु उस समय परिषद की आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब बनी रही इसी कारण लंबे समय तक परिषद सफाई के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकी। काफी समय पश्चात् भारत सरकार की सहायता से परिषद ने भूमिगत नालियां बनाने का कार्य किया। सन् 1959 से 1992 तक का लम्बा समय परिषद द्वारा शहर का विकास करते हुए व्यतीत हुआ। इस दौरान शहर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई व नागरिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना एक दुष्कर कार्य हो गया। अतः जयपुर शहर के नागरिकों को ये सुविधाऐं मुहैया

कराने हेतु ''राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में संशोधन करके सन् 1992 में जयपुर जोधपुर व कोटा में नगर निगमों की स्थापना की गई।''[46]

नगर निगम के कार्य–

नगर निगम अपने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं को दूर करने से संबंधित अनेकानेक कार्यों को सम्पन्न करता है। कोलकाता एवं चेन्नई के नगर–निगमों का सृजन करने वाले अधिनियम में निगम के कार्यों का सामान्य रूप से उल्लेख किया गया है, इसके विपरीत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नगर निगमों का निर्माण करने वाले अधिनियमों में उनके कार्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है। सभी राज्यों में यह आम प्रवृत्ति पाई जाती है कि नगर निगमों को व्यापक कार्य सौपे जातें है। इस कारण उनके कार्यो की सूची बहुत विस्तृत हो जाती है। नगर निगमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हीं कार्यों का निष्पादन करेंगे जो कार्य स्पष्ट तौर पर उन्हें अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट किए गए है।

प्रायः सभी अधिनियमों में नगर निगम के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया गया है सांविधिक या अनिवार्य तथा ऐच्छिक या विवेकाधीन तथा विशेष कार्य–विभिन्न राज्यों के अधिनियमों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सभी राज्यों द्वारा नगर निगमों को प्रदत्त उत्तरदायित्व लगभग एक जैसे है। अन्तर केवल इतना है कि कोई एक कार्य किसी अधिनियम में अनिवार्य कार्यो की सूची में सम्मिलित है तो किसी अन्य अधिनियम में वह ऐच्छिक कार्यो में स्थान पाया हुआ है। जैसे पशु चिकित्सालयों की स्थापना और उनका संचालन मध्य प्रदेश में अनिवार्य सूची में सम्मिलित हैं तो दिल्ली में यह कार्य ऐच्छिक सूची के अन्तर्गत रखा गया है। ऐसा अन्तर कोई महत्ता नहीं रखता क्योंकि नगर निगम व्यवहार में कार्यों का

निष्पादन करते समय अपनी सुविधा और आर्थिक स्थिति से परिचालित होता हे न कि अधिनियम में कार्यों को दी गई अनिवार्य या ऐच्छिक सूची से।

सभी राज्यों के अधिनियमों में निर्दिष्ट अनिवार्य, ऐच्छिक एवं विशेष कार्यों को समेकित रूप से निम्नांकित सूची में व्यक्त किया जा सकता हैः

अनिवार्य कार्य –

1. पीने योग्य शुद्ध जल का प्रबन्ध तथा जल स्रोतों का निर्माण, और उनका अनुरक्षण तथा जल वितरण;
2. विद्युत का प्रबन्ध
3. नालियों एवं जनसुविधाओं–शौचालयों आदि का निर्माण तथा रख–रखाव
4. सड़क परिवहन सेवाओं की व्यवस्था
5. सार्वजनिक मार्गों का निर्माण, उनका रख–रखाव, नामकरण एवं आवश्यकता हो तो उनका संख्यांकन,
6. सार्वजनिक मार्गों, नालियों की गन्दगी तथा कूड़े–करकट की सफाई
7. गन्दी बस्तियों की सफाई
8. सार्वजनिक मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश, पानी का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था,
9. जन्म और मृत्यु का लेखा–जोखा रखना,
10. मृतक क्रियाओं के स्थानों का प्रबन्ध तथा उनका नियमन,
11. बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगाने की व्यवस्था,
12. चिकित्सालयों तथा प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्रों की स्थापना एवं रखरखाव,
13. प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था,
14. खतरनाक भवनों को निरापद बनाना या उन्हें हटाना,
15. सार्वजनिक मार्गों के अवरोधों को हटाना,
16. अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था करना,

17.खतरनाक एवं घातक व्यापारों पर नियंत्रण करना,

18.जल वितरण, सड़क परिवहन एवं जल वितरण सेवाओं के लिए उद्यमों की रचना, स्थापना एवं उनका प्रबन्ध करना,

19.नगर निगम की सम्पत्ति का रखरखाव,

20.खाद्य पदार्थों और भोजनालयों का नियमन एवं नियंत्रण,

21.निगम के प्रशासन के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों एवं नक्शों का प्रकाशन।

ऐच्छिक कार्य –

1. आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना,
2. सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नाट्यशालाओं, अखाड़ों तथा क्रीड़ास्थलों का निर्माण एवं उनका अनुरक्षण,
3. सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण,
4. विशिष्ट अतिथियों का स्वागत,
5. मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन और व्यवस्था,
6. आवारा पशुओं को पकड़ना,
7. सड़क के किनारे छायादार वृक्षों का रोपण एवं उनकी देखभाल,
8. गरीबों तथा अपाहिजों की सहायता,
9. सार्वजनिक स्थानों पर संगीत का प्रबन्ध,
10. विवाहों का पंजीकरण तथा
11. भवनों एवं भूमि का सर्वेक्षण।

विशेष कार्य –

विशेष कार्य वे हैं जो आपात् स्थितियों से उत्पन्न होते हैं और जिन्हें पूरा करना नगर निकायों का दायित्व हो जाता है, जैसे :

1. खतरनाक बीमारी के समय चिकित्सा सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करना तथा बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करना, एवं

2. अकाल अथवा अभाव के समय निराश्रित लोगों की सहायता करना, अकाल राहत कार्य चलाना तथा उनका रख–रखाव करना।

जयपुर नगर निगम से सम्बन्धित अन्य जानकारियों के बारे में अध्याय 5 में विस्तार से उल्लेख किया जा रहा है।[47]

2.1.3 राजस्थान आवासन मण्डल

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही रोजगार की तलाश में जीवनयापन के लिए लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन, बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण जयपुर महानगर सहित प्रदेश में गंभीर आवासीय समस्या पैदा हुई है। आवास, मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) में से एक है। राजस्थान आवासन मण्डल प्रदेशवासियों को अपना घर होने की कल्पना को मूर्तरूप देने में सतत् प्रयत्नशील रहा है। इस गंभीर आवास समस्या का तीव्र गति से समाधान करने के उद्देश्य से 24 फरवरी, 1970 को राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना की गई। मण्डल सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं से युक्त विकसित कॉलोनिओं में सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित किये जाते हैं।[48]

आवासन मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2013 तक की अवधि में जयपुर शहर में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सभी वर्गों के लिए कुल 87230 आवासों का कार्य प्रारम्भ किया गया था। इन आवासों में से कुल 80833 आवास पूर्ण हो चुके है।[49]

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर के सभी वर्गों के नागरिकों को मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2013 तक कुल 82558 आवासों का

आवंटन कर दिया गया था जिसमें कुल 77507 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।[50]

आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी येजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पार्क व खुले मैदान व व्यावसायिक केन्द्र सीवरेज व्यवस्था, रोड लाइट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। बोर्ड द्वारा सभी सुविधाऐं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रखरखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवसीय योजना की सुपुर्दगी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।[51]

राजस्थान आवसन मण्डल द्वारा जयपुर शहर में निवासित विभिन्न आय वर्गों के निवासियों की आवास समस्या के निराकरण हेतु अनेक महत्वपूर्ण आवासीय योजनाऐं प्रारम्भ की गई थी। यथा–

- **इंदिरा गांधी नगर (जगतपुरा)** आवासीय योजना 2000 में प्रारम्भ की गई।
- **द्वारकापुरी आवासीय योजना,** शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को आवास मुहैया करवाने हेतु प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर के सेक्टर–26 में 8 दिसम्बर 2005 को प्रारम्भ की गई।
- अप्रवासी भारतीय/अप्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशिष्ट गृह योजना **'राज आंगन'** प्रतापनगर के सेक्टर–24 में वर्ष 2000 में आरम्भ की गई थी।
- **राज आंगन** परियोजना में राज्य के स्थानीय आवेदकों के रूझान को देखने हुए उच्च आम वर्ग के आवेदकों के लिए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 240 विशिष्ट मापदण्डों के आधुनिक आवासों की एक अन्य योजना **'तक्षक'** का शुभारम्भ सेक्टर–25 में 16 फरवरी, 2005 को किया

गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर **'प्रताप एन्क्लेव'** योजना कर दिया गया है।

- मण्डल द्वारा प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर) में विभिन्न आयवर्ग हेतु प्रताप अपार्टमेन्ट, मेवाड अपार्टमेन्ट, कृष्णा अपार्टमेन्ट, चिनाव अपार्टमेन्ट, अलकनन्दा अपार्टमेन्ट, रावी अपार्टमेन्ट, सतलज अपार्टमेन्ट, व्यास अपार्टमेन्ट, सरस्वति अपार्टमेन्ट, झेलम अपार्टमेन्ट, गोदावरी अपार्टमेन्ट, इसी प्रकार मानसरोवर जयपुर में भी विभिन्न आम वर्ग हेतु द्वारका पथ, एवं शिप्रा पथ पर रामकृष्ण अपार्टमेन्ट बहुमंजिली आवासीय योजना चलाई गई है। बहुमंजिली योजना में फ्लैटस का निर्माण कर उनका न्यायोचित ढंग से आवंटन करना है।[52]

इस प्रकार आवासन मण्डल जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में अपनी महती भूमिका सतत् रूप में अदा कर रहा है।

2.1.4 जयपुर मेट्रो रेल कोरपोरेशन

जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व कम्पनी के रूप में कम्पनीज अधिनियम 1956, के तहत जयपुर मेट्रो रेल कोरपोरेशन का गठन किया गया है।

जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए कम्पनीज अधिनियम 1956, के अधीन राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व कम्पनी के रूप में 10.01.2010 को जयपुर मेट्रो रेल कोरपोरेशन का गठन किया गया है।

जयपुर महानगर के आगामी बहुत से दशकों की शहरी परिवहन मांग को ध्यान में रखते हुए जयपुर मेट्रों रेल प्रोजेक्ट की योजना बनायी गयी है। जयपुर मेट्रो रेल का उद्देश्य शहर के आर्थिक विकास और उसके महंगी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट

जयपुर शहर को विश्वस्तरीय शहर बनाने के वादे को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

संशोधित DPR (डीपीआर) जून 2011- के अनुसार जयपुर मैट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन चरणों में होना प्रस्तावित है जो इस प्रकार है–

चरण 1 – पूर्व पश्चिम कोरीडोर (मानसरोवर से बड़ी चौपड़) यह भी दो चरणों में पूरा होना प्रस्तावित है।

पूर्व पश्चिम –ए– मानवसरोवर से चांदपोल (9.718 किमी.) इस चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जून 2015 से इस कोरीडोर पर मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है।

पूर्व पश्चिम –बी– चांदपोल से बडी चौपड (2.349 किमी) इस चरण का कार्य प्रगति पर है।

चरण 2 - उत्तर–दक्षिण कोरीडोर सीतापुरा से अम्बाबाडी 23.099 किमी. इस कोरीडोर का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

जयपुर मैट्रो रेल प्रोजेक्ट

2.1.5 राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना –

विश्व भर में नगरीय क्षेत्र आर्थिक उन्नति के केन्द्र बन रहे हैं। राजस्थान राज्य भी एक अग्रणी राज्य है तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक

है कि राजस्थान के नगरों का भी सुनियोजित विकास हो तथा नागरिकों को स्वच्छ वातावरण एवं बेहतर सुविधाएं मुहैया हो। बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण राज्य के शहरों की आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एशियन डवलपमेन्ट बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर एक सुनियोजित एकीकृत परियोजना के माध्यम से विभिन्न आधारभूत सुविधाओं की क्षमता बढ़ाने एवं स्थानीय निकायों का सुदृढ़ करने एवं आधुनिकीकरण के कार्य राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) का गठन कर इसके अन्तर्गत प्रारम्भ किये है।[53] RUIDP दिनांक 18 जनवरी 2000 से प्रारम्भ की गई थी।[54]

परियोजना के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख छः शहरों जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा उदयपुर में मुख्यतया नागरिक जल आपूर्ति में वृद्धि, सीवरेज प्रबन्ध यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सड़कों रेलवे ओवर ब्रिज, नालों का निर्माण, कच्ची बस्ती सुधार अग्निशमन व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबन्ध हैरिटैज संरक्षण एवं जीर्णोद्वार कार्य, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार आदि कार्य करवाये जा रहे हैं।[55]

2.2 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज्य सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी फैसलों और योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार–प्रसार का कार्य कर रहा है। इस प्रकार यह विभाग राज्य सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है। राज्य की विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार कर आम जनता को इनका अधिक से अधिक लाभ दिलवाना इस विभाग का प्रमुख दायित्व है। इसके अलावा समाचार पत्रों, प्रसार माध्यमों एवं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जन अभियोगों व जन प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों, विशेष लेखों, प्रकाशनों, प्रदर्शनियों के आयोजन, पत्रकार

वाताओं, पत्रकार यात्राओं आकाशवाणी दूरदर्शन इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों में सजावटी विज्ञापनों–कार्यक्रमों, साक्षात्कार और अन्य विविध कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार किया जाता है।[56]

वर्तमान में जयपुर में एक राज्य स्तरीय सूचना केन्द्र और जिलों में जिला स्तरीय 32 सूचना केन्द्र स्वीकृत है। इन केन्द्रों के माध्यम से समाचार पत्र–पत्रिकाओं में राजस्थान से सम्बन्धित समाचार व विशेष लेख प्रसारित किए जाते हैं। इन सूचना केन्द्रों पर राजस्थान के बारे में जिज्ञासुओं को वांछित सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।[57]

राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और उनके क्रियान्वयन से अर्जित उपलब्धियों की जनसाधारण को विकासात्मक साहित्य के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना साहित्य अनुभाग का प्रमुख दायित्व है। इसके साथ ही राजस्थान की सामाजिक व ऐतिहासिक घरोहर एवं विरासत संरक्षण से सम्बन्धित जानकारी भी साहित्य अनुभाग विविध प्रकाशनों के माध्यम से जनसाधारण, साहित्यकारों और शोधार्थियों आदि को उपलब्ध करवाया जाता है। जनवरी 2014 से दिसम्बर, 2014 तक अवधि में कुल 12 प्रकाशन प्रकाशित किए गए। इन विविध प्रकाशनों का राज्य स्तर पर वितरण भी करवाया गया। विभाग की मासिक हिन्दी पत्रिका 'राजस्थान सुजस' का नियमित प्रकाशन किया जाता है।[58]

सूचना केन्द्र (टोंक रोड़ एसएमएस हॉस्पीटल के पास)

2.3 रोजगार विभाग

केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप रोजगार कार्यालयों की प्रक्रिया एवं नीति का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है एवं प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का होने से राजस्थान के सभी जिलों में रोजगार कार्यालयों की स्थापना की हुई है।[59]

रोजगार विभाग का मुख्य कार्य रोजगार तलाशने वाले आशार्थियों को रोजगार तलाश करने में सहायता करना एवं नियोजकों को उनकी मांग के अनुसार उपयुक्त आशार्थी उपलब्ध कराना है। रोजगार विभाग के द्वारा बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु आशार्थियों का सम्प्रेषण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, स्व–नियोजन हेतु प्रेरित करना एवं रोजगार संबंधी आंकडों का संकलन कर अनिवार्य रिक्त ज्ञापन अधिनियम 1959 की पालना कराना आदि कार्य किए जाते है। वर्तमान में बेरोजगारों का पंजीयन ऑनलाईन किया जा रहा है। सभी

कार्य राज्य के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निर्धारित रीति नीति एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी आदेशों निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न करवाए जाते हैं।[60]

राज्य में रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंग है। वर्तमान में राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर जिला रोजगार कार्यालय स्थापित है। इसके साथ ही 16 अन्य रोजगार कार्यालय भी स्थापित है, जिनमें स्व–रोजगार एवं रोजगार विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य स्तरीय कार्यालय, जयपुर में स्थापित है तथा विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान रोजगार संदेश पाक्षिक पत्र के प्रकाशन हेतु राजस्थान रोजगार संदेश कार्यालय संचालित है। व्यावसायिक एवं स्व–रोजगार मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु कार्यलय अजमेर में संचालित है। बेरोजगार युवा छात्रों को नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा चार विश्वविद्यालयों जयपुर, जोधपुर बीकानेर, एवं उदयपुर में नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र खोले हुए है। उच्च शिक्षा प्राप्त आशार्थियों के लिये राज्य स्तर पर व्यावसायिक एवं प्रशासनिक इकाई, जयपुर में स्थापित है। इसके अलावा निःशक्तजन आशार्थियों के लिए रोजगार सहायता उपलब्ध कराऐं जाने के क्रम में जयपुर में विशेष रोजगार कार्यालय (निः शक्तजन) जयपुर में कार्यरत है तथा महिलाओं के लिए रोजगार सहायता उपलब्ध कराये जाने के क्रम में जयपुर में महिला रोजगार कार्यालय कार्यरत है।[61]

विभाग में दिनांक 01.10.2009 से अक्षत कौशल योजना संचालित की जा रही है जिसमें राजस्थान नोलेज कोरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से बेरोजगार आशार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के बाउचरों का भुगतान विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रावधान से किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता योजना–2012 दिनांक 01.07.2012 से संचालित की जा रही हैं जिसमें मार्च 2014 तक जयपुर शहर के बेरोजगारों सहित प्रदेश के 67343 बेरोजगार आशार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।[62]

परिवर्तित बजट वर्ष 2014–15 में रोजगार विभाग से सम्बन्धित घोषणाएं–

1. रोजगार कार्यालय के पुराने ढाँचे को अत्याधुनिक कैरियर सेन्टर के रूप में परिवर्तित करना।
2. प्रत्येक जिले में नये तरीके से जॉब मेले का आयोजन किया जाना।
3. आर्मी भर्ती रैली के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।[63]

इस प्रकार जयपुर महानगर सहित सम्पूर्ण राजस्थान में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर योजनान्तर्गत बेरोजगार आशार्थियों को अधितकम् लाभान्वित कर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रयासरत है।

2.3.1 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

विकास की दौड़ में पहले जहाँ गांवो के विकास की बात प्रमुख थी आबादी बढ़ने के साथ–साथ अब शहरों के विकास को भी प्रमुखता से देखा जा रहा है। वैश्वीकरण के इस युग में शहरों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता हो गयी है। युवाओं के शहरों की ओर रूख करने की गति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इसका प्रभाव राज्य पर भी हुआ है। गत दशक से राज्य में शहरीकरण की दर 2.84 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है।

जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण रोजगार की बात उससे स्वतः ही जुड़ जाती है। इसी प्रकार जब हम शहरी विकास की बात करते हैं तो ध्यान यकायक शहरी गरीब युवाओं को रोजगार सुलभ कराने की ओर जाता है। इसी बात के मद्देनजर राज्य में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है।[65]

योजना की विशेषताएँ-

1. योजना कि अन्तर्गत रोजगार परक कार्य करने के लिए शहरी गरीबों को व्यक्तिशः लाभ दिया जाता है।
2. योजना में शहरी गरीब महिलाओं को सहायता दी जाती है।
3. योजना में शहरी युवाओं (स्त्री व पुरूष दोनों) को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है।[66]

2.4 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग मीटर है जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत है। राजस्थान की आबादी (जनसंख्या) देश की 5.40 प्रतिशत है जबकि कुल पशुधन 18.70 प्रतिशत, सिंचित क्षेत्र 13.88 प्रतिशत तथा खाद्यान्न उत्पादन 6.65 प्रतिशत होने के बावजूद सतही जल संसाधन केवल 1.16 प्रतिशत है। यही वजह है कि राज्य की लगभग 94 फीसदी पेयजल योजनाएं भू–जल पर आधारित है तथा भू–जल दोहन में से मात्र 8 से 10 फीसदी भू–जल उपयोग ही पेयजल के लिए हो रहा है जबकि 90 फीसदी भू–जल खेती व अन्य कार्यों में आ रहा है।[67]

राज्य सरकार ने भू–जल संरक्षण द्वारा फ्लोराइड नियंत्रण हेतु परम्परागत टांकों का निर्माण जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संग्रहण आदि कई गतिविधियाँ शुरू कर दी है। सक्रिय जन भागीदारी जुटाकर फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कृत संकल्पित है।[68]

विपरीत भौगोलिक परिस्थिति के चलते राज्य ने पिछले 51 वर्षों में से 44 वर्षों तक बार–बार सूखे की मार झेली है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार सभी शहरों गांवों और ढाणियों में शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के

लिए नवीन परियोजनाओं के साथ राज्य सरकार सफलता के नित नये सोपान तय कर रही है।[69]

जिस प्रकार प्रदेश की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रदेश में पेयजल वितरण एक चुनौतिपूर्ण कार्य रहता है। चूंकि जयपुर शहर भी प्रदेश का अभिन्न अंग होने के कारण प्रदेश की भांति जयपुर शहर की भी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां है।

प्रदेश के ह्रदय स्थल में अवस्थित जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गुलाबी नगरी के के नाम से विश्वविख्यात जयपुर अपने अद्वितीय नगर नियोजन, समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के कारण देशी–विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है।[70]

जयपुर शहर में अनेक महत्वपूर्ण सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाऐं होने के कारण जयपुर शहर से बाहर के विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए जयपुर में आकर रहने लग जाते हैं। साथ ही साथ लोग रोजगार की तलाश में जयपुर में स्थायी तौर पर बसते चले आ रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप शहर की जनंसख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इस प्रकार शहर की बढ़ती जनसंख्या एवं विपरीत भौगोलिक परिस्थिति के फलस्वरूप शहर में वर्षों पहले से पेयजल आपूर्ति एक चुनौतिपूर्ण कार्य रहा है। इस चुनौती से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने समय–समय पर अनेक प्रयास किये है। वर्षों पहले शहर की पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से बाण गंगा नदी को जमवारागढ़ के निकट अवरूद्ध कर बांध बनाया गया।[71]

कुछ वर्षों पहले बाणगंगा नदी में पानी नहीं आने के कारण जमवारामगढ़ बांध सूखने लगा साथ ही भू–जल स्तर भी दिन–प्रतिदिन गिरता जा रहा था जिससे जयपुर शहर की दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति करना सरकार के लिए कठिन कार्य प्रतीत होने लगा था। जयपुर शहर की इस दीर्घकालीन पेयजल

आपूर्ति की समस्या से निपटने हेतु बनास नदी पर बीसलपुर बांध (टोंक) पर आधारित 1100 करोड़ रू. लागत से पेयजल परियोजना के लिये जे.बी.आई.सी. (जापान बैंक), ए.डी.बी. हुडको आदि संस्थाओं से ऋण सहायता प्राप्त करने का नीतिगत निर्णय लेकर परियोजना स्वीकृत की गई।[72]

ए.डी.बी. की सहायता से आर यू.आईडीपी द्वारा परियोजना के ट्रांसमिशन भाग तथा जे.बी.आई.सी. की सहायता से पी.एच.ई.डी. द्वारा ट्रांसफर भाग के कार्य प्रगति पर थे।[73]

1 मार्च 2009 को जयपुर–बीसलपुर पेयजल परियोजना का शुभारम्भ होने के साथ ही गुलाबी नगरवासियों को बनास का पानी मिलना शुरू हो गया है।[74]

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर शहर में मध्यम वर्गीय परिवारों को लगभग 50 रूपये मासिक दर से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। हालांकि पानी की मासिक दर परिवारों द्वारा खर्च किये गये पानी के अनुपात में घटती बढ़ती रहती है। जयपुर शहर की वे बस्तियाँ जहाँ पर पानी कनेक्शन नहीं हैं उन बस्तियों में विभाग द्वारा टैंकरों एवं सार्वजनिक टंकियों के जरिये निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इस तरह शहर की पेयजल आपूर्ति में सरकार के इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है।

2.5 ऊर्जा एवं विद्युत विभाग

राजस्थान में ऊर्जा शक्ति के विकास का इतिहास सन् 1949 से माना जाता है, जब 19 रियासतों का विलय होकर राजस्थान बना था। उस समय विद्युत शक्ति बहुत कम कस्बों तक सीमित थी और बिजली को एक विलासित वस्तु माना जाता था। उस समय कुल विद्युतीकृत गांव एवं करबों की संख्या 42 से अधिक नही थी और विद्युत उत्पादन क्षमता 13.27 MW. थी लेकिन 1 जुलाई 1957 को राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (RSEB) के गठन के साथ

राजस्थान में पावर सेक्टर्स में वरीयता दी गयी और पावर प्रोजेक्ट्स पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर शुरू हो गये।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत तंत्र के सुधार एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच विद्युत कंपनिओं का गठन दिनांक 19 जुलाई 2000 को किया गया था।[75]

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड– यह बिजली उत्पादन कंम्पनी है।
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड–यह विद्युत प्रसारण कम्पनी है।
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड – यह विद्युत वितरण कम्पनी है।
4. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

उपरोक्त में से प्रथम एवं द्वितीय कम्पनियाँ जयपुर सहित सम्पूर्ण राजस्थान के लिए क्रमशः विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण का कार्य कर रही है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर महानगर एवं सम्पूर्ण जयपुर जिलें को बिजली वितरण का कार्य करता है। यह निगम जयपुर जिले के साथ–साथ 11 अन्य जिलों क्रमशः अलवर, बारां, बून्दी, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झालावाड, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर टोंक को बिजली वितरण करता है।[76]

2.6 श्रम विभाग

श्रम विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसका प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों व उद्योगों/नियोजकों के मध्य स्वस्थ एवं सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखकर उत्पादन के उच्च स्तर को बनाये रखना तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन के द्वारा श्रमिकों के वेतन भत्तों के भुगतान को सुनिश्चित करना एवं उनकी सेवा तथा नियोजन की शर्तो के अनुसार उनके हितों का

संरक्षण करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुये श्रमिक हित में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।[77] जयपुर शहर के श्रमिकों एवं उद्योगों/नियोजकों के उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह विभाग अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

2.7 परिवहन विभाग

परिवहन विभाग का वर्तमान स्वरूप जुलाई, 1974 में अस्तित्व में आया।[78] विभाग द्वारा राज्य में मोटरयानों के लिए नियमन, नियन्त्रण, पंजीयन, करारोपण एवं वसूली, जन सुविधा हेतु नवीन मार्गों का निर्धारण एवं विस्तार, जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोटरयानों, टैक्सियों, भार वाहनों आदि को अनुज्ञापत्र प्रदान करना, सड़क सुरक्षा के प्रति अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना की क्रियान्विति, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय आदि कार्यों का सम्पादन किया जाता है।[79]

परिवहन सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं परिवीक्षण हेतु राज्य को परिवहन की दृष्टि से 12 संभागों एवं 53 जिलों में विभाजित किया गया है प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर मुख्यालय के अधीन 5 जिले (जयपुर, दूदू, कोतपूतली, चौमू, शाहपुरा) है।[79]

अधिसूचना जारी कर आर.टी.ओ जयपुर (उत्तर) कार्यालय समाप्त किया जाकर इसका क्षेत्राधिकार आर.टी.ओ. जयपुर (दक्षिण) में सम्मिलित कर दिया गया है। आर.टी.ओ. जयपुर (दक्षिण) का संशोधित नाम अब आर.टी.ओ. जयपुर होगा।[80]

परिवहन व्यवस्था–

जयपुर महानगर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने के साथ–साथ राज्य की राजधानी भी है यह नगर बसावट व जनसंख्या की दृष्टि से भी राज्य

का विशाल नगर है। पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा, एवं रोजगार की संभावना के नजरिये से भी यह महत्वपूर्ण नगर है। इस कारण नगर की बसावट एवं जनंसख्या तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान में लगभग 30 लाख से अधिक जनसंख्या जयपुर में स्थायी/अस्थायी रूप में निवास करती है विभिन्न प्रयोजनार्थ (यथा–रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा एवं आपसी मेल मिलाप..... आदि) वृहद जन समूह का आवागमन बाहर से जयपुर महानगर के अन्दर होता है। साथ ही साथ आवश्यक महत्वपूर्ण सामानों (मालों) का भी आदान प्रदान होता है। अतः यात्रियों व माल परिवहन हेतु सड़क मार्ग का विशेष महत्व है। चूँकि विकास का मुख्य आधार सुगयें, सुलभ एवं गतिशील परिवहन व्यवस्था है। हालांकि रेल व वायुयान द्वारा भी सेवामें मुहैया की जा रही हैं लेकिन इन सेवाओं का सीमित क्षेत्र एवं समय सीमा निश्चित है।

जयपुर महानगर से जुड़े विभिन्न मार्गों पर निजी, अनुबन्धित एवं राज्य पथ परिवहन निगम की बसें सेवायें प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र की बसे यात्रा सेवायें प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र की बसों हेतु कैरिज परमिट प्रभावी है। इनमें उपनगरीय एवं सिटी बस के परमिट भी शामिल है। इसके अतिरिक्त तीर्थाटन, मेले, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव, पर्यटन, मनोरंजन एवं शहरी यातायात की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों की बस, मिनी बस, टैक्सी केब, आटोरिक्शा, टैम्पों आदि संविदा वाहनों को स्थायी परमिट जारी किये गये हैं।

पड़ौसी राज्यों के विभिन्न शहरों तक राज्य के यात्रियों की सुविधा हेतु अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का निम्नांकित पडौसी राज्यों से पारस्परिक समझौता प्रभावी है–

1. दिल्ली 2. पंजाब 3. हरियाण 4. उत्तरप्रदेश 5. मध्यप्रदेश 6. गुजरात 7. हिमाचल प्रदेश 8. उत्तराखण्ड 9 महाराष्ट्र

उक्त अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था के पारस्परिक समझौते से उपर्युक्त सभी राज्यों सहित राजस्थान के यात्री इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहें है। चूंकि जयपुर महानगर राजस्थान राज्य का सम्पूर्ण दृष्टि से अभिन्न अंग होने के कारण उक्त सुविधा का लाभ जयपुर की जनता भी ले रही है।[81]

जयपुर महानगर में होकर तीन प्रमुख राष्ट्रीय राज मार्ग गुजर रहे है– **(1)** NH–8 (दिल्ली –जयपुर–अहमदाबाद) **(2)** NH-11 (आगरा–जयपुर–बीकानेर) **(3)** NH-12 (जयपुर–जबलपुर)[82] इन मार्गों से विभिन्न प्रकार के वाहन सरकारी (यात्री, माल वाहन), गैर सरकारी (यात्री, माल वाहन), सभी निजी प्रकार के वाहन (स्कूटर, मोटर साईकल, कार.....आदि) गुजरते है जो कि जयपुर की जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में सुलभ आसान यातायात जन सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

बहुउद्देशीय प्रयोजनार्थ ग्रामीण जनता जयपुर सहित अन्य शहरों कस्बों, में आकर बस रही है अतः इस जन समूह को अपने पैतृक गांव/कस्बों में आने जाने एवं ग्राम पंचायतों को तहसील/जिला मुख्यलयों से जोडने हेतु ग्रामीण परिवहन सेवा योजना संचालित की जा चुकी है।[83]

जयपुर महानगर की जनता के लिए परिवहन व्यवस्था को सुगम, सुलभ, आसान एवं गतिशील बनाये रखने हेतु निम्न कंपनियाँ कार्यशील है।

2.7.1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

इसका संक्षिप्त नाम आर.एस.आर.टी.सी. है। यह निगम परिवहन विभाग राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करता है। यह निगम भारत के राजस्थान राज्य में एक शहर से दूसरे शहर को व्यापक रूप में बस परिवहन सेवा उपलब्ध करा रहा है। इस निगम की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1964 को सडक परिवहन कानून 1950 के अधीन की गई है। इसका मुख्यालय जयपुर में है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए सामान्यतः एक्सप्रेस, डीलक्स, ए.जी. गांधीरथ, ए.सी. ए.जी स्लीपर, वॉल्वों मर्सडीज, वाल्वों, पैन्ट्री, एलसीडी, वाल्वो–एलसीडी–पैन्ट्री बस सेवाओं का बेडा सम्मिलित है। आर.एस.आर.टी.सी. राजस्थान के सभी प्रमुख स्थानों तथा पड़ौसी राज्यों गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए सेवायें प्रदान करता है। जयपुर महानगर राजस्थान राज्य का अभिन्न अंग होने के कारण जयपुर महानगर की जनता निगम की उक्त सेवाओं से निश्चित तौर पर लाभान्वित हो रही हैं।

शहर में परिवहन (आवागमन) सेवा को सुलभ, आसान एवं आम जनता को जोड़ने हेतु शहरी परिवहन सेवा (सी.टी.एस.) आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा संचालित की जा रही है।

2.7.2. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

एस.पी.वी. का गठन

जे.एन.एन.आर.यू.एम. योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर में नगरीय बस सेवाओं के माध्यम से परिवहन व्यवस्था के सुचारू संचालन तथा नियंत्रण की दृष्टि से कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2008 में एक विशेष संवाहक (Special Purpose Vehicle) के रूप में जे.सी.टी.एस.एल. की स्थापना की गई है।[84]

बसों की उपलब्धता

- **फेज प्रथम**

जे.एन.एन.आर.यू.एम. योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर हेतु 400 बसों को उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि रुपये 142.82 करोड़ की सहायता उपलब्ध करायी गई। इस योजनान्तर्गत निम्न श्रेणी की बसें उपलब्ध करायी गई :–

क्र. सं.	बसों की श्रेणी	बसों की संख्या
1.	सेमी लो फ्लोर नॉन ए.सी. बसें (650 एम.एम.)	260
2.	लो फ्लोर ए.सी. बसें (400 एम.एम.)	60
3.	नॉन ए.सी. मिनी बसें (900 एम.एम.)	20
4.	स्टेण्डर्ड फ्रंट इंजिन बसें (900 एम.एम.)	60
योग		**400**

केन्द्रीय सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा 400 बसों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत का अनुदान, शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 30 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा वहन किया गया है।

- **फेज द्वितीय :**

जे.एन.एन.आर.यू.एम फेज द्वितीय के अन्तर्गत जयपुर शहर हेतु रूपये 136.50 करोड़ की राशि (रूपये 124.5 करोड़ बसों हेतु व रूपये 12.00 करोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु) आवंटित की गई है। इस हेतु प्रथम किस्त राशि रू. 33.00 करोड़ स्वीकृत की गई है। यह राशि जेसीटीएसएल की मांग पर बस संचालन के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को अनुबन्धित कर लिये जाने पर जारी की जावेंगी।

इस फेज हेतु निम्न प्रकार बसों के क्रय की कार्य योजना है:–

क्र. सं.	बसों की श्रेणी	बसों की संख्या
1.	डीजल सैल्फ नॉन ए.सी. बसें (650 एम.एम.)	160
2.	डीजल सैल्फ ए.सी. बसें (650 एम.एम.)	20
3.	डीजल मिड़ी बसें (650 एम.एम.)	56
4.	डीजल प्रिमियम सेजमेन्ट ए.सी. बसें (400 एम.एम.)	50
योग		**286**

जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा e-procurment के माध्यम से 280 बसों के क्रय हेतु 13 फरवरी, 2014 को टेंडर जारी किये जाकर मार्च 2014 में Letter of

Acceptance (LOA) जारी कर दिया गया है। 6 वाहनों की श्रेणी परिवर्तन पश्चात् पृथक से क्रय आदेश किये गये है। बसों की उपलब्धता (Procurment) राज्य सरकार के निर्देशानुसार पीपीपी मॉडल (नेट कोस्ट) पर निजी बस संचालकों के चयन तक स्थगित की गई है।[85]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के प्रथम फेज की भांति ही फेज द्वितीय में प्राप्त होने वाली बसों का वित्तीय प्रबन्धन निम्न प्रकार होगाः–

Sr. No.	Share		Buses (Cr. Rs.)	Infracutre (Cr. Rs.)	Amount (Cr. Rs.)
1.	Govt of India	50%	61.61	6.00	61.61
2.	Govt. of Raj.	20%	24.64	2.40	27.04
3.	JCTSL	30%	36.97	3.60	40.57
	Total Cost	**100%**	**123.22**	**12.00**	**135.22**

बस संचालन

जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा जुलाई, 2010 से बसों का वाणिज्यिक संचालन आरम्भ किया गया।

माह अक्टूबर, 2013 तक इन बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ समझौते के अन्तर्गत करने के उपरांत अब जेसीटीएसएल द्वारा स्वयं के भर्ती किये गये 661 चालक और 980 परिचालकों से किया जा रहा है। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा अब आगार व पर्यवेक्षणीय स्टाफ ही उपलब्ध कराया गया है।

जे.सी.टी.एस.एल. की 120 बसों का संचालन तथा मेंन्टीनेन्स 10 वर्ष के लिये पीपीपी मोड़ (Gross Cost) पर निजी बस संचालन के माध्यम से कराया जा रहा है जो वर्तमान में विद्याधर नगर आगार के अधीन हैं। शेष 180 नॉन ए.सी. बसों का सांगानेर आगार द्वारा संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में 88 बसों का आगारीय संसाधनों के अभाव में संचालन नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान में 17 नगरीय एवं 6 उपनगरीय मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।[86]

जयपुर सिटी बस

यात्री सुविधाओं का विकास

जयपुर शहर में जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा यात्री सुविधाओं में सुधार व विकास हेतु 150 बस–क्यू–शैल्टर्स का निर्माण कराया गया है।

जे.सी.टी.एस.एल. बसों में समाज की विभिन्न श्रेणियों के नागरिकों को राजस्थान परिवहन निगम की भांति रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस क्रम में दिनांक 08.03.2015 को अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 73548 महिलाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

माह फरवरी, 2015 से दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु मासिक पास सुविधा पुनः आरम्भ कर दी गई है।

जे.सी.टी.एस.एल. की बसों में प्रतिदिन लगभग 2.00 लाख यात्री यात्रा कर रहें हैं।[87]

2.8 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आमजनों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास एवं सुदृढ़ीकरण समग्र रूप से किया जा रहा है। योजनावद्ध रूप से स्वास्थ्य सुविधाऐं जन साधारण तक पहुँचाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कटिबद्ध है।[88]

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 को राज्य में ''मुख्यमंत्री निः शुल्क दवा योजना'' का शुभारम्भ किया गया। राज्य सरकार द्वारा आमजन के स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह अनूठी पहल है।, जिसका लाभ राज्य की सम्पूर्ण जनता ले रही है तथा राज्य का कोई भी व्यक्ति आवश्यक दवा के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा।[89]

निःशुल्क जाँच योजना दिनांक 7 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ की गई। योजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2014 तक विभिन्न जांचों से सम्पूर्ण राजस्थान में 55766376 रोगी निःशुल्क जांच से लाभान्वित किये गये हैं।[90] इन रोगियों में जयपुर के रोगी भी शामिल हैं।

वर्तमान में देश व राज्य की सबसे ज्वलन्त समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। इसके फलस्वरूप आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कपड़े की अपूर्णनीय मांग उत्पन्न हुई है, जो गरीबी, बेरोजगारी, भोजन एवं पानी की कमी तथा तदनुरूप समस्याओं की जनक है। कृषि जोते के बढ़ते हुए विभाजन से खातेदारी छोटी अलाभकर और परिवार के भरण–पोषण में अपर्याप्त हो गयी है, जिसके फलस्वरूप रोजगार की तलाश में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। इस असीमित वृद्धि से राज्य के पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या की वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए परिवार कल्याण

विभाग सचेष्ट है तथा विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किये जा रहे हैं राज्य के प्रत्येक योग्य दम्पत्तियों को उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण की गर्भ निरोधक सेवाएं उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित करने हेतु संरक्षित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।[91]

मातृ एवं शिशु–मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विशेष कार्यक्रमों मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना (RJSSY), जननी सुरक्षा योजना (JSY), फेसिलिटी बेस्ड न्यूबार्न केयर यूनिट (FBNC) आदि का क्रियान्वय किया जा रहा है।[92]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का विस्तृत रूप है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 1 मई 2013 को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक उपमिशन के रूप में मंजूरी दी है। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन दो उप मिशन के रूप में कार्यरत हैं। मिशन का मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढाँचे में गुणवत्ता पूर्ण बदलाव लाना है। भारत सरकार द्वारा मिशन की अवधि को विस्तार देते हुए मिशन की अवधि को वर्षं 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।[93]

आपातकालीन केस को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 108–एम्बुलेंस योजना सितम्बर 2008 से शुरू की गई थी। 108 एम्बुलेंस सेवा योजना द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को निकटतम अस्तपाल में ईलाज हेतु एक निःशुल्क परिवहन सेवा भी प्रदान की जाती है ताकि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।[94]

108 – एम्बुलेंस सेवा

मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना राज्य में 1 जनवरी 2009 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के बीपीएल परिवारों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।[95]

योजनाबद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप जयपुर महानगर क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु जयपुर में सरकार द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों (चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियों) का संचालन किया जा रहा है–

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के संगठक चिकित्सालय

1. सवाई मानसिंह चिकित्सालय
2. जनाना चिकित्सालय चाँदपोल
3. महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट
4. क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय
5. सर पदमपद मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान (जे.के. लॉन अस्पताल)
6. मनोचिकित्सा केन्द्र (मानसिक रोग चिकित्सालय)

7. गणगौरी चिकित्सालय
8. पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र (R.R.C.)
9. संक्रमित रोग चिकित्सालय[96]

उक्त सभी संगठक चिकित्सालय जयपुर के स्थानीय लोगों के अलावा राज्य के अन्य नगरों, कस्बो, गावों तथा पडौसी राज्यों के लोगों को भी चिकित्सा सेवाऐं मुहैया करवा रहे हैं।

अन्य मुख्य चिकित्सालय –

1. राजकीय सैटेलाइट अस्पताल बनीपार्क जयपुर
2. राजकीय सैटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी जवाहर नगर जयपुर
3. राजकीय कांवरिया अस्पताल शास्त्रीनगर जयपुर

ई.1947 से अस्तित्व में आये **सवाई मानसिंह अस्पताल को लघुनाम एस..एम.एस. हॉस्पीटल** के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा और अधिक विस्तार किया गया। इस चिकित्सालय में वर्तमान में 1355 शैय्याएं है। चिकित्सालय में जनरल मेडिसिन एवं गेस्ट्रोएंट्रोलोजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थि रोग, चर्म एवं रति रोग, नाक–कान गला रोग, प्लास्टिक सर्जरी, नेफरोलोजी, न्यूरो सर्जरी, रेडियोथैरेपी, फैमिली प्लांनिग, दन्त रोग, मनोचिकित्सा, नेत्र रोग, कार्डियोथोरोसिक सर्जरी, यूरोलॉजी आदि विभागों की 40 यूनिटें तथा 45 वार्ड कार्यरत है। बाह्य रोगी विभाग, आपात कालीन चिकित्सा सेवायें, दुर्घटना सेवायें तथा अन्तः रोगियों के लिये अलग–अलग इकाइयां कार्यरत हैं। पेथोलॉजी, माइक्रोबाइलोजी, बायोकेमिस्ट्री, आइसोटॉप एवं फिजियोलोजी विभागों के साथ प्रयोग शालायें भी स्थापित की गई हैं। विशिष्ट परीक्षणों के लिये गामाकेमरा, कैट स्केन, ई.सी.जी.,ई.एम.जी. एंडोस्कॉपी, नेप्रोस्कोपी, गेस्ट्रोएन्टोलॉजी, पलमोनरी, कार्डियक कैथर लैब, ट्रेडमील, ईको कार्डियों ग्राम, सोनोग्राफी, तथा एक्स रे आदि की सेवायें

उपलब्ध है। नेत्र, दन्त, ब्लड बैंक, किडनी डाइलेसिस, डायटरी डिपार्टमेंट, एलर्जी, कैंसर डिटेक्शन रिसर्च सेंटर, कोबाल्ट थेरेपी यूनिट के अलावा 11 ऑपरेशन थियेटर तथा दिन–रात चलने वाले आपातकालीन थियेटर की व्यवस्था है। अन्य सहायक सेवाओं में एम्बुलेंस सेवा, केन्द्रीय भर्ती कक्ष तथा पूछताछ कार्यालय, केन्द्रीय ऑक्सीजन प्लांट, सेंटर स्ट्रेलाइजेशन शाखा आदि कार्यरत हैं। दस वर्ष पूर्व एंजियोग्राफी की मशीन स्थापित की गई। किडनी ट्रान्स्प्लांटेशन हेतु यूरोलोजी विभाग में सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।[97]

सवाई मानसिंह चिकित्सालय

उक्त सभी बड़े अस्पताल हालांकि सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के इलाज में सक्षम होते हैं लेकिन इन अस्पतालों में सामान्य बीमारियों के मरीजों के बढ़ने के कारण गंभीर बीमारियों वाले मरीजों के इलाज में परेशानी होती है। इस परेशानी से बचने के लिए सरकार ने सामान्य बीमारियों हेतु जयपुर महानगर में कुछ प्रमुख सरकारी डिस्पेन्सरियों की स्थापना की है जो निम्न क्षेत्रों में स्थापित की है– **(1)** वैशाली नगर **(2)** पुरानी बस्ती **(3)** सरदार पटेल **(4)** सिरहयोदी **(5)** गांधीनगर **(6)** मोती कटला **(7)** तोपखाना देश **(8)** बनी पार्क **(9)** आदर्श नगर **(10)** तिलक नगर **(11)** तोपखाना हजुरी **(12)** सचिवालय **(13)** राजभवन **(14)** लेवर वेल फेयर सेन्टर **(15)** शास्त्री नगर **(16)** नाहरी का नाका **(17)** जवाहर नगर **(18)** जामडौली **(19)** गंगापौल **(20)** झोटवाडा **(21)** विद्यायक निवास **(22)** बरकत नगर **(23)** विद्यायक नगर **(24)** रेगर बस्ती घाटगेट **(25)** मालवीय नगर **(26)** दुर्गापुरा **(27)** ओ.टी.एस **(28)** मानसरोवर **(29)** गोविन्द नगर **(30)** सत्यवतन

आश्रम **(31)** मिनी सविचालय **(32)** राजस्थान उच्च न्यायलय **(33)** झालाना डूंगरी **(34)** टी.बी. सेन्टर **(35)** 8 आर. ए.सी. **(36)** 9 आर.ए.सी **(37)** आर. पी. ए. आदि।

2.8.1 चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दन्त महाविद्यालयों का प्रशासनिक विभाग है। यह विभाग इन महाविद्यालयों से सम्बन्ध चिकित्सालयों का भी प्रबन्ध करता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालय में जटिल, गंभीर एवं रेफर किये गये रोगियों के इलाज का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय से संबंधित प्रकरण भी इस विभाग द्वारा निस्तारित किये जाते हैं। **देश के स्वतन्त्र होने के समय राजस्थान में केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में स्थित था,** परन्तु आज राजस्थार में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के 12 मेडिकल कॉलेज एवं डेन्टल कॉलेज स्थित है। **राज्य में वर्ष 2006 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।** चिकित्सा शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय एवं संस्थानें अब इस विश्वविद्यालय से संबद्ध है परन्तु कुछ निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डेन्टल कॉलेज द्वारा स्वयं का विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के कारण उनके कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापित होने की दिनांक से सम्बद्ध हैं।

2.8.2 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का गठन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के तहत चिकित्सा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा समरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया था। विश्वविद्यालय ने दिनांक 01.04.2006 से कार्य प्रारम्भ किया है। RUHS College of Medical

Science Jaipur एवं RUHS College of Dental Science Jaipur को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय बनाया गया है। राजकीय जयपुरिया अस्पताल एवं राजकीय दन्त महाविद्यालय क्रमशः मेडिकल कॉलेज एवं डेन्टल कॉलेज के संगठक अस्पताल है। इस प्रकार चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जाती है।

2.9 गृह विभाग

गृह विभाग के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, कारागार, अभियोजन एवं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग आते हैं। गृह विभाग के विभिन्न कार्यकारी अवयवों द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जो विधानसभा के बजट सत्र के समय विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। गृह विभाग इन सभी अवयवों का प्रशासनिक विभाग है तथा इनके कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। गृह विभाग का मुख्य उद्देश्य नागरिक सुरक्षा करना है– नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य जनता की सुरक्षा जनता द्वारा करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक नौजवानों एवं प्रौढ़ नागरिकों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर निम्नलिखित सेवाओं में स्वयं सेवक नियुक्त किया जाता हैः–

1. मुख्यालय सेवा
2. संचार सेवा
3. वार्डन सेवा
4. हताहत सेवा
5. अग्नि शमन सेवा
6. प्रशिक्षण सेवा
7. बचाव सेवा
8. डिपो एण्ड ट्रांसपोर्ट सेवा

9. सप्लाई सेवा

10.साल्वेज सेवा

11.कल्याण सेवा

12.मृतक अन्तिम क्रिया सेवा

2.9.1 जयपुर पुलिस

जयपुर महानगर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में जयपुर शहर में 47 तथा जयपुर ग्रामीण में 25 पुलिस स्टेशन है। रैंज में 116 चौकियां है। रेंज में 23 सर्किल, तथा 9638 पुलिस कर्मी तैनात है।

पुलिस थाना मालवीय नगर

पुलिस के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत जयपुर शहर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। जिसमें समस्त व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत है। शहर के 100 पुलिस वाहनों का वर्तमान स्थिति का पता करने के लिए GPS (ग्लोबल पोजिशन सिस्टम) की व्यवस्था की गई है। शहर में भीड़ भरे अनेक स्थानों पर क्लोज सर्किट टी.वी. कैमरे लगाये गये है। जिनसे अपराधियों की धरपकड़ करने तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

किसी भी घटनास्थल पर शीघ्र कार्यवाही के लिये शहर के विभिन्न स्थानों पर चेतक वाहन लगाए गए हैं। 24 घंटे के लिए तैनात इन वाहनों में पुलिस के कर्मचारी कन्ट्रोल रूम के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं। कन्ट्रोल रूम में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सभागार बनाया गया है।

अपराधियों को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की चैकिंग हेतु दिन–रात नाकाबंदी की जाती है। यातायात पुलिस के पास आधुनिक इन्टर सैप्टर वाहन है। जिनके माध्यम से यातायात का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

जयपुर पुलिस के थाना विधायकपुरी को दिनांक 08.11.2005 को आई0एस0ओ0 9001 : 2000 से प्रमाणित कराया गया है। उत्तर भारत का यह पहला आई0एस0ओ0 9001 : 2000 से प्रमाणिकृत पुलिस स्टेशन है। इसके पश्चात् थाना कोतवाली, मालवीय नगर, कालवाड़ एवं बगरू पुलिस स्टेशन को भी आई.एस. ओ. 9001 : 2000 से प्रमाणीकृत किया गया है।

विश्व की संस्था आल्टस ग्लोबल द्वारा आयोजित पुलिस स्टेशन विजोटर्स वीक के अन्तर्गत पुलिस थाना शिप्रापथ को विश्व का प्रथम तथा रामगंज को तृतीय सामुदायिक पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। वर्ष 2007 में इसी संस्था द्वारा पुलिस स्टेशन विधायकपुरी को विश्व में श्रेष्ठ तृतीय पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। वर्ष 2009 में पुलिस स्टेशन झोटवाड़ा को महाराजा मेवाड़ फाऊन्डेशन द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

2.10 उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान में सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का प्रबन्ध करता है। देश की आजादी के समय राज्य में मात्र 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे परन्तु पिछले छः दशकों बाद अब यह संख्या एक सहस्त्र का अंक पार कर चुकी है।[98]

राज्य में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार संबंधी कार्यों को सम्पादित करने का उत्तरदायित्व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर का है। वर्तमान में आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आयुक्त कार्यालय जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर डॉ. एस. राधा कृष्णन शिक्षा संकुल के चतुर्थ ब्लाक में अवस्थित है। राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्रशासनिक, शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक विकास एवं वित्तीय कार्यों का प्रशासनिक नियन्त्रण करने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के अतिरिक्त 6 क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं जयपुर में संचालित है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के नियन्त्रण में 1586 संस्थाऐं संचालित है।[99]

जयपुर महानगर में उच्च शिक्षा के तीव्र गति से हुए प्रसार के फलस्वरूप आज जयपुर महानगर में राज्य वित्त पोषित 3 विश्वविद्यालयों, 1 विश्वविद्यालयवत् संस्था, 1 राष्ट्रीय महत्व का उच्च शिक्षण संस्थान तथा 18 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय स्थापित है।[100]

उक्त सभी संस्थाऐं उच्च शिक्षा जैसी जन सुविधा का लाभ सम्पूर्ण जयपुर महानगर सहित जयपुर से बाहर तथा अन्य राज्यों के नागरिकों को दे रही हैं। इन संस्थाओं में से राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय **राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर** महानगर की ज्यादातर जनता को सस्ती सुलभ एवं आसान उच्च शिक्षा प्रदान कर रही है।

जयपुर महानगर में स्वतन्त्रता से पूर्व स्थापित **राजस्थान विश्वविद्यालय** राजस्थान राज्य का सबसे पुराना व प्रतिष्ठित शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना देश की आजादी से **पूर्व 8 जनवरी 1947 में राजपुताना विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। वर्ष 1956 में राजपुताना विश्वविद्यालय के स्थान पर इसका नामकरण राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में किया गया।** उस समय इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान था। इस

विश्वविद्यालय में वाणिज्य, कला, ललित कला, विज्ञान, विधि शिक्षा, पत्रकारिता, प्रबन्धन तथा शारीरिक शिक्षा आदि संकायों में स्नातक से शोध स्तर तक की सुविधायें उपलब्ध है। **महाराजा कॉलेज जयपुर, महारानी कॉलेज जयपुर, कॉमर्स कॉलेज जयपुर, राजस्थान कॉलेज जयपुर, लॉ कॉलेज जयपुर तथा स्नातकोत्तर विभागों को इस विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किया जा रहा है।**[101]

जयपुर महानगर में राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध **राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस किशनपोल बाजार, राजस्थान संगीत संस्थान, किशनपोल बाजार तथा एक अन्य महाविद्यालय राजकीय वित्तीय प्रबन्धन द्वारा स्थापित एवं संचालित है।** इसके अलावा निजी वित्तीय प्रबन्धन द्वारा भी अन्य महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।[102] ये सभी संस्थाऐं जयपुर महानगर में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित जन सुविधाऐं उपलब्ध करवा रहे हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय, महाराजा महाविद्यालय, महारानी महाविद्यालय

2.11 शिक्षा विभाग (स्कूली शिक्षा)

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। उस समय प्रत्येक रियासत की शिक्षा क्षेत्र में कार्य प्रणाली एवं प्रबन्ध व्यवस्था अलग–अलग थी। इसलिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा व्यवस्था को संघीय स्वरूप देने एवं सुसंचालन हेतु वर्ष 1950 में बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की। राज्य में वर्ष 1959 से पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती

राज विभाग के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंप दिया गया, परन्तु सन् 2001 से ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा का कार्य निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 02 अक्टूबर 2010 से सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दी गई है लेकिन पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही रखा गया है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर का विभाजन कर बीकानेर में ही पृथक–पृथक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। तद्नुसार दिनांक 01 जनवरी 1998 से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–

- प्रारम्भिक शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन,
- प्रारम्भिक शिक्षा प्रबन्धन एवं प्रशासन,
- प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार
- अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा,
- प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास
- प्रारम्भिक शिक्षा पर धनराशि का नियोजन

माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैः–

- शिक्षा नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन
- शैक्षिक प्रबन्ध प्रशासन व प्रशासन का दायित्व
- माध्यमिक शिक्षा का विस्तार
- शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन
- भाषाओं के प्रोत्साहन
- शैक्षिक गतिविधियों का विकास
- शिक्षा पर धन राशि का नियोजन

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान निहित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के विकास एवं सार्वजनीकरण की दिशा में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना तथा उसमें वर्ष 1992 में किये गये संशोधनों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा नीति के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं :–

1. सबके लिए निकटस्थ प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा तथा सार्वभौमिक नामांकन
2. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक ठहराव एवं सहभागिता
3. न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.) के साथ शिक्षा के गुणात्मक स्तर पर बल

नीति निर्देशक सिद्धान्तों में निहित संकल्प एवं शिक्षा नीति के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में शिक्षा के विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है।

जयपुर महानगर में प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धता को सुगम एवं आसान बनाने हेतु सरकार द्वारा शहर में विभिन्न छोटी बड़ी कॉलोनियों में अनेक सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त न्यनूतम आय वर्ग वाले परिवारों के बालकों को निकट के निजी विद्यालय में सबसे छोटी कक्षा के प्रवेश क्षमता के 25 प्रतिशत कोटे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

प्रदान की जाती है। यह शिक्षा उस विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा से कक्षा 8 तक प्रदान की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है।

जयपुर महानगर में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता को सुगम एवं आसान बनाने हेतु सरकार द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नोडल विद्यालयों तथा उनके अधीन उपनोडल विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन नोडल विद्यालयों में से कुछ इस प्रकार है–

1. **माणक चौक** – माणक चौक के अधीन 2 उपनोडल विद्यालय (रथखाना, मोती कटला) है। इस नोडल विद्यालय के अधीन 34 विद्यालय है।
2. **रा.उ.मा.वि पौद्वार–** इस नोडल विद्यालय के अधीन आदर्श नगर उपनोडल विद्यालय है। इस नोडल विद्यालय के अधीन 25 विद्यालय है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माणक चौक जयपुर

राजकीय राजा रामदेव पौद्वार उच्च माध्यमिक विद्यालय गाँधी नगर जयपुर

3. **सांगानेर** – इस नोडल विद्यालय के अधीन दुर्गापुरा उप नोडल विद्यालय है। इसके अधीन 20 विद्यालय है।
4. **बालिका बनीपार्क –** इस नोडल विद्यालय के अधीन मुरलीपुरा बीड़ तथा खातीपुरा उपनोडल विद्यालय है। इसके अधीन 45 विद्यालय है।

जयपुर महानगर के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं हेतु सरकार द्वारा निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थीयों हेतु दोपहर का भोजन (Mid Day Meal) भी मुहैया कराया जाता है।

डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल–

जयपुर महानगर में शिक्षा से सम्बन्धित सुविधाओं को एक ही छत के नीचे मुहैया कराने हेतु जयपुर महानगर के जे.एल.एन. मार्ग पर स्मृति वन के सामने शिक्षा संकुल की स्थापना की गई है। शिक्षा संकुल में विद्यालय शिक्षा

(सामान्य, संस्कृत), उच्च शिक्षा (महाविद्यालय सामान्य शिक्षा), मदरसा बोर्ड तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, से सम्बन्धित सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है।

जयपुर महानगर में उपरोक्त विभाग एवं संस्थाओं द्वारा प्राप्त जन सुविधाओं के अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण जन सुविधाऐं प्राप्त हो रही है।

राजस्थान में 9 अप्रैल 1955 को प्रथम **आकाशवाणी केन्द्र** की स्थापना जयपुर में की गई। इसी तरह 1 मार्च 1977 को राजस्थान में पहला **दूरदर्शन केन्द्र** जयपुर में स्थापित किया गया जोकि देश विदेश तथा क्षेत्रीय जानकारियाँ प्रदान करते है साथ ही साथ ये सेवायें जयपुर के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकारों को तैयार करने में तथा जनता को मनोरंजन प्रदान करने में सहायक हो रहे हैं।[103]

जयपुर में रंगमंचीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए रामनिवास बाग में 15 अगस्त 1963 को **रवीन्द्र मंच** का उद्घाटन किया गया। प्रदेश की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा यहाँ आये दिन कार्यक्रम होते रहते हैं।[104] इसी तरह 8 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने जे.एल.एन. मार्ग पर **जवाहर कला केन्द्र** का उद्घाटन किया था।[105] ये भी सांस्कृति गतिविधियों के लिए प्रमुख केन्द्र है। इन दोनों केन्द्रों पर कला और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए कई आयोजन किये जाते हैं।

इसी तरह **केन्द्र सरकार** के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जयपुर महानगर में **रेल सेवा, डॉक तार सेवा, संचार सेवा, शिक्षा सेवा (केन्द्रीय विद्यालय) तथा बैंकिंग सेवा** आदि मुहैया करायी जा रही है।

निष्कर्ष जयपुर महानगर में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार अपने विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित जनसुविधाओं को मुहैया करवा कर अपनी औचित्यपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती आ रही हैं।

संदर्भ सूची

1. सिंह रोहित कुमार, राजस्थान सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान. जयपुर प्रकाशक–डोमीनियन लॉ डिपो शोरूम नं0 56–57 चौड़ा रास्ता (ठठेरों के रास्ते के नुक्कड़ पर) जयपुर –2008 पृष्ठ सं. 1144
2. वही पृष्ठ सं. 1144
3. वही पृष्ठ सं. 1144
4. वही पृष्ठ सं. 1144
5. गुप्ता डॉ. मोहन लाल, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, प्रकाशक – राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन एवं वितरक सोजती गेट, जोधपुर (राज.)–2010 पृष्ठ सं. –68
6. सिंह रोहित कुमार, राजस्थान सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रकाशक–डोमीनियन लॉ डिपो शोरूम नं0 56–57 चौड़ा रास्ता (ठठेरों के रास्ते के नुक्कड़ पर) जयपुर–2008 पृष्ठ सं. 1144–1145
7. वही पृष्ठ सं. 1145
8. वही पृष्ठ सं. 1146
9. वही पृष्ठ सं. 1146
10. वही पृष्ठ सं. 1145
11. गुप्ता डॉ. मोहन लाल, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, प्रकाशक – राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन एवं वितरक सोजती गेट, जोधपुर (राज.)–2010 पृष्ठ सं. –84
12. वही पृष्ठ सं. 84
13. वही पृष्ठ सं. 84
14. वही पृष्ठ सं. 84
15. वही पृष्ठ सं. 88
16. वही पृष्ठ सं. 90

17.वही पृष्ठ सं. 90

18.वही पृष्ठ सं. 91

19.वही पृष्ठ सं. 92

20.वही पृष्ठ सं. 103

21.वही पृष्ठ सं. 104

22.वही पृष्ठ सं. 105

23.वही पृष्ठ सं. 69

24.वही पृष्ठ सं. 69

25.वही पृष्ठ सं. 74

26.वही पृष्ठ सं. 74

27.वही पृष्ठ सं. 75

28.वही पृष्ठ सं. 75

29.वही पृष्ठ सं. 75–76

30.राजस्थान पत्रिका 29.06.2015 पृष्ठ सं. 4

31.सिंह रोहित कुमार, राजस्थान सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रकाशक–डोमीनियन लॉ डिपो शोरूम नं0 56–57 चौड़ा रास्ता (ठठेरों के रास्ते के नुक्कड़ पर) जयपुर –2008 पृष्ठ सं. 430

32.वही पृष्ठ सं. 430

33.वही पृष्ठ सं. 430

34.वही पृष्ठ सं. 430

35.वही पृष्ठ सं. 430

36.वही पृष्ठ सं. 430

37.सक्सेना डॉ. हरि मोहन, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्लाट नं0 1 झालाना सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर–2008 पृष्ठ सं. 3

38.वही पृष्ठ सं. 3–4

39.सिंह रोहित कुमार, राजस्थान सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रकाशक–डोमीनियन लॉ डिपो शोरूम नं0 56–57 चौड़ा रास्ता (ठठेरों के रास्ते के नुक्कड़ पर) जयपुर–2008 पृष्ठ सं. 1143
40.संकल्प से सृजन तक एक विकास यात्रा,.....जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर
41.वही
42.जयपुर सिटी के साथ–साथ अब हाइटेक सिटी भी वास्तुशिल्प एवं नगर नियोजन के विकासशील आयाम जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर
43.संकल्प से सृजन तक एक विकास यात्रा,.....जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर
44.वही
45. वही
46.शर्मा डॉ. अशोक भारत में स्थानीय प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर–2002 पृष्ठ सं. 65
47.वही पृष्ठ सं 69–71
48.राजस्थान आवसन मण्डल प्रगति प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2013–14 (दिसम्बर 2013 तक) पृष्ठ सं. 1
49.वही पृष्ठ सं. 35
50.वही पृष्ठ सं. 37
51.वही पृष्ठ स. 11–12
52.वही पृष्ठ सं. 26–30
53.नव आकार, आर यू आई डी पी प्रगति प्रतिवेदन 2007 प्रकाशित सी ए पी पी आरयूआईडीपी थर्ड फ्लौर, जवाहर सर्किल जेएलएन मार्ग मालवीय नगर पृष्ठ सं. 3
54.वही पृष्ठ सं. 4

55.वही पृष्ठ सं. 3

56.प्रगति प्रतिवेदन वर्ष (2014–15) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर–फरवरी 2015 पृष्ठ सं. 1

57.वही पृष्ठ सं. 2

58.वही पृष्ठ सं. 13–14

59.निष्पादन आय–व्ययक अनुमान वर्षं 2014–15, रोजगार विभाग राजस्थान रोजगार सेवा निदेशालय दरबार स्कूल परिसर गोपीनाथ मार्ग, जयपुर पृष्ठ सं. 1

60.वही पृष्ठ सं. 1

61.वही पृष्ठ सं. 1

62.वही पृष्ठ सं. 10

63.वही पृष्ठ सं. 10

64.सिंह रोहित कुमार, राजस्थान सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रकाशक–डोमीनियन लॉ डिपो शोरूम नं0 56–57 चौड़ा रास्ता (ठठेरों के रास्ते के नुक्कड़ पर) जयपुर–2008 पृष्ठ सं. 179

65.वही पृष्ठ सं. 179

66.वही पृष्ठ सं. 179

67.पेयजल 4 साल बेमिसाल, प्रकाशन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर–दिसम्बर 2007 पृष्ठ सं. 2

68.वहीं पृष्ठ सं. 2

69.शहर गांव और ढाणी–ढाणी पहुंचे शुद्ध, सुरक्षित पानी, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राजस्थान

70.सिंह रोहित कुमार, राजस्थान सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रकाशक–डोमीनियन लॉ डिपो शोरूम नं0 56–57 चौड़ा रास्ता (ठठेरों के रास्ते के नुक्कड़ पर) जयपुर–2008 पृष्ठ सं. 1143

71.वही पृष्ठ सं. 1143

72.शहर गांव और ढाणी–ढाणी पहुंचे शुद्ध, सुरक्षित पानी, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राजस्थान
73.पेयजल 4 साल बेनिसाल, प्रकाशन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर–दिसम्बर 2007 पृष्ठ सं. 21
74.संकल्प से समृद्धि राजस्थान सुजस, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर–सितम्बर–दिसम्बर 2010
75.राजस्थान के विद्युत वितरण निगमों का प्रगति प्रतिवेदन 2011–2012 (दिसम्बर, 2011 तक) पृष्ठ सं. 1
76.वहीं पृष्ठ सं. 1
77.वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (2013–2014) श्रम विभाग, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर पृष्ठ सं. 1
78.स्टटिसटिकल एबस्ट्रेक्ट 2012–13, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट, राजस्थान सरकार
79.प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 परिवहन विभाग राजस्थान सरकार पृष्ठ सं. 2
80.वही पृष्ठ सं. 3
81.वही पृष्ठ सं. 4–6
82.वही पृष्ठ सं. 41
83.वही पृष्ठ सं. 6
84.संक्षिप्त परिचयात्मक, जयपुर सिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर पृष्ठ सं. 1
85. वही पृष्ठ सं 2–3
86.वही पृष्ठ सं. 4
87.वही पृष्ठ सं. 5–6
88.प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014–15, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर पृष्ठ सं. 1
89.वही पृष्ठ सं. 2

90.वही पृष्ठ सं. 3

91.प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 परिवार कल्याण विभाग, निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान पृष्ठ सं. 5

92.वही पृष्ठ सं. 7

93.वही पृष्ठ सं. 29

94.वही पृष्ठ सं. 30–31

95.वही पृष्ठ सं. 36

96.एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट मेडिकल एजुकेशन 2014–2015

97.गुप्ता डॉ. मोहन लाल, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, प्रकाशक – राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन एवं वितरक सोजती गेट, जोधपुर (राज.) 2010 पृष्ठ सं. 105

98.वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2014–15, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार पृष्ठ सं. 4

99.वही पृष्ठ सं. 4

100. वही पृष्ठ सं. 73–74

101. वही पृष्ठ सं. 42

102. वही पृष्ठ सं. 81

103. गुप्ता डॉ. मोहन लाल, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, प्रकाशक – राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन एवं वितरक सोजती गेट, जोधपुर (राज.)–2010 पृष्ठ सं. 97–98

104. वही पृष्ठ सं. 99

105. वही पृष्ठ सं. 105

अध्याय –पंचम्

जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत शहरी स्थानीय सरकार (2004–2009) की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

जन सुविधाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है जिसमें स्थानीय स्वायत्ता को बढ़ावा दिया गया है चूँकि भारत में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर पर क्रमशः संघीय सरकार, राज्य सरकार एवं सरकार का तीसरा स्तर जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं कार्यरत है।[1]

लोगों का संगठित समूह जब एक स्थान पर एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने लगता है तो उसमें एक सामुदायिकता और एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है इन लोगों के इस सामूहिक आवास के फलस्वरूप कुछ समस्याऐं भी उत्पन्न हो जाती है इन समस्याओं का संबंध नागरिक जीवन की सुविधाओं से होता है जैसेः– पानी की व्यवस्था, गन्दे पानी के निष्कासन के लिए नालियों का प्रबन्ध, सड़कों की सफाई कूड़े–करकट का हटाया जाना, सार्वजनिक मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था, महामारियों की रोकथाम प्राथमिक स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था तथा नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध करवाना इत्यादि जन सुविधाओं के अन्तर्गत आता है[2] चूँकि केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार का कार्यक्षेत्र विशाल होने के कारण सभी प्रकार की सुविधाऐं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना संभव नहीं है अतः स्थानीय स्तर की मूलभूत सुविधाऐं स्थानीय सरकार व गैर सरकारी संगठनों भी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

जैसे–जैसे नगर की जनंसख्या बढ़ती है उस शहर का आकार–प्रकार भी बढ़ता चला जाता है और समस्याऐं भी उसी अनुपात में जटिल रूप धारण

कर लेती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ–साथ नागरिकों के जीवन यापन की दैनिक आवश्यकताओं में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है इस कारण स्थानीय स्वशासन से उनकी अपेक्षाऐं निरन्तर बढ़ रही है। स्थानीय लोगों की बढ़ती हुई स्थानीय आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताओं और उनसे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त स्थानीय शासन या स्वशासन (स्थानीय सरकार) की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।[3]

राष्ट्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के कार्यों का जो विभाजन संविधान में दिया गया है उससे यह स्पष्ट है कि नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन पर छोड़ा है, जिसे राज्य –सूची का एक विषय बनाया गया है।[4]

जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य प्राचीन काल से आज तक राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा किया जा रहा है हालाँकि निजी संगठन भी भी जन सुविधाऐं उपलब्ध कराता है।

जयपुर महानगर के बढ़ते जनसंख्या घनत्व, विकसित स्वरूप एवं राज्य की राजधानी होने के परिणामस्वरूप अन्य नगरों की भांति जयपुर महानगर में सरकार के तीनों रूप कार्यरत है जो भिन्न–भिन्न रूप में विभिन्न प्रकार की जन सुविधाऐं मुहैया करा रही हैं।

सरकार की भूमिका के संदर्भ में फ्रांस के संविधान में एक कथन है "Womb to tome" जिसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात तक राज्य प्रशासन अपने दायित्व का कदम–कदम पर निर्वहन करता है। अर्थात् राज्यों को अनेक प्रकार की जन सुविधाओं मुहैया करानी होती है।

जयपुर महानगर राज्य की राजधानी होने के नाते सरकार के सभी रूपों (केन्द्रीय, प्रान्तीय, एवं स्थानीय सरकार) द्वारा अनेक प्रकार की जन सुविधाऐं

मुहैया करायी जाती है तथा जयपुर के महानगर होने के नाते यहाँ शहरी स्थानीय सरकार (नगर निगम) भी कार्यरत है।

चूँकि सरकार के विभिन्न रूपों (केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय) द्वारा अनेक प्रकार की जन सुविधाऐं मुहैया करायी जाती है यदि इन सभी प्रकार की जन सुविधाओं का सरकार के विभिन्न रूपों के संदर्भ में तुलनात्मक व्याख्या करें तो तुलनात्मक व्याख्या जटिल एवं न्याय संगत नहीं होगी। जटिलता का कारण सरकारों का अलग–अलग कार्यकाल एवं इनके द्वारा उपलब्ध जनसुविधओं का क्षेत्र व्यापक होना है। अर्थात् सरकार के तीनों रूपों का कार्यकाल एवं परिस्थितियाँ भिन्न–भिन्न है। अतः इस स्थिति में जयपुर जैसे महानगरों में कार्यरत सरकार का तीसरा रूप स्थानीय सरकार (नगर निगम) द्वारा मुहैया जन सुविधाओं का वर्णन अर्थात् स्थानीय सरकार की उपलब्धियों की व्याख्या करना न्याय संगत है।

स्थानीय शासन का ढ़ाँचा

भारत में स्थानीय शासन का वर्तमान ढाँचा ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भी स्थानीय शासन को वही रूप दिया था जो इसे ब्रिटेन में प्राप्त है। ब्रिटेन में स्थानीय शासन के दो क्षेत्र होते है– शहरी और ग्रामीण भारत में भी दो पृथक क्षेत्र हैं और दो पृथक प्रणालियाँ हैं। एक शहरी क्षेत्र के लिए और दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। स्थानीय क्षेत्रों का यह दो विभागों में विभाजन अधिकांश देशों में पाया जाता है। भारत में शहरी क्षेत्रों में तीन मुख्य प्रकार की स्थानीय संस्थाएँ पायी जाती है : (क) बडे नगरों में निगम (Corporation), (ख) छोटे नगरों में नगरपालिका (Municipal Board), और (ग) नगर क्षेत्र समिति (Town or Notified Area Committee)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन –संस्थाएँ इस प्रकार की है (क) जिला बोर्ड (ख) क्षेत्र समिति और (ग) ग्राम पंचायत।[5]

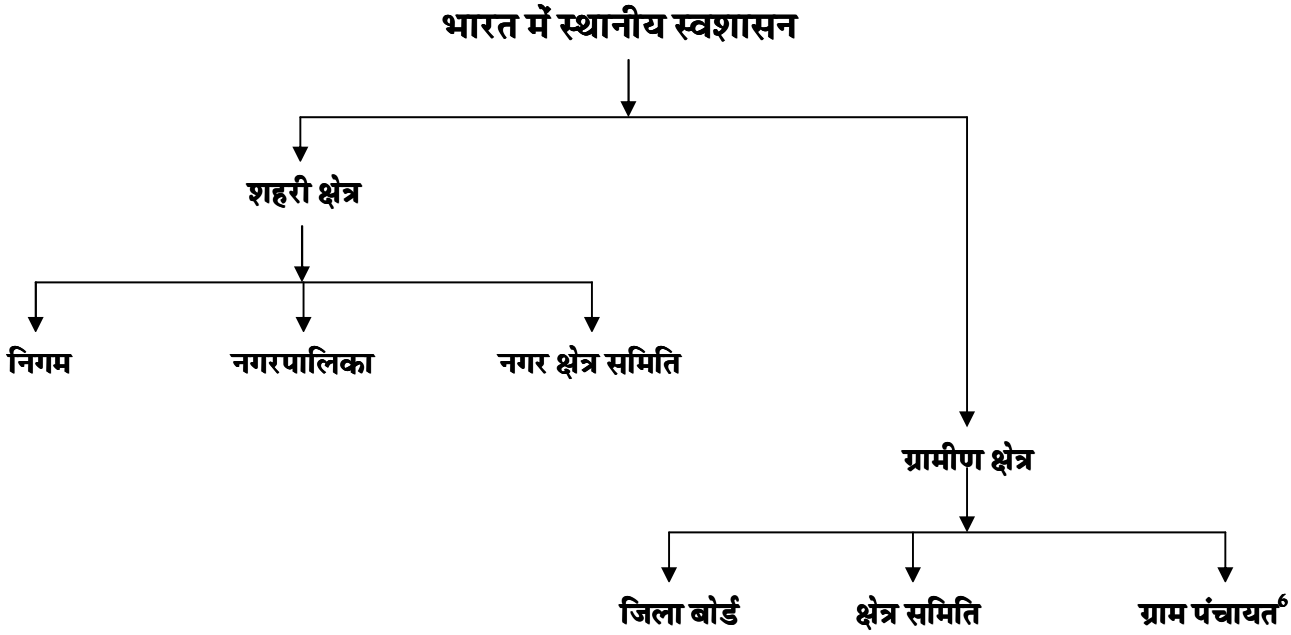

शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन

भारत में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बाँटकर व्याख्या की जा सकती हैः–

1. 74वें संविधान संशोधन से पूर्व की संरचना

2. 74वें संविधान संशोधन के बाद की संरचना

1. 74 वें संविधान संशोधन से पूर्व (स्वतन्त्रता से 1992–93 तक)

देश में 1950 में संविधान के प्रवर्तन के पश्चात नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में सामान्यतः निम्न छः प्रकार की संस्थाऐं कार्यशील थी।

1. नगर निगम
2. नगर परिषद/नगरपालिका
3. कस्बा क्षेत्र समिति
4. अधिसूचित क्षेत्र समिति
5. छावनी मंडल

6. एकल उद्देश्यीय अभिकरण

2. 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् की संरचना (1992–93 के पश्चात)

भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून, 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अ ''द म्यूनिसिपलिटीज'' शीर्षक से नया जोड़ा गया है इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त संविधान संशोधन देश भर में त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता हैः–

- **नगर पंचायत** :– ऐसे क्षेत्रों के लिए जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है उनमें नगर पंचायत का गठन किया जाता है।
- **नगर परिषद (म्यूनिसिपल कौंसिल)** :–नगर परिषद का गठन छोटे नगरों में और
- **नगर निगम** :– नगर निगमों का गठन व्रहत्तर क्षेत्रों अर्थात् बडे नगरों में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।[7]

राजस्थान में नगरीय स्वशासन की 74वें संविधान संशोधन के पश्चात की संरचना

राजस्थान में 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् की संरचना को दो भागों में विभक्त कर देखा जा सकता है :

1. संविधानतः सृजित नगरीय प्रशासन की संरचना और

2. संविधानेतर नगरीय प्रशासन की संरचना।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की संरचनाओं को निम्नांकित चार्ट के माध्यम से भली भांति आत्मसात् किया जा सकता हैः

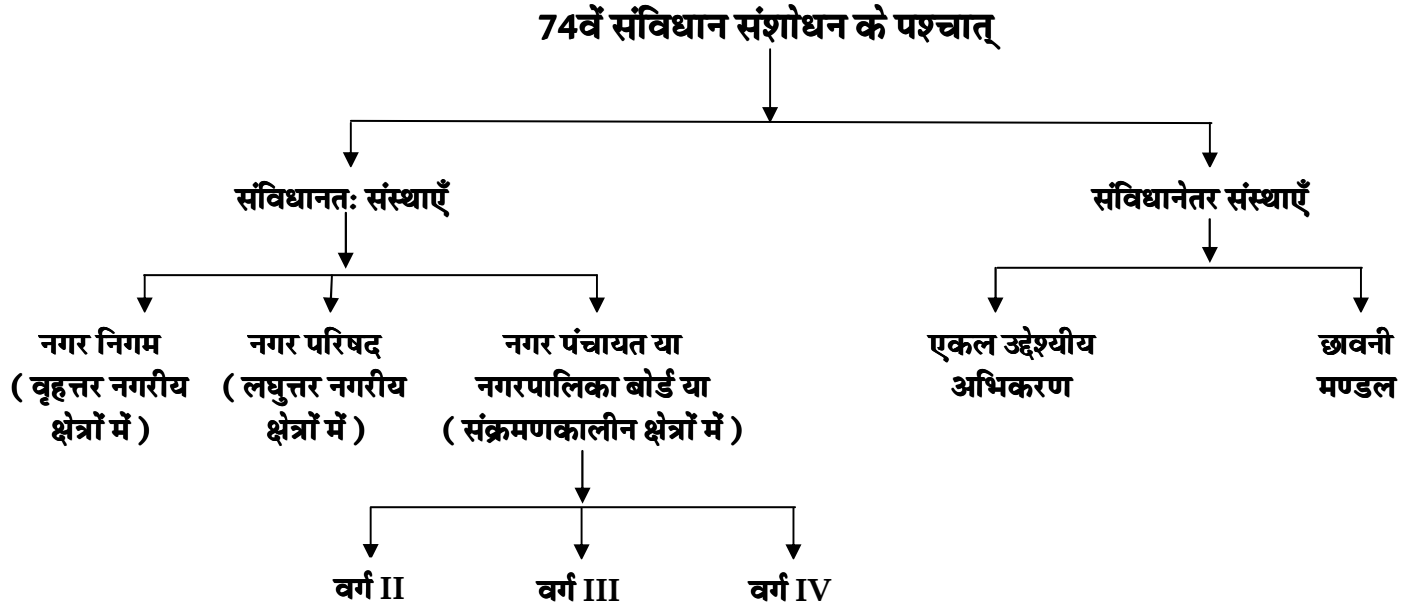

राजस्थान में उपर्युक्त दोनों प्रकार की संरचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

पूर्व में यह संकेत किया जा चुका है कि 74वें संविधान संशोधन की अपेक्षाओं के अनुरूप अब नगरीय प्रशासन की संस्थाएँ भी तीन स्तरों पर गठित की जाती है यथा नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। किन्तु राजस्थान राज्य ने 74वें संविधान संशोधन के प्रवर्तन के तुरन्त पश्चात 25 सितम्बर 1993 की अधिसूचना के माध्यम से नगर निकायों के वर्गीकरण के 20 दिसम्बर 1977 के पूर्ववर्ती आदेश को अधिक्रमित करते हुए राज्य में स्थित समस्त नगर निकायों का श्रेणी विभाजन निम्नानुसार किया हैः–

1. **नगर निगम** :– ऐसे वृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाएंगे जिनकी जनसंख्या कम से कम 5 लाख से अधिक हो।
2. **नगर परिषदः**– ऐसे लघुत्तर क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक किन्तु 5 लाख से कम हो।

3. **नगर पालिका बोर्ड**_:– ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जायंगे जिनमें जनसंख्या 1 लाख से कम हो। इस कोटि की संस्थाओं का राज्य सरकार ने निम्नानुसार पुनः उप वर्गीकरण किया है :–

   - **नगरपालिका बोर्ड (द्वितीय श्रेणी)**:– ऐसे क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 50 हजार से अधिक किन्तु 1 लाख से कम हो या निकाय जिला मुख्यालय पर हो या उस निकाय में प्रति व्यक्ति आय 200 रूपये हो।
   - **नगर पालिका बोर्ड (तृतीय बोर्ड)**:– ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जिनकी जनसंख्या 25 हजार से अधिक किन्तु 50 हजार से कम हो अथवा उन निकायों में प्रति व्यक्ति आय 150 रूपये हो।
   - **नगर पालिका बोर्ड (चतुर्थ श्रेणी)**:– ऐसे क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 25 हजार से कम हो।

4. **एकल उद्देश्यीय अभिकरण** :–स्थानीय स्वशासन कुछ कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। कुछ विद्धानों का यह विचार भी है कि आधुनिक जीवन की बढ़ती हुई जटिलता में कुछ कार्यकलाप इतने तकनीकी और जटिल होते हैं कि उनके लिए विशेष उपाय की आवश्यकता होती है। उन कार्यों का निष्पादन कुशलता से करने के लिए अनन्यरूप से भी पृथक संगठनों की आवश्यकता होती हैं जिन्हें केवल एक दायित्व सौंपा जाता हैं। नगर निगम या नगरपालिकाएं नगर में सफाई कार्य तो कुशलता से कर सकती है किन्तु नगरीय विकास को सुनियोजित दृष्टि से नियन्त्रित करने का कार्य वे ठीक से नहीं कर पाती हैं। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या में नगर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े नगरों में विकास प्राधिकरण और छोटे नगरों में सुधार न्यासों की स्थापना की जाती है। जैसे– दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं जयपुर विकास प्राधिकरण आदि। इन्हें स्वायत्तशासी विशिष्ट उद्देश्यीय संस्थाऐं भी कहा जाता है।

5. **छावनी मण्डल** :– छावनी मंडल की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहाँ छावनी में सेना रहती हैं। जिस स्थान पर सेना छावनी बनाकर रहती

है उस स्थान के आस–पास बहुत से असैनिक क्षेत्रों का विकास भी हो जाता है। सेना की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और सुविधा के लिए बाजार बनाया जाता है और सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आस –पास भी पूरी बस्ती विकसित हो जाती है।[8]

जयपुर महानगर में स्थानीय शासन

जयपुर महानगर में वर्तमान में स्थानीय शासन का एक रूप नगर निगम कार्यरत है जो 1994 से विधिवत रूप में कार्यरत है।

जयपुर नगर–निगम का इतिहास

भारत में नगर प्रशासन का अस्तित्व तथा विकास प्राचीन समय से है। मैगेस्थनीज ने अपनी पुस्तक ''इण्डिका'' में लिखा है कि मौयों ने अपनी राजधानी पाटलीपुत्र के लिए नगर प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की थी। मुस्लिम काल में नगर प्रशासन ''कोतवाल'' नामक अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। ब्रिटिश काल में भारत में प्रचलित देशीय संस्थाओं के ढांचे को अपनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर–निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की। इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए। सन् 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से नगर प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण प्रारम्भ हुआ। स्थानीय सरकार के इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण चरण 1909 में विकेन्द्रीकरण पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ। इस कमीशन ने नगर–अधिकारियों को अधिक स्वायतता शक्तियां देने पर बल दिया जो कि 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत विषयों में एक अधिनियम बन गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् नगर प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पिछले दो–तीन दशकों के दौरान नगरीय संस्थाओं को नया प्रोत्साहन

मिला। सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की प्रथा को समाप्त करके नगरीय संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया। 74 वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय प्रशासन में निर्वाचित सदस्यों को पर्याप्त शक्तियाँ दी गई है।

नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में राजस्थान कुछ अग्रणी प्रांतों में रहा है। इस प्रदेश में प्रथम नगर पालिका की स्थापना आबू में 1865 में हुई थी। 1885 तक बीकानेर, जोधपुर तथा कोटा में भी नगर पालिकाऐं स्थापित की गई थी। किन्तु इन संस्थाओं पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत होने के कारण ये नाम मात्र की स्वायत्तता का उपभोग कर पाती थी। स्वतंत्रता के पश्चात् 22 देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना तब सामान्य कानून की आवश्यकता अनुभव की गई। 1951 में राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रमुख नगरों को छोडकर सभी कस्बों की नगर पालिकाऐं शासित होने लगी। 1959 में अजमेर एवं माउंट आबू राजस्थान में सम्मिलित किये गये, तत्पश्चात राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नगरों तथा कस्बों की नगरपालिकाओं के प्रशासन के लिए 1959 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत ही राजस्थान के विभिन्न नगरों तथा कस्बों की नगर परिषदों और नगर पालिकाओं का संचालन होता है। आज राजस्थान में लगभग 189 निकाय कार्यरत है।

अतीत से लेकर वर्तमान तक जयपुर के शहरी स्वायतता के सफर का वृतांत उतना ही रोचक है जितना एक था राजा की कहानियों में किंवदंतियां होती है। जयपुर नगर का विधिवत गठन 1727 में महाराजा जयसिंह ने अत्यन्त योजनाबद्ध रूप से किया था। इस नगर को सुव्यवस्थित रूप से चलाने और इसके सौन्दर्य को यथावत बनाये रखने हेतु 1869 में महाराजा रामसिंह ने शहर में नगर कमेटी की स्थापना करवाई ताकि नागरिकों की सुविधाओं का समय पर ध्यान रखा जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जयपुर नगर का इतिहास स्वायत्त शासन संस्थाओं में महत्वपूर्ण प्रयास कहा

जा सकता है। जब लॉर्ड मेयों भारत के गवर्नर जनरल बने तब महाराजा रामसिंह ही जयपुर के सिंहासन पर आसीन थे। महाराज रामसिंह अद्भूत व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी मैत्री लॉर्ड मेयों से थी। इनकी मैत्री के कारण ही मेयों द्वारा महाराजा रामसिंह को नगर कमेटी की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया तब 1870 में प्रथम स्वायत्त शासन संबंधी कानून लागू हुआ तब सम्पूर्ण देश में स्वायत्त शासन की एक लहर सी दौड़ गई क्योंकि इसी कानून के अंतर्गत देश के प्रमुख नगरों में परिषदों की स्थापना हुई। तब जयपुर नगर कमेटी को इस कानून के तहत सबसे पहले बसाया गया।

नगर परिषद का गठन होने से पूर्व नगर की सफाई का काम स्वास्थ्य विभाग के अधीन था। इसके प्रारम्भिक कार्यों में सफाई व्यवस्था ही प्रमुख कार्य रखा गया था। जब नगर परिषद का गठन हुआ तब इसको सफाई के साथ शहर को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया। सन् 1880 में जब जयपुर में सवाई माधोसिंह का शासन काल था तब नगर कमेटी को कुछ और मजबूत स्वरूप प्रदान किया गया था। इसी समय पहली बार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और सफाई संबंधी ट्रामवें, सार्वजनिक तहारतों, कूड़े के लिए ट्रैचिंग ग्राउण्डस आदि बनाये गये थे। जयपुर नगर परिषद शहर के विकास की ओर अग्रसर थी। तभी भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड रिपन की नियुक्ति की गई जो कि लॉर्ड मेयो के समान ही स्व शासन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्थानीय स्व–शासन अधिनियम 1880 को पारित कर देश भर में इसे लागू किया और जयपुर नगर परिषद भी स्व शासन की इस दौड़ में एक कदम आगे बढ़ा।

परिषद की सीमाऐं उस समय रेजीडेंसी, रामबाग पैलेस, मोती डूँगरी, गलतागेट, लाल डूंगरी, काला महादेव, ब्रह्मपुरी, शीतल निवास व नाला अमानीशाह तक थी। परिषद की आय उस समय काफी सीमित थी। वह सरकार के एक विभाग के रूप में कार्य करती थी। इसकी सारी आय सरकारी

खजाने में भेजी जाती थी और सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करती थी। लगभग चार दशक तक परिषद अपने सीमित अधिकारों के अंतर्गत कार्य करती रही, लेकिन जब महाराजा सवाई मानसिंह 1922 में जयपुर के सिंहासन पर आसीन हुए तब परिषद के भाग्य का नया अध्याय लिखा गया और परिषद की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। अपने जन्म से लेकर 1928 तक परिषद को म्युनिसिपल कमेटी कहा जाता था किन्तु तत्पश्चात इसे म्यूनिसिपल बोर्ड कहा जाने लगा और पहली बार म्यूनिसिपल नियम एवं उप नियम बनाये गये। अभी तक म्यूनिसिपल प्रशासन पुरानी परम्पराओं के तहत जिन्हें ''दस्तूर–उल–अलम'' कहा जता था, के अनुसार ही संचालित होता था लेकिन नये नियम आने से बोर्ड को कुछ व्यापार–धंधों पर ''लाइसेंस फीस'' लागू करने एवं वसूल करने का अधिकार दिया गया।

इसके पूर्व म्यूनिसिपल बोर्ड ने कभी कोई कर लागू नहीं किया था न ही सरकार ने उस प्रकार के अधिकार दिये थे। इस समय बोर्ड के कुल मिलाकर 26 सदस्य होते थे और यह सब गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिकों में से थे जिन्हें सरकार नामजद करती थी। बोर्ड को अब मकान बनाने एवं पुनः निर्माण के नियंत्रण, भूमि के विक्रय, भूमि को किराये पर देने, तहबाजारी से किराया वसूल करने, बैलगाड़ी, ठेला एवं सवारी गाड़ियों को नियंत्रण करने एवं व्यापार–धंधों पर लाईसेंस लगाने के अधिकार दे दिये गये थे। इस समय के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बोर्ड की वार्षिक आय एक लाख रूपये एवं व्यय लगभग 80 हजार रूपये था। लगभग एक दशक तक परिषद के प्रशासन में सुधार एवं इसके अधिकारों में वृद्धि का क्रम चलता रहा और जब यह एक सुयोग्य एवं कुशल प्रशासन का विकास कर रही थी तभी स्वायतता शासन के संबंध में युगांतकारी निर्णय किया गया।

सन् 1937 में जयपुर सरकार ने अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित शासन देने का निश्चय किया और सन् 1938 में जयपुर नगर

पालिका का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार निर्वाचकों को अपना प्रतिनिधि चुनकर बोर्ड में भेजने का अधिकार मिला था। इस समय संस्था में स्वायत्त शासन युग का प्रारम्भ हुआ। तत्पश्चात 1 जनवरी 1944 को नगर पालिका अधिनियम 1943 के अनुसार यह संस्था नगर परिषद के रूप में मनोनित कर दी गई। समय–समय पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। 1 नवम्बर 1946 से संस्था का कोष भी स्वतंत्र रूप स्थापित किया गया। धीरे–धीरे संस्था के कार्यक्षेत्र व क्षेत्रफल में बढोतरी होती गई।

सन् 1959 में राजस्थान सरकार ने नगर पालिकाओं के संबंध में एक नया अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार नामजदगी की प्रणाली को लगभग समाप्त कर दिया गया। 10 नवम्बर 1961 को नगर परिषद के चुनाव कराये गये। इसके साथ ही यह निर्वाचन प्रणाली सुदृढ़ होती चली गई। परन्तु उस समय परिषद की आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब बनी रही। इसी कारण लंबे समय तक परिषद सफाई के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकी। काफी समय पश्चात भारत सरकार की सहायता से परिषद ने भूमिगत नालियां बनाने का कार्य किया। सन् 1959 से 1992 तक का लम्बा समय परिषद द्वारा शहर का विकास करते हुए व्यतीत हुआ। इस दौरान शहर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई व नागरिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना एक दुष्कर कार्य हो गया। ''अतः 1992–93 में जयपुर में बिना किसी विशेष अधिनियम के ही नगर निगम की स्थापना की गइ''।[9]

74 वां संविधान संशोधन

देश की सम्पूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में नगरीय क्षेत्रों की अपनी एक विशेष भूमिका है। इस भूमिका को निभाने के लिए आवश्यक है कि स्वायत्त प्रशासन नगरीय क्षेत्रों में सुदृढ़ हो, सुनियोजित हो और प्रभावी रूप से संचालित हो। यह भी आवश्यक है कि शहरी योजना की क्रियान्विति व संचालन में क्षेत्रीय नागरिकों की प्रभावी भागीदारी हो। इसी संदर्भ में देश के

74वें संविधान संशोधन का अपना एक विशेष महत्व है। इससे इन स्थानीय निकायों को न सिर्फ एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, अपितु यह भी सुनिश्चित किया है कि ये संस्थाऐं केवल नाम–मात्र की न होकर स्वायतता प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।

संविधान संशोधन के अनुरूप ही राज्य में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में आवश्यक प्रावधान तय किये जाकर राज्य की कुछ नगर पालिकाओं में वर्ष 1994 में एवं शेष नगर पालिकाओं में वर्ष 1995 में चुनाव करवाये गये।

निर्वाचित बोर्ड

29 नवम्बर 1994 को जयपुर नगर निगम के चुनाव सम्पन्न हुये। इस चुनाव में शहर को कुल 70 वार्डों में विभक्त किया गया। इन वार्डों में से 37 सामान्य, 23 महिलाओं, 8 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति एवं 10 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जयपुर शहर के प्रथम महापौर के रूप में श्री मोहन लाल गुप्ता एवं उप महापौर के रूप में श्री घनश्याम शर्मा का चुनाव किया। वर्ष 1999 में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ। 29 नवम्बर 1999 को जयपुर नगर निगम में दूसरे निर्वाचित बोर्ड ने महापौर श्रीमती निर्मला वर्मा के नेतृत्व में कार्यभार संभाला तथा उपमहापौर के रूप में श्री पवन शर्मा निर्वाचित हुए।

16 अगस्त 2002 को श्रीमती वर्मा के असामयिक निधन के कारण उपमहापौर पवन शर्मा ने कार्यकारी महापौर का पद ग्रहण किया।

74 वें संविधान संशोधन में निर्धारित नियमों के अनुरूप वर्ष 2002 में शहर के वार्ड 36 से निर्वाचित होकर जयपुर नगर निगम के महापौर के रूप में श्रीमती शीला धाभाई ने कार्यभार संभाला एवं शहर के विकास को नये आयाम प्रदान किये। वर्ष 2004 में शहर के वार्ड नं0 32 ये निर्वाचित होकर श्री अशोक

परनामी ने महापौर के रूप में व श्री पंकज जोशी ने उपमहापौर के रूप में कार्य किया। वर्ष 2008 में अशोक परनामीजी के विधायक पद पर निर्वाचित होने पर श्री पंकज जोशी ने महापौर पद संभाला। वर्ष 2009 में सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर श्रीमती ज्योति खंडेलवाल ने महापौर व श्री मनीष पारीक ने उपमहापौर पद का कार्यभार संभाला। वर्ष 2014 में वार्ड नं0 26 से निर्वाचित होकर श्री निर्मल नाहटा ने महापौर व वार्ड नं0 74 से निर्वाचित होकर श्री मनोज भारद्वाज ने उपमहापौर का पद संभाला।

जयपुर नगर निगम का कार्यक्षेत्र

निर्वाचित नगर निगम बोर्ड का पहला ध्येय शहर का विकास जन–आकांक्षाओं के अनुरूप करने का रहा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सदस्यों ने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, एवं कडी मेहनत के साथ शहर की व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया। जिसके कारण निगम के सैद्धान्तिक कार्यों में बुनियादी परिवर्तन आया। निगम के कार्य अब अधिक पारदर्शी एवं सार्थक बनने लगे। विकास कार्यों को आम जनता से जोड़ा गया जिससे इन कार्यों के प्रति नागरिकों का लगाव उत्पन्न हुआ। विकास कार्यों को और अधिक जनोपयोगी बनाने के प्रयास किये गये। प्रथम निर्वाचित बोर्ड ने जयपुर शहर को स्वच्छ, सुन्दर एवं हरा–भरा बनाने का संकल्प लिया एवं नगर के विकास में कई ऐतिहासिक अध्यायों को जोड़ा है वर्तमान में जयपुर नगर निगम का कार्यक्षेत्र 91 वार्डों में विभक्त है। सम्पूर्ण शहर को प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्न 8 जोन में विभक्त किया गया है।

1. मोती डूंगरी जोन
2. हवामहल (पश्चिम) जोन
3. हवामहल (पूर्व) जोन
4. विद्याधर नगर जोन
5. सिविल लाइन जोन

6. सांगानेर जोन

7. मानसरोवर जोन

8. आमेर जोन

प्रत्येक जोन में आने वाले वार्ड निम्न प्रकार हैः–

मोतीडूंगरी जोन	वार्ड सं. 51,53,54, 59 से 62 64 से 65	(09 वार्ड)
हवामहल (पूर्व)	वार्ड सं0 63,66 से 73, 85 से 86	(11 वार्ड)
हवामहल (पश्चिम)	वार्ड सं. 74 से 75, 77 से 78, 83 से 84	(06 वार्ड)
विद्याधर नगर	वार्ड सं. 1 से 14,23 से 25, 79 से 82	(21 वार्ड)
सिविल नगर	वार्ड सं. 15 से 22, 26 से 28, 30, 56 से 58, 76	(16 वार्ड)
सांगानेर	वार्ड सं0 35 से 39, 45 से 50, 52	(12 वार्ड)
मानसरोवर	वार्ड सं. 29,31 से 34,40 से 44,55	(11 वार्ड)
आमेर	वार्ड सं. 87 से 91	(05 वार्ड)

विगत शहरी स्थानीय सरकार (2004–2009) का गठन (चुनाव)

नगर निगम जयपुर में 70 वार्डों के लिए 24 नवम्बर 2004 में 2004–2009 के कार्यकाल के लिए चुनाव सम्पन्न हुए 25 नवम्बर 2004 को चुनाव नतीजे आये जिसमें भारतीय जनता पार्टी 40, कांग्रेस 22 तथा निर्दलीय 8 वार्डों में विजयी रही तथा भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा का बोर्ड बना[10]

27 नवम्बर 2004 को जयपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए पहली बार हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यासी अशोक परनामी ने कांग्रेस प्रत्यासी गुलाबनबी को बीस मतों से पराजित किया परनामी को कुल 45 मत प्राप्त हुए और अशोक परनामी महापौर चुने गये।[11]

28 नवम्बर 2004 को भाजपा के पंकज जोशी उपमहापौर बने।[12] 2 दिसम्बर 2004 को अशोक परनामी एवं पंकज जोशी ने क्रमशः महापौर एवं उपमहापौर का कार्यभार संभाला।[13]

2008 में अशोक परनामी के विधायक बन जाने के कारण शेष कार्यकाल के लिए पंकज जोशी महापौर बने।

नगर निगम जयपुर (2004–2009) की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

महापौर श्री अशोक परनामी जी एवं श्री पंकज जोशी जी के नेतृत्व में इस कार्यकाल में नगर निगम जयपुर ने जयपुर महानगर में अनेक विकास कार्यों को अंजाम देकर जयपुर महानगर की जनता को आवश्यक सहूलियतें प्रदान की। दोनों ही महापौरों के कुशल नेतृत्व में जयपुर नगर निगम ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हाँसिल की है ।

विकास कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः सरकारें कोई भी हो उनका कार्य करने का तरीका अलग–अलग हो सकता है। लेकिन ज्यादातर सरकारों का कार्य करने का तरीका तीन प्रकार से भी हो सकता हैः–

1. पूर्ववर्ती सरकारों के अधूरे कार्यों में से कुछ को पूर्ण करना कुछ को यथावत रखना।
2. वर्तमान सरकार के स्वयं के नियोजित कार्यों को पूर्ण करना।
3. आगामी सरकार के लिए आधार स्थापित करना या भविष्य के प्रस्तावित कार्य।

सरकार किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो उनमें से अधिकतर के शासन काल के अन्तिम वर्षों का बजट एवं प्रस्तावित कार्य चुनाव की दृष्टि में लोकलुभावनें होते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित कार्यों में से कुछ अतिआवश्यक कार्य होते हैं जिन्हें सरकारें यथासम्भव पूर्ण करना चाहती है लेकिन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों एवं चुनाव आचार संहिता के कारण उन

कार्यों का शुभारम्भ न होकर पूर्ण नहीं पाते हैं उन कार्यों को पूर्ण आगामी सरकारें करती है। अतः इस प्रकार के कार्यों की उपलब्धि का श्रेय उन सभी सरकारों को जाता है जिन्होंने इन कार्यों को पूर्ण किया व प्रस्तावित किया था। इस प्रयोजन के पक्ष को निम्न कारण एवं उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

- प्रत्येक सरकार यथा सम्भव अगले कार्यकाल में भी सत्ता में आने तथा अपने पिछले कार्यकाल के अधूरे एवं प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करने का भी प्रयास करती है।
- जन सुविधाओं के लिए किए गए विकास कार्य एक सतत् एवं निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है जो दीर्घकाल तक जारी रहती है।
- जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन है लेकिन व्यवहारवाद का श्रेय ग्राहम वालस, ए.एफ. बैण्टले तथा चार्ल्स मोरियम को भी जाता है।
- भारत में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (UPA) सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण एवं जीएसटी बिलों को वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (NDA) सरकार कुछ संशोधनों के जरिये इन्हें संसद के दोनों सदनों में पारित कराने का हरसम्भव प्रयास कर रही है।
- बहुत से विकास कार्यों में राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश की जाती है भलै ही ये विकास कार्य वर्तमान में जनता के अनुकूल हो या न हो। इस दृष्टि से भी प्रस्तावित कार्यों में सभी सरकारों की उपलब्धि माना जाना या तो उचित या अनुचित होगा। जैसे जयपुर महानगर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए पिछली वसुन्धरा सरकार (2003–08) ने जयपुर में सर्वे कराया लेकिन मेट्रो मैन श्रीधरन द्वारा जयपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को तत्कालीन समय में आवश्यक नहीं बताया। उस समय केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (UPA) सरकार तथा राजस्थान में भाजपा

सरकार थी। लगभग 1 वर्ष के अन्तराल में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ कॉंग्रेस (गहलोत सरकार) सरकार सत्ता में आ जाती है। फिर केन्द्र और राज्य दोनों में समान राजनीतिक दल की सरकार हो जाती है। नवीन सरकार द्वारा पुनः इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे कराया जाता है और इस प्रोजेक्ट का कार्यारम्भ हो जाता है। गहलोत सरकार द्वारा मेट्रो रेल को अपने कार्यकाल में ही शुरू करने के लिए जी तोड़ कोशिश की गई लेकिन असफल रही। हालांकि इस प्रोजेक्ट का अधिकतर कार्य इसी सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हो चुका था। दिसम्बर 2013 में राजस्थान में पुनः सत्ता परिवर्तन के साथ वसुन्धरा सरकार सत्ता में आ जाती है और वसुन्धरा सरकार के कार्यकाल में मेट्रो रेल का शुभारम्भ हो जाता है लेकिन बाद में वर्तमान मुख्यमंत्री (वसुन्धरा जी) ने भी इस प्रोजेक्ट को जयपुर के लिए फिलहाल अनुकूल नहीं बताया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ही शुरूआती प्रयास कर सर्वे कराया था। इस प्रकार के उदाहरण सरकार की उपलब्धि में प्रश्न चिह्न लगाते है।

उपरोक्तानुसार हम कह सकते है कि सरकार के प्रस्तावित एवं प्रगतिरत कार्य भी उसकी उपलब्धि होती है क्योंकि आगामी सरकार इन कार्यों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष से अवगत होकर तथा आंशिक एवं वृहद रूप में संशोधन कर इनको पूर्ण करने का प्रयास करती है।

अतः नगर निगम जयपुर भी उक्त तरीके से ही कार्य करता आ रहा है अर्थात् अशोक परनामी जी एवं पंकज जोशी जी महापौर के नेतृत्व में नगर निगम जयपुर ने इस कार्यकाल (2004–2009) में पूर्ववर्ती सरकारों के कुछ प्रस्तावित, प्रगतिरत विकास कार्य तथा कुछ स्वयं के नियोजित विकास कार्य पूर्ण किये साथ ही साथ कुछ भविष्यगामी प्रस्तावित विकास कार्यों की घोषणा करके अनेक उपलब्धियाँ हांसिल की थी।

निगम शहर के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। निगम के 2004–2009 के कार्यकाल में गत् साढ़े चार वर्षों में लगभग 230 करोड़ रूपये के विकास कार्य करवाये गये इन विकास कार्यों में लगभग 1500 कि.मी. सड़कों, 200 कि.मी. नालियों, 200 से अधिक उद्यानों, 30 सामुदायिक केन्द्रों, 66 जन सुविधा केन्द्रों, 6 अति आधुनिक जन सुविधा केन्द्रों, 45 वार्ड कार्यालयों एवं 32 स्थानों पर अक्षय कलेवा केन्द्रों का निर्माण, 30 मोक्षधामों का निर्माण एवं विकास शामिल थे। तीस हजार से अधिक नई स्ट्रीट लाइटें लगाकर जयपुर शहर एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों को जग–मग किया था।[14]

2004–2009 के कार्यकाल में गत साढ़े चार वर्षों में शहर का सर्वांगीण विकास पर्यावरण सुधार, ठोस कचरा प्रबन्धन, जन सुविधाऐं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, कच्ची बस्तियों के विकास व नियमन तथा मोक्षधामों के विकास के रूप में किया था।[15]

जयपुर शहर में विकास कार्य 5 बिन्दुओं स्वास्थ्य सुरक्षा, संरक्षण, पर्यावरण एवं महानगरीय विकास के मद्दे नजर किये गये थे। ये 5 सूत्र शहर में विकास के साथ–साथ कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता भी लाये थे।[16]

शहर में निम्न पाँच बिन्दुओं पर विकास कार्य किये गये :-

1. स्वास्थ्य

इस कार्यकाल के गत चार वर्षों में शहर की सफाई व्यवस्था को विकास कार्यों से जोड़कर सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया गया।[17]

समग्र सफाई व्यवस्था :-

हवामहल पूर्व, पश्चिम, सांगानेर के प्रतापनगर तथा वार्ड नं0 –3 में समग्र सफाई व्यवस्था लागू की गई थी। योजना के तहत घर–घर कचरा एकत्रित

करने का कार्य करवाया जा रहा था। स्वच्छता मित्र आपके द्वार योजना में स्वयंसेवी संस्थाओं और मौहल्ला विकास समितियों का सहयोग लिया गया।[18]

सफाई व्यवस्थाः-

पूर्व में कचरा परिवहन की व्यवस्था कचरा डिपो से कचरा उठा कर खुले ट्रेक्टरों से ट्रन्चिग ग्राउण्ड पहुँचाया जाता था एवं ट्रन्चिग ग्राउण्ड की रिपोर्ट से संविदाकार को भुगतान किया जाता था। इस व्यवस्था में पारदर्शिता व सुधार लाने एवं आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए एम. एस. डब्लयू 2000 रूल्स की पालना करते हुए कचरा डिपो से कचरा बन्द वाहनों में ट्रन्चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया जा रहा था एवं नाप तौल के आधार पर संविदाकार को भुगतान किया गया। शहर के प्रमुख बाजारों एवं प्रमुख स्थलों पर अत्याधुनिक कचरापात्र रखवाये गये।[19]

रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था :-

शहर के मुख्य बाजारों में रात्रि में सफाई कराने का कार्य करवाया जा रहा था। यह कार्य मुख्य रूप से खासा कोठी से कलक्ट्रेट चौराहे तक, संजय सर्किल से झोटवाड़ा रोड, पानीपेच तक, रेल्वे स्टेशन से चिंकारा कैन्टीन तक, पांचबत्ती चौराहे से अजमेरी गेट तक, जवाहर नगर टीला नं0 7 से ट्रासपोर्ट नगर चौराहे तक, गर्वमेन्ट सर्किल से संजय सर्किल तक, खासा कोठी से पांचबत्ती तक, खासा कोठी से पुराने पागल खाने स्टेशन रोड तक, सहकार मार्ग, लालकोठी सब्जी मंडी के आस–पास, चांदपोल से छोटी चौपड़, छोटी चौपड से किशनपोल, छोटी चौपड से त्रिपोलिया, चौडा रास्ता, इन्दिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार में लागू की गई थी। जिसके सुदृढ़ परिणाम सामने आये।[20]

कचरा ट्रांसफर स्टेशनः-

शहर में 5 स्थानों पर अत्याधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनवाये जा रहे थे। कचरा ट्रांसफर स्टेशन मुख्य रूप से–गुर्जर की थडी, प्रताप नगर, गलता गेट, विधाधरनगर, झालाना बाईपास, सुशीलपुरा पर बनाया जाना प्रस्तावित था।[21]

कचरे से ऊर्जा बनाने का संयत्र :-

लांगडियावास में कचरे से ऊर्जा बनाने का 20 करोड़ की लागत का संयत्र बी.ओ. टी. पद्धति पर लगाया गया था इस संयत्र में कचरे से पेलेट्स बनाये जाना था जो सीमेन्ट प्लान्ट में युल के रूप में उपयोग में लेना था संयंत्र प्रयोगात्मक रूप से शुरू हो गया था।[22]

सैनेटरी लेण्डफिल साइट :-

लांगडियावास ग्राम में ही 200 बीघा भूमि पर वैज्ञानिक विधि से सैनेटरी लैण्डफिल साइट विकसित की जा रही थी। इस पर लगभग 5 करोड रूपये लागत आने की सम्भावना थी। जिससे शहर की कचरे की समस्या का निस्तारण होने की संभावना थी।[23]

ग्रीन लाइन योजना :-

होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्ट, विवाह स्थलों से उत्पन्न कचरे के शीघ्र निस्तारण के लिए ग्रीन लाइन योजना लागू की जाने की संभावना थी। योजना से शहर के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेन्टों को जोड़ा जाना था।[24]

कम्पोस्ट प्लान्ट :-

सेवापुरा ग्राम में 250 टन कचरे के दैनिक निस्तारण के लिए खाद बनाने का कारखाना 20 बीघा जमीन में लगाया जा रहा था। इस योजना पर

8 करोड़ 94 लाख रूपये व्यय होने की संभावना थी। यह प्लान्ट ऐरोवीक विड्रो कम्पोसटिंग पद्धति पर आधारित था।[25]

बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट संयत्र

बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ शहर में आवश्यकतानुसार सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लैब आदि स्थापित हो रहे है। इन सभी से उत्पन्न होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट की आवश्यकता थी। पूर्व में खोरी रूपाडी ग्राम में बी.ओ.टी आधार पर एक और संयत्र की स्थापना की गई थी। ऐसा ही एक और संयत्र ग्राम खोरीरूपाडी स्थापित किया जा रहा था। इस संयत्र से जयपुर शहर की आवश्यकता के साथ–साथ 150 किलोमीटर परिधि में उत्पन्न होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण होने की संभावना थी।[26]

निगम गैराज :–

जयपुर नगर निगम के कार्यों में गैराज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से गैराज का आधुनिकीकरण किया गया था तथा गैराज में नयी मशीनरी के रूप में डोजर, एक्सीवीलेटर जे.सी.बी., फन्ट एवं लोडर, डम्पर, सीवर जेंटिग मशीन, आटों जेंटिग मशीन, काम्पेक्टर, केटल केरियर, रोड स्वीपर, क्रेन निपुन अतिआधुनिक मशीनरी को शामिल किया गया था। इन सभी का संचालन शहर में 6 स्थानों पर स्थापित गैराजों से किया गया था। शहर के 70 में से 41 वार्डों में कचरा परिवहन का कार्य सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में इलेक्ट्रिक होइस्ट, आवारा पशु नियंत्रण, अतिक्रमण निरोधक कार्य, उद्यान शाखा, अग्निशमन, आपदा प्रबन्धन जैसे सभी कार्यों में गैरेज की भूमिका रहती है।[27]

गैराज नवीनीकरण :-

गैरेज की नवीनीकरण योजना के तहत 101.97 लाख की लागत से 9 टाटा–709, 8 डीपी उपकरण, 94 तीन घनमीटर क्षमता के डीपी कनटेनर, 10 स्ट्रेटीक काम्पेक्टर, 30 हुक लोडर, 20 घनमीटर के 30 डीपी कनटेनर, 1 बुलडोजर, 1 एके वेटर लोडर क्रय किये जा रहे थे। शहर के विभिन्न वार्डो में 7 घनमीटर क्षमता के 100 तथा 2.5/3 घनमीटर क्षमता के 385 तथा 4.5 घनमीटर क्षमता के 30 तथा 1.1 घनमीटर क्षमता के 525 कचरा पात्र रखवाये गये हैं तथा शीघ्र ही 94 कचरापात्र 3 घनमीटर क्षमता के एवं 715 कचरापात्र 1.1 घनमीटर क्षमता के और मंगवाये गये। इस कार्यकाल में शहर के 19 वार्डो को पूर्णतया कनटेनराइज कर दिया गया था।[28]

कारकस संयत्र का नवीनीकरण :-

मृत पशु निस्तारण केन्द्र कारकस परियोजना चैनपुरा का नवीनीकरण 75 लाख रूपये की लागत से करवाकर इसकी क्षमता बढायी गई। क्षमता बढ़ाने के बाद प्रतिदिन कारकस संयत्र में 75 बडे मृत पशुओं का निस्तारण किया जाता था। शीघ्र ही शहर में 3 और कारकस संयत्र स्थापित करने की संभावना थी।[29]

स्लॉटर हाउस स्थानान्तरण :-

शहर में होने वाली गन्दगी पर रोक लगाने तथा स्वच्छता बनाए रखने हेतु मोती डूंगरी से स्लॉटर हाउस को चैनपुरा ग्राम में स्थानान्तरित किया गया।[30]

बूचडखाना स्थानन्तरित :-

शहर में अवैध बूचडखाने जो शहर में विभिन्न स्थानों में रिहायशी क्षेत्र में थे, को बन्द कराकर रामगढ़ रोड पर ग्राम चैनपुरा में हलाली, पशुवधगृह,

झटका पशुवधग्रह, बकरे मेडे, भैस, पाडे आदि के लिए पशुवधगृह का निर्माण कराकर आम नागरिकों को राहत प्रदान की गई थी।[31]

हिर्गोनिया गौशाला :-

शहर में आवारा विचरण करते हुए पशुओं की समस्या से निजात के लिए हिगोंनिया ग्राम में 256 बीघा भूमि पर आदर्श गौशाला के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर था वहां पर एक बडे सुअर बाडे का निर्माण करवाया गया हैं जहां पर आवारा पशओं को रखा गया था। इस कार्यकाल में गौशाला में 4250 पशु थे। जिनकी उचित देखरेख के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की गई थी। गौशाला में हरा चारा पैदा करने का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया था।[32]

श्वान घर :-

शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निजात के लिए प्रयास किये गये तथा शहर को पूर्णतया रैबीज मुक्त बनाया गया। आवारा कुत्तों की नसबन्दी के लिए स्वयं सेवी संस्था की सहायता ली गई थी। जयसिंहपुरा खोर में श्वानघर का निर्माण करवाया गया।[33]

2. सुरक्षा

सार्वजनिक प्रकाश-व्यवस्था:-

शहर में डेढ लाख विद्युत पाइन्टों का संधारण का कार्य प्रगति पर था। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया था। विद्युत पाइन्टों पर सोलर–टाईमर लगाकर विद्युत अपव्यय पर रोक लगाई गई शहर में प्रमुख स्थानों पर हाईमास्ट लाईटें लगायी गई। तथा विभिन्न स्थानों पर 8 विद्युत कंट्रोल रूम स्थापित कर शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण किया गया था। चार वर्षों में शहर में 26825 नई लाईटें लगाई गई। उद्यानों में

विद्युतीकरण कार्यों पर 94 लाख 97 हजार रूपये तथा विद्युत संबंधी अन्य कार्यों पर 2 करोड़ 25 लाख 50 हजार रूपये व्यय किये गये थे।[34]

जयपुर नगर निगम के प्राथमिक कार्यों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था प्रमुख है। इस हेतु कार्यकाल में कुल 70 वार्डों में से 53 वार्डों में रोड लाइट रखरखाव कार्य संविदाकारों द्वारा कराया जा रहा था एवं शेष 17 वार्डों में विभागीय कर्मचारियों से रोड़ लाईट संधारण का कार्य प्रगति पर था।[35]

विद्युत लाइनों में वृद्धि :-

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा वर्तमान में जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर ओवर हैड लाइनों के भूमिगत करने का कार्य प्रगति पर था। पुरोहित जी का कटला, चार दीवारी के मुख्य बाजारों में ओवर हैड़ वायरों का भूमिगत कार्य भी जयपुर विद्युत वितरण निगम के माध्यम से कराया गया। इसके तहत जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा सुभाष चौक, सांगानेरी गेट, पांच बत्ती से खासा कोठी, सिविल लाईन, खातीपुरा रोड़, पानीपेच, निर्माण मार्ग, रेलवे स्टेशन से जनाना हॉस्पीटल, सोडाला, सरदार पटेल मार्ग, जैकब रोड़, रामबाग सर्किल से नारायण सिंह सर्किल, झोंटवाड़ा रोड़ टोंक रोड़ दुर्गापुरा, चार दीवारी क्षेत्र के मुख्य बाजार, जलेबी चौक, जंतर–मंतर तालकटोरा, पोड्रीरीक पार्क, ईमली वाला फाटक, सीवरेज फार्म, विद्याधर नगर, बजाज नगर एन्क्लेव, सीकर रोड़ से लोहा मण्डी मुख्य पार्क आदि स्थान पर ओवर हैण्ड वायर हटाने का कार्य पूर्ण हो चुका था एवं राजविलास से ट्रांसपोर्ट नगर, गांधी पथ वैशाली नगर, गोविन्द मार्ग, अंकुर सिनेमा से निर्माण मार्ग, कान्तीचन्द रोड़ विद्याधर नगर, सेक्टर–8 के पास एमजीपी स्कूल अम्बावाडी पोलोविक्ट्री से गणपति प्लाजा तक, ज्योति नगर, किसान मार्ग, वन विहार से ईमलीवाला फाटक, गोविन्द देवजी मन्दिर गणगौरी बाजार व सुभाष चौक ब्रह्मपुरी आदि स्थानों पर ओवर हैड़ लाइन हटाने का कार्य प्रगति पर था।[36]

अग्निशमन व्यवस्था :-

चालू वित्तीय वर्ष में शहर में 10 नये फायर स्टेशन बनाये जाने की योजना थी। आमेर में 38 लाख रूपये की लागत से नया फायर स्टेशन बनाया जा रहा था। औद्योगिक क्षेत्र नायला में अतिआधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग सेन्टर 1 करोड़ 96 लाख की लागत से बनाये जाने की संभावना थी। शीघ्र ही मालवीय नगर में रीकों द्वारा 500 वर्गगज भूमि फायर स्टेशन बनाने के लिए एवं एक गाड़ी फायर की निगम को दी जानी प्रस्तावित थी। झोटवाडा में 233 वर्गगज भूमि पर फायर स्टेशन बनाया जाना था। शहर में दस स्थानों पर और फायर स्टेशन बनाये जाने थे। उनमें दिल्ली बाईपास, सिरसी बिनायका, टोडी सीकर रोड़, चित्रकूट, वैशाली नगर, मदरामपुरा सांगानेर, लुनियावास जगतपुरा, वार्ड नं0 21 व सरनाडूंगरी शामिल थे। घाटगेट फायर स्टेशन पर 2000 लीटर का अन्डरग्राउन्ड वाटर टैंक बनाया जा रहा था। अग्नि शमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 3 नई जिप्सी, 1 ट्रेक्टर पर टैंकर का निर्माण करवाया गया। शहर की तंग गलियों में जाने के लिए 15 छोटी गाडियां तैयार की जा रही थी। बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन के लिए 6 करोड़ रूपये की लागत से स्नारगललेडर क्रय किया जा रहा था साथ ही लिटिंग हाड बैग, रेस्कयु, बी.ए. शेड, गैस सिलेण्डर, सरकयुलर कटर, कम्प्रेशन सैट, हाइड्रोलिक टूल्स क्रय किये जा रहे थे।[37]

3. महानगरीय विकास

ई-गर्वनेन्स :-

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक क्रान्ति के युग में जनता की आवश्यकता के अनुरूप नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से ई–मित्र परियोजना लागू की गई। जयपुर नगर निगर में योजना के तहत नगर सम्पत्तियों का सर्वे, गृहकर बिलिंग एवं संग्रहण, लीज बिलिंग एवं संग्रहण, दोहरा लेखा पद्धति पर

आधारित लेखे तैयार करना, स्टोर एवं वर्कशॉप के प्रबंध हेतु प्रणाली, सम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली, किराया सम्पत्तियों की बिलिंग और लेखें, व्यवसायों के लिए लाइसेंस, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, संस्थापन एवं वेतन बिल, ऑनलाइन रोकड़ संग्रहण प्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली, न्यायिक प्रकरणों की मॉनेटरिंग, भवन निर्माण अनुमति, योजनाओं का डेटाबेस, कच्ची बस्ती प्रबंधन प्रणाली, ठोस कचरा प्रबंध प्रणाली, अनुपयोगी पानी की प्रबंधन प्रणाली रोड लाइट प्रबंधन प्रणाली आवारा पशु प्रबंधन प्रणाली, होर्डिंग प्रबंधन प्रणाली, निर्माण कार्यों की प्रबन्धन प्रणाली का कार्य किया जा रहा था। जिससे आम नागरिकों को त्वरित लाभ प्राप्त हो रहे थे।[38]

सिटीजन हैल्पलाइन सेन्टर :-

जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए निगम मुख्यालय सहित सभी जोनल कार्यालयों में सिटीजन हैल्पलाइन सेन्टर का निर्माण किया गया था। जहाँ सफाई, सीवर, सार्वजनिक प्रकाश, आवारा पशु संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा था। साथ ही गृहकर, लीज, लाइसेंस फीस आदि जमा करने की व्यवस्था और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था की गई थी।[39]

अत्याधुनिक बीओटी टायलेट्स :-

शहर की सफाई व्यवस्था को विकास कार्यों से जोडकर जन सुविधाओं का विस्तार किया गया। शहर में 66 जन–सुविधा केन्द्र, 6 अति आधुनिक जन–सुविधा केन्द्र तथा बीओटी आधारित 12 जनसुविधा केन्द्रों का निर्माण किया गया। प्रत्येक जनसुविधा केन्द्र के निर्माण पर औसतन 5–8 लाख रूपये की लागत आई थी। जनसुविधा केन्द्र पे एण्ड यूज के आधार पर संचालित हो रहे थे।[40]

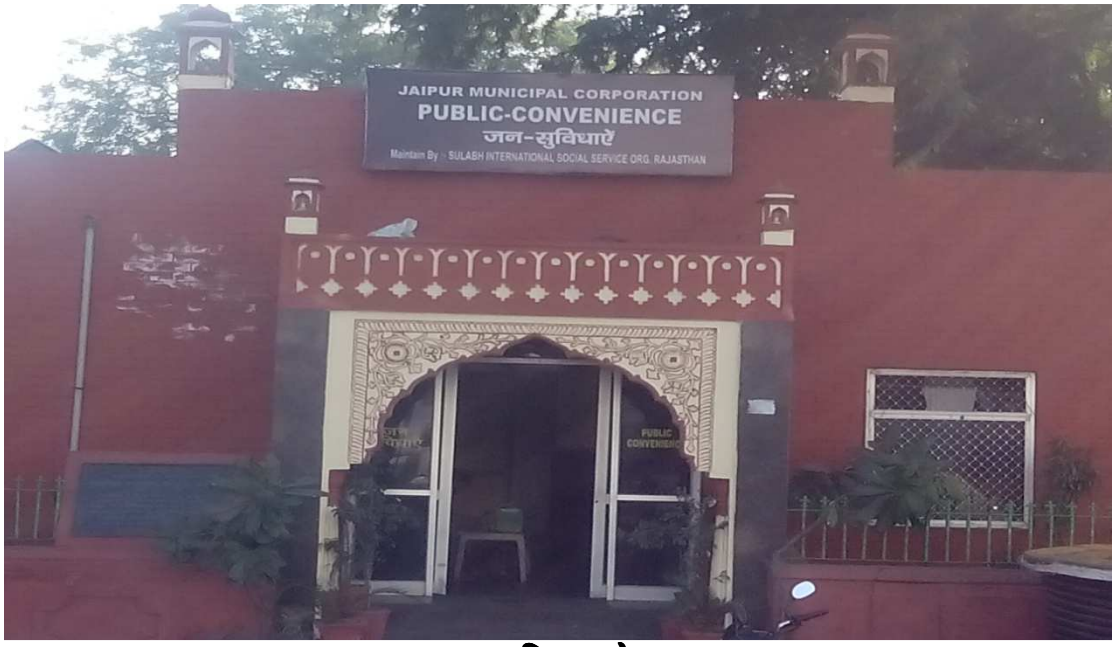

जनसुविधा केन्द्र

जन्म-मृत्यु पंजीयन :-

जन्म–मृत्यु पंजीयन योजना के तहत चार वर्षों में लगभग 1 लाख 90 हजार जन्म पंजीयन एवं 80 हजार मृत्यु के प्रकरणों का पंजीयन किया गया। राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं के लिए पंजीयन कार्यक्रम भी चलाया गया तथा विवाह पंजीयन योजना के तहत 3 हजार 837 प्रकरणों का पंजीयन किया जा चुका था।[41]

पार्किंग परियोजना :-

जयपुर शहर चार दीवारी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए रामलीला मैदान में भूमिगत पार्किंग स्थल का कार्य प्रगति पर था। शहर के भीतरी क्षेत्र में पार्किंग स्थलों की महती आवश्यकता को देखते हुए पुराने आतिश मार्केट में अत्याधुनिक पार्किंग स्थल निर्माण की योजना तैयार की गई थी। उक्त परियोजना पर प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। पुरातत्व विभाग से विचार–विमर्श कर शहर में विभिन्न स्थानों पर लघु पार्किंग स्थल विकसित किये जाने की संभावना थी।[42]

श्मशान–कब्रिस्तान विकास :–

शहर में स्थित विभिन्न अंतिम यात्रा स्थलों में विकास कार्य रोड़, नलकूप, जनसुविधाओं, उधान, संत्सग भवन व अन्य सुविधाओं के निर्माण पर 222.63 लाख रू. का व्यय किया गया।[43]

खारडा कच्ची बस्ती पुनर्वास योजना :–

कच्ची बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास योजना एक अनूठा प्रयास था जिसके तहत अजमेर रोड़ पर भांकरोटा के पास खारडा कच्ची बस्ती में, 'वाम्बे' परियोजना के तहत 335 सर्वेंधारी परिवारों को 'अपना घर अपना आंगन' योजना के तहत मकान आवंटन का प्रावधान था। योजना में लगभग 167.50 लाख रूपये की लागत आने का अनुमान था। आवासों का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी था।[44]

4. संरक्षण

विरासत संरक्षण:–

किसी भी शहर की असली सम्पदा वहां की विरासत होती है। जयपुर नगर निगम द्वारा विरासत संरक्षण योजना के तहत शहर में 10 बावडियों राजराजेश्वर बावड़ी, माजी की बावड़ी, गंगादासजी की बावड़ी, बंगाली बाबा की बावड़ी, परशुराम द्वारा की बावड़ी, विजय बाग बावडी, काला हनुमान बावडी, सुरा बावडी व तेलियों की बावडी का जीर्णोद्धार करवाया गया था। शहर में पुराने कुओं का भी जीर्णोद्धार करवाया गया। इस योजना से जहां एक ओर विरासत संरक्षण हो रहा था। वहीं जल के परम्परागत जलस्रोत पुर्नस्थापित हो रहे थे।[45]

हैरीटेज सिटी :-

शहर की ऐतिहासिक विरासत को बचाये रखने के लिए विरासत संरक्षण कार्य प्रारम्भ किया था। चारदीवारी के भीतर बरामदों, स्मारकों गेटों की मरम्मत एवं गुलाबीकरण का कार्य किया गया था। शहर के सभी मार्गों का सौन्दर्यकरण की योजना प्रारम्भ की गई थी। योजना के तहत जयपुर नगर निगम के द्वारा 14 प्रमुख मार्गों का सौन्दर्यकरण किया जाना प्रस्तावित था। इस योजना के तहत मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही हैरिटेज लुक की लाइटें, बैन्चें फुटपाथ, हरियाली तथा आईलेण्ड विकसित किया जाना प्रस्तावित था।[46]

वाटर हारवेस्टिंग सिस्टमः-

शहर में 11 राजकीय भवनों में 11 वर्षा जल पुर्नभरण संरचनाओं का निर्माण भूजल विभाग के माध्यम से कराया गया था।[47]

5. पर्यावरण

हरा-भरा शहरः-

शहर में 500 से अधिक उद्यानों का रखरखाव किया जा रहा था चार वर्षों में 175 नये उद्यानों का विकास किया गया था। शहर में विभिन्न थीम पर उद्यानों का विकास प्रारम्भ किया जा रहा था। दो लाख पौधे लगाने की योजना जारी थी। चौराहें, तिराहों, रोड डिवाईडर का सौन्दर्यकरण किया जा रहा था।[48] शहर के पार्कों में बैठने के लिए नई बैन्चें बच्चों के लिए खेल उपकरण आधिकतर पार्कों में लगाये जा चुके थे।[49]

सीवरेज कार्य:-

योजना के तहत अब तक 400 लाख रूपये के 40 कार्य स्वीकृत किये जाकर पूर्ण किये गये थे। इसके लिए 160 लाख रूपये जन–सहभागिता राशि आम नागरिकों से प्राप्त हो चुकी थी। पर्यावरण सुधार के लिए 225 करोड़ रूपये की परियोजना प्रारम्भ की गई। सीवर परियोजना में शहर के 80 प्रतिशत हिस्से को जोड़ा गया था। ढहलावास में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया गया था। सीवर कनेक्शन शिविरों का आयोजन कर सीवर कनेक्शन दिये गये थे।[50]

विविध

अक्षय कलेवा योजना :-

अक्षय कलेवा केन्द्र (सवाई मानसिंह चिकित्सालय)

जयपुर नगर निगम एवं अक्षय पात्र फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में शहर में 20 से अधिक स्थानों पर गरीब दैनिक मजदूरी करने वाले व रिक्शा चालकों एवं अन्य लोगों के लिए 5/– रूपये में शाम का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। योजना से उक्त कार्यकाल (2004 से 2008) तक।

597094 लोग लाभान्वित हुए है। योजना को शहर में 100 स्थानों पर लागू किया जाना प्रस्तावित हुआ। जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। योजना से स्वयं सेवी संस्थाओं, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा जा रहा है।[51]

रैन बसेरा :-

निगम द्वारा सर्दी के मौसम में बेघर लोगों को रात्रि विश्राम के लिए हर वर्ष शहर में 11 स्थानों पर अस्थाई रैन बसेरों का निर्माण किया जाता हैं। रैन बसेरों में रजाई, गद्दे, कंबल, पीने के पानी और प्रकाश व्यवस्था के साथ भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती थी।[52]

रैन बसेरा

घूमर महोत्सव 2007 :-

प्रदेश की संस्कृति में एक बार पुनः घूमर को जीवन्त करने के लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशों पर घूमर महोत्सव का

आयोजन दिनांक 03 नवम्बर, 2007 को जयपुर के ऐतिहासिक त्रिपोलिया बाजार गेट पर किया गया। यह आयोजन छोटी चौपड़ से लेकर बडी चौपड तक किया गया जिसमें लगभग 5000 महिलाओं/छात्राओं/बालिकाओं ने भाग लिया। घूमर महोत्सव की मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे थी। इस महोत्सव में लगभग 25–30 हजार दर्शकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम लगभग 2 घंटे चला। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने प्रतिभागियों के मध्य जाकर उनका हौसला बढ़ाया।[53]

जयपुर समारोहः–

जयपुर शहर के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित जयपुर समारोह का आयोजन हर वर्षं पूर्ण धूमधाम से किया गया। इस दौरान शहर के परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे घूमर, कवि सम्मेलन, तमाशा, हैला ख्याल, भक्ति संध्या, कव्वाली, गजल संध्या, चार बैंत, रामलीला जैसे कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।[54]

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन :–

भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत जयपुर शहर के विकास हेतु 4407 करोड़ रूपये की योजनाओं को शामिल करते हुए ''सिटी डवलपमेंट प्लान'' बनाया गया था। अरबन रिन्यूअल इन वॉल्ड सिटी एरिया स्वीकृत राशि 11.60 करोड़ थी। परियोजना के तहत शहर चारदीवारी क्षेत्र में वार्ड 58 में 775 लाख रूपये के कार्य जिनमे 49570 वर्ग मीटर सी. सी. सड़क 64900 वर्ग मीटर बी.टी. रोड़, 202 वर्ग मीटर नाला कवरिंग, 2600 मीटर फुटपाथ, का कार्य पूर्ण हो चुका था, इस परियोजना के 1009 लाख रूपये का कार्य पूर्ण हो चुका था।[55]

सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्वीकृत राशि 13.19 करोड़ थी। 3 घनमीटर के 94 कंटेनर क्रय, हाईड्रोलिक डम्पर के 9 चैसिस क्रय किये जा

चुके थे, दिल्ली बाईपास, झालाना बाईपास पर ट्रांसफर स्टेशन निर्माण, 4 गैराज चौगान, विद्याधर नगर, सिविल लाईन्स आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका था एवं ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य प्रगति पर था। सेनीटरी लैण्डफिल सुविधा विकसित करने हेतु राशि रूपये 10.92 करोड़ के कार्यादेश जारी कर दिये गये थे। वन विभाग के पेड़ काटने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।[56]

सीवरेज प्रोजेक्ट फेज –द्वितीय स्वीकृत राशि 110.86 करोड़ थी। परियोजना के तहत जयसिंहपुरा खोर एसटीपी, सिटी वाल क्षेत्र में प्रॉपर्टी कनेक्शन संवर्द्धन व ट्रॉसपोर्ट नगर दिल्ली बाईपास क्षेत्र में सीवर लाईन डालना एवं डेहलावास में स्थापित एसटीपी से उत्पादित होने वाली बायोगैस से बिजली उत्पादन प्लांट स्थापित किया जा रहा था। लगभग 80 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका था। 8 पैकेज प्रोपर्टी कनेक्शन के कार्यादेश जारी रूपये 93.00 करोड़ के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त जारी किये जा चुके थे। इससे 93 हजार मकानों के रसोई एवं बाथरूम व स्नानघर का कनेक्शन सीवर लाईन से किया जा रहा था। 25 हजार यूनिट का कार्य पूर्ण हो चुका था।[57]

10 पैकेज के ट्रांसपोर्ट नगर से रामगढ़ मोड क्षेत्र में सीवर लाईन डालने के कार्यादेश जारी किये गये थे। जिनका कार्य प्रगति पर था। 2 पैकेज के कार्य स्वीकृत हो चुके थे। इनका कार्य प्रगति पर था। इस पर 94.00 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका था।[58]

संजय नगर भट्टा बस्ती पुनर्वास योजना :-

संजय नगर भट्टा बस्ती पुनर्वास योजना स्वीकृत राशि 169.43 करोड़ थी। 947 लाख रूपये के सड़क समतलीकरण एवं नाली निर्माण के कार्य चल रहे थे जिनमें से 253 लाख रूपये के कार्य पूर्ण हो चुके थे। परियोजना में 30 वर्गमीटर के जी+3 योजना के तहत 12000 आवासों का निर्माण कार्य कराया

जाना था। रेशनोलाईजेशन ऑफ सेन्चुरी क्षेत्र के संबंध में वन विभाग से Clearance प्राप्त न होने के कारण योजना में गति प्राप्त नहीं हो पायी थी।[59]

विकास कार्य:-

वित्तीय वर्ष 2008–09 में जयपुर नगर निगम क्षेत्र में अब–तक 125 करोड़ रूपये के विकास कार्य कराये जाने हेतु कार्य आदेश जारी किये गये है। इस राशि में से 95 करोड़ रूपये के कार्य प्रगति पर थे।

कच्ची बस्ती नियमन अभियान :-

बढ़ती जनसंख्या व औद्यौगिकीकरण तथा शहर में होने वाले विकास ने जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों को जन्म दिया है। जयपुर नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड ने कच्ची बस्तियों में जन सुविधायें जुटाने के अपने संकल्प को चार वर्षों में ही साकार किया गया था। कच्ची बस्ती निवासियों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे जिस स्थान पर रहते है, उसका वैधानिक अधिकार उनके पास हो। जयपुर नगर निगम ने कच्ची बस्ती निवासियों की इस समस्या को दूर करने के विशेष प्रयास किये गये। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 186 कच्ची बस्तियां थी, जिनमें से कुल 112 नियमन योग्य कच्ची बस्तियों में 18519 नियमन योग्य सर्वेधारी थे। जयपुर नगर निगम द्वारा कच्ची बस्ती नियमन अभियान 10 दिसम्बर 2007 से 31 मार्च 2008 तक चलाया गया। नियमन अभियान के तहत तीन चरणों में शिविर लगाकर पट्टे वितरित किये गये थे। जिसका प्रथम चरण 10 दिसम्बर 07 से 22 दिसम्बर 07 तक, द्वितीय चरण 07 जनवरी 08 से 02 फरवरी 08 तक एवं तृतीय चरण 21 फरवरी 08 से 11 मार्च 08 तक तथा 15 मार्च 08 से 31 मार्च 08 तक फौलोअप कैम्पस लगाकर कच्ची बस्तियों का नियमन कर पट्टे जारी किये गये थे। जयपुर नगर निगम द्वारा 31 मार्च 2008 तक 12000 से अधिक पट्टे जारी किये गये थे। जयपुर शहर के बदलते परिदृश्य में अब यहां की कच्ची बस्तियों में भी आदर्श बस्तियों

जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। जयपुर नगर निगम ने शहर की अधिकांश कच्ची बस्तियों में सुलभ शौचालय, सार्वजनिक प्रकाश, सीवर लाईनें, सड़क, पीने के पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई।[60]

जयपुर शहर चारदीवारी क्षेत्र की जीर्णोद्धार योजना :-

योजना के तहत एक कार्य नीति तैयार की गई थी जिससे चारदीवारी के भीतर क्षेत्र का विकास किया जा सके। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनिवल मिशन के अंतर्गत जयपुर नगर निगम द्वारा इस परियोजना को बनाने के लिए ''सेंटर फोर एनवायमेंट प्लानिंग एण्ड टैक्नोलोजी, अहमदाबाद'' को कन्सल्टेंट नियुक्त किया था। समय के साथ शहर चारदीवारी में बढ़ती हुई जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के कारण अत्यधिक दबाव पड रहा था, जिसके कारण परकोटे में यातायात एवं पार्किंग की समस्या से परकोटे की विभिन्न विशेषताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण इसका वास्तविक स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा था। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हमारी चौपड़े थी, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्थल थी, वह अब वाहनों से घिरे रोटरी बन गये है। राज्य सरकार एवं जयपुर नगर निगम द्वारा परकोटे के संरक्षण के लिए कई कार्य कराये गये। परन्तु स्थिति को और बेहतर बनाये जाने के लिए इसमें कई सुधार अपेक्षित थे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबन रिन्यूअल कार्यक्रमों से यह ज्ञात हुआ था कि अलग–अलग समय पर छोटे–छोटे विकास कार्य क्रियान्वित करने से संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण आधार छूट जाते थे। योजना के तहत पराकोटों में पर्यटन, हैरीटेज संरक्षण, यातायात व परिवहन व्यवस्था, जल निकासी, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, सड़कों का सौन्दर्यकरण, गुलाबीकरण आदि के कार्य कराये जाने प्रस्तावित थे तथा शहर की वास्तुकला, हेरीटेज, वाक वे, ठोस कचरा प्रबन्धन योजना, परिवहन व्यवस्था सुधारी जानी थी। शहर के सभी गेटों, प्रमुख बाजारों, गलियों, प्राचीन दर्शनीय स्थलों, अलबर्ट हाल, पैलेस काम्पलेक्स आदि को

संरक्षण प्रदान किया जाना था। तालकटोरे का विकास कर तथा जन्तर–मन्तर, जलेबी चौक, हवामहल क्षेत्र का विकास किया जाना था। एवं विभिन्न चौकडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की रूपरेखा बनाई गई। योजना के प्रथम चरण पर 40 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव था। योजना को जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनिवल मिशन के तहत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी।[61]

बी.आर.टी.एस. :-

शहर के यातायात सुधार के लिए 469 करोड़ रू. की बी.आर.टी.एस. योजना का शुभारम्भ किया गया था। प्रथम चरण में 75 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी।[62]

ड्रेनेज सिस्टमः-

शहर की एक और बड़ी समस्या शहर का ड्रेनेज सिस्टम अव्यवस्थित होना थी। वर्षा के दौरान शहर की यह समस्या विकराल रूप ले लेती थी तथा सदैव जनहानि होने का खतरा रहता था। समय पर वर्षा के पानी का निकास नहीं होने से आम नागरिकों को भी परेशानी का समाना करना पड़ता था। निगम द्वारा इस समस्या के निजात के लिये **ड्रेनेज सिस्टम सुधार योजना** तैयार की गई थी। यह योजना लगभग 800 करोड़ रूपये की थी। **जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन** के तहत पूरा किया जाना प्रस्तावित था। योजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका था।[63]

नगर निगम जयपुर ने श्री अशोक परनामी जी एवं श्री पंकज जोशी के नेतृत्व में उपर्युक्त अनेक प्रकार के विकास कार्य करवाये जो कि जयपुर महानगर की जनता को सुनियोजित ढंग से जन सुविधाऐं मुहैया कराने का एक प्रयास था जो काफी हद तक सफल रहा। विकास कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जो सदैव गतिमान रहती है अर्थात् विकास कार्यो का कभी समापन

नहीं होता। कहने का आशय सरकार के अथक प्रयास के बावजूद कुछ कार्यों की आधारशिला तो रख दी जाती है लेकिन वे उस कार्यकाल में पूर्ण नहीं होते है उन कार्यों को अगली सरकारें जनहित को ध्यान में रखकर पूर्ण करने का प्रयास करती है। अतः दोनों महापौरों के कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रह गये थे। उनमें से बहुत से कार्यो को अगले महापौरों के नेतृत्व में पूर्ण कर जनसुविधाऐं मुहैया कराई गयी।

संदर्भ सूची

1. शर्मा डॉ. अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर –2002 पृष्ठ सं. 1
2. मुतालिब एम.ए. एवं खान, थ्योरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, नई दिल्ली, स्टर्लिंग–1983 पृष्ठ सं. 3
3. वही पृष्ठ सं. 3
4. शर्मा डॉ. अशोक भारत में स्थानीय प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर –2002 पृष्ठ सं. 7
5. आशीर्वादम् एडी. तथा मिश्रा कृष्णाकान्त, राजनीति विज्ञान, एस चन्द एण्ड कम्पनी लि. 7361, रामनगर नई दिल्ली–2007 पृष्ठ सं. 659–660
6. वही पृष्ठ सं. 660
7. शर्मा डॉ. अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर–2002 पृष्ठ सं. 39–44
8. वही पृष्ठ सं. 43–50
9. वही पृष्ठ सं. 45
10. राजस्थान पत्रिका 26 नवम्बर 2004 पृष्ठ सं. 8–9
11. राजस्थान पत्रिका 28 नवम्बर 2004 पृष्ठ सं. 1
12. राजस्थान पत्रिका 29 नवम्बर 2004 पृष्ठ सं. 1
13. राजस्थान पत्रिका 3 दिसम्बर 2004 पृष्ठ सं. 3
14. पाण्डया अशोक द्वारा प्रस्तुत वर्षं 2009–10 का अभिभाषण एवं आय –व्यय अनुमान, जयपुर नगर निगम जयपुर पृष्ठ सं. 2–3
15. वही पृष्ठ सं. 3
16. चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की एक झलक, जयपुर नगर निगम पृष्ठ सं. 2
17. वही पृष्ठ सं. 2

18. वही पृष्ठ सं. 2

19. वही पृष्ठ सं. 2–3

20.वही पृष्ठ सं. 3

21.वही पृष्ठ सं. 3

22.वही पृष्ठ सं. 3

23.वही पृष्ठ सं. 3

24.वही पृष्ठ सं. 4

25.वही पृष्ठ सं. 4

26.पाण्डया अशोक द्वारा प्रस्तुत वर्षं 2009–10 का अभिभाषण एवं आय –व्यय अनुमान, जयपुर नगर निगम जयपुर पृष्ठ सं 5

27.चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की एक झलक, जयपुर नगर निगम पृष्ठ सं. 4

28.वही पृष्ठ सं. 5

29.वही पृष्ठ सं. 5

30.वही पृष्ठ सं. 5

31.वही पृष्ठ सं. 5

32.वही पृष्ठ सं. 6

33.वही पृष्ठ सं. 6

34.वही पृष्ठ सं. 6

35.पाण्डया अशोक द्वारा प्रस्तुत वर्षं 2009–10 का अभिभाषण एवं आय –व्यय अनुमान, जयपुर नगर निगम जयपुर पृष्ठ सं 16

36.वही पृष्ठ सं. 17–18

37.चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की एक झलक जयपुर नगर निगम पृष्ठ सं. 7

38. वही पृष्ठ सं. 8

39.वही पृष्ठ सं. 8

40.वही पृष्ठ सं. 8

41.वही पृष्ठ सं. 9

42.वही पृष्ठ सं. 9

43.वही पृष्ठ सं. 9

44.वही पृष्ठ सं. 9–10

45.वही पृष्ठ सं. 10

46.वही पृष्ठ सं. 10

47.वही पृष्ठ सं. 10

48.वही पृष्ठ सं. 11

49.पाण्डया अशोक द्वारा प्रस्तुत वर्षं 2009–10 का अभिभाषण एवं आय –व्यय अनुमान, जयपुर नगर निगम जयपुर पृष्ठ सं 23

50.चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की एक झलक जयपुर नगर निगम पृष्ठ सं. 11

51.वही पृष्ठ सं 11–12

52.वही पृष्ठ सं 12

53.वही पृष्ठ सं 12

54.वही पृष्ठ सं 12

55.पाण्डया अशोक द्वारा प्रस्तुत वर्षं 2009–10 का अभिभाषण एवं आय –व्यय अनुमान जयपुर नगर निगम जयपुर पृष्ठ सं 24–25

56.वही पृष्ठ सं 25

57.वही पृष्ठ सं 25

58.वही पृष्ठ सं 25

59.वही पृष्ठ सं 26

60.वही पृष्ठ सं 27

61.चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की एक झलक, जयपुर नगर निगम पृष्ठ सं. 13–14

62.वही पृष्ठ सं. 14

63.पाण्डया अशोक द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2009–10 का अभिभाषण एवं आय –व्यय अनुमान, जयपुर नगर निगम जयपुर पृष्ठ सं 7

अध्याय –षष्ठम्

जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में विगत शहरी स्थानीय सरकार (2009-2014) की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

पूर्व अध्याय में यह ज्ञात हो चुका है कि जयपुर महानगर में शहरी स्थानीय सरकार का एक प्रकार नगर निगम कार्यरत है। जो 1994 से विधिवत रूप में कार्यरत है। अतः 23 नवम्बर 2009 को जयपुर महानगर में स्थानीय निकाय (नगर निगम) में चतुर्थ बोर्ड के लिए चुनाव हुए। इस बोर्ड में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होना निश्चित हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सुमन शर्मा एवं काँग्रेस पार्टी की ज्योति खण्डेलवाल के बीच कड़ा मुकाबला हुआ।

26 नवम्बर 2009 को आये नगर निगम नतीजों में कांग्रेस की ज्योति खण्डेलवाल जयपुर की महापौर चुनी गई जबकि बोर्ड भाजपा का बना। इस बार 77 वार्डों के लिए मतदान हुआ जिसमें 46 में भाजपा, 26 में कांग्रेस एवं 5 में निर्दलीय प्रत्यासी विजयी रहे।[1]

काँग्रेस की ज्योति खण्डेलवाल ने भाजपा की सुमन शर्मा को 13495 मतों से पराजित किया। ज्योति खण्डेलवाल को 432624 तथा सुमन शर्मा को 419129 मत प्राप्त हुए।[2]

27 नवम्बर 2009 को भाजपा के मनीष पारीक निर्विरोध उपमहापौर चुने गये।[3]

इस प्रकार ज्योति खण्डेलवाल के नेतृत्व में नगर निगम जयपुर ने अपना कार्य आरम्भ किया।

नगर निगम जयपुर (2009–2014) की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

महापौर श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल एवं उपमहापौर श्री मनीष पारीक के नेतृत्व में इस कार्यकाल में अनेक जनहित के कार्य कर जयपुर की जनता को आवश्यक जन सुविधाऐं मुहैया करायी है।

राज्य सरकार की शहरी क्षेत्रों से जुड़ी अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाओं एवं अभियानों की क्रियान्विति नगरीय विकास संस्थाओं के माध्यम से की जाती है चाहे वह विशेष पैंशन महाअभियान, खाद्य सुरक्षा योजना, शहरी बीपीएल आवास योजना हो चाहे प्रशासन शहरों के संग। इस दृष्टि से नगर निगम जयपुर ने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व अभियानों को सफल बनाने में महत्ती भूमिका निभाई है।[4]

जैसा कि पूर्व के अध्याय में बताया गया है कि विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा अलग–अलग सरकारों का कार्य करने का तरीका उभयनिष्ठ भी हो सकता है अर्थात् सरकारें तीन तरीके से भी कार्य कर सकती है।

4. पूर्ववर्ती सरकारों के अधूरे कार्यों में से कुछ को पूर्ण करना कुछ को यथावत रखना।
5. वर्तमान सरकार के स्वयं के नियोजित कार्यों को पूर्ण करना।
6. आगामी सरकार के लिए आधार स्थापित करना या भविष्य के प्रस्तावित कार्य।

पूर्व के अध्याय पांच में व्यवहारवादी सिद्धान्त, भूमि अधिग्रहण बिल, जीएसटी बिल तथा जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के उदाहरणों के आधार पर प्रस्तावित कार्यों के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित कार्यों में वर्तमान एवं आगामी सरकारों का योगदान रहता है।

अतः इस कार्यकाल की सरकार ने सम्भवतः उक्त तरीके का ही पालन किया था। अर्थात् श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल जी महापौर के नेतृत्व में नगर

निगम जयपुर ने इस कार्यकाल (2009–2014) में पूर्ववर्ती सरकारों के कुछ प्रस्तावित, प्रगतिरत विकास कार्य तथा कुछ स्वयं के नियोजित विकास कार्य पूर्ण किये साथ ही साथ कुछ भविष्यगामी प्रस्तावित विकास कार्यों की घोषणा करके अनेक उपलब्धियाँ हांसिल की थी।

महापौर श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल के नेतृत्व में जयपुर नगर निगम ने जनता के सहयोग से गत 4 वर्षों में अनेक बहुआयामी सौपान तय किये है इस कार्यकाल में निम्न मुख्य उपलब्धियाँ रही थी।

नगर निगम द्वारा गरीब व विभिन्न आय वर्गों को उनकी क्षमता के अनुकूल आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिये गांधी एनक्लेव आवासीय योजना अमल में लाई जा कर कुल 209 आवासीय भूखण्ड आरक्षित दर पर लॉटरी प्रक्रिया से आवंटित किये गये थे। शेष 4 बड़े क्षेत्रफल के भूखण्डों की नीलामी कर आय प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा था। कुन्दरपुरा, जामडोली तथा ठाठर योजना आदि बड़ी योजना में बड़े भूखण्डों की नीलामी के प्रयास किये जा रहे थे जिसमें बड़ी आय होने की संभावना थी।[5]

गुलाबी नगरी के मुख्य बाजार चौड़ा रास्ता को मॉडल बाजार के रूप में विकसित करने के लिये 1.95 करोड़ की लागत से दोनों तरफ नाला मरम्मत एवं फुटपाथ बनाने का कार्य किया गया।[6]

बरकत नगर बाजार की मुख्य सड़क पहले 20 से 25 फीट चौड़ी थी जिसके कारण पार्किंग व यातायात की समस्या आम जन व व्यापारियों के समक्ष परेशानी का कारण थी। जिसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर नगर निगम द्वारा दुकानों व मकानों को हटा कर 40 फीट चौड़ी सड़क तैयार कर दी गई। निगम ने सड़क बनाकर व लाईनिंग कर फुटपाथ बना दिया है। एक तरफ का नाला बना दिया गया।[7]

हिंगौनिया गौशाला में नये पशु बाड़ों का निर्माण, पशुओं की चिकित्सा हेतु पैथालॉजी लेब की शुरूआत, वृक्षारोपण, वर्मी कम्पोस्ट खाद व देशी खाद बनाने व इसे न लाभ न हानि के आधार पर किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा था, घायल पशुओं की चिकित्सा हेतु 2 एम्बूलेंस शुरू की गई थी व पशु चिकित्सालय का निर्माण करवा कर इसे शुरू कर दिया गया था। जिससे गौशाला का काया पलट हो गया।[8]

माननीय न्यायालय के निर्देशों पर शहर में 20 स्थानों पर आश्रय स्थल बनाने की स्वीकृति मिली थी। राज्य सरकार के अनुदान से 12 आश्रय स्थल बन चुके थे। शेष 9 पर कार्य चल रहा था।[9]

क्र.स.	आश्रय स्थल का नाम	लगत राशि (लाखों में)	कार्य की प्रगति
1.	लाल कोठी महिला छात्रावास के पीछे	52.56	कार्य पूर्ण
2.	जगतपुरा रेलवे स्टेशन के सामने	24.59	कार्य पूर्ण
3.	थड़ी मार्केट हाजरीगाह के पास	23.64	कार्य पूर्ण
4.	गांधी नगर स्टेशन के सामने	25.43	कार्य पूर्ण
5.	दूध मंडी झोटवाडा रोड	26.00	कार्य पूर्ण
6.	कंवर नगर गोविन्द देव जी मंदिर	26.03	कार्य पूर्ण
7.	मेंटल हॉस्पिटल, जनता कॉलोनी का तिराहा	24.73	कार्य पूर्ण
8.	कॉवटियां हॉस्पीटल के पीछे	25.64	कार्य पूर्ण
9.	सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड के पास	26.01	फर्श का कार्य प्रगति पर
10.	झालाना बाईपास सुलभ कॉम्पलेक्स के पैट्रोल पम्प के पास	26.03	कार्य पूर्ण
11.	ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर, नगर रोड़वेज	25.63	

	डिपों व पैट्रोल पम्प के पास		
12.	मोती डूंगरी, धर्मसिंह सर्किल पार्क के पास	26.02	प्लास्टर का कार्य
13.	कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर शास्त्री नगर	9.94	कार्य पूर्ण
14.	संगानेर पुराने नगर निगम जोन	10.60	कार्य पूर्ण स्तर पर है
15.	हटवाडा रोड़, एनबीसी तिराहा, वृद्धा आश्रय के सामने	26.03	कार्य पूर्ण
16.	आश्रय स्थल वार्ड नं. 35 कार्यालय के पास	25.72	प्रगति पर
17.	भूतेश्वर महादेव स्थित आश्रय स्थल	24.73	प्रगति पर
18.	आश्रय स्थल निर्माण वार्ड नं0 38 सुलभ शौचालय के पास	25.73	प्रगति पर
19.	आश्रय स्थल निर्माण वार्ड नं. 3 कार्यालय के पास	25.99	प्रगति पर
20.	आश्रय स्थल झालाना गैराज के आगे	25.69	प्रगति पर
21.	झालाना आश्रय स्थल में शेष निर्माण कार्य	31.01	प्रगति पर
	कुल योग	10.10 करोड़	

कॉल सेन्टर की शुरूआत

आमजन की निगम से जुड़ी सभी समस्याओं के निवारण के लिये पूर्णतः कम्प्यूटराईज्ड कॉल सेन्टर प्रारम्भ किया गया है। निगम का कॉल सेन्टर शुरू होने से आम जन की समस्याओं का त्वरित गति से निवारण हो रहा है व इससे अधिकारियों पर कार्य का दबाब कम हुआ है। निगम के कॉल सेन्टर के

नंबर **0141–5110111** एवं टॉल फ्री सेवा **1800–180–6681** का व्यापक प्रचार करवाया गया था। निगम का कॉल सेन्टर प्रातः 8:00 से रात्रि 10.00 बजे तक क्रियाशील रहता है। इस सेवा से भी नागरिकों को काफी राहत मिली है।[10]

60 दिवस कार्य योजना

माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा घोषित 60 दिवस कार्य योजना में नगर निगम द्वारा निम्न कार्य कराये जा रहे थेः–

1. स्वच्छ जयपुर अभियान।
2. 3 नये ट्रांसफर स्टेशन स्थापित एवं क्रियान्वित करना।
3. मानसरोवर जोन कार्यालय का निर्माण पूर्ण करना।
4. डेलावास एस.टी.पी. पर ''वेस्ट टू एनर्जी'' प्रोजेक्ट को पूर्ण करना।
5. सेवापुरा में **IL&FS** द्वारा निर्मित प्रोसेसिंग प्लांट को शुरू करना।
6. मनसरोवर में स्टोन पार्क का निर्माण।
7. शहर के विभिन्न हिस्सों में सात पार्कों का सुधार कार्य।
8. सात स्थानों का सामुदायिक केन्द्र एवं आश्रय स्थलों का निर्माण।
9. पांच स्थानों पर आधुनिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।
10. विभिन्न स्थानों पर 14 हाईमास्ट लाइट स्थापित करना।
11. महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों एवं बाजार में कचरापात्र स्थापित करना।[11]

जयपुर समारोह का आयोजन

जयपुर के साथ–साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एवं जयपुर के गौरवशाली अतीत की स्मृतियों को संजोये रखने के लिये गत कई वर्षों से जयपुर समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में भी जयपुर समारोह का बेहतर तरीके से आयोजन किया गया था।[12]

अग्निशमन सेवाओं का विस्तार

गत 4 वर्षों में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये 15 छोटी फायर गाड़ियाँ क्रय की गई जिसकी प्रत्येक की पानी की क्षमता 2 हजार लीटर है। इसके अतिरिक्त 4 बड़ी फायर गाड़ी रीको द्वारा उपलब्ध करवाई गई। अग्निशमन केन्द्रों के विस्तार की दिशा में रीको द्वारा बिन्दायका एवं मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्रों में फायर स्टेशन स्थापित कर निगम को सौंपे गये हैं। आमेर में नगर निगम द्वारा अग्निशमन केन्द्र बनाकर शुभारम्भ कर दिया था। शहर में बन रही ऊँची इमारतों में अग्नि की घटनाओं व अन्य आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव के लिए ऐरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय किया गया। इसकी पहुँच 42 मीटर ऊँची इमारतों तक हैं।[13]

सुलभ कॉम्पलैक्स

आते जाते राहगीरों, व्यापारियों, आम जन एवं पर्यटकों को किसी शहर में स्वच्छ शौचालय, स्नानागार एवं पेशाबघर उपलब्ध हो तो वह उन्हें राहत तो देते ही है साथ ही वह शहर की शौभा बढ़ा देते हैं। इसके मध्यनजर निगम द्वारा इस वर्ष 10 नये सुलभ कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया। लाल कोठी नगर निगम मुख्यालय के पास, लक्ष्मी मंदिर चौराहें, वार्ड नंबर 23 में सेवायतन अस्पताल के सामने, इन्दिरा बाजार सिंह द्वारा के पास, कलेक्ट्रेट, गोविन्द देव जी मन्दिर, परसरामपुरिया, करबला हज हाउस एवं रामगंज चौपड़ पर कराया गया हैं एवं 3 नये पेशाबघर का निर्माण स्टेच्यू सर्किल, स्टोनपार्क, मानसरोवर एवं बड़ी चौपड़ काम्पलेक्स के पीछे करवाया गया था। इनमें से 5 सुलभ काम्पलेक्स का शीघ्र ही लोकार्पण किया जाना था। इनके निर्माण पर लगभग 1.50 करोड़ रूपये व्यय आया था। 6 सुलभ काम्पलेक्स एवं 4 पेशाबघर बनाने हेतु कार्यादेश दिये जा चुके थे।[14]

प्रस्तावित जन-सुविधा केन्द्र

शहर के विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2014–15 में 25 जन–सुविधा केन्द्र व 50 यूरिनल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। जिनकी अनुभामित लागत लगभग 7 करोड़ रूपये थी।[15]

प्रशासन शहरों के संग अभियान

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने का निर्णय लिया गया जिसमें दिनांक 21.11.2012 से नगर निगम जयपुर के प्रत्येक वार्ड के लिए शिविर आयोजित किये गये। कई बार अभियान की अवधि बढ़ाई जाकर 31.01.2014 तक आवेदन पत्र लिये जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं सफलता पूर्वक अभियान का संचालन किया गया। नगर निगम जयपुर क्षेत्र में कच्ची बस्ती, भू–खण्डों का आवंटन/नियमन/पट्टे, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे, खांचा भूमि आवंटन, भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की मंशा के अनुकूल नगर निगम जयपुर ने शहरवासियों की समस्याओं के निराकरण हेतु भारी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण कर महती भूमिका निभायी है। आमजन की भावनाओं को समझते हुए अभियान में नियम व कानूनों के साथ–साथ लीज व नगरीय विकास कर के ब्याज तथा गृहकर के मूल व ब्याज में भी भारी छूट जनता को दी गई। अभियान के दौरान दिनांक 07.02.2014 तक कच्ची बस्ती के 9408 पट्टे, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत 732 पट्टे, योजनाओं के 224 पट्टें कुल 10364 पट्टें जारी किये गये एवं अभियान समाप्ति तक लगभग 2500 पट्टें दिया जाना सम्भावित था। इस कार्य में **नगर निगम जयपुर को राजस्थान में प्रथम पायदान प्राप्त हुआ**। अभियान में 422 प्रकरण भवन मानचित्र स्वीकृती के निस्तारित किये गये थे। अनेक कच्ची बस्तीयों के योजना मानचित्रों में संशोधन किये जाकर लम्बे समय से वंचित भूखण्डधारीयों को पट्टे दिये जाकर भारी राहत प्रदान की गई। अभियान के दौरान नगरीय

विकास कर, लीज राशि, गृहकर राशि भवन मानचित्र स्वीकृती एवं अन्य मदों में कुल राशि 90,63,53,533 रूपये (नब्बे करोड़ तिरेसठ लाख तिरेपन हजार पांच सौ तैतीस) राजस्व आय हुई।[16]

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन

विशेष पेंशन महा अभियान :-

राज्य सरकार द्वारा मई, 2013 में आरम्भ किये गये विशेष पैंशन महा अभियान में पेंशन शिविर आयोजित कर पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा, परित्यक्ता पेंशन के हजारों आवेदन स्वीकृत करके गरीब, वृद्ध, असहाय लोगों को पेंशन का लाभ दिलाया गया। उक्त अभियान में कुल 68,262 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई।[17]

बी.पी.एल.आवास योजना :-

राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये गये बी0पी0एल0 आवास सहायता योजना में बी.पी0एल. परिवारों को स्वयं का मकान बनाने के लिए अनुदान देने हेतु नगर निगम द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन करके वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत आवेदकों को प्रथम किस्त के रूप में 25000/– रूपयें एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत आवेदकों को प्रथम किश्त के रूप में 33000/–रूपये का अनुदान देकर इस कार्यकाल में लगभग 4471 परिवारों को लाभान्वित किया गया था।[18]

बी.पी.एल. कम्बल/साड़ी सहायता योजना :-

इसी प्रकार बी.पी.एल. परिवारों को कंबल एवं साड़ी के लिए विशेष अनुदान 1500/–रूपये प्रति परिवार देने हेतु निगम द्वारा सभी जोनों में विशेष शिविर आयोजित करके बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया। नगर निगम

द्वारा योजना में 28516 बी.पी.एल./स्टेट बी.पी.एल./अन्त्योदय परिवारों को लाभान्वित किया गया।[19]

खाद्य सुरक्षा योजनाः-

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के जारी निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा सभी जोनों में डेटाबेस वर्ग एवं नॉन डेटाबेस वर्ग के पात्र परिवारों को योजना में राशन कार्ड़ों पर मोहरे लगाने का कार्य सफाई हाजिरीगाहों पर विशेष शिविर लगाकर किया गया।[20]

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (NULM) :–

शहरी गरीबों की माली हालत सुधारने हेतु केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया है। इस हेतु भारत सरकार से चयनित दो नगर निगमों क्रमशः मदुरई एवं जयपुर को यह प्रोजेक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न कच्ची बस्तियों के बी.पी.एल. परिवारों में स्वयसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका की व्यवस्था करके साथ ही इसके तहत शहरी श्रमिकों को जिनकें पास रात्रि में रूकने के लिए आश्रय नहीं है उनके लिये स्थायी आश्रय स्थल बनाना था। तत्कालीन समय में पायलट प्रोजेक्ट के अंर्तगत मोती डूंगरी जोन के झालाना क्षेत्र में रैनबसेरा को चयनित किया गया था। निगम ने इस प्रोजेक्ट के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन कर स्वयं सहायता समूहों के गठन का कार्य आवंटित कर दिया था। एक सीएलसी नगर निगम मुख्यालय पर स्थापित करने का कार्य प्रक्रियाधीन था।[21]

राजीव आवास योजनाः-

शहरी गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य शहरों को गन्दी बस्तियों से मुक्त करा कर एक

स्वस्थ व खुशहाल वातावरण देश के सभी शहरों में तैयार करना है। इस योजना का पहला भाग मौजूदा गन्दी बस्तियों के उन्मूलन से सम्बन्धित तथा दूसरा भाग नयी गन्दी बस्तियों को रोकने से सम्बन्धित था। इसके लिये नगर निगम द्वारा संजय नगर भट्टा बस्ती को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा था। जिसके तहत ''स्लम मुक्त नगर योजना'' का कार्य होना था। इसमें जयपुर शहर की 190 कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा रहा था।[22]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत पूर्व स्वीकृत आवासीय परियोजना में आमूल–चूल परिवर्तन कर वर्तमान में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत शास्त्रीनगर हाऊसिंग बोर्ड के पास स्थित संजय नगर भट्टा बस्ती की 16 कच्ची बस्तियों में से 4 कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे 2212 परिवारों को प्रथम फेज के तहत आवास उपलब्ध कराने हेतु इसकी डीपीआर तैयार कर भारत सरकार से जनवरी 2013 में स्वीकृत कराई जा चुकी थी। इसमें स्वतंत्र ईकाई के 2212 डुप्लेक्स आवासों का तथा 120 रेण्टल आवासों का निर्माण कराया जा रहा था तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत सड़क, सीवरेज, जल आपूर्ति, विद्युत आदि की थी सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी। जिसकी निविदा लगाने की कार्यवाही की जा रही थी। प्रथम फेज में इस प्रोजेक्ट की लागत 96.61 करोड़ थी। प्रोजेक्ट की लागत में से 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जानी थी।[23]

नगर निगम जयपुर के अधीन कराये गये/प्रगतिरत् प्रोजेक्ट का विवरण

लांगाडियावास लैण्डफिल प्रोजेक्ट :-

ग्राम लांगडियावास में जेएनएनयूआरएम योजना के सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्य के अंतर्गत 10.92 करोड़ की लागत से इन्जीनियरिंग सैनेट्री लैण्डफिल तैयार कराया गया था जिसमें प्रतिदिन 400 मीट्रिक टन इन्ट्री वेस्ट आने की संभावना

थी। इसका पाँच वर्ष के लिए संचालन एवं संधारण भी निर्माणकर्ता फर्म मैसर्स गरवारें द्वारा किया जाना था।[24]

दहलावास यूनिट प्रथम से उत्पन्न गैस से विद्युत उत्पादन :-

आरयूआईडीपी से नगर निगम जयपुर को हस्तांतरित 62.5 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट में सीवरेज के शोधन के दौरान् उत्पन्न होने वाली गैस व्यर्थ जलाई जा रही थी। जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत इस प्लांट पर 1 मेगावॉट क्षमता का ऊर्जा उत्पादन संयंत्र 734.75 लाख की लागत से स्थापित किया गया था। प्लांट इस कार्यकाल में कार्यशील था तथा इससे नगर निगम को लगभग 10 लाख रूपये प्रतिमाह की बिजली के बिल की बचत हो रही थी।[25]

दहलावास यूनिट द्वितीय :-

दहलावास में पूर्व में आरयूआईडीपी द्वारा स्थापित सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की क्षमता 62.5 एमएलडी है जबकि यहाँ पर 125 एमएलडी सीवरेज आ रहा था। इस अतिरिक्त सीवरेज को शोधन के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंर्तगत 62.5 एमएलडी क्षमता का एक अन्य प्लांट 2800 लाख रूपये की लागत से स्थापित किया गया था। जो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्यशील था।[26]

जयसिंहपुरा खोर एस.टी.पी.:-

देहली बाईपास के पास स्थित इस प्लांट का निर्माण भी केन्द्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के अंर्तगत 2530 लाख रूपये की लागत से कराया गया था परन्तु कई कारणों से इसकी स्थापित क्षमता का सीवरेज नहीं मिलने से यह मात्र 20 प्रतिशत क्षमता पर ही चल रहा था। इसकी आवक क्षमता बढ़ाने के प्रयास जारी थे।[27]

जयपुर सीवरेज प्रोजेक्ट फेज–द्वितीयः–

जयपुर सीवरेज प्रोजेक्ट फेज–द्वितीय के अंर्तगत दिल्ली बाईपास से रामगढ़ मोड तक 17 कॉलोनियों में 41 किलोमीटर सीवर लाईन बिछानें का कार्य 1700 लाख की लागत से कराया जाना था जिसमें से लगभग 39 किलोमीटर लाईन बिछाई जा चुकी थी तथा मुख्य सीवर लाईन बिछाये जानें का कार्य प्रगति पर था। यह कार्य भी केन्द्र प्रवर्तित जेएनएनयूआरएम योजना के अंर्तगत कराया जा रहा था।[28]

ट्रांसफर स्टेशन :–

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत लगभग 2.50 करोड़ की लागत से झालाना में निर्मित हुए कचरा ट्रांसफर स्टेशन सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे।[29]

जयपुर शहर की चारदीवारी के भीतर पुरानी एवं जर्जर सीवरेज सिस्टमः–

जयपुर शहर के चारदीवारी के नौ चौकडियों में सीवर लाईन लगभग 40 वर्ष पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में थी तथा ओवरलोड होने के कारण इन स्थानों पर आये दिन सीवर लाईन जाम होने एवं क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें प्राप्त होती रहती थी। इन जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सीवर लाईनों की लम्बाई लगभग 205 कि.मी. थी। इनके पुनः निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा 544.31 करोड़ की एक कार्य योजना बनाई जाकर केन्द्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के अंर्तगत स्वीकृत कराई गई थी। इस योजना में शहर के परकोटे की पुरानी जर्जर सीवर लाईनों को ट्रेन्चलैस तकनीक से बदला जाना था। इस कार्य की पूर्व में निदेशालय स्थानीय निकाय स्तर से निविदाऐं आमंत्रित की गई थी जिन्हें राज्य सरकार के स्तर से निरस्त किया जाकर नगर निगम को पुनः निविदाऐं आमंत्रित करने हेतु अधिकृत किया गया था। परियोजना से संबंधित दस्तावेज आरयूआईएफडीसीओं से प्राप्त कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मौके

की स्थिति के अनुसार जांच कर नगर निगम द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही शीघ्र की जाने की संभावना थी।[30]

गैस फिलिंग प्लांट :-

डेलावास में 62.5 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट यूनिट द्वितीय से उत्पन्न होने वाली बायोगैस के सदुपयोग हेतु डेलावास में पीपीपी आधार पर गैस फिलिंग प्लांट की स्थापना हेतु मै. बृजधाम पावर प्राईवेट लिमिटेड को कार्यादेश जारी किया जा चुका था। मौके पर वर्तमान में प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था तथा इस कार्यकाल में इसका ट्रायल रन किया जा रहा था। ट्रायल रन एवं आवश्यक सक्षम पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियों के पश्चात् फर्म द्वारा यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट यूनिट द्वितीय से उत्पन्न होने वाली बायोगैस की बॉटलिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना था। इस प्लांट की स्थापना से नगर निगम जयपुर को 6.15 रूपये प्रति घनमीटर की दर से गैस फर्म को विक्रय की जानी थी जिससे नगर निगम को लगभग 145.90 लाख रूपये प्रतिवर्ष की आय होना अनुमानित थी। चूँकि नगर निगम को संयत्र का रख–रखाव नहीं करना होगा परिणामस्वरूप नगर निगम को रख–रखाव में लगभग 48 लाख रूपये की सालाना बचत होने की संभावना थी। प्लांट की स्थापना हेतु नगर निगम द्वारा रूपये 1/– प्रतिवर्ग मीटर प्रतिवर्ष की लीज दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई थी तथा किसी प्रकार का कोई पूँजीगत निवेश नही किया गया था।[31]

ऊर्जा संरक्षित पब्लिक लाइटिंग प्रोजेक्ट :-

जयपुर शहर में ऊर्जा संरक्षित पब्लिक लाइटिंग प्रोजेक्ट के तहत ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई। प्रथम चरण में 70,000 रोड़ लाइटों को ऊर्जा संरक्षित उपकरणों (एल.ई.डी. लाइटों) से जन सहभागिता के आधार

पर बदला जाना था। इस प्रोजेक्ट की तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं खोली गई थी। प्रोजेक्ट में संवेदक कंपनी द्वारा इन एल.ई.डी. लाइटों से ऊर्जा की 77.13 प्रतिशत बचत की जानी थी। तथा इस ऊर्जा की बचत का 30.06 प्रतिशत निगम को संवेदक द्वारा दिया जाना था। इन ऊर्जा संरक्षित उपकरणों (एल.ई.डी.. लाईटों) को पुरानी लाइटों से बदले जाने पर नगर निगम पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ना था, केवल नगर निगम को प्रति पॉईन्ट 300 रूपये प्रतिवर्षं रख–रखाव के संवेदक को देने थे।[32]

भवन निर्माण मलबे का निस्तारण पीपीपी मॉडल पर कराने का प्रस्ताव :-

शहर को साफ–सुथरा व अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु हजारों टन की तादाद में निकलने वाली भवन निर्माण सामग्री के मलबे का निस्तारण करना आवश्यक था। इस हेतु नगर निगम जयपुर क्षेत्र में कन्सट्रक्शन डेब्रिज के निस्तारण हेतु पी.पी.पी. आधार पर प्लांट निर्माण के लिए डीपीआर निर्माण करने तथा प्लांट स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन था। इस प्लांट के लिए करीब पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता थी जो नगर निगम जयपुर को निर्माणकर्ता कम्पनी के लिये लीज पर उपलब्ध करानी थी। प्लांट की क्षमता लगभग 200 मेट्रिक टन प्रतिदिन अनुमानित थी पीपीपी मोड पर प्लांट स्थापित करने वाली एजेन्सी अवशेष निर्माण सामग्री से ईटें बनानी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 एकड़ भूमि ढहलावास एसटीपी साईट के पास आरक्षित की थी। इस कार्य हेतु डीपीआर का निर्माण कराने एवं पीपीपी मोड़ पर कन्सट्रक्शन डेब्रिज के निस्तारण हेतु प्लांट की स्थापना प्रस्तावित थी।[33]

नगर निगम का पुलिस थाना स्थापित करने का प्रस्ताव :-

निगम के बैड़े को निगम क्षेत्र में अनेक प्रकार के अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों से रोजाना दो–चार होना पड़ता था। ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक एवं संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही तत्परता से करने के लिये नगर निगम का स्वयं का

पुलिस थाना स्थापित करने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित था।[34]

नगर निगम कर्मियों हेतु चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव :-

नगर निगम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी एवं अन्य स्टॉफ कार्यरत है जिन्हें अस्वास्थ्यप्रद वातावरण में अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये कर्मी निगम के अमूल्य मानव संसाधन है। इनके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी निगम की है अतः निगम कर्मियों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु एक चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। उक्त चिकित्सालय में निगम में कार्यरत एमबीबीएस डिग्रीधारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपनी सेवायें देना प्रस्तावित था।[35]

महिला सुरक्षा कार्यक्रमों में सहभागिता करने का प्रस्ताव :-

जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाने के साथ यहाँ के नागरिकों के चंहुमुखी विकास के लिये भी हम कृत संकल्पित है। नगर निगम को सामाजिक दायित्वों से जुड़े कार्यों में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिये वर्ष 2014 से महापौर ने नई पहल की घोषणा की। आज सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एक बडी चुनौती बनी हुई है। नगर निगम विभिन्न नागरिक व आवासीय समितियों को महिला सुरक्षा की जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाने व प्रशिक्षण आयोजन करने के कार्यो में मदद करना था। इस हेतु निगम के पार्क, सामुदायिक केन्द्र आदि निःशुल्क उपलब्ध करायें जाने थे। कार्यक्रमों हेतु निगम अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित था।[36]

भवन निर्माण स्वीकृतियाँ ऑन–लाईन जारी करने का प्रस्ताव :–

आम अनता की सुविधा एवं नगर निगम कार्य में पारदर्शिता लाने के प्रयास के कदमों को आगे बढ़ाये हुये भवन निर्माण स्वीकृतियाँ ऑन–लाईन जारी करना प्रस्तावित था जिसके लिए कुछ प्रेजेन्टेशन देखे गये थे उन पर उचित निर्णय कर इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाना था।[37]

सड़क बीमा योजना :–

इस योजना के अंतर्गत नगर निगम जयपुर की कुछ प्रमुख सड़कों का बीमा कराया जाना प्रस्तावित था। इस हेतु कई बीमा कंपनियों से वार्ता की जा रही थी। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जौहरी बाजार को लिया जाना प्रस्तावित था।[38]

सुदृढ़ अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन :–

व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों, औद्योगिक क्षेत्रों, विभिन्न मॉल्स एवं बहुमंजिला ईमारतों वाले शहर में एक सुदृढ़ अग्निशमन सेवा का होना अतिआवश्यक है। शहर के विकास के बदलते आयामों के साथ निगम के अग्निशमन बेडे को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए वर्षं 2014 में दो फोम टैण्डर व दो वाटर टैण्डर (अग्निशमन वाहन) व एक क्विक रेसपोन्स व्हीकल राजस्थान सरकार से प्राप्त कर निगम के अग्निशमन बेड़े में शामिल किया गया था व वर्षं 2014 में 10 फोम टेण्डर व 120 नग वाटर वाउजर (अग्निशमन वाहन) क्रय हेतु राज्य सरकार से 6 करोड़ 35 लाख रूपये प्राप्त किये गये थे। उक्त राशि से 10 नग फोम टैण्डर्स फायर गाड़ी व 10 नगर वाटर वाउजर फायर गाड़ी क्रय किये जाने थे, उक्त क्रय के बाद नगर निगम का अग्निशमन बेड़ा और मजबूत बनने की संभावना थी वर्षं 2014 –15 के बजट में अग्निशमन व्यवस्थाओं के लिये 786.00 लाख रूपयें का बजट प्रावधान किया जा रहा था।[39]

सफाई व्यवस्था :-

जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र में स्थित मुख्य बाजारां में रात्रिकालीन सफाई कार्य करवाया जा रहा था। सफाई कार्य में आमजन में जन जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों, टी.वी. इत्यादि के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से व होर्डिंग्स लगा कर जन चेतना लाई जा रही थी ठोस कचरा प्रबन्धन नियम, 2000 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन के तहत घर–घर से कचरा एकत्रित करने, परिवहन करने, प्रोसेसिंग करने एवं लैण्ड फिट साईट का निर्माण करने हेतु मुख्य अभियन्ता नगर निगम जयपुर द्वारा निविदा की कार्यवाही की जा रही थी। नगर निगम मुख्यालय में 20–20 स्थायी सफाई कर्मचारियों की दो सेन्ट्रल टीम गठित की हुई थी तथा 15 स्थायी सफाई कर्मचारियों की एक टीम मोती डूँगरी जोन में गठित की गई थी इन टीमों के माध्यम से अनमेण्ड क्षेत्र में सफाई कार्य करवाया जा रहा था। नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में दो कचरा संग्रहण (ट्रांसफर स्टेशन) का स्थान था, जहां पर शहर का कचरा डाल कर कचरागाहों पर भिजवाया जाता था। कचरा संग्रहण (ट्रांसफर स्टेशन) हेतु तीन स्थानों को और चिन्हित किया गया। विद्याधर नगर जोन में सैक्टर चार में, मानसरोवर में फायर स्टेशन के पास एवं सांगानेर में बम्बाला पुलिया के पास ट्रांसफर स्टेशन बना दिया गया था। इन ट्रांसफर स्टेशनों के बनने से कचरे को कचरागाह तक ले जाने में जो समय लगता था उस समय की बचत हो रही थी व उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग होने लगा था। चारदीवारी क्षेत्र में स्थित गन्दी गलियों की सफाई के लिए 100 अस्थाई श्रमिक लगाकर सफाई कार्य करवाया जा रहा था।[40]

सफाई कर्मचारियों की भर्ती :-

शहर की सफाई व्यवस्था के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 2800 सफाई कर्मचारियों के पदो पर भर्ती की स्वीकृति दी गई थी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती नियम–2012 के अन्तर्गत प्रकियाधीन थी। निगम

का सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य नियमित सफाई व कचरा निस्तारण है इसके महत्व को देखते हुए वर्षं 2014–15 के बजट में शहर की सफाई व्यवस्थाओं के लिये 28080.05 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया। चारदीवारी क्षेत्र में गन्दी गलियों की सफाई के लिए प्रोपर्टी कनेक्शनों के 10 पुराने आरयूआईडीपी के कार्यों का सम्पूर्ण सुधार करने हेतु रूपये 20 करोड़ की कार्य योजना तत्कालीन समय में विचाराधीन थी ताकि सम्पूर्ण चारदीवारी की गंदी गलियों के ईकजाई संधारण हेतु कार्यवाही की जा सके। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों के द्वारा बिछाई जाने वाली सीवर लाईनों को विधिवत हस्तान्तरण प्रक्रिया उपरान्त ही नगर निगम संचालन व संधारण हेतु ग्रहण किए जाने हेतु ऐसे प्रयास किये जा रहे थे। जवाहर नगर क्षेत्र में 40 वर्षं से अधिक पुरानी सीवरेज सिस्टम का पुनः सुधार के प्रयास किये जा रहे थे। वर्षं 2014–15 के बजट में शहर में सीवरेज परियोजनाओं के लिये 3000.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया था।[41]

गैराज का सुदृढ़ीकरणः –

नगर निगम जयपुर की गैराज शाखा, नगर निगम जयपुर के लिए अहम भूमिका का निष्पादन करती है। जिसकी उपलब्धियों एवं प्रस्तावित योजनाओं (वर्षं 2014–15 की) पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्न प्रकार वर्णित की गईः–

जयपुर शहर के समस्त 77 वार्डों से मलबा, मिट्टी एवं कचरा परिवहन व उसके निस्तारण के लिए गैराज शाखा स्वयं के उपलब्ध संसाधन एवं संविदा पर किराये के संसाधन लेकर कार्य निरन्तर एवं प्रभावी तरीके से करती आ रही थी। निगम की विभिन्न शाखाओं जैसे उद्यान शाखा, विद्युत शाखा, सीवर शाखा, स्वास्थ्य शाखा, सतर्कता शाखा, राजस्व शाखा, गौशाला शाखा, निर्माण शाखा, आयोजना शाखा आदि शाखाओं को उनके कार्य सम्पादन में वांछित संसाधनों की मांग अनुसार व्यवस्था की जाती थी। साथ ही विशेष अभियानों, आपदा/बाढ़ नियन्त्रण, मृत पशुओं के परिवहन एवं उनके निस्तारण, मृत

पशुओं के परिवहन एवं उनके निस्तारण महामारी एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों (मड पम्प, वाटर पम्प, सक्शन मशीनें, जे. सी.बी., क्रेन, फोगिंग) की व्यवस्था करता आ रहा था। गैराज शाखा द्वारा इस कार्य काल के विगत चार वर्षों में 10 जैटिंग मशीन, 02 सक्शन मशीन, 02 पशु रोगी वाहन एवं विभिन्न साईज के 450 कचरापात्र क्रय किये। कचरा परिवहन की प्रभावी व्यवस्था हेतु झालाना बाईपास पर ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना की गई। साथ ही अन्य ट्रांसफर स्टेशन एवं कचरागाह आदि पर आधुनिकरण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु बाउन्ड्री वाल, सड़क निर्माण, पी.टी. सर्वे, प्लांटेशन, कांटे का संचालन, सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं सुरक्षा उपकरण आदि की व्यवस्था की गई थी। जयपुर शहर के समस्त वार्ड, उनकी जनसंख्या, कचरागाह से दूरी व अन्य बिन्दुओं के आधार पर कचरे के सुव्यवस्थित संग्रहण एंव निस्तारण, परिवहन व अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु आवश्यक संसाधनों का आंकलन किया गया था। जिनकी क्रय की लागत करीबन 80 करोड़ रूपये है जो कि वर्ष 2014–15 में किया जाना प्रस्तावित था। कचरा प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल स्थलों का निर्माण व रखरखाव के विभिन्न कार्य को सम्पादित करवाना प्रस्तावित था। वर्तमान में जयपुर शहर के करीबन ¼ हिस्से में कचरापात्रों द्वारा कचरा संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। कचरे के सुव्यवस्थित संग्रहण एवं निस्तारण को और प्रभावी बनाने के लिए करीबन 2000 नग विभिन्न प्रकार के कचरापात्रों का क्रय किया जाना प्रस्तावित था। जयपुर शहर के बढ़ते हुए विस्तार को मध्यनजर रखते हुए 02 ओर मोटर गैराज एवं 05 जंग यार्डों की अति आवश्यकता थी। अतिक्रमण से उठाये गये जंग संसाधनों निगम के विभिन्न गैराजों से प्राप्त स्क्रेप/नकारा मशीनों/नकारा कचरापात्रों के भण्डारण के लिए जंग यार्डों की अति आवश्यकता थी। अतः बजट प्रस्ताव वर्ष 2014–15 में कार्य किया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान समय में निगम की गैराज शाखा में आधुनिक तकनीकी वाली मशीनें एवं संसाधन क्रय किये जा रहे थे इनके संचालन एवं रखरखाव के लिए कुशल तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की

आवश्यकता रहती थी। अतः वर्ष 2014–15 में गैराज अधिकारियों/कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञान में सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्ष भर करवाया जाना प्रस्तावित था। वर्ष 2014–15 के बजट में निगम गैराज व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु बजट के प्रावधान को 400 लाख रूपये अतिरिक्त देते हुए 3250.00 लाख रूपये किया जा रहा था।[42]

रोड़ लाइट सुधार एवं विस्तार कार्यः-

गुलाबी नगरी के प्रमुख बाजारों व चौराहों पर रात्रि को बेहतर रोशनी व्यवस्था के लिये हाईमास्ट लाइटें लगाई गई थी। ऐसी लाइटें इन्दिरा बाजार, किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, रामगंज बाजार, घाटगेट बाजार, सिरह ट्योडी बाजार, चांदपोल हनुमान मंदिर के पास, सांगानेर सिटी बस स्टैण्ड एवं भगत सिंह पार्क में लगवाई गई थी। जयपुर शहर के किशन पोल बाजार, चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार एवं रामगंज बाजार में स्थित बरामदों का विद्युतीकरण किया गया था। फैक्ट्री एरिया रोड़ से धानका बस्ती श्मशान, राजीव पाठशाला स्कूल तक, राम मंदिर से कौशल्या दास की बगीची तक, वार्ड नंबर–7 के पार्कों में प्रकाश व्यवस्था, मानसरोवर सेक्टर 101/87 व सेक्टर 81/31 के सामने स्थित पार्क में प्रकाश व्यवस्था, नगर निगम मुख्यालय भवन के लिए स्टैण्ड बाई मैन एच.टी. विद्युत केबिल डालने का कार्य, वार्ड नबंर 3 में शेखावाटी सेन्ट्रल कॉलोनी पार्क (वी.के.आई) में विद्युतीकरण, सुन्दर सिंह भण्डारी नगर स्वेज फार्म सोडाला में, बरकत नगर मुख्य मार्ग पर टोंक फाटक तक सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था का कार्य करवाया गया था।[43]

निगम द्वारा इस कार्यकाल में गत वर्षों में विभिन्न जोनों में लाइट लगाकर विद्युत सुधार व विस्तार का कार्य किया गया

क्र.सं.	वर्ष	लगाई गई ट्यूब लाइट	लगाई गई सोडियम लाइट		
			70 वाट	150 वाट	250 वाट
1.	2010–11	1497	–	1559	–
2.	2011–12	6623	–	974	–
3	2012–13	6877	–	2439	–
4	2013–14	6651	1149	2251	746
योग		21648	1149	7223	746
कुल योग		ट्यूबलाईट 21648	सोडियम लाइट 9118		

सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को और अधिक महत्व देते हुए 2014–15 के बजट में इस मद में 2860.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया था।[44]

गौ-पुर्नवास केन्द्र :-

गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया :– नगर निगम जयपुर शहर में लावारिस गौवंश को पुनर्वासित करने की दिशा में राज्य में सर्व सुविधा सम्पन्न गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया का संचालन कर रहा है। वर्ष 2013–14 में गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में विकास कार्य किए गए थे व वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ किए गये कार्यों को पूर्ण किया था। इस कार्यकाल में गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया नगर निगम, जयपुर के लगभग 800 बीघा भूमि कब्जें में था, जिसमें 24 ट्यूबवेल थे। वर्ष 2011–12, 2012–13 में जहां 5000 गौवंश रखने की क्षमता थी। वर्ष 2013–14 में 8000 गौवंश रखने की क्षमता विकसित की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में विभिन्न कार्यों जैसे निर्माण, विद्युत, एम्बूलेंस इत्सादि के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। जिसका पूर्ण उपयोग किया जाकर लगभग सभी

कार्य पूर्ण करवा दिए गये थे। जयपुर शहर में लावारिस बीमार, रूग्ण एक्सीडेंट से पीडित गौवंश को एम्बूलेंस के जरिए बिना विलम्ब के चिकित्सा उपलब्ध करवाया जाना प्रारम्भ कर दिया गया था। गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया था। नये पशु बाडों का निर्माण करवाया गया था। पशुओं की आधुनिक व इन्टर नेशनल स्तर की चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के ध्येय से आधुनिक **पेथोलॉजीकल लेबोरेट्री** का निर्माण करवाया गया था मृत गौवंश के पोस्टमॉर्टम कर बिमारियों का पता लगाने व राज्य में पशु चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों को पशु चिकित्सा में निपुण बनाने हेतु आधुनिक (मोर्चरी) का निर्माण करवाया जा रहा था। गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में नगर निगम, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के सहयोग से सघन वृक्षारोपण करवाया गया जो गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया को भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होना था। गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में रखे जा रहे गौवंश में स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित सुधार हुआ था। मृत गौवंश की दर में असामान्य रूप से गिरावट आई थी। गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में रखे जा रहे गौवंश का स्वस्थ होना भविष्य में गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया को स्वावलम्बी बनाने में मील का पत्थर साबित होना था। गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में उत्पन्न वर्मी कम्पोस्ट खाद्य व देशी खाद्य निर्धारित मूल्य पर ''पहले आओं पहले पाओं'' के आधार पर विक्रय किया जाता था जिससे स्थानीय ग्रामीणों को वाजिब दाम पर अच्छी खाद्य प्राप्त हो रही थी। वर्षं 2013–14 में गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया से प्राप्त उत्पादों व पशु रिहाई से मात्र 09 माह में 24,26,808/– राशि प्राप्त कर गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में रिकॉर्ड आय अर्जित की गई थी। गौ–सेवा व गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया के मेनेजमेन्ट सुधार में नगर निगम, जयपुर के पशुधन निरीक्षक को माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री प्रभु लाल सैनी द्वारा गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में उनके उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा में स्वर्ण पदक से अलंकृत किया गया था। गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में रखे जा रहे गौवंश को हरा–चारा

नियमित उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बहुत बड़े भू–भाग पर **Greenfodder** तैयार करने की योजना पर उद्यान अनुभाग द्वारा गंम्भीरता से कार्य करवाया जा रहा था ताकि खरीफ की फसल से समय पर पर्याप्त मात्रा में गौवंश को नियमित हरा–चारा उपलब्ध होना था। शहर में घायल पशुओं को अविलम्ब चिकित्सा मुहईया कराने के उद्देश्य से 2 एम्बुलेंस कार्यरत थी जो आधुनिक सुविधा प्राप्त थी एक जनसाधारण द्वारा टोल फ्री नंबर–1962 पर इस एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त हो सकती थी साथ ही नगर निगम जयपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी मोबाईल नंबर –9667444386 एवं पशुधन निरीक्षक मोबाईल नंबंर –9667441618 को भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती थी। वर्ष 2014–15 के बजट में इस मद में 875.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया था।[45]

हरित जयपुर की दिशा में उद्यान शाखा के बढ़ते कदम :-

हरे–भरे खूबसूरत उद्यान शहर के सौन्दर्य में चार चांद लगा देते है। इन्हें अगर शहर का श्वसन तन्त्र कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं। इनके महत्त्व को देखते हुए निगम ने शहर के अनेक पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया था व अनेक नये उद्यानों का विकास करवाया था जो अपने आप में एक मिसाल थी। निगम द्वारा विभिन्न जोनो में 825 उद्यानों का संधारण कार्य किया जा रहा था जिनमें रोज गार्डन मानसरोवर, द्वारकादास पुरोहित उद्यान, भगतसिंह पार्क, हनुमान नगर विस्तार पार्क, आदर्श लक्ष्मण पार्क, महादेव नगर का पार्क, जयनिवास उद्यान, पौण्ड्रिक उद्यान एवं तिलक पार्क, प्रमुख थे। निगम क्षेत्र में 299 उद्यान अविकसित थे। जिनमें से वित्तीय वर्ष 2014 –15 में 60 उद्यानों को विकसित किया जाना प्रस्तावित था। गोविन्ददेव जी मन्दिर के पास स्थित जयनिवास उद्यान में काफी वर्षों पूर्व लगाई गई दूब, म्यूजिकल फाउण्टेन आदि खराब हो जाने से उद्यान में दूब का रिनोवेशन, नये म्यूजिकल फाउण्टेन एवं सुन्दर पेड़–पौधे तथा उद्यान में सिविल कार्य करवाया जाकर उद्यान का सौन्दर्यकरण करवाया जाना प्रस्तावित था। इसी प्रकार शहर के मध्य स्थित

पौण्ड्रिक उद्यान का भी सौन्दर्यकरण किया जाना प्रस्तावित था। जयनिवास उद्यान सहित बड़े उद्यानों में इलैक्ट्रोनिक खेल–उपकरण लगाया जाना प्रस्तावित था। निगम द्वारा 2.65 हैक्टेयर क्षेत्रफल में मानसरोवर जोन में रोज गार्डन का विकास किया गया था जिसमें गुलाब के करीब सवा सौ किस्मों के तेरह हजार पौधों का संकलन था इसी प्रकार मानसरोवर में थीम पार्क के रूप में स्टोन पार्क का निर्माण किया जा रहा था। जिसमें राज्य भर एवं देश भर में उपलब्ध विभिन्न किस्म के पत्थरों को दर्शाया जाना था। उद्यान शाखा द्वारा वर्षा–ऋतु में सड़क के किनारे एवं अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण प्रस्तावित था। उद्यान शाखा द्वारा इस कार्यकाल के पिछले चार वर्षों में 102 नये पार्क विकसित कर नियमित रूप से संधारित करवाये जा रहे थे। उद्यानों में बच्चों के मंनोरजन हेतु गत चार वर्षों में 719 नये खेल उपकरण, बैठने की व्यवस्था हेतु 1350 बैंन्चें तथा सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु 990 कचरा पात्र लगवाये गए थे। वित्तीय वर्ष 2014–15 में उद्यान निर्माण के लिए 25.00 करोड़, कन्टीजेन्सी उद्यान मय अनुबन्ध व्यय के लिए 9.00 करोड़ एवं वृक्षारोपण अभियान के लिए 3.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2014–15 के बजट में उद्यान शाखा के कर्मचारियों के वेतन भत्तों सहित कुल व्यय 1352.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया था।[46]

चारदीवारी क्षेत्र में विकास एवं हैरिटेज वाक पुर्नरूद्धार :–

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र की पुर्नरूद्धार योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थी उक्त योजना के अंतर्गत किशनपोल बाजार व अजमेरी गेट खन्दे में कंट्रोल सीमेंट कंक्रीट के द्वारा पार्किंग स्पेस विकसित करने का कार्य किया जाना था जिसके लिए राशि रूपये 3.35 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया था। किशनपोल बाजार में दोनों तरफ पार्किंग हेतु लगभग 5 मीटर चौड़ाई में सीमेंट कंक्रीट का कार्य किया जा रहा था। उक्त सड़क को चौड़ा करने के बाद वाहनों के

उपयोग हेतु एक से दो मीटर क्षेत्र की बढ़ोतरी होनी थी, जिससे यातायात सुगम होना संभावित था परियोजना के अंतर्गत एक अन्य कार्य हैरिटेज वाक पुर्नरूद्वार भी किया जाना था। जिसके अंतर्गत चौड़ा रास्ता, फिल्म कॉलोनी, ठठेरो की गली, नाटाणीयों का रास्ता, संघीजी का रास्ता, सकड़ी गली, मनीहारों का रास्ता, दिवान शिवदीन का रास्ता में सड़क कार्य, हैरिटेज विद्युत पोल, साईनेज, डस्टबिन व लैण्ड स्केपिंग इत्यादि का कार्य किया जाना था। उक्त कार्य की वित्तीय बिड खोल दी गई थी तथा कार्यादेश जारी करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने की प्रक्रिया में था। इस कार्य पर 2.97 करोड़ का व्यय अनुमानित था।[47]

सुविधायुक्त रैन बसेरे :-

शहर के विकास के मायने केवल सम्पन्न लोगों के लिये ही नहीं है। गरीब से गरीब और आश्रयहीन लोगों को भी राहत देने की दिशा में निगम सदैव सतत् प्रयत्नशील है। इसलिए नगर निगम जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष शीत ऋतु के दौरान शहर में गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थायी एवं अस्थायी रैन बसेरे लगाये जाते रहे हैं। इन रैन बसेरों में रात्रि विश्राम निःशुल्क होता है। रैन बसेरों में नई रजाई व गद्दे, तपने के लिए लकड़ी, आरओ कैम्पर द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा हेतु गार्ड, मोती डूंगरी गणेश मन्दिर ट्रस्ट की ओर से निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। रैन बसेरों में बेसहारा, बेघर एवं गरीब परिवार के लोग रात्रि निवास पूर्ण सुकून के साथ करते हैं। इस हेतु इस कार्यकाल में शहर में निगम के 8 जोनों में कुल 28 स्थलों पर रैन बसेरे चल रहे थे। निगम के इस कार्यकाल के अन्तिम वर्षों में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शहर में मोबाईल रैन बसेरे लोगों में उपलब्ध कराना था, इस हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने नगर निगम जयपुर को 10 बसें उपलब्ध करवाई थी इनमें रैन बसेरे को तैयार करवाया गया था। ये रैन बसेरे शहर में विभिन्न स्थानों पर तैनात होने थे

इसमें कोई बेसहारा जिसके पास शहर में रात्रि में आश्रय नहीं है वह अपनी पहचान दिखाकर या अगर किसी मरीज के साथ आया है तो अस्पताल चिकित्सक से लिखवाकर इनमें निःशुल्क ठहर सकता था।[48]

अक्षय कलेवा योजनाः-

गरीब व बेसहारा लोगों को 5 रूपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था 34 अक्षेय कलेवा केन्द्रों पर स्थायी शैड बनाये जा रहे थे, हाथ व बर्तन धोने के लिए पानी की टंकी एवं सफाई की व्यवस्था कार्य प्रगति पर थी।[49]

नगर निगम जयपुर ने महापौर श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल जी के नेतृत्व में अन्य महापौरों की भाँति उपर्युक्त अनेक प्रकार के विकास कार्यों को अंजाम देकर जयपुर महानगर की जनता के पक्ष में जनसुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया। जनता इन सुविधाओं के जरिये अपने आम जीवन को सुखमय बनाने में सरकार की महती भूमिका को अदा करती हैं।

संदर्भ सूची

1. राजस्थान पत्रिका 27 नवम्बर 2009 पृष्ठ सं. 1
2. वही पृष्ठ सं. 2
3. राजस्थान पत्रिका 28 नवम्बर 2009 पृष्ठ सं. 1
4. वर्ष 2014–2015 का बजट अभिभाषण एवं आय व्यय का अनुमान, नगर निगम जयपुर पृष्ठ सं. 2
5. वही पृष्ठ सं. 2
6. वही पृष्ठ सं. 2
7. वही पृष्ठ सं. 2–3
8. वही पृष्ठ सं. 3
9. वही पृष्ठ सं. 3–4
10. वही पृष्ठ सं. 5
11. वही पृष्ठ सं. 5
12. वही पृष्ठ सं. 5–6
13. वही पृष्ठ सं. 6
14. वही पृष्ठ सं. 7–8
15. वही पृष्ठ सं. 8
16. वही पृष्ठ सं. 8–9
17. वही पृष्ठ सं. 10
18. वही पृष्ठ सं. 10
19. वही पृष्ठ सं. 10
20. वही पृष्ठ सं. 11
21. वही पृष्ठ सं. 11
22. वही पृष्ठ सं. 11–12
23. व वही पृष्ठ सं. 12

24.वही पृष्ठ सं.12–13

25.वही पृष्ठ सं. 13

26.वही पृष्ठ सं. 13

27.वही पृष्ठ सं. 14

28.वही पृष्ठ सं. 14

29.वही पृष्ठ सं. 14

30.वही पृष्ठ सं. 14–15

31.वही पृष्ठ सं. 15–16

32.वही पृष्ठ सं. 16

33.वही पृष्ठ सं. 17

34.वही पृष्ठ सं. 17

35.वही पृष्ठ सं. 18

36.वही पृष्ठ सं. 18

37.वही पृष्ठ सं. 19

38.वही पृष्ठ सं. 19

39.वही पृष्ठ सं. 19–20

40.वही पृष्ठ सं. 20–21

41.वही पृष्ठ सं. 21–22

42.वही पृष्ठ सं. 22–24

43.वही पृष्ठ सं. 24–25

44.वही पृष्ठ सं. 25

45.वही पृष्ठ सं. 25–28

46.वही पृष्ठ सं. 28–29

47.वही पृष्ठ सं. 29–30

48.वही पृष्ठ सं. 30–31

49.वही पृष्ठ सं. 31

अध्याय – सप्तम्

जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में
विगत दोनों शहरी स्थानीय सरकारों की भूमिका की तुलना

इल्मदां समझते हैं, तकरीरों से बदलता है जमाना

सियासतदां कहते हैं, नारों से बदलता है जमाना

हाकिमों ने फरमाया है, हुक्मनामों से बदलता है जमाना

कातिबों ने लिखा है, कायदों से बदलता है जमाना

पर मिजाजेजहां बदलने को, ये काफी नहीं होता,

नसीहत देने वाले खुद बदलें, तो बदलता है जमाना।[1]

हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर से सेवानिवृत डॉ. जे.सी. कुक्कड (Professor in Behavioral Science) की ये चन्द पंक्तियां समग्र मानव चरित्र को न केवल स्पष्ट करती है बल्कि सुधारों तथा परिवर्तन के नाम पर बहाये जा रहे घडियाली आंसुओं पर भी करारी चोट करती है।

वस्तुतः मानव स्वभाव से ही तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तुलना करने की प्रवृति तथा आवश्यकता ही अच्छाई–बुराई, उच्च–निम्न अपना–पराया, आवश्यक–अनावश्यक तथा नूतन पुरातन का भेद स्पष्ट करती है। इसी प्रकार समस्त नाम–तौल मूल्याकंन एवं गणनाएं भी केवल तुलना पर आधारित है।[2]

अतः विभिन्न प्रकार की सरकारों के काम करने के तरीकों का सटीक आंकलन करने हेतु उसके विविध पक्षों का तुलनात्मक मूल्याकंन करने की

आवश्यकता होती है तुलनात्मक मूल्याकंन के माध्यम से यह जांचने में मदद मिलती है कि कौन सी सरकार ने आवश्यक कार्यो को अपनी कार्यशैली में प्राथमिकता देकर जनहित के मुद्दे पर अपने आप को श्रेष्ठ सरकार होने का गौरव प्रदान किया।

इसी क्रम में जयपुर महानगर की विगत दोनों शहरी स्थानीय सरकार (2004–2009 एवं 2009–2014) अर्थात नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यो पर किए गए खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

हालांकि शहरी स्थानीय सरकार (नगर निगम) का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। इस वजह से विगत दोंनो सरकारों के द्वारा विभिन्न विकास कार्यो पर व्यय किए गए धन की तुलना पूरे पाँच वर्षो के संदर्भ में करना उचित है। लेकिन सुविधा एवं सटीक तुलना के लिए दोनों सरकारों के चार चार वित्तीय वर्षो में विकास कार्यो पर व्यय किए गए धन की ही तुलना की जा रही है इसके निम्न कारण है –

- भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।[3]
- विगत दोनों कार्यकालों की सरकारों का चुनाव नवम्बर माह में होना।
- नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय का ब्यौरा दिनांक माह के रूप में प्राप्त न होकर वर्ष के रूप में प्राप्त होना जिसमें शहरी स्थानीय सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल के नवम्बर (कुछ दिन) दिसम्बर जनवरी फरवरी मार्च माह का बजट पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित अन्तिम बजट पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ किसी भी सरकार का अन्तिम बजट चुनाव की दृष्टि से जनता को लुभाने वाला भी होता है।

अतः इस दृष्टिकोण से दोनों सरकारों के क्रमशः पूर्व की सरकार के अन्तिम वित्तीय वर्ष को छोड़कर शेष वित्तीय वर्षों अर्थात 2005–06 से 2008–09 एवं 2010–11 से 2013–14 के कार्यकाल में शहरी स्थानीय सरकार (नगर निगम) द्वारा जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के लिए विभिन्न विकास कार्यो पर व्यय किए गए धन की तुलना की जा रही है।

जयपुर महानगर में नगर निगम द्वारा विगत दोनों कार्यकालों के चार–चार वित्तीय वर्षो के शासन के दौरान जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु किये गये प्रयास के तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस अध्याय में दो प्रक्रियाऐं अपनायी जा रही है।

1. जयपुर नगर निगम द्वारा प्राप्त आंकडों पर आधारित तुलना

जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के विकास कार्यो पर धन का व्यय किया गया।

नगर निगम जयपुर में महापौर अशोक परनामी, पंकज जोशी (2004–09) तथा ज्योति खण्डेलवाल (2009–2014) के नेतृत्व में अपने–अपने शासन के चार–चार वित्तीय वर्षो क्रमशः 2005–06 से 2008–09 तथा 2010–11 से 2013–14 में अनावर्तक व्यय एवं अनुदान राशि के व्यय पर अनेक विकास कार्यों को गति प्रदान की गयी। दिसम्बर 2008 में अशोक परनामी जी के विधायक चुनने पर नगर निगम में 2008–09 (शेष कार्यकाल) के लिए भारतीय जनता पाटी के ही पंकज जोशी को महापौर चुना गया। इन महापौरों के नेतृत्व में जनसुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यो पर किए गए धन का व्यय तुलनात्मक रूप में निम्न प्रकार है[4] –

(व्यय राशि लाखों में)

क्र.सं.	विकास कार्यों हेतु देनदारियों सहित अनावर्तक व्यय	महापौर अशोक परनामी, पंकज जोशी	महापौर ज्योति खण्डेलवाल

		(2005–06 से 2008–09) के शासन में	(2010–11 से 2013–14) के शासन में
1	नई सडकों का निर्माण	9716.41	9903.43
2	अन्य निर्माण कियोक्स निर्माण एवं चार दीवारी का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण एवं नाला सुधार व कम्यूनिटी हॉल एवं अन्य फुटकर कार्य, गुलाबीकरण, फुटपाथ, मेयर हाउस निर्माण, अन्य कार्य	12093.84	9897.93
3	सड़क नाली, रखरखाव	5528.29	11463.08
4	सस्ता फलश शौचालय	38.79	0.63
5	सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय निर्माण	427.63	116.59
6	श्मशान/कब्रस्तान विकास	1018.33	705.22
7	बिजली लाइनों में वृद्धि	1102.88	610.31
8	उद्यान निर्माण	3767.44	3194.56
9	वृक्षारोपण	337.18	627.11
10	सीवर लाइन निर्माण	2819.89	4394.28
11	हैरिटेज संरक्षण	38.19	6.94
12	पशु वध गृह निर्माण	382.69	193.34
13	कच्ची बस्ती विकास एवं संधारण	219.75	735.22
14	पशुगृह विकास (गाय, सुअर)	625.39	2378.65
15	निगमों भवनों का रखरखाव	377.01	613.97
16	कारकस प्लांट एस.टी.पी. डेलावास/चैनपुरा करकस प्लांट	23.98	414.93
योग		38517.69 लाख रूपये	45256.19 लाख रूपये

अनुदान राशि का व्यय			
1	सड़कों नालियों हेतु अनुदान (बाढ़ सहायता एवं आपदा प्रबन्धन)	151.34	625.91
2	राष्ट्रीय गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.)	385.44 (इसमें वित्तीय वर्ष 2008–09 शामिल नहीं हैं)	00
3	अपना घर योजना हेतु	0.90 (इसमें वित्तीय वर्ष 2008–09 शामिल नहीं हैं)	00
4	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार	47.11	236.30
5	एम.पी.एम.एल.ए. कोटा	656.68	1031.08
6	राज्य वित्त आयोग के तहत	2656.27	1288.97
7	कच्ची बस्ती पुर्नवास हेतु	158.81	00
8	ग्यारवें/बाहरवें वित्त आयोग के तहत	765.74	1470.54
9	कारकस प्लान्ट	1.18	00
10	निगम सम्बन्धी कार्यो हेतु एडीवी से प्राप्त राशि का व्यय	236.31	00
11	जनसहभागिता	417.44	32.80
12	हैरीटेज वाक	309.05	4.72
13	शहरी सुधार प्रोत्साहन (यूरिफ) जेएनएनयूआरएम	8793.08	6856.19
14	बावडी जीणौद्धार (सुराज)	107.86	00
15	जनगणना 2001/2011	00	525.04
योग		14686.91 लाख रूपये	12101.55 लाख रूपये
अनावर्तक व अनुदान की राशि का कुल व्यय		53204.60 लाख रूपये	57357.74 लाख रूपये

नगर निगम जयपुर द्वारा प्राप्त आँकड़ो की ग्राफिकल तुलना

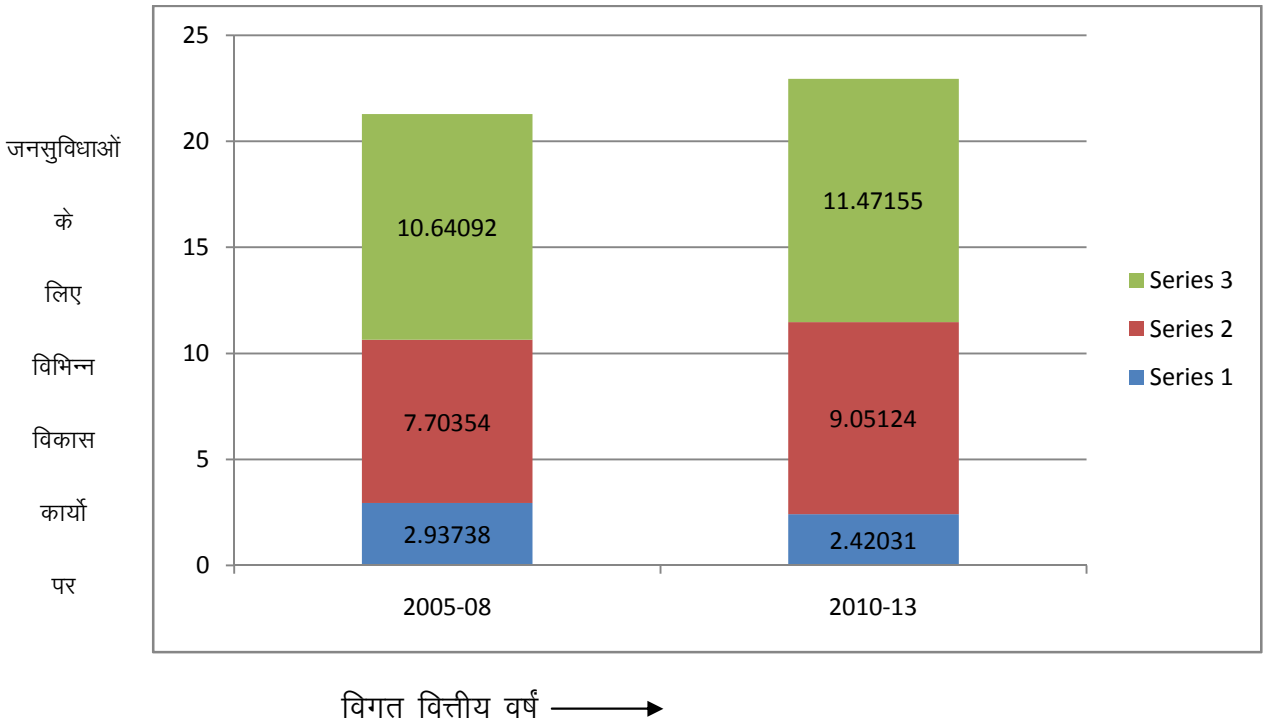

(पैमाना 2 सेमी = 10,000 लाख रूपये)

= अनावर्तक राशि एवं अनुदान की राशि दोनो के संयुक्त रूप में व्यय आधारित विकास कार्य

= अनावर्तक राशि पर व्यय आधारित विकास कार्य।

= अनुदान की राशि पर व्यय आधारित विकास कार्य।

2.जयपुर महानगर की जनता की राय में तुलना

जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन महानगर की जनता की राय (जनता के मतों) द्वारा भी किया गया। एक साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से इस प्रयोजन को पूरा किया गया। इस साक्षात्कार अनुसूची में जनसुविधा से सम्बन्धित वे कार्य ही शामिल किये गये जो कि जयपुर नगर निगम द्वारा प्राप्त आंकडों में है। उक्त प्रयोजनार्थ इस साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जयपुर महानगर में लोगों के निदर्शन प्रणाली द्वारा साक्षात्कार करने के बाद निम्न स्थिति स्पष्ट होती हैं।

क्र.सं.	जन सुविधाओं के लिए जयपुर नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्य तथा जनता का मत	महापौर अशोक परनामी, पंकज जोशी (2005–06 से 2008–09) के पक्ष में मत	महापौर ज्योति खण्डेलवाल (2010–11 से 2013–14) के पक्ष में मत	दोनों कार्यकालों में किए गए कार्य से अनभिज्ञता के पक्ष में मत
1	नई सड़को का निर्माण	40 प्रतिशत	45 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अन्य निर्माण कियोक्स निर्माण एवं चार दीवारी का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण एवं नाला सुधार व कम्यूनिटी हॉल एवं अन्य फुटकर कार्य, गुलाबीकरण फुटपाथ, मेयर हाउस निर्माण, अन्य कार्य	50 प्रतिशत	40 प्रतिशत	10 प्रतिशत
3	सडक काली, रखरखाव	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत	35 प्रतिशत
4	सस्ता फलश शौचालय	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत	70 प्रतिशत
5	सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय निर्माण	60 प्रतिशत	30 प्रतिशत	10 प्रतिशत
6	श्मशान/कब्रस्तान विकास	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत	30 प्रतिशत
7	बिजली लाइनों में वृद्धि	35 प्रतिशत	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत
8	उद्यान निर्माण	40 प्रतिशत	35 प्रतिशत	25 प्रतिशत

9	वृक्षारोपण	35 प्रतिशत	35 प्रतिशत	30 प्रतिशत
10	सीवर लाइन निर्माण	30 प्रतिशत	45 प्रतिशत	25 प्रतिशत
11	हैरिटेज संरक्षण	45 प्रतिशत	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
12	पशु वध गृह निर्माण	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत	70 प्रतिशत
13	कच्ची बस्ती विकास एवं संधारण	35 प्रतिशत	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत
14	पशुग्रह विकास (गाय–सूअर)	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत	85 प्रतिशत
15	निगमों भवनों का रखरखाव	3 प्रतिशत	8 प्रतिशत	90 प्रतिशत
16	कारकस प्लांट एस.टी.पी. डेलावास/चैनपुरा कारकस प्लांट	2 प्रतिशत	3 प्रतिशत	95 प्रतिशत
औषतन कुल मत		29.37 प्रतिशत	27.87 प्रतिशत	42.81 प्रतिशत

जयपुर महानगर की जनता की राय में ग्राफिकल तुलना

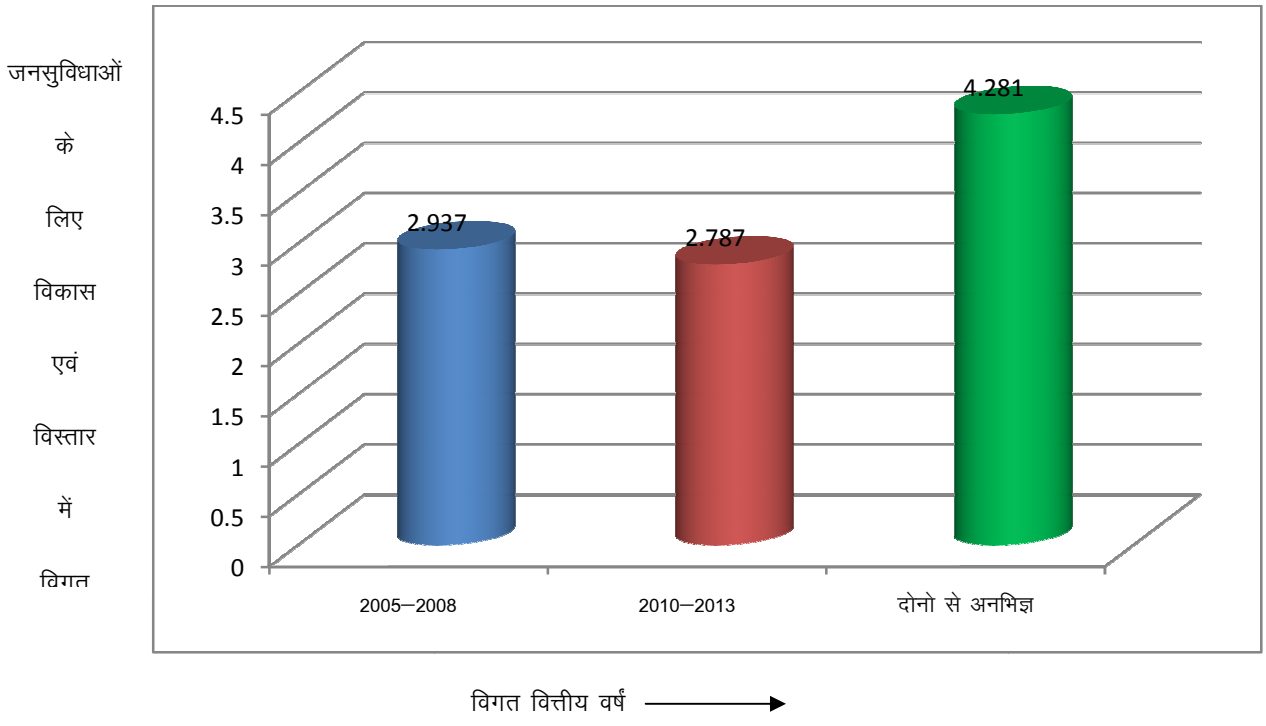

(पैमाना 1 सेमी = 10 प्रतिशत)

अनुदान की राशि द्वारा जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किये गये प्रयास के लिए भी जनता का मत लिया गया। इस मत से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जयपुर महानगर की अधिकतर जनता (लगभग 80–90 प्रतिशत) इन अनुदान की राशि द्वारा किए गए विकास कार्यों से अनभिज्ञ थी। इसके अलावा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जनता से नगर निगम जयपुर से सम्बन्धित सामान्य जानकारी (यथा–वर्तमान एवं विगत दो कार्यकालों के महापौर, उपमहापौर, पार्षद, अपना वार्ड तथा जोन के बारे में) ली गई। लगभग 60 प्रतिशत जयपुर की जनता इस प्रकार की जानकारी से अनभिज्ञ थी साथ ही साथ जनता दलीय कट्टरवाद तथा पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित पायी गई।[5]

उपर्युक्त नगर निगम द्वारा प्राप्त आंकडों एवं जयपुर की जनता द्वारा प्राप्त की गयी राय के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलतें है –

(1) केवल नगर निगम द्वारा प्राप्त आंकडों के आधार पर

(i) अनावर्तक व्यय पर आधारित नगर निगम द्वारा प्राप्त आंकडों के आधार पर अन्य निर्माण कियोस्क निर्माण एवं चार दीवारी की जीर्णोद्धार व नवीनीकरण एवं नाला सुधार व कम्यूनिटी हॉल एवं अन्य फुटकर कार्य, गुलाबीकरण फुटपाथ, मेयर हाउस निर्माण, अन्य कार्य, सस्ता फ्लश शौचालय, सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय निर्माण, श्मशान/कब्रस्तान विकास, बिजली लाइनों में वृद्धि, उद्यान निर्माण, हेरीटेज संरक्षण, पशुवध गृह निर्माण कार्यों में महापौर अशोक परनामी, पंकज जोशी के शासन में बेहतर प्रदर्शन रहा जबकि नई सड़कों का निर्माण, सडक नाली रखरखाव, वृक्षारोपण, सीवर लाइन निर्माण, कच्ची बस्ती विकास एवं संधारण, पशुगृह विकास (गाय–सूअर), निगम भवनों का रखरखाव तथा कारकस प्लांट एस.टी.पी. डेलावास/चैनपुरा कारकस प्लांट से सम्बन्धित कार्यो में महापौर ज्योति

खण्डेलवाल के शासन में बेहतर प्रदर्शन रहा साथ ही साथ सम्पूर्ण अनावर्तक व्यय आधारित विकास कार्यों में महापौर ज्योति खण्डेलवाल (2009–14) के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन रहा।

(ii)अनुदान राशि के व्यय पर आधारित नगर निगम जयपुर द्वारा प्राप्त आंकडों के आधार पर राष्ट्रीय गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.), अपना घर योजना हेतु, राज्य वित्त आयोग के तहत, कच्ची बस्ती पुर्नवास हेतु, कारकस प्लांट, निगम सम्बन्धित कार्यो हेतु एडीबी से प्राप्त राशि का व्यय, जनसहभागिता, हैरीटेज वाक, शहरी सुधार प्रोत्साहन (यूरिफ)/जे़.एन.एन. यूआरएम, बाबडी जीर्णोद्धार (सुराज) सम्बन्धित कार्यो में महापौर अशोक परनामी एवं पंकज जोशी के शासन में बेहतर प्रदर्शन रहा जबकि सडकों नालियों हेतु अनुदान (बाढ़ सहायता एवं आपदा प्रबन्धन), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार, एम.पी.एम.एल.ए. कोटा, ग्यारवें/बारहवें वित्त आयेाग के तहत, जनगणना 2001/2011 से सम्बन्धित कार्यो के तहत ज्योति खण्डेलवाल महापौर के शासन में बेहतर प्रदर्शन रहा। इसी तरह सम्पूर्ण अनुदान राशि के व्यय आधारित विकास कार्यों में महापौर अशेक परनामी तथा पंकज जोशी (2004–09) के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन रहा।

(iii) अनावर्तक एवं अनुदानित राशि दोनों के संयुक्त रूप में व्यय आधारित विभिन्न विकास कार्यों में महापौर ज्योति खण्डेलवाल(2009–14) का प्रदर्शन बेहतर रहा।

(2) केवल जयपुर महानगर की जनता की राय द्वारा प्राप्त आंकडों के आधार पर

जयपुर महानगर की जनता की राय पर आधारित आंकडों के आधार पर अन्य निर्माण कियोस्क निर्माण एवं चार दीवारी का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण एवं नाला सुधार व कम्यूनिटी हॉल एवं अन्य फुटकर कार्य, गुलाबीकरण, फुटपाथ, मेयर हाउस निर्माण, अन्य कार्य, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय निर्माण, उद्यान

निर्माण, हैरीटेज संरक्षण सम्बन्धित कार्यो में महापौर अशोक परनामी, पंकज जोशी के शासन काल में बेहतर प्रदर्शन रहा जबकि नई सड़क निर्माण, श्मशाान/कब्रस्तान विकास तथा सीवर लाइन निर्माण कार्यो में महापौर ज्योति खण्डेलवाल का प्रदर्शन बेहतर रहा।

सड़क नाली, रखरखाव, बिजली लाइनों में वृद्धि, वृक्षारोपण, कच्ची बस्ती विकास एवं संधारण सम्बन्धित कार्यों में दोनों महापौरो के शासन काल के संदर्भ में मिलीजुली प्रक्रिया सामने आयी।

सस्ता फ्लश शौचालय, पशुवध गृह निर्माण, पशु गृह विकास (गाय–सूअर), निगम भवनों का रखरखाव तथा कारकस प्लांट एस.टी.पी. डेलावास/चैनपुरा कारकस प्लांट सम्बन्धित कार्यों के बारे में जयपुर की अधिकतर जनता को पता ही नहीं था कि कौन से महापौर के शासन में बेहतर प्रदर्शन रहा।

विभिन्न विकास कार्यों में औषतन मतों के आधार पर महापौर अशोक परनामी तथा पंकज जोशी (2004–09) के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन रहा।

(3) उपर्युक्त दोनो आधारों के सम्मिलित रूप के अनुसार

उपर्युक्त दोनों आधारों के सम्मिलत रूप के अनुसार नई सड़क निर्माण, सीवर लाइन निर्माण में महापौर ज्योति खण्डेलवाल के शासन में बेहतर प्रदर्शन रहा। जबकि अन्य निर्माण कियोस्क निर्माण एवं चारदीवारी का जीर्णोद्वार व नवीनीकरण एवं नाला सुधार व कम्यूनिटी हॉल एवं अन्य फुटकर कार्य, गुलाबीकरण फुटपाथ, मेयर हाउस निर्माण, अन्य कार्य, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय निर्माण, उद्यान निर्माण तथा हैरीटेज संरक्षण कार्यो में महापौर अशोक परनामी तथा पंकज जोशी के शासन में बेहतर प्रदर्शन रहा।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं। कि सभी सरकारों का जन सुविधा मुहैया कराने का तरीका अलग–अलग होता है अर्थात् विभिन्न

जन सुविधाओं की सूची में कुछ जन सुविधाऐं ऐसी होती है जिनकों मुहैया कराने में प्रथम सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसी सूची में कुछ जन सुविधाऐं ऐसी होती है जिनमें दूसरी सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा उसी सूची में कुछ जन सुविधाऐं ऐसी होती है जिनको मुहैया कराने में दोनों सरकारों की यातो लगभग बराबर की भूमिका होती है या दोनों की उदासीन भूमिका भी हो सकती है।

इस तरह हम कह सकते है कि जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सभी सरकारों की आंशिक एवं वृहद रूप में सकारात्मक भूमिका होती है।

संदर्भ सूची

17. इल्मदां – शिक्षा देने वाले, तकरीर –सीख या निर्देश, सियासतदां –राजनीतिज्ञ या शासक, हाकिम–सरकारी अफसर, हुक्मनामा–आदेश, कातिब – लेखक, कायदे=नियम, मिजाजेजहां–जनता का स्वभाव या अभिवृत्ति, नसीहत = उपदेश
18. कटारिया डॉ. सुरेन्द्र, तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स एस.एम.एस. हाइवे जयपुर 2001 पृष्ठ सं. 1
19. फड़िया डॉ. बी.एल, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड़ आगरा 2003 पृष्ठ सं. 177
20. जयपुर नगर निगम द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर।
21. जयपुर महानगर की जनता के प्रदत्त मतों की जानकारी के आधार पर।

अध्याय -अष्टम्
निष्कर्ष एवं आत्मकथन

किसी भी देश के श्रेष्ठ एवं विकसित होने के लिए लोकतंत्र की स्थापना होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा कोई भी देश समृद्धता हांसिल कर लेता है। एक समृद्ध देश में उस देश के गाँव से लेकर शहर तक के सभी लोग एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं। विश्व के किसी भी राष्ट्र के गाँव से लेकर शहर तक की जनता को किसी भी दृष्टिकोण में एक श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति तब तक हाँसिल नहीं हो सकती जब तक उस राष्ट्र की समस्त इकाइयों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ–साथ जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार न हो जाए। अतः लोकतांत्रिक शासन प्रणाली द्वारा जनसुविधाओं का विकास एवं विस्तार होना अतिआवश्यक है।

जैसा कि पिछले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं कि जनसुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। ये वे बुनियादी जरूरते है जो जिन्दा रहने के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा..... आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है इस प्रकार सरकार की एक अहम् जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाऐं मुहैया करवाए।

आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है इस बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप जन सुविधाओं की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। जन जीवन को सुलभ एवं आसान बनाने हेतु सरकार की भूमिका भी बढ़ना स्वाभाविक है। इन विभिन्न प्रकार की जन सुविधाओं को मुहैया कराने में सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जनता सरकार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में कर अदा करती है। बहुत सी जन सुविधाऐं इतनी महंगी होती है उनको व्यक्तिगत रूप में उपयोग में लेना आसान नहीं होता है। यथा–शिक्षा,

चिकित्सा आवागमन के साधन, बिजली, पानी.....आदि का व्यक्तिगत रूप में प्रबन्ध करने में काफी खर्चीले प्रतीत होते है जो कि आम आदमी के लिए जटिल कार्य है।

एक ओर बहुत सारी जन सुविधाऐं ऐसी होती है जिसमें मुनाफे की गुंजाइश कम होती है उसमें निजी संगठनों की दिलचस्पी कम होती है यथा नालियों की साफ–सफाई, मलेरिया रोधी अभियान आदि। वही दूसरी ओर वे सुविधाऐं होती है जिसमें मुनाफे की गुंजाइश बहुत अधिक होती है यथा निजी विद्यालय, निजी चिकित्सालय तथा बाजार में टेंकरों एवं सील बन्द पानी की बोतलों से पानी की आपूर्ति। इन अधिक मुनाफे वाले सुविधाओं से धनी वर्ग तो लाभान्वित हो सकता है लेकिन गरीब वर्ग इन सुविधाओं से वंचित हो सकता है। इनका लाभ लेने में चन्द लोग ही सक्षम होते है। अतः गरीब एवं अमीर की खाई को दरू करने हेतु तथा लोगों के सम्मानजनक जीवन जीने हेतु जन सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।

सरकार की भूमिका के संदर्भ में फ्रांस के संविधान में एक कथन ''Womb to tome'' जिसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात् तक राज्य प्रशासन अपने दायित्व कदम–कदम पर निर्वाहित करता है अर्थात् जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात् तक की सम्पूर्ण सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्योंकि एक सीमित आय वाले परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की जनसुविधाओं को अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करना असम्भव सा प्रतीत होता है। माना कि एक परिवार जिसकी सीमित आय है उसे पानी जैसी जन सुविधा को अपने स्तर पर प्राप्त करने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है –

1. बहुत से स्थानों पर सरकार द्वारा भूजल दोहन को रोकने के लिए नये कुओं एवं ट्यूबवेलों के निर्माण पर रोक लगाना।

2. बहुत से क्षेत्र जहाँ सरकार का प्रतिबन्ध भी नहीं हो तो उन क्षेत्रों में या तो भूजल का अभाव है या भूजल बहुत ही गहराई पर होता है।
3. जिन क्षेत्रों में भूजल का स्तर ऊपर होतो भी कुओं और ट्यूब बेल निर्माण के लिए स्वयं की जमीन तथा भूजल के दोहन के लिए विद्युत मोटर तथा हैण्डपम्प आदि के लिए हजारों–लाखों रूपयों की जरूरत होती है जो कि एक औसत आय वर्ग वाले परिवार के लिए असम्भव है।
4. बहुत से परिवारों के पास धन एवं जमीन दोनों होते है अर्थात् वे उच्च आय वर्ग वाले परिवार होते हैं वे परिवार कुआ, ट्यूबबेल, विद्युत मोटर तथा हैण्डपम्प आदि के निर्माण में सक्षम होते है लेकिन उनकी जमीन का भूजल पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि वहाँ का जल लवणीय एवं फ्लोराइड से युक्त होता है जो कि अनेक बीमारियों का कारण होते हैं।
5. उच्च आय वर्ग वाले परिवार बाजार से टैंकरों एवं सीलबंद बोतलों–कैम्पर्स के जरिये अपनी पानी की आपूर्ति कर लेते हैं लेकिन वे भी एक निश्चित सीमा तक ही कर पाते हैं क्योंकि उच्च आय वर्ग वाले परिवार को जल की आपूर्ति की आवश्यकता उसी अनुपात में अधिक होती है अतः उस परिवार को अपनी जल से सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने हेतु सकल आय का अधिकांश भाग जल की आपूर्ति पर खर्च करना पड़ सकता है जो कि उस परिवार के सकल बजट को प्रभावित करता है।
6. जबकि निम्न आय वर्ग वाले परिवार को बाजार से टेंकरों एवं सीलबंद बोतलों –कैम्पर्स के जरिये अपनी पानी की आपूर्ति करने में पसीने छूट जाते हैं और परिवार के सकल बजट को पूरी तरह तहस–नहस कर सकते हैं क्योंकि बाजार में एक लीटर की सील बंद बोतल 10 से 20 रूपये, कैंफर 50 से 100 रूपये तथा एक टेंकर 200–500 रूपये के हिसाब से पानी की आपूर्ति करता है जो कि काफी खर्चीला साबित होता है।

उक्त प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की भूमिका बढ़ना स्वाभाविक है अतः सरकार के जल दाय विभाग द्वारा न्यूनतम दर पर पानी

मुहैया कराया जाता है बहुत से शहरों में लगभग 40 से 100 रूपयें मासिक दर से विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है। बहुत से शहरों में या तो निःशुल्क या खफत की मात्रा के अनुसार दर बढ़ाकर पेयजल आपूर्ति की जाती है।

इसी प्रकार सभी आय वार्ग वाले परिवार को आवागमन की सुविधा को अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य को साईकल, मोटर साईकल तथा कार आदि की आवश्यकता होती है। इस सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हजार से लाखों रूपयों की जरूरत होती है। एक उच्च आय वर्ग वाला परिवार तो इन सुविधाओं से लाभान्वित हो जाता है लेकिन एक औसत आय वर्ग वाला परिवार इन सुविधाओं से वंचित रह सकता है। औसत आय वर्ग वाले परिवार के सामने इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने में निम्न चुनौतियां सामने आती है।

1. प्रत्येक सदस्य के लिए अलग–अलग वाहन होना जिस पर ईधन सहित हजारों–लाखों रूपये खर्च होना।
2. प्रत्येक वाहन के लिए सुरक्षा एवं यातायात व्ययवस्था को सुगम बनाने हेतु उचित पार्किंग व्यवस्था होना। क्योंकि औसत आय वर्ग वाले परिवार या तो किराये पर रहते हैं या उसका घर इतना सीमित एवं छोटा होता है जिसमें पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहती है। ये परिवार अपने वाहनों को घर के बाहर सड़क के किनारें पार्क करते है जिससे इनके वाहनों को सदा चोरी होने का खतरा रहता है साथ ही साथ सड़क किनारे वाहन को पार्क करने पर यातायात प्रभावित होता है।
3. पर्यावरण प्रदूषण तथा तंग गलियों एवं सड़कों पर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में निजी पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा रखी है जैसा कि हाल ही में दिल्ली शहर में ओड ईवन फार्मुला (सम–विषय) लागू किया गया था।

अतः उक्त प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। अर्थात् जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक सस्ते एवं सुविधा जनक आवागमन के साधन मुहैया कराये। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न सरकारों द्वारा शहरी एवं ग्रामीण बस सेवा तथा मेट्रो रेल सेवा आदि का संचालन कर आवामन सुविधा मुहैया कराकर अपनी भूमिका को एक कदम और बढ़ाने का सफल प्रयास किया है।

पेयजल एवं आवागमन जैसी सुविधाओं की तरह नाना प्रकार की जन सुविधाओं को व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त कर लाभान्वित होने में अनेक प्रकार की जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक ओर इन जन सुविधाओं को एक धनिक एवं प्रभावशाली वर्ग तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त कर लाभान्वित हो सकता है वही दूसरी ओर एक औसत आय एवं गरीब वर्ग के लिए इन सुविधाओं को अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त कर लाभान्वित होना बहुत ही जटिल एवं असम्भव सा प्रतीत होता है। इस कारण इस वर्ग के लोग एक गरिमामय एवं आसान जीवन जीने में असक्षम हो सकते हैं। साथ ही साथ उनका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। अतः राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को संकट से बचाने तथा गरिमामय बनाने हेतु सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की सुविधाएँ जनता के लिए मुहैया करायी जाये। जैसा कि जल के सम्बन्ध में एक कहावत है– जल ही जीवन है अर्थात् राज्य के नागरिकों को पर्याप्त जल नहीं मिलेगा तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। वस्तुतः जल जैसी सुविधा को उपलब्ध कराने की सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जन सुविधाओं को उचित दर पर जनता को मुहैया कराया जाये।

भारत में मानव के उदय से लेकर सिन्धुघाटी सम्भता, वैदिक काल, मौर्यकाल, मुगलकाल, ब्रिटिश काल और अब तक के इतिहास काल में विभिन्न

सरकारों (राजतन्त्रीय, कुलीनतंत्रीय तथा लोकतंत्रीय) द्वारा अपने नागरिकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में विभिन्न प्रकार की जन सुविधाऐं मुहैया करवाकर जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका को मजबूती प्रदान की है। हालांकि भारत में कुछ मुस्लिम शासन काल तथा ब्रिटिश शासन काल में विकसित जन सुविधाऐं तत्कालीन समय में भारत की जनता के कल्याण के लिए न होकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु हो सकती है लेकिन कालान्तर में स्वतन्त्रता के बाद भारत के लिए ये वरदान साबित हुई यथा–दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल ग्रान्ट ट्रंक रोड, रेल, शिक्षण संस्थाऐं, चिकित्सालय .....आदि।

राष्ट्र के किसी भाग में प्राकृतिक आपदा (बाढ़, भूकम्प, सुनामी, आग लगना.....आदि) घटित होने पर उस भाग में जन जीवन असामान्य हो जाता है साथ ही साथ एक बड़े स्तर पर जान माल की हानि होने की संभावना रहती है परिणामस्वरूप इस प्रकार की आपदा से बचाने तथा जन जीवन को सामान्य बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अतः विभिन्न सरकारें प्राकृतिक आपदाओं से जनता की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में मदद करती है साथ ही साथ उनके लिए भोजन कपड़े एवं आवास की भी व्यवस्था करने का प्रयास जारी रखती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर, तमिलनाडू तथा अन्य भागों की प्राकृतिक आपदाओं में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा की गई मदद के उदाहरणों द्वारा भी इस आशय की पुष्टि की जा सकती है।

सरकार की सकारात्मक भूमिका के वर्णन के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के निम्न उद्धहरण द्वारा स्पष्ट होता है।

प्रजा सुखे राज्ञः प्रजानां हिते हितम्

नाप्यप्रिये हिंत राज्ञः प्रजानां तु प्रियंहितम्

अर्थात् प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं वरन् हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे।

भारत सहित विश्व के किसी भी देश में विद्यमान शासन के अनेक रूप यथा राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीनतंत्र या लोकतंत्र में सभ्यता के शुरू से लेकर आज तक के इतिहासकाल में आंशिक या वृहद रूप में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की महती भूमिका रही है।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में अगर किसी कारण वस प्राकृतिक आपदा घटित हो जाती थी जिसके कारण किसानों की सफलें नष्ट हो जाती थी। सूखे या अनावृष्टि के कारण सूखे जैसी स्थित उत्पन्न हो जाती थी और किसान खेत में फसल नहीं उगा सकते थे। इन परिस्थितयों के फलस्वरूप अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अकाल के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती थी जिसके कारण वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम प्रतीत होते थे साथ ही साथ वे राजा के विभिन्न प्रकार कर (लगान) आदि अदा करने में सक्षम नहीं होते थे। अतः लोककल्याणकारी राजा द्वारा किसानों के कर आदि माफ कर आवश्यक जन सुविधाऐं भी मुहैया करायी जाती थी। स्वतन्त्रता के बाद भी इन परिस्थितयों के कारण किसान प्रभावित होते रहे है। अतः विभिन्न सरकारें इन परिस्थितियों के कारण प्रभावित किसानों के विभिन्न प्रकार के कर्जों में छूट एवं मुआवजा आदि प्रदान कर उनकी मदद करती आ रही हैं।

सोल्टाऊ के अनुसार ''सरकार से हमारा तात्यपर्य उन सभी व्यक्तियों एवं साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः सरकार का कार्यक्षेत्र बढ़ने का तात्पर्य राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ना। लोकहित स्वरूप के कारण राज्य का कार्यक्षेत्र दिन–प्रतिदिन व्यापक

होता जा रहा है इस तरह वर्तमान काल में लोककल्याणकारी राज्य का बढ़ता स्वरूप सामने नजर आता है। राज्य आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास करता है। इसमें समाज के सभी कमजोर वर्गों को सहायता का आश्वासन रहता है। बूढ़े बीमार, अनाथ, साधन विहीन प्राकृतिक संकट से तृस्त दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता का आश्वासन रहता है। सभी नागरिकों के लिए निश्चित शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास किया जाता है। राज्य की ओर से सार्वजनिक अस्पताल औषधालय तथा चिकित्सालय का प्रबन्ध किया जाता है। इसमें बेरोजगारों को काम दिलाने की जिम्मेदारी राज्य पर है। भारतीय संविधान में राज्य के 'नीति निवेशक तत्व' भारत में लोकहितकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य में समस्त लोककल्याणकारी कार्य (जन सुविधाऐं) को संचालित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। क्योकि राज्य एक अमूर्त संस्था है राज्य के कार्य संचालन के लिए एक मूर्तरूप सरकार की आवश्यकता होती है।

निष्कर्षतः जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार का उल्लेख प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रन्थों एवं इतिहास (मनुस्मृति सिन्धुघाटी सभ्यता, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, मुगलकालीन व ब्रिटिश काल से लेकर अब तक) में है। किसी भी लोककल्याणकारी राज्य के लिए उस राज्य की जनता के लिए जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार होना उस राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। अतः एक **''श्रेष्ठ मानवीय विकास के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं''** का विकास होना अतिआवश्यक है। जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का विस्तार हो जाता है। अतः सभी सरकारों को इस हेतु अधिक से अधिक वैज्ञानिक प्रयत्न करने चाहिए ताकि लोग श्रेष्ठ एवं सुखमय जीवन जी सकें।

जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम् जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएँ मुहैया करवाए।

सरकार द्वारा इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी दयनीय है। सम्पन्न बस्तियों की तुलना में गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी क्षेत्रों में हस्तानान्तरित कर देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी दृष्टि से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उन्हें ये सुविधाऐं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए।

जन सुविधाओं का निजीकरण कर दिया जाए तो इनकी सुविधाओं से एक वर्ग बिल्कुल अछूता रह जाएगा। उनका विकास अवरूद्ध हो जाएगा अतः इन सुविधाओं को आमजन तक पहुँचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है साथ ही निजीकरण कर भी दिया जाए तो सरकार को उसका सघन पर्यवेक्षण करने की जरूरत होती है। सरकार को उचित नियम बनाने चाहिए ताकि आपस में समन्वय स्थापित हो सके।

निश्चित तौर पर जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की अतुलनीय भूमिका होती है लेकिन सरकार की भूमिका को बनाये रखने हेतु सरकार के साथ–साथ जनता को भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा करने की जरूरत है। जनता की उदासीनता ही सरकार को निष्क्रिय बनाती है। अतः जनता को अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर एक समग्र मानव जाति के कल्याण हेतु निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है साथ ही साथ जनता के लिए आवश्यक जन सुविधा के विकास एवं विस्तार करने हेतु एक संवेदनशील

सरकार का चुनाव करना चाहिए। जनता को किसी भी निजी हित एवं लालच के वशीभूत होकर सरकार का चयन नहीं करना चाहिए।

सम्पूर्ण भारत वर्ष की भाँति जयपुर महानगर में भी जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की महती भूमिका रही है सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ई. में जयपुर नगर की स्थापना की थी तब से लेकर आज तक जयपुर महानगर को जनता की सुविधा के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा अपनी–अपनी भूमिका का निर्वहन किया गया है। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जयपुर महानगर को रियाइशी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र तथा शिक्षा क्षेत्रों में बसाया गया है।

जयपुर महानगर की जनता के जीवन को सुलभ एवं आसान बनाने हेतु सरकार द्वारा स्वतन्त्रता से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की जन सुविधाऐं मुहैया करायी गयी है इन जन सुविधाओं में प्रमुख रूप से बीसलपुर बांध द्वारा सस्ती पेयजल आपूर्ति, मैट्रो रेल एवं जयपुर सिटी बस सेवा द्वारा आवागमन सुविधा, सस्ती एवं निशुल्क चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा, तथा ऊचित दर पर बिजली सुविधाऐं है।

इसी प्रकार नगर निगम जयपुर द्वारा भी बहुत सी जन सुविधाऐं मुहैया करायी जाती है यथा–स्वास्थ्य एवं साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सीवरेज रखरखाव सुलभ शौचालय, मृतक किया स्थलों का निर्माण एवं रखरखाव.....आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पार्कों का विकास, सड़कों, ओवर ब्रिज, अंडरपास, एक्सलेटरों, का निर्माण, घाट की गूणी सुरंग.....आदि सुविधाऐं मुहैया करके जयपुर महानगर की जनता के जीवन को आसान बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

आवासन मण्डल द्वारा भी सभी आय वर्गो के लोगों के लिए उचित दर पर आवास सुविधा मुहैया करायी जाती हैं।

गृह विभाग तथा जयपुर पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाकर जयपुर महानगर में सुरक्षा प्रदान करना साथ ही साथ यातायात व्यवस्था बनाये रखना। इसके अलावा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा विभिन्न खाद्य वस्तुओं आटा, दाल चावल, चीनी आदि को बाजार भाव से सस्ती दर पर मुहैया कराया जाता है। केरोसीन, गैस सिलेण्डर आदि पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान कर इन मूलभूत सुविधाओं को समता परख ढंग से आम जनता तक पहुँचायी जाती है। जयपुर महानगर में सरकार के अनेक विभागों एवं संस्थाओं द्वारा उनसे सम्बन्धित अनेक प्रकार की जन सुविधाऐं मुहैया कराना, जयपुर महानगर में सरकार की भूमिका का प्रामाणिक आधार है।

जयपुर महानगर में सरकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार की जन सुविधाऐं मुहैया करवाकर जयपुर की जनता को लाभान्वित किया है। अतः इन सुविधाओं से दीर्घकालिक सुख प्राप्त करने के लिए जयपुर की जनता का संवेदनशील होना भी जरूरी है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व इन सुविधाओं को नष्ट एवं दूषित कर इनका दुरूपयोग करने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो जाते है यथा –

1. सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरूपयोग करना।
2. सार्वजनिक बसों (रोड़वेज एवं सिटी बसों) की सीटो को फाड़ना बस में गुटखा एवं पान का पीक थूखना, अभद्र लेख लिखना, इन बसों में मुफ्त में यात्रा करना।
3. सार्वजनिक स्थानों, पार्कों आदि में गंदगी फैलाना पेड़ पौधों बच्चों के खेलने के साधनों एवं बैठने के स्थानों को क्षति पहुँचाना।
4. बीपीएल श्रेणी के नागरिकों की सुविधाओं को अमीर एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने धन एवं प्रभाव के बल पर हथियाना।

5. सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं पर दी गई सब्सिडियों का दुरूपयोग करना।
6. सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करना।

अनेक प्रकार की उक्त दूषित प्रवृतियों के कारण सभी वर्ग की जनता इन सुविधाओं से लाभान्वित नहीं हो पाती है अर्थात् जनता समता परख ढंग से इन सुविधाओं से लाभान्वित नहीं हो पाती है। अतः जयपुर की जनता को अपने धैर्य एवं विवेक का परिचय देते हुए व्यक्तिगत हितों की तुलना में सार्वजनिक हितों को तबज्जों देते हुए समस्त प्रकार की जन सुविधाओं से समता परख ढंग से लाभान्वित होना चाहिए।

सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सेवाओं को अपने परिवार की सम्पत्ति एवं सेवाओं जैसी मानकर उनकों सुरक्षित रखकर समान रूप से लाभ लेना चाहिए। जनता द्वारा रिश्वतखोरी जैसी कुरूती पर लगाम लगाकर अपनी संवेदनशीलता तथा जागरूकता का परिचय देकर जन सुविधाओं में सरकार की भूमिका को और अधिक प्रगाढ़ता प्रदान करने हेतु नवीन मार्ग प्रशस्त करने चाहिए। इस हेतु नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देकर विभिन्न प्रकार की कमियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करते रहना चाहिए। सरकार को भी रूसो की **सामान्य इच्छा सिद्धान्त** का पालन करते रहना चाहिए।

निश्चित तौर पर जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की सकारात्मक भूमिका होती है इसी प्रकरण को और अधिक पुष्टि प्रदान करने हेतु जयपुर महानगर में शहरी स्थानीय सरकार (नगर निगमों) के विगत दो कार्यकालों 2004–09 एवं 2009–14 के दौरान जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए किए गये विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का दृश्यावलोकन किया गया। इस दृश्यावलोकन के फलस्वरूप निम्न तुलनात्मक सारांश निकलता है –

1. नगर निगम जयपुर द्वारा प्राप्त आँकड़ों के अनुसार

क्र.सं.	जन सुविधाओं के लिए विभिन्न विकास कार्यों पर राशि व्यय	महापौर अशोक परनामी एवं पंकज जोशी के शासन काल (वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2008-09)	महापौर ज्योति खण्डलेवाल के शासन काल (वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14)
1.	अनावर्तक राशि पर व्यय	38517.69 लाख रूपये	45256.19 लाख रूपये
2.	अनुदान की राशि पर व्यय	14686.91 लाख रूपये व्यय	12101.55 लाख रूपये
3.	अनावर्तक राशि एवं अनुदान की राशि दोनों के संयुक्त रूप में व्यय	53204.60 लाख रूपये	57357.74 लाख रूपये

उक्त तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि अनावर्तक राशि पर व्यय एवं अनुदान की राशि द्वारा व्यय दोनो मिलाकर जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए जहाँ वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2008 –09 में कुल 53204.60 लाख रूपये जबकि वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 में कुल 56701.85 लाख रूपये व्यय किये गये। अर्थात् महापौर ज्योति खण्डेलवाल के शासन के वित्तीय वर्षों (2010–2013) में महापौर अशोक परनामी एवं पंकज जोशी के शासन के वित्तीय वर्षों (2005–2008) की तुलना में लगभग 7–8 प्रतिशत अधिक है।

2. जयपुर महानगर की जनता की राय के अनुसार

	महापौर अशोक परनामी एवं पंकज जोशी के शासन में	महापौर ज्योति खण्डेलवाल के शासन में	दोनों के कार्यों से अनभिज्ञ
जन सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभिन्न शासनों के पक्ष में औषतन मत	औषतन 29.37 प्रतिशत	औषतन 27.87 प्रतिशत	औषतन 42.81 प्रतिशत

उक्त तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि महापौर ज्योति खण्डेलवाल के शासन में महापौर अशोक परनामी एवं पंकज जोशी के शासन की तुलना में जन सुविधाओं के लिए किए गये प्रयासों में लगभग 5–6 प्रतिशत हरास पाया

गया। औषतन 42.81 प्रतिशत लोग दोनों कार्यकालों में हुए विकास कार्यो से अनभिज्ञ, पूर्वाग्रहों एवं दलीय कट्टरवाद से ग्रसित पाये गये।

अनुदान की राशि पर व्यय द्वारा हुए विभिन्न विकास कार्यों पर जयपुर की जनता का नजरिया लगभग अस्पष्ट था अर्थात् इस प्रकार के व्यय द्वारा हुए कार्य से लगभग 80–90 प्रतिशत जनता अनभिज्ञ थी।

विगत दोनों कार्यकालों के उक्त तुलनात्मक सारांश से निम्न निष्कर्ष निकलते है–

1. नगर निगम जयपुर द्वारा प्राप्त आंकडों के अनुसार जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों पर महापौर ज्योति खण्डेलवाल शासन के वित्तीय वर्षो (2010–13) में महापौर अशोक परनामी तथा पंकज जोशी शासन के वित्तीय वर्षो (2005–08) की तुलना में लगभग 7–8 प्रतिशत अधिक राशि व्यय की गई। इस तरह नगर निगम जयपुर द्वारा प्राप्त आंकडों के अनुसार जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में महापौर ज्योति खण्डेलवाल सरकार की भूमिका को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। हालांकि विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों पर किए गए व्यय में मंहगाई का कारक भी हो सकता है।
2. जयपुर की जनता की राय में जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु किए गये प्रयासों में महापौर ज्योति खण्डेलवाल के शासन काल के वित्तीय वर्ष (2010–13) में महापौर अशोक परनामी तथा पंकज जोशी के शासन काल के वित्तीय वर्ष (2005–08) की तुलना में 5–6 प्रतिशत कम मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जयपुर महानगर में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में महापौर अशोक परनामी तथा पंकज जोशी सरकार की भूमिका को श्रेष्ठ सिद्ध करता है हालांकि औषतन 42.81 प्रतिशत जनता दोनों शासन कालों के महापौरों की भूमिका से अनभिज्ञ भी नजर आयी।

3. यदि नगर निगम द्वारा प्राप्त आंकडों तथा जनता की राय द्वारा प्राप्त आंकड़ों को मिला दिया जाये साथ ही साथ मंहगाई कारक तथा औषतन 42.81 प्रतिशत जनता की अनभिज्ञता के मत को भी ध्यान में रखा जाये तो जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में उक्त दोनों कार्यकालों के महापौरों की सरकारों की भूमिका लगभग समान सी प्रतीत होती है।

उक्त तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि जयपुर महानगर में सभी सरकारों की सकारात्मक भूमिका रही है। जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयास एक अनवरत प्रक्रिया है जिसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयासों का नजरिया अलग–अलग सरकारों का अलग–अलग होता है चूंकि राजस्थान में हमेशा दो दलों (कांग्रेस व भाजपा) का प्रभुत्व रहा है, कभी भाजपा की सरकार तो कभी कांग्रेस की सरकार अर्थात् **पैरटो के अभिजन वर्ग के परिसंचरण** का सिद्धान्त लागू होता है। जयपुर नगर निगम में भी यही स्थिति देखी जा सकती है। अतः एक दल की सरकार के कार्यकाल में किये गये कार्य का दूसरे दल की सरकार के कार्यकाल में समापन होता है। यदि अगले कार्यकाल के लिए भी पिछले दल की सरकार को ही चुन लिया जाता है तो पिछले कार्यकाल की सरकार के शेष कार्य को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा होने की संभावना थोड़ी अधिक रहती है। दोनों ही सरकारों का उद्देश्य लोक कल्याण से है जहां भारतीय जनता पार्टी के महापौर (अशोक परनामी एंव पंकज जोशी) के शासन काल में जिन क्षेत्रों में अधिक कार्य किया है वहीं कांग्रेस पार्टी की महापौर (ज्योति खण्डेलवाल) के शासन काल में कम कार्य किया है। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के महापौरों ने कम कार्य किया है। वहीं कॉंग्रेस पार्टी की महापौर ने अधिक कार्य किया है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते है जो हमेशा पूरक चलते रहते है जिनकों कोई भी सरकार नजरन्दाज नहीं कर सकती यथा–पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सड़क नाली रखरखाव, सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्था आदि।

हालाँकि जयपुर महानगर में सभी सरकारों की जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सकारात्मक भूमिका रही है। इस सकारात्मक भूमिका को समता परख रूप में बनाये रखने के लिए जयपुर महानगर की जनता को संवेदनशील एवं जागरूक होने की आवश्यकता है। जयपुर महानगर की जनता दल विशेष को लेकर कट्टरवादी तथा पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित है अतः जनता को दलीय कट्टरवाद तथा पूर्वाग्रहों से निकलकर जनहित को बढ़ावा देना चाहिए।

जनता द्वारा प्राप्त आंकड़ों में जहाँ औसतन 29.37 प्रतिशत लोग महापौर अशोक परनामी व पंकज जोशी के पक्ष में, औसतन 27.87 प्रतिशत लोग महापौर ज्योति खण्डेलवाल के पक्ष में नजर आये वही दूसरी और औषतन 42. 81 प्रतिशत लोग दोनों के कार्यों से अनभिज्ञ नजर आये। इसके अलावा अनुदान की राशि द्वारा किए गये विभिन्न कार्यों के बारे में अधिकतर जनता अनभिज्ञ नजर आयी। ये आंकड़ें जनता की असंवेदनशीलता की ओर इशारा करती है। अतः जयपुर महानगर की जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित होने की भी जरूरत है। सरकार द्वारा मुहैया सुविधा को समता परख रूप में प्राप्त करने के लिए जयपुर महानगर की जनता को अपनी दृढ़ शक्ति का परिचय देते हुए सरकार को संवेदनशील तथा जागरूक होने के लिए विवश एवं प्रेरित करना चाहिए। जनता की उदासीनता एवं असंवेदनशीलता के कारण ही सरकारे निरंकुश, भृष्ट तथा जनता विरोधी हो सकती है।

सारगर्भित रूप में कहा जा सकता है कि जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की महती भूमिका होती है। चाहे राजस्थान राज्य का जयपुर महानगर हो या भारत या विश्व का कोई भी महानगर हो। लेकिन इस महती भूमिका को बनाये रखने के लिए जयपुर महानगर की जनता या अन्य नगरों गांवों की जनता द्वारा सरकार तथा प्रशासन की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त कर तथा राजनीतिक रूप से शिक्षित होकर अपनी संवेदनशीलता तथा जागरूकता का परिचय देकर सरकार पर **छायामंत्रिमण्डल** जैसे रूप में

नियन्त्रण रखना अनिवार्य है। साथ ही साथ जन सुविधाओं के श्रेष्ठतम् रूप में विकास एवं विस्तार के लिए सभी सरकारों को निरन्तर वैज्ञानिक प्रयास जारी रखने चाहिए। जयपुर महानगर की जनता द्वारा कांग्रेस एवं भाजपा पार्टी के अलावा भी अन्य विकल्पों को चुनकर एक प्रयोग किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आशीवादम्, ए.डी. तथा मिश्र, कृष्णकान्त — राजनीति विज्ञान, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि0 7361, रामनगर, नई दिल्ली–2007
2. अवस्थी, एम.पी. — विकास प्रशासन, एल.एन.पुस्तक प्रकाशक,आगरा–2002
3. अवस्थी एण्ड माहेश्वरी — लोकप्रशासन, डवलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा–2002
4. अवस्थी, डॉ. अमरेश्वर एवं अवस्थी, डॉ. आर.के. — भारतीय राजनीतिक चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेशन्स त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जयपुर–1996–97
5. अवस्थी, ए.पी. — विकास प्रशासन, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा–2002
6. अवस्थी एण्ड माहेश्वरी — लोकप्रशासन, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक–2002
7. अवस्थी,प्रो.उमरेश्वर — राजनीति की आज की प्रवृत्तियाँ और समस्याऐं लोकप्रशासन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल–1982
8. अल्तेकर, आर.एस. — प्राचीन भारत में शासन पद्धति, भारती भण्डार लीडर प्रेस, इलाहाबाद–1959
9. अल्तेकर, ए.एस. — स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन एनशियन्ट इण्डिया, देहली–1958
10. आयंगर, के.वी. — समऑसपैक्टस ऑफ एनशियन्ट इण्डियन पॉलिटी, मद्रास–1935

11. अग्रवाल, आर.सी. — इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इक्लूडिंग क्लोज स्टडी ऑफ इण्डियन पॉलिटिकल सिस्टम–1977

12. बसु, डॉ. दुर्गा दास — भारत का संविधान–एक परिचय, लेसिक्स नेसिक्स, बटर वर्थ वाधवा, नागपुर –2011

13. बंसल, डॉ. सुरेश चन्द्र — नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन बेगम ब्रिज, मेरठ–2013–14

14. बसु, रूमकी — लोक प्रशासन : संकल्पना एवं सिद्धान्त, नई दिल्ली, 2000

15. बघेल,डी.एस — नगरीय समाज शास्त्र, एम.पी. प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल–1980

16. बघेला, हेतसिंह, — मध्यकालीन राज. का इतिहास

17. बावेल, बसन्ती लाल एवं बाफना — राजस्थान नगर पालिका कोड, अधिसूचना स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर,–25 सितम्बर 1993

18. भट्टाचार्य, मोहित — ब्यूरोक्रेसी एण्ड डवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उपल पब्लिशिंग, नई दिल्ली–2002

19. भट्टाचार्य, मोहित — स्टेट डाईरेक्ट्रेट्स ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन द इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली–1969

20. चतुर्वेदी, डॉ. मधुकर श्याम — प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था, रूपा प्रिन्टर्स एण्ड एसोसिएट्स, जयपुर,–1986

21. चतुर्वेदी, अरूण एवं चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ — तुलनात्मक लोकप्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन नई दिल्ली–1997

22. चौपड़ा, सरोज वाला — भारत में लोक प्रशासन, आर.बी.एस.ए पब्लिकेशन,जयपुर–1997

23. डॉ. पूरणमल — भारत का संविधान, आविष्कार पब्लिशर्स चौड़ा रास्ता, जपयुर–2005

24. दशोरा, डॉ वी डी. एवं अग्रवाल, डॉ. आर.सी. — भारतीय अर्थव्यवस्था 2010

25. देवेल, डी. — कम्पेरेटिव गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, पब्लिकेशन एस.के.घई, प्रा.लि. प्रिन्टर्स राम, नई दिल्ली–1990

26. देशमुख, डॉ. निलिमा — राजनीति और प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–1997

27. दुबे, आर.के. — आधुनिक लोकप्रशासन,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, भोपाल–1982

28. डोगरा, भारत — सूचना का जन अधिकार, सी–27, रक्षा कुंज, परिचम विहार, नई दिल्ली–2005

29. गर्ग, दामोदर लाल — नगरों में बसा भारत, अनु प्रकाशन 958, धामाणी मार्केट की गली, चौडा रास्ता, जयपुर–2010

30. गर्ग, दमोदर लाल — जयपुर राज्य का इतिहास, जयपुर अनु प्रकाशन–2010

31. गावा, ओम प्रकाश — राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, म्यूर पेपर बैक्स/नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नोएडा–2008

32. गोल्डिंग, एल. — लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन

भोगले, उद्धत — इंडिया, एस.के. परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद–1977

33. गोस्वामी, भालचन्द्र — संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, पोइन्टर, जयपुर–1997

34. ग्रोवर, एल. — भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास, एस.मांड एण्ड कम्पनी, दिल्ली–1983

35. गुप्ता, डी.सी — इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, विकास, नई दिल्ली–1978

36. गुप्ता, मान सिंह — कम्पेन्डियम ऑफ जेडीए एण्ड अलाइड लॉ, किशोर बुक डिपो, जयपुर

37. गुप्ता, डॉ. मोहन लाल — जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन एवं वितरक सोजती गेट, जोधपुर (राजस्थान)–2010

38. हाग्वेयू, रोड हेरोप मार्ति नन्द प्रिस्टन — कम्पेरेटिव गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, डिस्ट्रब्यूशन होमपेशियर–1992

39. हाईग्रेव, राबर्ट, आई. — इण्डियन कांस्टीट्यूशन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, डिस्ट्रब्यूशन होमपेशियर–1992

40. जैक्सन, आर.एम. — द मशिनरी ऑफ लोकल गर्वमेन्ट, मैक मिलन, न्यूयार्क–1965

41. जैन, डॉ. पुखराज — भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य पब्लिकेशन्स भवन, हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2009

42. जैन, डॉ. पुखराज — भारतीय राज व्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा–2001

43. जैन, डॉ. पुखराज एवं फड़िया — भारतीय शासन और राजनीति,साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा–1998

44. जैन, एस.एन. — भारतीय संविधान शासन और राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–1997

45. जैन, रमेश एवं गुर्जर नाथूलाल — राजस्थान में सूचना का अधिकार, जयपुर डोमिनियल लॉ हाउस–2003

46. जोन्स, मौरिस — भारतीय शासन और राजनीति (हिन्दी संस्करण), सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली–1977

47. जौहरी, जे.सी. — इण्डिया गवर्नमेन्ट पॉलिटिक्स, विशाल पब्लिकेशंस–1977

48. जोशी, आर.पी. मंगलानी, रूपा — कॉस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज एवं रावत पब्लिकेशन जयपुर–1998

49. जोशी, आर.पी एवं मंगलानी, रूपा — स्थानीय प्रशासन के नवायाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–2005

50. जोशी, आर.पी. एवं नरवानी, जी.एस — भारत में पंचायती राज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर–2002

51. कमल, के.एल. — पार्टी पॉलिटिक्स इन एन इण्डियन स्टेट्स, एस.चन्द, नई दिल्ली–1970

52. कटारिया, सुरेन्द्र — भारतीय लोक प्रशासन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,जयपुर/नई दिल्ली पंचम संशोधित संस्करण–2008

53. कटारिया, डॉ. सुरेन्द्र — भारत में राज्य प्रशासन,

मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर–2009

54. कटारिया, सुरेन्द्र — तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ दीपक परनामी आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर–2001

55. कटारिया, सुरेन्द्र, — भारत में लोक प्रशासन, आरसीएसए पब्लिकेशन जयपुर–2011

56. कश्यप, सुभाष — इण्डियन पॉलिटिकल पार्टीज, रिसर्च, दिल्ली–1971

57. कान्गले, आर.पी. — द कॉटिल्य आर्थशास्त्र, मोती लाल बनारसी दास, नई दिल्ली–1972

58. कौशिक, सुशीला — भारतीय शासन और राजनीति, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली, चतुर्थ संस्करण–1990

59. कोठारी, रजनी — भारत में राजनीति, ओरियण्ट लॉंगमेन, दिल्ली–1972

60. कोठारी, रजनी — पॉलिटिक्स इन इण्डिया, ओरियण्ट लॉंगमेन लिमिटेड, नई दिल्ली–1970

61. एम., लक्ष्मीकान्त — पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाटा मैक्ग्रा हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली–2006

62. मुतालिव, एम.ए. एवं खान — थ्योरी ऑफ लोकल गवर्नमेन्ट, स्टर्लिंग नई दिल्ली–1983

63. माहेश्वरी, श्रीराम — लोकल गर्वमेन्ट इन इण्डिया, ओरियन्ट लोंगमैन, दिल्ली–1976

64. माहेश्वरी, एस.आर. भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–1998

65. माहेश्वरी, एस.आर. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इण्डिया, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली–2002

66. माहेश्वरी, श्रीराम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, दरियागंज नई दिल्ली–2003

67. मित्र, सिसिर पब्लिक फेसेलिटीज इट्स मैनेजमेन्ट एवं द वर्कस, पीपल्स पब्लिशिंग, न्यू देहली–1980

68. नंदा, एस.एस. इण्डियन पॉलिटिकल सिस्टम, मॉर्डन पब्लिशर्स, जालंधर सिटी–1986

69. निगम, एस.आर. लोकल गवर्न्मेंट, एस.चाँद एण्ड क, नई दिल्ली–1987

70. नारायण, इकबाल स्टेट्स पॉलिटिक्स इन इण्डिया, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ–1967

71. नायक, जे.ए. द अपोजिशन इन इण्डिया एण्ड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, एस.चन्द, दिल्ली–1983

72. नीरज, डॉ. जयसिंह शर्मा, डॉ. भगवती लाल राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–2007

73. नाटाणी, प्रकाश नारायण अपना राजस्थान सामान्य ज्ञान, जयपुर पिंकसिटी–2003

74. नाथूरामका, लक्ष्मीनारायण — राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर–2007

75. पानगड़िया, बी.एल. — राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–2007

76. फड़िया, बी.एल — लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिशन हॉस्पीटल रोड़, आगरा–2007

77. फड़िया, डॉ. बी.एल. — भारत में लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा–2003

78. साहू, डॉ. मोहन लाल, जैन डॉ. महावीर प्रसाद, — भारत का इतिहास एवं संस्कृति, (1526 से 1950),–2010

79. सैनी, आर.डी. मंगलानी, रूपा — सूचना का अधिकार, हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादामी, पंचकुला–2004

80. संधु, ज्ञान सिंह — राजनीतिक सिद्धांत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय–2004

81. सक्सेना, डॉ. एच.एम. — राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–2008

82. सक्सेना, रेणु — द रॉल ऑफ अपोजिशन इन इण्डियन पॉलिटिक्स, अनमोल नई दिल्ली–1971

83. सेल्वराज, श्री बालकृष्ण — विकास प्रशासन, इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय–1992

84. सिंह, चन्द्रमनी — जयपुर राज्य का इतिहास, जोधपुर राजधानी पब्लिकेशन्स–2008

85. सिंह, होशियार — "पॉवर्स एण्ड फंक्शन्स ऑफ म्यूनिसिपल चेयरमैन इन, राजस्थान", जर्नल स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थान बम्बई वोल्यूम 12, व संख्या, 1.जुलाई–सितम्बर–1970

86. सिंह, रोहित कुमार — राजस्थान सुजस (आयुक्त एवं सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर), राजस्थान सुजस, डोमीनियन लॉ डिपो 56–57 चौडा रास्ता, जयपुर–2008

87. सिन्हा, वी. एम. — भारत में नगरीय सरकारें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–1986

88. शर्मा, अरविन्द, इन्दु — सिटीजन चार्टर इन इण्डिया, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, नई दिल्ली–2002

89. शर्मा, अशोक — भारत में स्थानीय प्रशासन, दीपक परनामी आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर–2002

90. शर्मा, बृज किशोर — भारत का संविधान एक परिचय, अशोक के. घोष प्रिन्टिस – हॉल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ड.97 कनाट सर्कस, नई दिल्ली–2007

91. शर्मा, गोपीनाथ — राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी जयपुर–1999

92. शर्मा, गोपीनाथ — आधुनिक राज. का इतिहास,

93. शर्मा, डॉ. कालू राम, — आधुनिक भारत का इतिहास, पंचशील प्रकाशन, व्यास डॉ. प्रकाश, जयपुर–2013

94. शर्मा, डॉ कालूराम, व्यास डॉ. प्रकाश, — मध्यकालीन भारत का इतिहास, (1206–1740) पंचशील प्रकाशन फिल्म कॉलोनी चौडारास्ता जयपुर,–2009

95. शर्मा कृष्ण गोपाल, डॉ हुकम चन्द, शर्मा डॉ. मुरारी लाल, भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 1200 ई जैन तक), अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर 2009–10

96. शर्मा, व्यास राजस्थान का इतिहास, पंचशील प्रकाशन फिल्म कॉलोनी चौड़ा रास्ता, जयपुर नवम् संस्करण–2004

97. शर्मा, व्यास भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 1200 ई.), पंचशील, प्रकाशन जयपुर–2012

98. शर्मा, रविन्द्र डवलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया रिफॉर्म, एण्ड चेंज, जयपुर आलेख–2002

99. शर्मा, रामजी लाल शर्मा, सीताराम राजस्थान नगर पालिका पेन्शन नियम, विजय प्रकाशन, जयपुर–1989

100. शर्मा, हरीश चन्द भारतीय लोकप्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–1979

101. शर्मा, देवकान्त कौटिल्य के प्रशासनिक विचार, फ्रिण्टवैल जयपुर–1998

102. शर्मा, एम. जे.एल. कुमार इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर अनमोल पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली–2003

103. शर्मा, पी.डी. भारत में लोक प्रशासन, क्लासिकिंग पब्लिशिंग हाउस–1992

104. शर्मा, पी.डी. शर्मा, बी.एस. भारतीय प्रशासन, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर–1992

105. शर्मा, पी.डी. भारत में लोक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–1979

106. शर्मा, पीडी एण्ड शर्मा, बी.एम, भारत में लोक प्रशासन राज हिन्दी ग्रन्थ अकादमी–1979

107. शर्मा, डॉ. एच.सी. भारत में लोक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–1979

108. शर्मा, राम अवतार एवं यादव, सुषमा केन्द्र राज्य सम्बन्ध, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पूजा प्रेस, दिल्ली–1991

109. शर्मा, महादेव प्रसाद बी.एल.सड़ाना, लोकप्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार किताब, महल, नई दिल्ली–1996

110. शर्मा, हरिशचन्द्र, भारत में लोक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो–1984–85

111. शर्मा, सड़ाना शर्मा एवं सड़ाना लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं संकल्पनाएँ, किताब महल प्रकाशक इलाहाबाद–2003

112. त्रिपाठी मधू सूधन, भारत में लोक प्रशासन, उमेदा पब्लिकेशन दिल्ली–2006

113. त्रिवेदी, डॉ. आर.एन. राय, डॉ. एम.पी. भारतीय सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–2001

114. त्यागी, पी.के., भारत में लोक प्रशासन सुमित एन डी एन्टरप्राइजेज–2006

115. विलियम ए रॉब्सन ग्रेट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लन्दन, जार्ज, एलन एण्ड अनविन,–1954

116. वर्मा, हरिश चन्द्र मध्यकालीन भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–1993

117. वर्मा, डॉ. एस.एल राजनीति विज्ञान में अनुसंधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी–2005

118. वेपा, डॉ. राम के. "विकास कार्यों का कार्यान्वयन", लोक प्रशासन भोपाल अक्टूबर–1974

119. विष्णु, भगवान एण्ड विद्या भूषण लोक प्रशासन के सिद्धान्त, एस.चन्द एण्ड कम्पनी, रामनगर, न्यू देहली–2001

120. अरबन एडमिन चेलेन्जेज एण्ड ट्रेन्डस इन अरबन हिस्ट्री, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर

121. भारत सरकार का 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (इस अधिनियम का प्रवर्तन 1 जून, 1993 से भारत के असाधरण राजपत्र खंड 3, उपखंड 11 प्रकाशन के साथ हुआ)

122. भारत का संविधान, 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 अनुच्छेद 243, क्यू (1)

123. भारत का संविधान सिद्धान्त व व्यवहार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली–2008

124. भारत का संविधान, अनु0 40

125. भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स दरबंगा केस्टल इलाहाबाद–2, 2012

126. नगरीय भूगोल, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा

127. पब्लिक फेसिलिटीज, गाइड लाइन्स फॉर ह्यूमन सेटलमेन्ट प्लानिंग एण्ड डिजाइन

128. राजस्थान ऐतिहासिक स्थानावली अरावली प्रकाशन, जयपुर–2009

129. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–1994 धारा 9

130. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 धारा, 73

131. सूचना का अधिकार अपेक्षा एवं चुनौतियाँ भाग प्रथम एवं द्वितीय (जयपुर : सबलाइन पब्लिशस

पत्र–पत्रिकाएँ

- राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकाऐं
- नगर निगम द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस, लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- परिवहन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- रोजगार विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- विद्युत एवं ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- शिक्षा विभाग (विद्यालय) राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालय) राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- श्रम विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं
- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाऐं

- राजस्थान सरकार के सभी विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट प्रारूप
- राजस्थान सुजस (द्वि मासिक) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रकाशित
- इण्डिया टूडे (साप्ताहिक)
- इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (त्रैमासिक)
- आउट लुक
- राजस्थान विकास पत्रिका
- योजना
- प्रशासनिका
- दैनिक समाचार पत्र (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर तथा अन्य)
- पत्रिका इयर बुक
- जन सुविधाओं से सम्बन्धित वेब साईट्स एवं इंटरनेट सेवा

जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका

(जयपुर महानगर के विशेष संदर्भ में विगत दो सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन)

साक्षात्कार-अनुसूची

खण्ड–1 उत्तरदाता की व्यक्तिगत जानकारी

1.1 उत्तरदाता का नाम :–

1.2 आयु एवं लिंग :–

1.3 जाति एवं धर्मः–

1.4 शिक्षा :–

1.5 व्यवसाय :–

1.6 पता :–

खण्ड – 2 उत्तरदाता की शोध से सम्बन्धित सामान्य जानकारी

2.1 वर्तमान वार्ड नं. एवं जॉन नं. ....

2.2 वर्तमान वार्ड में कब से रह रहे हैं? ....

2.3 वर्तमान महापौर का नाम एवं राजनीतिक दल ....

2.4 वर्तमान उपमहापौर का नाम एवं राजनीति दल ....

2.5 वर्तमान पार्षद का नाम एवं राजनीतिक दल ....

2.6 विगत दो सरकारों के कार्यकालों (2004 –2009 एवं 2009–2014) के पार्षदों के नाम एवं राजनीतिक दल

1. 2004–2009 ....

2. 2009–2014 ....

2.7 विगत दो सरकारों के कार्यकालों (2004–2009 एवं 2009–2014) के महापौरों के नाम एवं राजनीतिक दल

1. 2004 – 2009 ....

2. 2009–2014 ....

खण्ड–3 उत्तरदाता की शोध विषय से सम्बन्धित जानकारी

नगर निगम द्वारा जन सुविधाओं (जनहित के कार्यों) का विकास कौनसे कार्यकाल में भली भाँति हुआ तथा जनता लाभान्वित हुई। निम्न तालिका में सम्बन्धित जनसुविधा के सामने कार्यकालों के कॉलम में सही का चिह्न लगाना है।

क्र.सं.	**(अ)** जन सुविधाओं के लिए जयपुर नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्य तथा जनता का मत (अनावर्तक व्यय द्वारा)	महापौर अशोक परनामी, पंकज जोशी (2004–09) के पक्ष में मत	महापौर ज्योति खण्डेलवाल (2009–14) के पक्ष में मत	दोनों कार्यकालों में किए गए कार्य से अनभिज्ञता के पक्ष में मत
1	नई सड़को का निर्माण			
2	अन्य निर्माण कियोक्स निर्माण एवं चार दीवारी का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण एवं नाला सुधार व कम्यूनिटी हॉल एवं अन्य फुटकर कार्य, गुलाबीकरण फुटपाथ, मेयर हाउस निर्माण, अन्य कार्य			
3	सडक नाली, रखरखाव			
4	सस्ता फ्लश शौचालय			
5	सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय निर्माण			
6	श्मशान/कब्रस्तान विकास			

7	बिजली लाइनों में वृद्धि			
8	उद्यान निर्माण			
9	वृक्षारोपण			
10	सीवर लाइन निर्माण			
11	हैरिटेज संरक्षण			
12	पशु वध गृह निर्माण			
13	कच्ची बस्ती विकास एवं संधारण			
14	पशुग्रह विकास (गाय–सूअर)			
15	निगमों भवनों का रखरखाव			
16	कारकस प्लांट एस.टी.पी. डेलावास/चैनपुरा कारकस प्लांट			
(ब)	विभिन्न प्रकार के विकास कार्य तथा योजनाओं पर अनुदानित राशि के व्यय के पक्ष में मत			
1	सड़कों नालियों हेतु अनुदान (बाढ़ सहायता एवं आपदा प्रबन्धन)			
2	राष्ट्रीय गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.)			
3	अपना घर योजना हेतु			
4	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार			
5	एम.पी.एम.एल.ए. कोटा			
6	राज्य वित्त आयोग के तहत			
7	कच्ची बस्ती पुर्नवास हेतु			
8	ग्यारवें/बाहरवें वित्त आयोग के तहत			
9	कारकस प्लान्ट			
10	निगम सम्बन्धी कार्यो हेतु			

	एडीवी से प्राप्त राशि का व्यय			
11	जनसहभागिता			
12	हैरीटेज वाक			
13	शहरी सुधार प्रोत्साहन (यूरिफ) जेएनएनयूआरएम			
14	बावडी जीणौद्धार (सुराज)			
15	जनगणना 2001/2011			